ISSN : 2321-0443

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-85

जनवरी- मार्च 2025

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक 85

जनवरी-मार्च 2025

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

ज्ञान गरिमा सिंधु 'मानविकी और सामाजिक विज्ञान' की एक त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य है- भारतीय भाषाओँ के माध्यम से विश्वविद्यालयी एवं अन्य छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, शब्द-संग्रह, शब्दावली- चर्चा, पुस्तक समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखकों के लिए निर्देश-

1. लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
2. लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
3. लेख सरल हों जिसे विद्यालय/ महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
4. लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो।
5. प्रकाशन हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट http://cstt.education.gov.in/ पर उपलब्ध है।

पत्रिका का शुल्क:	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
सामान्य ग्राहकों/संस्थाओं के लिएप्रति अंक	Rs 14.00	पौंड 1.64 डॉलर 4.84
वार्षिक चन्दा	Rs 50.00	पौंड 5.83 डॉलर 18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	Rs 8.00	पौंड 0.93 डॉलर 10.80
वार्षिक चन्दा	Rs 30.00	पौंड 3.50 डॉलर 2.88

वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in
कॉपीराइट : ©2025
प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार
पश्चिमी खंड -7 ,रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली - 110066

बिक्री हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड -7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
टेलीफोन - (011) 20867172
फैक्स - (011) 26105211/246

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे संपादक मंडल की सहमति आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की लेखनी से

ज्ञान और विमर्श के इस सतत प्रवाह में, ज्ञान गरिमा सिंधु का 85वां अंक अपने पाठकों के लिए एक बार फिर से विविध विषयों और गहन शोध से संपन्न लेखों का गुलदस्ता लेकर उपस्थित है। जनवरी से मार्च 2025 की यह त्रैमासिक कड़ी हमारे समय के ज्वलंत मुद्दों, ऐतिहासिक दृष्टियों, सांस्कृतिक विमर्शों और तकनीकी चुनौतियों के संतुलित संयोजन का साक्ष्य है।

इस अंक की शुरुआत भाषा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से होती है। पहला आलेख संस्कृत–नेपाली मशीन अनुवाद के संसाधन निर्माण और उससे जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। यह कार्य भारतीय भाषाओं के डिजिटल भविष्य के लिए दिशा तय करता है। शिक्षा संबंधी आलेखों में बहुभाषिकता के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा की उपादेयता पर महात्मा गांधी के विचारों का विश्लेषण किया गया है। साहित्यिक और सांस्कृतिक विमर्श भी इस अंक की प्रमुख विशेषता है। संत रैदास के भक्ति–दर्शन और भाषा पर एक गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। महादेवी वर्मा के काव्य में विरह–वेदना का संवेदनशील चित्रण किया गया है। शाङ्करभाष्यों में जीव और जगत की व्याख्या पर भी विचार किया गया है। इतिहास और राजनीति के क्षेत्र में भी सशक्त लेख सम्मिलित हैं। गांधी के सत्याग्रह और हिटलर के नाजीवाद के वैश्विक प्रभाव की तुलना की गई है। डॉ. भीमराव आंबेडकर की भारत–निष्ठा और विभाजन से जुड़े सत्य को रेखांकित किया गया है। कौटिल्य के राज्यमंडल सिद्धांत के संदर्भ में चीन भारतीय दर्शन की महत्ता पर विचार हुआ है। वर्तमान के तात्कालिक मुद्दों को भी स्थान मिला है। साइबर सुरक्षा शब्दावली और न्यू मीडिया के महत्व पर चर्चा की गई है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनकी रोकथाम पर विवेचन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के प्रस्तावित बांध का भू–सामरिक विश्लेषण किया गया है। यह विषय पर्यावरणीय और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैदिक जीवन पद्धति और वैदिक सभाओं की वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार हुआ है।

सामाजिक क्षमता, उपलब्धि और विकास जैसे विषय भी इस अंक में स्थान पाते हैं। हमें विश्वास है कि यह अंक अपने विविधतापूर्ण विषयों, गंभीर शोध और विचारोत्तेजक लेखों के कारण पाठकों को ज्ञानवर्धन के साथ-साथ चिंतन के नए आयाम भी प्रदान करेगा। ज्ञान गरिमा सिंधु की यही पहचान है — परंपरा और आधुनिकता के संगम पर खड़े होकर भविष्य की ओर देखना।

प्रो. धनंजय सिंह

अध्यक्ष

संपादकीय

आपका स्वागत है 'ज्ञान गरिमा सिंधु' के 85वें अंक (जनवरी–मार्च 2025) में, जो मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, इतिहास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध आयामों पर केंद्रित है। यह अंक हमारी पत्रिका की उस विशिष्ट दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता के संगम पर खड़े होकर समसामयिक शोध, विश्लेषण और विमर्श को प्रस्तुत किया जाता है।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान समाज के विकास में वह सेतु हैं, जो शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ को संभव बनाते हैं। भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में इन विषयों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दृष्टि से, इस अंक में हमने विविध विषयों पर आधारित शोध लेखों का संकलन किया है, जो पाठकों को नए विचारों, तथ्यों और दृष्टिकोणों से समृद्ध करेंगे।

इस अंक में शिक्षा, साहित्य, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे क्षेत्रों से जुड़े शोध और विश्लेषण शामिल हैं। इनमें हमारे अतीत के प्रेरणास्रोत, वर्तमान के चुनौतिपूर्ण प्रश्न और भविष्य के संभावित समाधान — तीनों का संतुलित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

हमारा प्रयास है कि यह अंक न केवल विद्वानों और शोधार्थियों के लिए, बल्कि जिज्ञासु और सामान्य पाठकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो। हमें विश्वास है कि इसमें प्रस्तुत विचार और शोध–निष्कर्ष बौद्धिक विमर्श को नई दिशा देंगे और समाज में ज्ञान–विनिमय की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।हम अपने पाठकों और लेखकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी शोध–कृतियों और अनुभवों के माध्यम से इस सतत संवाद को समृद्ध करते रहें, ताकि 'ज्ञान गरिमा सिंधु' ज्ञान, संस्कृति और चिंतन का विश्वसनीय मंच बना रहे।

(चकप्रम बिनोदिनी देवी)
सहायक निदेशक

संपादन मंडल

प्रधान संपादक

प्रोफेसर धनंजय सिंह

अध्यक्ष

संपादक

श्रीमती चकप्रम बिनोदिनी देवी

सहायक निदेशक

सह-संपादक

श्री इन्द्रदीप सिंह

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी(वाणिज्य)

समीक्षा एवं संपादन समिति

प्रो राम चंद्र

जे एन, यू. नई दिल्ली

डॉ प्रदीप सिंह

हिंदी अनुभाग दिल्ली विश्विद्यालय नई दिल्ली

डॉ नूतन पांडे

सहायक निदेशक (भाषा)

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली

डॉ. महेश चौधरी

सहायक प्रोफेसर

शहीद भगत सिंह महाविद्यालय दिल्ली विश्विद्यालय नई दिल्ली

अनुक्रमाणिका

1.	अध्यक्ष की लेखनी से	ii
2.	संपादकीय	iii
3.	संपादन मंडल एवं समन्वय	iv
4.	परामर्श मंडल	v
5.	विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता फाउंडेशन स्टेज-राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा :2022 की भूमिका और प्रभाव	1
6.	प्राचीन भारतीय दर्शन की महत्ता: कौटिल्य के राज्यमंडल सिद्धांत के विशेष संदर्भ में	8
7.	संस्कृतनेपाली मशीन- अनुवाद हेतु संसाधन निर्माणचुनौतियां : एवं समाधान	18
8.	संत रैदास की भक्तिदृष्टि , और भाषा	29
9.	महादेवी वर्मा के काव्य में विरह वेदना	34
10.	भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और उनकी रोकथाम एक विवेचनात्मक अध्ययन:	42
11.	गाँधी का सत्याग्रह और हिटलर के नाजीवाद का वैश्विक प्रभाव	50
12.	सामाजिक क्षमतास्कूल :, उपलब्धि और विकास	56
13.	डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा शब्दावली की महत्ता	62
14.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का समाज-वैज्ञानिक अध्ययन	67
15.	वैदिक जीवन पद्धति की वर्तमान प्रासंगिकता	74
16.	डॉभीमराव आंबेडकर की भारत निष्ठा एवं विभाजन का क्रूर सच .	81
17.	चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित बांध; एक भू सामरिक विश्लेषण	87
18.	नई शिक्षा नीति 2020 का समीक्षात्मक विश्लेषण	97
19.	वैदिक सभा, समिति और राजा : एक समीक्षा	103
20.	मातृभाषा में शिक्षा की उपादेयता: महात्मा गांधी की दृष्टि और आज का परिदृश्य	110
21.	शाङ्करभाष्यों में जीव एवं जगत्एक विवेचन :	117
22.	न्यू मीडिया और तकनीकी शब्दावली	125
23.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 (फाउंडेशनल स्टेज) के सन्दर्भ में गिजुभाई बधेका के विचारों की प्रासंगिकता	132

विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 की भूमिका और प्रभाव

डॉ. प्रभाकर पाण्डेय
विभागाध्यक्ष
वैकल्पिक शिक्षा एवं समग्र विकास विभाग
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश
ईमेल- prabhakar.pandey@subis.edu.im

शोध सार:

यह शोध पत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिकता की भूमिका और प्रभाव का विश्लेषण करता है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (एनसीएफ-एफएस 2022) के तहत विकसित किया गया है। बहुभाषिकता केवल भाषाई दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से संवेदनशील और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट बनाने का माध्यम भी है। इस दृष्टिकोण ने शिक्षा को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अन्य भाषाओं के माध्यम से अधिक समावेशी और प्रासंगिक बनाया है। एनसीएफ-एफएस 2022 के तहत प्रमुख पहलुओं में मातृभाषा आधारित शिक्षण, भाषाओं के बीच संतुलन, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान और त्रिभाषा सूत्र शामिल हैं। इस शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि एनसीएफ-एफएस 2022 ने बहुभाषिकता को शिक्षा का एक सशक्त माध्यम बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रगतिशील और समावेशी बनाया है। यह दृष्टिकोण शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के समग्र विकास में योगदान देता है और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में प्रेरित करता है।

मुख्य शब्द : बहुभाषिकता, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, त्रिभाषा सूत्र, सामाजिक समरसता, समावेशी शिक्षा

प्रस्तावना:

भारतीय शिक्षा प्रणाली की अद्वितीयता उसकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में निहित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (एनसीएफ-एफएस 2022) ने इस विविधता को स्वीकारते हुए बहुभाषिकता को शिक्षा का एक सशक्त आधार बनाने पर बल दिया है। बहुभाषिकता का उद्देश्य केवल भाषाई दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से संवेदनशील और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट बनाने का एक प्रयास है। यह दृष्टिकोण मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक अन्य भाषा के समावेश के माध्यम से छात्रों को न केवल उनकी जड़ों से जोड़ता है, बल्कि उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है। एनसीएफ-एफएस 2022 ने बहुभाषिकता को शिक्षा प्रणाली में शामिल करते हुए यह सुनिश्चित किया कि छात्र जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ सकें, अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखें और अन्य भाषाओं व संस्कृतियों के प्रति सम्मान विकसित करें। इसके तहत मातृभाषा आधारित शिक्षण, भाषाओं के बीच संतुलन, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान और त्रिभाषा सूत्र जैसी पहलें शामिल की गईं। इस शोध पत्र में

बहुभाषिकता की इन पहलों की भूमिका, उनके प्रभाव और छात्रों के समग्र विकास में योगदान का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि एनसीएफ-एफएस 2022 ने बहुभाषिकता को शिक्षा का एक सशक्त माध्यम बनाते हुए कैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशी और प्रासंगिक बनाया है।

बहुभाषिकता की अवधारणा :

बहुभाषिकता का तात्पर्य एक ऐसे दृष्टिकोण से है, जिसमें व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएँ समझने, बोलने और उपयोग करने की क्षमता प्रदान की जाती है। यह अवधारणा शिक्षा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ बहुभाषिकता केवल भाषाई दक्षता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सांस्कृतिक समझ, सहिष्णुता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का माध्यम भी बनती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज-2022 ने बहुभाषिकता को शिक्षा का एक सशक्त उपकरण माना है। इसमें कहा गया है, "बहुभाषिकता न केवल भाषाओं के ज्ञान को प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में संवाद और सहयोग करने की क्षमता भी प्रदान करती है।"[i] शिक्षा में बहुभाषिकता का उद्देश्य छात्रों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक अन्य भाषा के माध्यम से शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों से जोड़ना है। यह दृष्टिकोण छात्रों को उनकी जड़ों से जोड़ने के साथसाथ उन्हें अन्य संस्कृतियों और भाषाओं के प्रति संवेदनशील- बनाता है। उदाहरण के लिए, भारत में त्रिभाषा सूत्र बहुभाषिकता का एक व्यावहारिक मॉडल है जो छात्रों को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक अन्य भाषा के ज्ञान और उपयोग की क्षमता प्रदान करता है।

बहुभाषिकता शिक्षा के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास में सहायक होती है। यह न केवल उनकी संज्ञानात्मक और भाषाई क्षमताओं को सुदृढ़ करती है, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी विस्तारित करती है। जैसा कि एनसीएफ एफएस-2022 में उल्लेख किया गया है, "बहुभाषिकता छात्रों को विविध भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों में संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे सामाजिक सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता के लिए तैयार होते हैं।"[ii]

एनसीएफ-एफएस 2022 में बहुभाषिकता:

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 ने शिक्षा में बहुभाषिकता को एक सशक्त उपकरण के रूप में अपनाया है। इसका उद्देश्य छात्रों को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अन्य भाषाओं के माध्यम से शैक्षणिक और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करना है। बहुभाषिकता ने छात्रों को न केवल जटिल अवधारणाएँ समझने में सक्षम बनाया, बल्कि उन्हें विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता और सहिष्णुता विकसित करने का अवसर भी दिया। यह दृष्टिकोण शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रासंगिक और प्रभावी बनाने का प्रयास है। इसका विवरण निम्नानुसार है -

मातृभाषा आधारित शिक्षण:

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी है। यह दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को अधिक सहजता और गहराई से समझ पाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को सुदृढ़ करने के लिए यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रभावी है। एनसीएफ-एफएस 2022 के अनुसार, "बच्चे अपनी

मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते समय अधिक सहज और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यह भाषा न केवल उनके संवाद और अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों का आधार भी है।"[iii] मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को समझने, समस्याओं को हल करने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है। मातृभाषा आधारित शिक्षण के लाभ व्यापक हैं। यह बच्चों की भाषाई और संज्ञानात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करता है, जबकि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है। प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग से छात्रों को जटिल अवधारणाओं को समझने और अधिक आत्मीयता के साथ विषयों को ग्रहण करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया गया, उन्होंने भाषा और गणित जैसे विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। एनसीएफ-एफएस 2022 ने यह भी अनुशंसा किया है कि शुरुआती शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्थानीय भाषा और संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, ताकि बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा जा सके। यह दृष्टिकोण बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक समग्र और प्रभावी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है।

भाषाओं के बीच संतुलन :

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 ने प्रारंभिक शिक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करते हुए भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। यह दृष्टिकोण न केवल छात्रों की मातृभाषा में उनकी अवधारणात्मक समझ को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें विविध भाषाओं में संवाद करने की क्षमता भी प्रदान करता है। एनसीएफ-एफएस 2022 के अनुसार, "बहुभाषिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को उनकी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों से जोड़ते हुए उन्हें विभिन्न भाषाओं में दक्ष बनाना है। यह दृष्टिकोण छात्रों में संवाद, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के मूल्यों का विकास करता है।" इस दृष्टिकोण के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया जाता है, जबकि धीरे-धीरे उन्हें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं से परिचित कराया जाता है। यह संतुलित तरीका छात्रों को भाषाई विविधता का सम्मान करना और विभिन्न भाषाओं में संवाद करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, छात्र अपनी मातृभाषा में जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने में सक्षम होते हैं, जबकि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं के साथ उनकी बहुभाषिक क्षमता का विकास होता है। भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का यह दृष्टिकोण छात्रों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में भी सहायक है। यह दृष्टिकोण केवल भाषाई दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों को सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव भी सिखाता है।

सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान :

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज-2022 ने शिक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके तहत पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं को समाहित करने पर जोर दिया गया है। यह पहल छात्रों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व विकसित करने और अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने का प्रयास करती है। एनसीएफ एफएस-2022 के अनुसार, "शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और उन्हें सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशील बनाना है। जब बच्चे अपनी स्थानीय संस्कृति और भाषा के माध्यम से शिक्षित होते हैं, तो वे न केवल आत्मविश्वासी बनते हैं, बल्कि अन्य समुदायों की विविधता को भी स्वीकार करते हैं।"[iv] स्थानीय संस्कृति

और भाषाओं को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाने से छात्रों को अपने परिवेश के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय लोककथाएँ, लोकगीत, पारंपरिक कला और शिल्प जैसे तत्वों को पाठ्यक्रम में शामिल करके न केवल शिक्षण को रुचिकर बनाया गया, बल्कि छात्रों में अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई। यह दृष्टिकोण छात्रों के समग्र विकास में भी सहायक है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को शिक्षा का हिस्सा बनाकर बच्चों में सामाजिक सहिष्णुता, आपसी सहयोग और वैश्विक नागरिकता के गुण विकसित किए जा सकते हैं।

त्रिभाषा सूत्र का समावेश :

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज-2022 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है। यह सूत्र छात्रों को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, और एक अन्य भाषा आमतौर पर हिंदी या) सीखने के अवसर प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में भाषाई समृद्धि और बहुभाषिक कौशल (अंग्रेजी को विकसित करना है, जिससे वे विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के साथ जुड़ सकें। एनसीएफ एफएस-2022 के अनुसार, "त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य छात्रों को उनकी मातृभाषा में जड़ें देते हुए उन्हें अन्य भाषाओं के प्रति सक्षम और संवेदनशील बनाना है। यह बहुभाषिकता के माध्यम से संवाद और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण विकसित करता है।"[v] इस सूत्र के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया जाता है, जो उनकी प्रारंभिक संज्ञानात्मक और भाषाई विकास में मदद करता है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय भाषा और एक अन्य भाषा को धीरेधीरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है-, जिससे छात्रों की भाषाई दक्षता का दायरा व्यापक होता है। त्रिभाषा सूत्र का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह बहुभाषिकता के माध्यम से छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई समुदायों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह न केवल छात्रों की भाषाई दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि उनकी तार्किक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी सुदृढ़ करता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हुए हिंदी और अंग्रेजी सीखता है, तो वह न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर संवाद करने की क्षमता भी विकसित करता है।

बहुभाषिकता का प्रभाव :

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज-2022 ने शिक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। बहुभाषिक शिक्षा का उद्देश्य न केवल छात्रों को भाषाई विविधता से परिचित कराना है, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाना भी है। बहुभाषिकता ने शिक्षा प्रणाली में गहरे और सकारात्मक प्रभाव डाले हैं, जो छात्रों के समग्र विकास में सहायक रहे हैं। इन प्रभावों का विवरण निम्नानुसार है -

शैक्षणिक प्रगति में सुधार:

मातृभाषा में शिक्षण प्रारंभिक शिक्षा में छात्रों के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। यह दृष्टिकोण छात्रों को जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने में सक्षम बनाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अधिक कुशलता से विषय-वस्तु को समझते हैं। एनसीएफ-एफएस 2022 के अनुसार, "मातृभाषा में शिक्षण छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुदृढ़ करता है और उनकी शिक्षा को अधिक प्रभावी और रोचक बनाता है।"[vi] इसका व्यावहारिक प्रभाव छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर देखा गया है। उदाहरण के लिए, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में मातृभाषा में शिक्षा ने बच्चों को जटिल अवधारणाएँ समझने और अपनी तार्किक क्षमताओं को विकसित करने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, मातृभाषा आधारित शिक्षण छात्रों को अपनी शिक्षा से अधिक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक रूप से जुड़ने का अवसर देता है।

भाषाई और संज्ञानात्मक विकास:

बहुभाषिकता ने छात्रों की भाषाई दक्षता और संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि की है। जब बच्चे कई भाषाओं के संपर्क में आते हैं, तो उनकी समस्या समाधान, रचनात्मकता और तार्किक सोच जैसी क्षमताएँ बेहतर होती हैं। एनसीएफ-एफएस 2022 में उल्लेख किया गया है, "बहुभाषिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न भाषाई संरचनाओं और संदर्भों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। यह न केवल उनकी भाषाई दक्षता को सुदृढ़ करती है, बल्कि उनके मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करती है।"[vii] कई भाषाओं में शिक्षा ने छात्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने और विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों में संवाद करने में सक्षम बनाया है। यह दृष्टिकोण बच्चों की सोचने की क्षमता को विस्तारित करता है और उनके लिए अधिक प्रभावी ढंग से सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है।

सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता:

बहुभाषिक शिक्षा ने छात्रों को अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करने में मदद की है। यह दृष्टिकोण छात्रों को अपने समाज की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। एनसीएफ-एफएस 2022 में कहा गया है, "बहुभाषिकता छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना सिखाती है, जिससे उनमें सहिष्णुता और समावेशिता का विकास होता है।"[viii] पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय लोककथाओं, लोकगीतों और सांस्कृतिक उत्सवों को शामिल करके छात्रों को उनके सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ा गया है। यह पहल उन्हें न केवल अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, बल्कि उन्हें अन्य संस्कृतियों और परंपराओं को स्वीकार करने और समझने के लिए प्रेरित भी करती है।

सामाजिक एकता:

बहुभाषिकता ने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया है। यह दृष्टिकोण समाज में सामाजिक सामंजस्य और एकता को सुदृढ़ करता है। एनसीएफ-एफएस 2022 के अनुसार, "बहुभाषिक शिक्षा संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे सामाजिक समरसता और एकता का निर्माण होता है।"[ix] बहुभाषिकता ने छात्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है, जहाँ वे विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम हैं। यह शिक्षा प्रणाली छात्रों को वैश्विक नागरिकता के लिए तैयार करती है, जहाँ वे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए एक जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज-2022 ने बहुभाषिकता के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और प्रासंगिक बनाने का एक प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस नीति ने शिक्षा को केवल भाषाई कौशल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि का माध्यम बनाया। बहुभाषिक शिक्षा ने छात्रों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अन्य भाषाओं के माध्यम से ज्ञान और संवाद के नए अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी शैक्षणिक क्षमताओं में सुधार हुआ। मातृभाषा आधारित शिक्षण ने छात्रों को प्रारंभिक स्तर पर जटिल अवधारणाओं को समझने और आत्मविश्वास से सीखने में मदद की। यह दृष्टिकोण बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथसाथ उनके अकादमिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। इसके अतिरिक्त-, भाषाओं के बीच संतुलन ने छात्रों को विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों में संवाद करने और नई भाषाओं को अपनाने की क्षमता प्रदान की। यह संतुलन न केवल उनकी भाषाई दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें विविधता के प्रति संवेदनशील और सहिष्णु भी बनाता है। एनसीएफ एफएस-2022 के तहत सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के सम्मान ने छात्रों में सामाजिक समरसता, समावेशिता और वैश्विक दृष्टिकोण का विकास किया। पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय परंपराओं, लोककथाओं और सांस्कृतिक उत्सवों को शामिल करने से न केवल शिक्षा को रोचक बनाया गया, बल्कि छात्रों को सांस्कृतिक विविधता के महत्व को समझने और स्वीकार करने का अवसर भी मिला। इसी तरह, त्रिभाषा सूत्र ने बहुभाषिक कौशल को प्रोत्साहित किया, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए वैश्विक नागरिकता के लिए तैयार हो सके।

एनसीएफ एफएस-2022 ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने में बहुभाषिकता के महत्व को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया। इस दृष्टिकोण ने छात्रों को उनके व्यक्तिगत, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए तैयार किया है। बहुभाषिकता ने छात्रों को संवाद और सहयोग के माध्यम से सामाजिक समरसता और एकता को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रेरित किया है। इस प्रकार, एनसीएफ एफएस-2022 के अंतर्गत बहुभाषिकता केवल एक शैक्षणिक उपकरण नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है जो छात्रों के शैक्षणिक अनुभव को समृद्ध करता है, उन्हें एक सक्षम नागरिक के रूप में विकसित करता है, और भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक समावेशी, प्रगतिशील और वैश्विक मानकों पर खरा उतरने वाला मॉडल बनाता है। यह नीति एक सशक्त शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के विविध समाज और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

[i] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 3.1

[ii] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज-2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 3.1

[iii] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 2.3.

[iv] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 3.1

[v] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 2.5

[vi] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टैज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 2.3

[vii] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 3.1

[viii] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 3.2

[ix] *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-फाउंडेशन स्टेज 2022 (NCF-FS 2022)*, अध्याय 3.2

प्राचीन भारतीय दर्शन की महत्ता: कौटिल्य के राज्यमंडल सिद्धांत के विशेष संदर्भ में

डॉ. अलीशा ढींगरा, निशांत यादव

मानव सभ्यता में वर्तमान युग को महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। यह युग जिसमें हम रह रहे हैं, वह बाह्य और आंतरिक दोनों ही तरह के अथक संघर्ष और उथल-पुथल का युग है। तकनीकी उपकरणों के अत्यधिक दबाव के कारण रचनात्मक और सांस्कृतिक रुझान दिन-प्रतिदिन धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। वर्ग, रंग और सत्ता के आधार पर तीव्र मतभेदों और शत्रुता के कारण मानव समाज की एकता नष्ट हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान ने वैश्विक विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन साथ ही यह इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भी प्रस्तुत करता है। दुनिया भर में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, यह जरूरी है कि हम आत्मनिरीक्षण करें, खोजें कि हम कहाँ गलत हो गए हैं? और उन उपायों के बारे में निर्णय लें जो इन परिस्थितियों को सही करने में सहायता कर सकते हैं। इसके लिए सभी सही सोच वाले लोगों द्वारा बगैर समय व्यर्थ किए ईमानदारी से प्रयास और दृढ़ कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत में बौद्धिक अन्वेषण की ऐसी समृद्ध परंपरा और साहित्यिक विरासत सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है।

मानवीय संसार आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक संकट में है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सभी सिद्धांतों की उचित समझ, शांति की तलाश में मानवता के सामने आने वाली कई समस्याओं के समाधान में, योगदान देगी। भारतीय धर्म और दर्शन केवल अलग-थलग प्रथाएँ नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। वैश्वीकरण के युग में, हमें भारतीय लोकाचार में आस्था की पुष्टि करनी होगी। भारतीय दार्शनिक प्रणालियों के नैतिक सिद्धांत एक आचार संहिता निर्धारित करते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन की नींव के रूप में अहिंसा के साथ एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए नई सहस्राब्दी में भारतीय दर्शन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह समानता और मानवीय न्याय पर आधारित दुनिया के लिए वैचारिक या संरचनात्मक रूपरेखा विकसित करता है। जिससे अमानवीयता, हिंसा, घृणा, आतंकवाद, संकीर्ण पहचान - असमानता के सभी उत्पाद हमेशा के लिए मिट जाएँगे। दर्शन एक ऐसा अध्ययन है जो अस्तित्व और वास्तविकता के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। यह सत्य और ज्ञान की प्रकृति की खोज करने और जीवन में मूलभूत मूल्य और महत्व को खोजने का प्रयास करता है। "इस प्रकार दर्शन जीवन का एक तरीका बन जाता है, न कि केवल विचार का एक तरीका। जैन धर्म के संदर्भ में यह टिप्पणी की गई है कि, जिसका मूल विचार है - जानने के लिए मत जियो, बल्कि जीने के लिए जानो - और यही बात अन्य भारतीय विद्वानों के बारे में भी कही जा सकती है।

दर्शन, विशेष रूप से भारतीय दर्शन ज्ञान की खोज या सत्य की खोज है। यह तर्कसंगत और अनुमानात्मक तरीकों से सत्य को प्रमाणित करता है। एक समय में दर्शन मुख्य रूप से अमूर्त और पारलौकिक सोच तक ही सीमित था, लेकिन उत्तर-आधुनिकता के बाद इसने अपना आयाम बदल दिया है और समाज के साथ-साथ दुनिया में व्यावहारिक और

अनुभवजन्य समस्याओं को हल करने तक विस्तारित हो गया है। पूरी दुनिया बदल गई है, इसलिए मनुष्य का दृष्टिकोण और जीवन शैली भी बदल गई है। इसलिए आज भारतीय दार्शनिकों के विचारों की प्रासंगिकता हमारे सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति पर नहीं बल्कि उस भावना पर निर्भर करती है जिसके साथ इन समस्याओं से निपटना है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में "मानव निर्माण मेरा मिशन है"। वे कहते थे कि वास्तव में, किसी देश का भविष्य उसके लोगों पर निर्भर करता है कि, वे कितने अच्छे, बुद्धिमान और सक्षम हैं। भारतीय विचार हमेशा अपने समय से आगे रहता है। हम भारतीय विचारों में परिभाषित लगभग हर अवधारणा पा सकते हैं। चाहे हम राजनीति, नैतिकता, सदाचारी अर्थव्यवस्था या जीवन शैली को देखें, भारतीय विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार- "यदि इस धरती पर कोई ऐसी भूमि है जिसे धन्य पुण्य भूमि होने का दावा किया जा सकता है," ... वह भूमि जहाँ मानवता ने नम्रता, उदारता, पवित्रता, शांति और सबसे बढ़कर आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता की अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया है - वह भारत है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कौटिल्य के दर्शन की प्रासंगिकता

दीर्घकालिक महत्व हेतु, किसी विद्वत्तापूर्ण कार्य को अपने आस-पास के परिवेश से अलग होना चाहिए। कौटिल्य नें न केवल ऐतिहासिक संकेतों का उपयोग करने से परहेज करके, बल्कि अपने काम को असाधारण कल्पना के साथ गढ़कर भी इसे हासिल किया। अर्थशास्त्र का वास्तविक मूल्य और आकर्षण इसकी कल्पनाशील प्रकृति और इसके कथनों की व्यवस्थित प्रकृति में निहित है।[i] कौटिल्य के उद्देश्यों और अधिग्रहण की रणनीतियों पर विचार करते हुए, यह जानना अप्रत्याशित नहीं लगा कि अर्थशास्त्र तीन अलग-अलग विषयों को संबोधित करता है: शासन, कानूनी और न्यायिक मामले, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अर्थशास्त्र के एक मेहनती पाठक से इसमें कई मूल्यवान अंतर्दृष्टि की खोज करने की उम्मीद की जानी चाहिए।[ii] तीनों खंडों में से हमें इस निबंध के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति के खंड पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अकादमिक क्षेत्र में धीरे-धीरे एकीकृत किया। हालाँकि, कौटिल्य की 'वास्तविक राजनीति के संस्थापक' के रूप में पुनर्व्याख्या लगातार एक ही पूर्वानुमानित सैद्धांतिक निष्कर्ष पर पहुँचती है। अर्थात्, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक मूल्यवान गैर-पश्चिमी स्रोत है जो यूरोसेंट्रिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शास्त्रीय यथार्थवाद और नवयथार्थवाद के प्रमुख सैद्धांतिक ढाँचों में पाए जाने वाले राजनीतिक यथार्थवाद/वास्तविक राजनीति को दर्शाता है। इस शास्त्रीय पाठ की व्यापक सामग्री को शास्त्रीय यथार्थवाद/नवयथार्थवाद के संकीर्ण ढाँचे में फिट करने की चुनौती के बावजूद, एक राजनीतिक यथार्थवादी के रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की व्याख्या ने गति पकड़ी क्योंकि यूरोसेंट्रिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अधिक समावेशी बनने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए वे गैर-पश्चिमी ज्ञान-रूपों पर विचार करने की अनुमति दे रहे थे।[iii]

इस संदर्भ के आलोक में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक यथार्थवाद/वास्तविक राजनीति के गैर-पश्चिमी ज्ञान रूपों को शामिल करने के प्रयासों ने एक "कालानुक्रमिक विवाद" को जन्म दिया। चूँकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हॉब्स की "प्राकृतिक अवस्था", मैकियावेली के "राजकुमार", मोर्गेंथाऊ की "अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति" (एनिमस डोमिनंडी) की अवधारणा और केनेथ वाल्ट्ज के "अराजकता" के विचार से पहले का है, इसलिए इस विवाद में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों ने कौटिल्य को "भारतीय मैकियावेली" के रूप में संबोधित करने पर अपना असंतोष व्यक्त किया, जबकि स्वयं मैकियावेली को "इटली या भूमध्यसागरीय कौटिल्य" के रूप में संबोधित नहीं किया गया था। वास्तव में, मैकियावेली को "कौटिल्य के आधुनिक यूरोपीय अवतार" के रूप में पुनः संबोधित करने के लिए नए अध्ययन किए गए।[iv]

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, जो स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय विदेश और सुरक्षा नीति का एक मूलभूत पहलू रही है, कौटिल्य के यथार्थवाद से काफी प्रभावित है। गुटनिरपेक्षता पर पारंपरिक दृष्टिकोण यह मानता है कि, भारत इस विचारधारा का पालन करके खुद को शीत युद्ध की द्विध्रुवीय राजनीति में उलझने से रोकेगा। यह तटस्थता की नीति, संघर्षों से बचने और सक्रिय रूप से शांति की खोज करके अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। फिर भी, गुटनिरपेक्षता के व्यापक परिप्रेक्ष्य को पहचानने में विफल होना एक संकीर्ण और सीमित दृष्टिकोण होगा। भारत ने अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए उस अवधि के दौरान गुटनिरपेक्षता की रणनीति बनाए रखी। भारत की अधीनस्थ स्थिति को देखते हुए, विशेष रूप से चीन की तुलना में, गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य इसकी विदेश नीति में एक अस्थायी चरण के रूप में काम करना था। गुटनिरपेक्षता तब तक जारी रहेगी जब तक भारत अपनी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त आर्थिक और सैन्य शक्ति हासिल नहीं कर लेता। गुटनिरपेक्षता एक रणनीतिक दृष्टिकोण था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति से पूरी तरह दूर रहने के बजाय गुट युद्धों में शामिल होने से बचना था। इस योजना में सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभाव हासिल करने के लिए कूटनीतिक या, जब संभव हो, सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करना शामिल था। संक्षेप में, गुटनिरपेक्षता कम लागत पर प्रभाव प्राप्त करने का एक कम जोखिम वाला दृष्टिकोण था।[v]

कौटिल्य ने पश्चिमी यथार्थवादियों के विपरीत सुरक्षा की व्यापक धारणा को अपनाया। उन्होंने प्रभावी शासन के लिए एक मजबूत राजकोष और एक मजबूत रक्षा क्षमता को प्राथमिकता दी। कौटिल्य का मानना था कि विजिगीषु वास्तव में अराजकता की स्थिति में मौजूद था, जिसे मत्स्य न्याय के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाता था - मछली का नियम, जहाँ बड़ी इकाई छोटी को खा जाती है। सुरक्षा के बढ़ते महत्व के कारण, लक्ष्य दूसरे को कमजोर करके अपने अधिकार को मजबूत करना था। मत्स्य न्याय प्रणाली के अंदर विजिगीषु के उदय के लिए, कौटिल्य ने राज्यों की मंडल प्रणाली तैयार की।[vi]

अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यमंडल की संरचना
(Structure of the State System according to *Arthashastra*)

"मंडल" शब्द एक गोलाकार आकृति को संदर्भित करता है जिसमें एक केंद्रीय बिंदु या नाभिक होता है, जिसे "विजिगीषु" कहा जाता है। मंडल का निर्माण राजनीतिक आधार पर किया जाता है कि विजिगीषु या शासक, मंडल के अंदर केंद्रीय स्थान पर होता है। शासक के निकटतम पड़ोसियों को उसका अरि या शत्रु माना जाता है, जबकि इन निकट पड़ोसियों के समीपवर्ती राज्यों को विजिगीषु के मित्र के रूप में देखा जाता है। मंडल सिद्धांत के अनुसार, पड़ोसी राज्यों को विरोधी माना जाता है। जबकि शत्रु के समीपवर्ती राज्यों को मित्र माना जाता है। मित्रवत राज्यों के बाद, अमित्र राज्य होते हैं। आम तौर पर, मित्र राज्य पीछे से अपना हमला शुरू करने से पहले आक्रामक राज्य विजिगीषु द्वारा अमित्र राज्य पर आक्रमण प्रारंभ करने की प्रतीक्षा करते हैं। मंडल प्रणाली में, दो राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं: मध्यमा, जिसे मध्य राज्य के रूप में भी जाना जाता है और उदासीन, जिसे तटस्थ राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। मध्यमा विजिगीषु और शत्रु राज्य के बीच की सीमा पर स्थित है और इसमें किसी भी पक्ष की सहायता करने की क्षमता है। उदासीन विजिगीषु की सीमा के बाहर स्थित है और एक सुविधाप्रदायी राज्य है जो विजिगीषु, एक शत्रु राज्य, साथ ही मध्यम राज्यों की सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से सहायता करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त, उदासीन इनमें से किसी भी राज्य का अपने दम पर विरोध करने में सक्षम है। राजमंडल सिद्धांत विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अर्थशास्त्र की स्थायी अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। इस तर्क का एक तत्व भारत की विदेश नीति में स्पष्ट है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों को विरोधी माना जाता है, जबकि अफ़गानिस्तान और रूस जैसे पड़ोसी देशों को सहयोगी माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने मौजूदा प्रतिद्वंद्वियों की सीमाओं पर विरोधियों को विकसित करके उनके प्रभाव को कम करने के लिए इस रणनीति को अपनाया।

यूएसएसआर की विस्तारवादी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए चीन 1971 के बाद एक सहयोगी बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक गठबंधन भी स्थापित किया।[vii] तानाशाही शासनों के साथ साझेदारी करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने उदार लोकतांत्रिक दर्शन को कमजोर कर दिया। कौटिल्य ने अन्य राज्यों के प्रति राज्य की रणनीति के घटकों के रूप में साम (सुलह), दान (उपहार), दंड (दंड) और भेद (असहमति) की वकालत की।[viii]

संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए साम, दान, दंड और भेद की रणनीतियों को अपना रहा है। गठबंधन संरचना को प्रतिकूलताओं के उन्मूलन और राज्य की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। साझेदारी एक साझा स्वार्थ के इर्द-गिर्द स्थापित होती है। शीत युद्ध के दौर में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साझा हितों के कारण पाकिस्तान और चीन के साथ गठबंधन किया। पाकिस्तान और चीन दोनों के पास अमेरिका के साथ जुड़ने के अपने-अपने कारण थे।

मंडल प्रणाली में सफलता प्राप्त करने के लिए, कौटिल्य के राजा को मत्स्य न्याय प्रणाली का पालन करना चाहिए और विदेशी कूटनीति के छह तरीकों को अपनाना चाहिए। जिसे षाड्गुण्य नीति के नाम से जाना जाता है। षाड्गुण्य नीति का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त मनुस्मृति, महाभारत, हरिवंशपुराण, अग्निपुराण, कथासरित्सागर, पंचतंत्र सहित आदि कई प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में में षाड्गुण्य नीति का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है:

षाड्गुण्यस्य प्रकृति-मण्डलं योनिः ॥ ०७.१.०१ ॥

संधि-विग्रह-आसन-यान-संश्रय-द्वैधीभावाः षाड्गुण्यम्" इत्याचार्याः ॥ ०७.१.०२ ॥

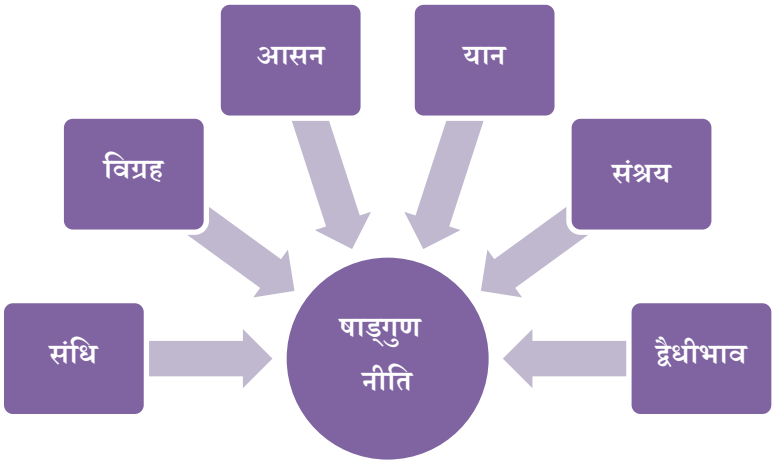

1. संधि

यह शांति की स्थिति को संदर्भित करती है, किसी भी कमजोर राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ शांति स्थापित करने की अनुमति देती है। संधि एक समझौते या समझौते को संदर्भित करती है जो इस विश्वास पर स्थापित होती है कि शांति और संघर्ष दोनों ही लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस परिदृश्य में, युद्ध पर शांति को प्राथमिकता देना उचित है, क्योंकि युद्ध एक जोखिम भरा प्रयास है जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी नुकसान हो सकता है। शांति को एक क्षणभंगुर स्थिति और दुश्मन को आत्मसंतुष्टि की स्थिति में लाने के उद्देश्य से बड़ी रणनीति का एक घटक माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के युग के दौरान नए गठबंधनों का गठन स्पष्ट रूप से दृश्यमान है।

2. विग्रह (युद्ध):

यह एक ऐसी परिस्थिति को संदर्भित करता है जहां राज्य अपने प्रभुत्व के बारे में निश्चित होता है और मानता है कि युद्ध प्रारंभ करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। कौटिल्य ने युद्ध को तीन अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया:

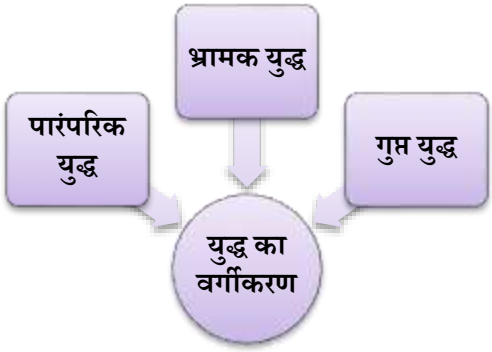

पारंपरिक युद्ध (विशिष्ट युद्ध), भ्रामक युद्ध (प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करने और हमला करने के लिए विभिन्न रणनीति का उपयोग करना), और गुप्त युद्ध (अंडरकवर ऑपरेटिव और गुप्त तरीकों का उपयोग करना)। खुला युद्ध शुरू में विशेष रूप से शक्तिशाली सम्राट द्वारा संचालित किया जाता है।

3. आसन (तटस्थता):

वंचित स्थिति में चुप रहना। तटस्थता की नीति लचीली होती है और विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होती है। तटस्थता को तीन मुख्य तत्वों से समझा जा सकता है:

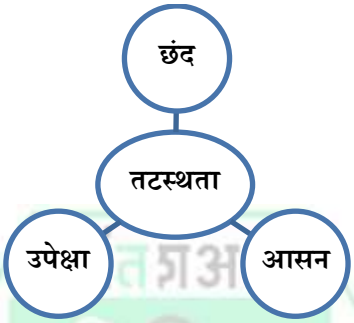

छंद; जिसमें मौन रहना शामिल है।

आसन; जिसमें शत्रुता से बचना शामिल है।

उपेक्षा; जिसका अर्थ है किसी भी रणनीतिक कार्रवाई से बचना।

4. यान (मार्च):

दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन। कोई भी राज्य जिसके पास पर्याप्त बल है, वह अपने शत्रु राज्य के विरुद्ध समूहबद्ध हो जाएगा। इसमें वास्तविक युद्ध में सम्मिलित हुए बिना प्रतिद्वंद्वी को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने की क्षमता है।

5. संश्रय (गठबंधन या आश्रय की तलाश):

जिस राज्य के पास स्वयं की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है, उन्हें गठबंधन बनाकर दूसरे से सुरक्षा की खोज करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को संबोधित करने के साधन के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ गठबंधन बनाने की रणनीति अपनाई है।

6. द्वैधीभाव

इस नीति का प्रस्ताव है कि समाधान प्राप्त करने में सहायता महत्वपूर्ण है। इसे पड़ोसी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की रणनीति के रूप में समझा जा सकता है, जबकि सक्रिय रूप से तीसरे पक्ष के प्रति शत्रुता का पीछा किया जाता है। इस नीति के तहत, पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति क्षणिक है, लेकिन उनके साथ संघर्ष

की घटना अपरिहार्य है। नीति में कूटनीतिक रूप से विरोधियों में विश्वास पैदा करना शामिल है, जबकि साथ ही साथ गुप्त रूप से आक्रामक व्यवहार में संलग्न होना शामिल है। यूएसएसआर ने इस नीति को तनाव शैथिल्य (देदांत) की अवधि के दौरान लागू किया। एक ओर, यूएसएसआर ने अमेरिका के साथ तनाव कम किया था; दूसरी ओर, वह विश्व भर के कई क्षेत्रों में अपने प्रभाव को विस्तारित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा था।

षाड्गुण्य नीति के शुरुआती चार सिद्धांत मजबूत राष्ट्रों की स्थापना से संबंधित हैं, जबकि पाँचवाँ सिद्धांत, जिसे संश्रय के रूप में जाना जाता है, साप्ताहिक कार्यान्वयन के लिए अभिप्रेत है। अंत में, मध्यवर्ती स्तर के राष्ट्रों के लिए द्वैधीभाव नीति अपनाने की सलाह दी जाती है।[ix] कौटिल्य की गुप्त सेवा राज्य की बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं: दूसरे देशों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, चाहे वे मित्रवत हों, शत्रुतापूर्ण हों या तटस्थ हों; और दुश्मन देशों के खिलाफ गुप्त अभियान चलाना।[x] भारत की दो प्रमुख विदेश नीति के मुद्दों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, वास्तविक समय लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर लचीले ढंग से जवाब देने की क्षमता महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने शक्ति को तीन मुख्य रूपों में वर्गीकृत किया है:

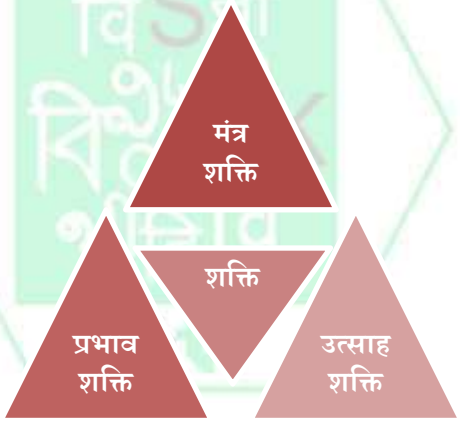

मंत्रशक्ति, जो परामर्श और कूटनीति की शक्ति को संदर्भित करता है और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है; प्रभावशक्ति, जो खजाने और सेना की शक्ति से संबंधित है; और उत्साहशक्ति, जो साहस की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि सैन्य और आर्थिक ताकत का होना महत्वपूर्ण है, सफलता प्राप्त करने की कुंजी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विदेश नीति उपकरण के विवेकपूर्ण चयन में निहित है।[xi]

निष्कर्ष

वर्तमान परिवेश में, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है। जिसमें विदेश नीति की छह तकनीक युक्त षाड्गुण्य नीति भी शामिल है। जो शीत युद्ध के पश्चात भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। अफगानिस्तान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि जापान

के साथ इसके संबंधों को चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है। लुक ईस्ट पॉलिसी, ब्रिक्स और शंघाई सुरक्षा सर्कल जैसी पहलों के माध्यम से गठबंधन की भारत की खोज पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी को बढ़ावा देने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित करती है। ये गठबंधन शीत युद्ध के दौरान बने गठबंधनों से अलग हैं। जहाँ महाशक्तियाँ अपने प्रतिद्वंद्वी महाशक्ति पर लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सहयोगियों का उपयोग करना चाहती थीं। विभिन्न राष्ट्रों के साथ भारत के कई गठबंधन का उद्देश्य चीन जैसे विरोधियों को संतुलित करने के लिए अपनी शक्ति में वृद्धि करना है। हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में चीन की आधिपत्य की महत्वाकांक्षाओं से लड़ने के लिए प्रशांत एशियाई राष्ट्रों और भारत का साझा रणनीतिक उद्देश्य उनके गठबंधन का आधार बनता है। राजमंडल के सिद्धांत को अन्य क्षेत्रों, जैसे यूरोप पर भी लागू किया जा सकता है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक फ्रांस और जर्मनी के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[i] Rashed Uz Zaman, Kautilya: The Indian Strategic Thinker and Indian Strategic Culture, *Comparative Strategy*, (2006) 25:3, 231-247.

[ii] Ibid

[iii] Deepshikha Shahi, *Kautilya and Non-Western IR Theory*. Palgrave. 2019

[iv] Ibid

[v] Ibid

[vi] Nirmal Jindal, 'Relevance of Kautilya in Contemporary International System'. *International Journal of Historical Insight and Research (IJHIR) Vol.5, No.2, Apr-Jun, 2019*

[vii] Ibid

[viii] George Modelski, 'Kautilya: Foreign Policy and International System in the Ancient Hindu World'. *The American Political Science Review*, Vol. 58, No. 3 (Sep), pp. 549-560.1964

[ix] Pravin Chandrasekaran, 'Kautilya: Politics, Ethics and Statecraft'. *MPRA Paper No. 9962*, 2006. Harvard University/Harvard Kennedy School Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/9962/

[x] Liebig MIchael, *'Statecraft and Intelligence Analysis in Kautilya's Arthasastra',* in Pradeep Kumar Gautam, Saurabh Mishra and Arvind Gupta (eds.), *Indigenous Historical Knowledge : Kautilya and His Vocabulary (Volume III),* New Delhi, IDSA/Pentagon Press. 2016

[xi] Kajari Kamal and Gokul Sahni, 'The Relevance of Ancient Indian Strategy in Contemporary Geopolitics'. *Journal of the United Service Institution of India*, Vol. CXLVII, No. 608, April-June 2017.

डॉ. अलीशा ढींगरा,

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,

सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

वेब सं: alishadhingra@satyawati.du.ac.in ।

डॉ. निशांत यादव
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.)
वेब सं: nishantyadav.du@gmail.com ।

संस्कृत-नेपाली मशीन अनुवाद हेतु संसाधन निर्माण: चुनौतियां एवं समाधान

राहुल कुमार तिवारी, गिरीश नाथ झा

संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली
+91 9703599030, +91 9810274541

tiwarirahul21194@gmail.com, girishjha@gmail.com

कीवर्डस/कूट शब्द:- संस्कृत, नेपाली, ए.आई, एम.टी.सिस्टम, भारतीय भाषाएं, समानांतर कॉर्पस, डोमेन-विशिष्ट अनुवाद, मशीन अनुवाद।

सारांश

संस्कृत और नेपाली भाषाओं के लिए डेटा की न्यूनता प्रभावी मशीन अनुवाद प्रणाली के विकास में एक बड़ी बाधा है। यद्यपि संस्कृत और नेपाली दोनों भाषाओं के लिए अलग-अलग ओपन-सोर्स कॉर्पोरा मौजूद हैं, परंतु दोनों भाषाओं के बीच समानांतर कॉर्पस की उल्लेखनीय कमी रही है। इस अंतर की परिपूर्ति हेतु प्रस्तुत शोधपत्र में शोधकर्ताओं द्वारा एक वृहत् संस्कृत-नेपाली समानांतर कॉर्पस 1,00,000 (एक लाख) स्रोत वाक्यों का डेटासेट संकलन तथा निर्माण कार्य किया। इस कार्य में डेटा संकलन, डोमेन पहचान और नेपाली में मानव अनुवाद सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह शोधपत्र भाषाई जटिलताओं तथा संस्कृत और नेपाली की ध्वन्यात्मकता, ध्वनिविज्ञान संबंधी, वाक्यविन्यास संबंधी और रूपात्मक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा यह भी बताता है कि ये कारक अनुवाद प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। डेटासेट का संग्रह विकिपीडिया, स्वतंत्र वेबसाइट, किताबें, पत्रिकाएँ और सोशल मीडिया सहित विभिन्न स्रोतों से किया गया है। डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया जैसे भाषा सत्यापन, सुधार और डोमेन सत्यापन आदि किया गया है। सटीकता के लिए डेटा को कई सत्यापनकर्ताओं और अनुवादकों ने क्रॉस-सत्यापन प्रक्रिया के द्वारा गुणवत्तापूर्ण बनाया। दो भाषाओं के बीच संरचनात्मक और भाषाई अंतर सटीक अनुवाद में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह डेटासेट मुख्य रूप से वार्तालाप, राजनीति और लोककथाओं जैसे डोमेन को कवर करता है, जो इन कम संसाधन वाली भाषाओं में एमटी विकास के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है।

परिचय

बीसवीं सदी के शुरुआती दिनों में मशीनी अनुवाद को अनुपयुक्त माना जाता था, परन्तु आज इस ने वैश्विक स्तर पर मानव अनुवादकों के लिए एक चुनौती बनने तक की लम्बी यात्रा तय किया है। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया में तीन मुख्य तत्व होते हैं : मशीन (हार्डवेयर), प्रसंस्करण सामग्री (सॉफ्टवेयर), और डेटा। हाल के वर्षों में, मशीन अनुवाद प्रणालियों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है, जिसका मुख्य कारण डेटा-

संचालित पद्धतियों में प्रगति, व्यापक भाषा कॉर्पोरा की उपलब्धता, **ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जी.पी.यू)** और **सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सी.पी.यू)** प्रौद्योगिकी और **क्लाउड** संसाधनों आदि में प्रगति द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई संगणकीय (कम्प्यूटेशनल) शक्ति है। हालाँकि, इन विकासों ने बड़े पैमाने पर उच्च-संसाधन भाषाओं को लाभान्वित किया है, जबकि संस्कृत और नेपाली जैसी कम-संसाधन वाली भाषाएँ वर्तमान में वंचित स्थिति में हैं। इन भाषाओं को डेटासेट की कमी का सामना करना पड़ता है, जो प्रभावी मशीनी अनुवाद (एम. टी.) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। "कम संसाधन वाली भाषाओं का समर्थन करना न केवल एक तकनीकी चुनौती है, बल्कि एआई विकास में एक सांस्कृतिक और नैतिक अनिवार्यता भी है" (Aravind, L., & Koonin, E. V., 2000) ।[1]

इस हेतु 1,00,000 संस्कृत स्रोत वाक्यों का एक व्यापक डेटासेट निर्माण किया गया। प्रत्येक वाक्य की भाषाई सटीकता और प्रासंगिकता के साथ सत्यापनकर्ताओं और क्रॉस-चेकिंग प्रक्रिया के माध्यम से नेपाली में अनुवाद भी किया गया। इस समानांतर कॉर्पस में संस्कृत और नेपाली के बीच भाषाई जटिलताओं की पहचान और प्रबंधन में ध्वन्यात्मक, ध्वनिविज्ञान संबंधी, वाक्यविन्यास संबंधी और रूपात्मक अंतर शामिल हैं। ये अंतर एमटी में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे दोनों भाषाओं में अनुवादों की संरचना और धारणा को प्रभावित करते हैं। यह कॉर्पस कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए एमटी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण योगदान है।

संस्कृत

संस्कृत में रचित वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, महाभारत और रामायण आदि ग्रन्थों ने ज्ञान-विज्ञान प्रणाली, धार्मिक और दार्शनिक विचारों के साथ नैतिकता और कर्तव्य सहित अनेक विषयों में विश्व साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी है। संस्कृत विश्व भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। भारत के संसद में संस्कृत भाषा में सभा की कारवाई का सद्यानुवाद(युगपत भाषान्तरण) किया जा रहा है। आकाशवाणी, समाचार पत्रों और डीडी न्यूज़ पर वार्तावली जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत में समाचार दिए जाते हैं, जिससे आधुनिक संदर्भ में भाषा के साथ लोगों की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

अनुसूचित आधुनिक भारतीय भाषा होने के अलावा संस्कृत उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्कृत को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाने के लिए कई डिजिटल उपकरण और अनुप्रयोग विकसित किए जा रहे हैं। "यदि किसी भाषा को डिजिटल स्पेस में समर्थन नहीं मिलता है, तो उसके बोलने वालों के लिए एआई क्रांति में पीछे छूट जाने का खतरा हमेशा बना रहता है" (Badodekar, S., 2003)।[2]

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने संस्कृत को अपनी अनुवाद सेवाओं में एकीकृत किया है, जिससे डिजिटल संचार में इसके उपयोग को बढ़ावा मिला है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों ने डिजिटल कॉर्पोरा, अनुवाद उपकरण और भाषाई संसाधन बनाने के लिए संस्कृत परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिससे संस्कृत को कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान और एआई अनुसंधान में एकीकृत करने में मदद मिली है। ये पहल दर्शाती हैं कि संस्कृत केवल एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, बल्कि शिक्षा, मीडिया, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में अनुप्रयोगों के साथ एक जीवंत और विकसित माध्यम है, जो दुनिया में इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाते हुए इसकी विरासत को संरक्षित करता है।

नेपाली

"नेपाली भाषा में एक समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई ऐतिह्य है, जो संस्कृत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, संस्कृत से इसे अपनी अधिकांश शब्दावली, वाक्यविन्यास और ध्वन्यात्मक विशेषताएँ विरासत में मिली हैं" (Khatiwada, R., 2009)|[3] नेपाल की आधिकारिक भाषा और भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक, नेपाली न केवल हिमालयी क्षेत्र में विविध समुदायों के बीच एक भाषाई पुल का काम करती है, बल्कि संस्कृत के साथ एक गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध को भी दर्शाती है। संस्कृत के साथ इस संबंध ने नेपाली की शब्दावली को आकार दिया है, विशेष रूप से साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक संदर्भों में, जहाँ संस्कृत से व्युत्पन्न शब्द प्रचलित हैं। संस्कृत के साथ सदियों की बातचीत के माध्यम से भाषा के विकास ने नेपाली भाषियों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों, प्राचीन ज्ञान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि को संरक्षित करने और संचारित करने के माध्यम के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ किया है। नेपाली भाषा का क्षेत्रीय ग्राफ :-

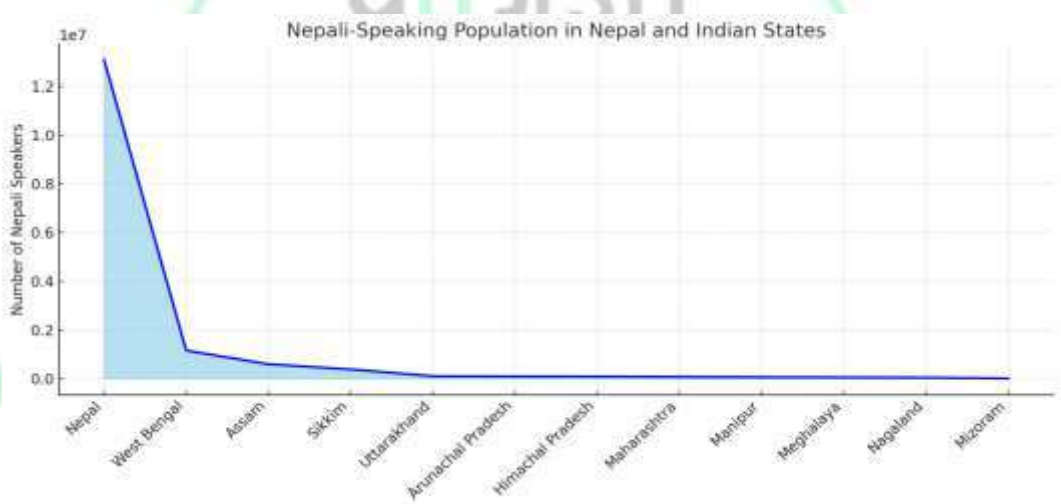

लेखा-चित्र-1

संस्कृत ग्रंथों का नेपाली में अनुवाद नेपाली भाषियों को आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, दर्शन, कला, योग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्राचीन ज्ञान तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करता है। इस तरह के अनुवाद व्यापक संस्कृत कोष को अधिक सुलभ बनाते हैं, आधुनिक नेपाली भाषियों को प्राचीन ज्ञान से जोड़ते हैं जो चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक विचार जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक है।

संस्कृत से नेपाली अनुवाद के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता

"संस्कृत से नेपाली अनुवाद के लिए योग्य मानव संसाधन की उपलब्धता उच्च गुणवत्ता वाले समानांतर कॉर्पोरा बनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा है" (Choudhary, N., & Jha, G. N., 2014) |[4] दोनों भाषाओं में दक्ष व्यक्तियों का अन्वेषण चुनौतीपूर्ण है, और जिन लोगों को दोनों भाषाओं का ज्ञान है, जरूरी नहीं कि वे भाषाविज्ञान, अनुवाद तकनीक या संबंधित कौशल में प्रशिक्षित हों। विशेषज्ञता की यह कमी सटीक और प्रासंगिक रूप से उपयुक्त अनुवाद प्रक्रिया करने में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती है।

अतः अनुवादकों की उपलब्धता और क्षमता का आंकलन करने के लिए, हमने 100 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एक सर्वेक्षण किया। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं की जांच की गई, जिसमें संस्कृत और नेपाली में उनकी भाषा दक्षता, प्रत्येक भाषा में विशेषज्ञता का स्तर और भाषा अधिग्रहण, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से शामिल था। इसके अतिरिक्त, हमने उनके अनुवाद कौशल, भाषाई ज्ञान और डेटा सत्यापन प्रक्रियाओं से परिचित होने का मूल्यांकन भी किया। सर्वेक्षण के कुछ मानक तथा उनके परिणाम निम्न हैं-

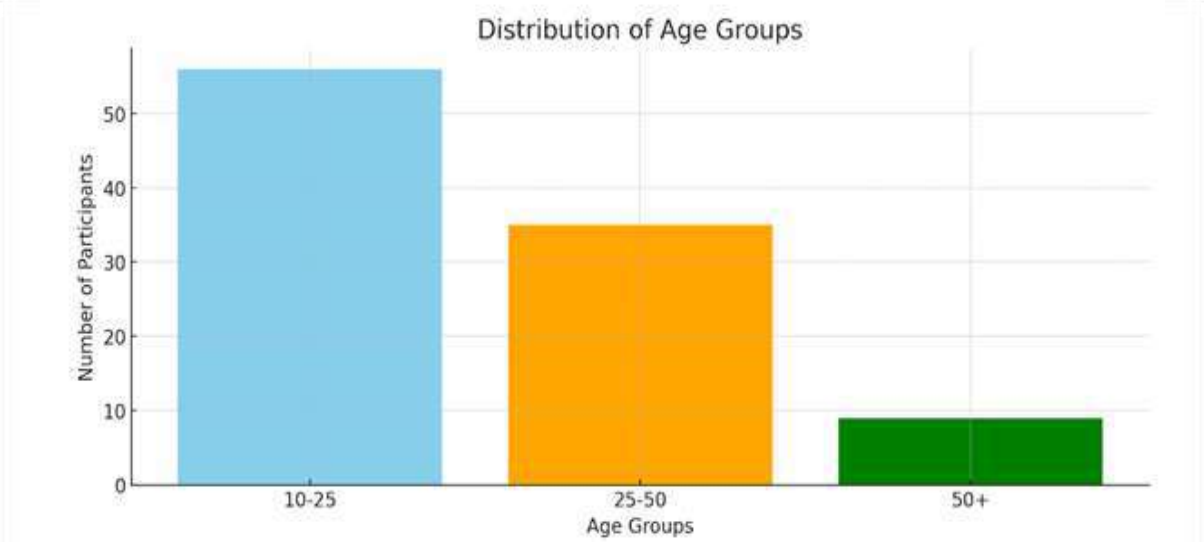

लेखा-चित्र-2

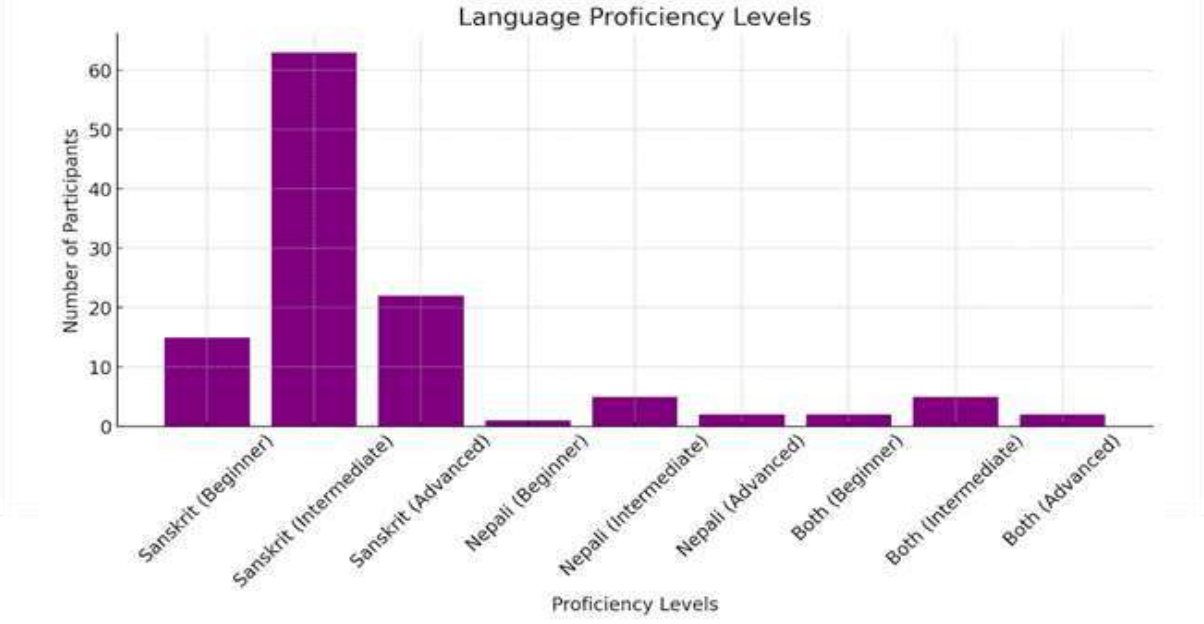

लेखा-चित्र-3

सर्वेक्षण परिणामों में कई उत्तरदाताओं में भाषा दक्षता और तकनीकी कौशल के अपेक्षित संयोजन की कमी थी। यहाँ तक कि उन कुछ व्यक्तियों में भी, जिन्होंने दक्षता और प्रासंगिक कौशल दोनों का प्रदर्शन किया, अनुवाद कार्य करने की इच्छा की कमी देखी गई। यह अनिच्छा विभिन्न कारकों से उपजी है, जिसमें सीमित वित्तीय प्रोत्साहन, कार्य की समय-गहन प्रकृति और अनुवाद को एक श्रमसाध्य तथा न्यून पारिश्रमिक उद्यम के रूप में माना जाना शामिल है।

संग्रहित अपरिष्कृत कॉर्पोरा में गैर-मानक भाषाई तत्व

विभिन्न इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त एकत्रित अपरिष्कृत संस्कृत कॉर्पोरा, हमारे डेटासेट का आधार बनाते हैं। हालाँकि, यह अपरिष्कृत डेटा कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और डोमेन से प्राप्त होने के कारण महत्वपूर्ण गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को भी प्रदर्शित करता है। कॉर्पस में अंतर्निहित परिवर्तनशीलता और विसंगतियां मानकीकरण की कमी को दर्शाती हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें न्यूनतम भाषाई निरीक्षण के साथ किए गए अनुवाद शामिल हैं। यह गैर-मानक प्रकृति, समकालीन भारतीय भाषाओं से सीधे उधार लिए गए या खराब अनुवादित तत्वों की व्यापकता में स्पष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर निम्न स्तर की संस्कृत उत्पन्न होती है जो शास्त्रीय या यहां तक कि समकालीन संस्कृत मानदंडों के साथ संरेखित नहीं होती है।

"निम्न-गुणवत्ता वाले अनुवादों का एक मुख्य संकेत संस्कृत में स्रोत-भाषा के शब्दों का बने रहना है, जिससे मिश्रित-भाषा वाक्य बनते हैं। ऐसे उदाहरण संस्कृत डेटा पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रभाव को उजागर करते हैं"(Deshpande, S., & Kulkarni, M. N., 2020)[5]

1. मम मामा वनविभागे कार्यं करोति।	2. मम् मातुलः वनविभागे कार्यं करोति ।
3. कम दबाव एरोपोनिक्स, उच्च दबाव एरोपोनिक्स, अल्ट्रासोनिक कोहरा एरोपोनिक्स।	4. न्युन चापः वायवसंवर्धनम्, उच्च चापः वायवसंवर्धनम्, पराश्रव्य तुषार वायवसंवर्धनम्।

दत्तांश सारणी-1

मामा शब्द संस्कृत शब्द 'मातुलः' का हिंदी पर्याय है। संस्कृत में संरचित वाक्य में मामा की उपस्थिति विचारहीन अनुवाद प्रक्रिया को उजागर करती है, जहां संस्कृत मानदंडों के उचित अनुकूलन के बिना हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में कम दबाव और उच्च दबाव जैसे शब्द संस्कृत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एरोपोनिक्स देवनागरी लिपि में लिखा गया एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका लिप्यंतरण किया गया है और न ही इसे संस्कृत बनाया गया है। इस तरह की मिश्रित-भाषा रचनाएँ डेटा पर हिंदी और अंग्रेजी के प्रभाव को उजागर करती हैं।

अनुवाद में डोमेन की भूमिका और संस्कृत की भाषाई सीमाएँ

"परंपरागत रूप से, संस्कृत मुख्य रूप से प्राचीन संदर्भों, जैसे वैदिक अनुष्ठान, शास्त्रीय साहित्य, दार्शनिक ग्रंथ, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान जैसे प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान से जुड़ी रही है। ये डोमेन पूर्व-आधुनिक युगों के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल शब्दावली और शैलीगत ढाँचे को दर्शाते हैं। हालाँकि, जब आधुनिक विषय-वस्तु- जैसे कि चिकित्सा, कृषि, राजनीति या कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित कार्य सामने आता है, तो संस्कृत को शाब्दिक और वैचारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है" (Doval, I., & Nieto, M. T. S., 2019)[6]

संस्कृत में शब्दों के कई अर्थ होते हैं, जो इसे अर्थ व्यवस्थापन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आधुनिक ज्ञानक्षेत्र में अक्सर उन विचारों, शब्दों और शब्दावली की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है जो शास्त्रीय संस्कृत संदर्भों में अनुपस्थित थे। उदाहरण के लिए, समकालीन चिकित्सा या तकनीकी शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए नए शब्दकोशों के निर्माण की आवश्यकता होती है। यह अनुकूलन प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि संस्कृत की व्याकरणिक संरचनाएँ और विभक्ति प्रणाली सटीक और संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्द निर्माण की मांग करती हैं। इसके अलावा, अमूर्त या सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट आधुनिक अवधारणाएँ, जैसे कि संगणकीय भाषाविज्ञान, एल.एल.एम. या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे लाखों शब्दों हेतु संस्कृत विद्वानों को भाषाई प्रामाणिकता और स्थिरता बनाए रखते हुए नवाचार करने की आवश्यकता होती है। संस्कृत अनुवादकों और विद्वानों को न केवल संस्कृत में कुशल होना चाहिए, बल्कि सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक विषय-वस्तु की गहरी समझ भी होनी चाहिए। यह कंप्यूटर विज्ञान या अंतरराष्ट्रीय राजनीति जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ मामूली गलत अनुवाद भी गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकते हैं।

समकालीन संस्कृत डेटा पर आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रभाव

"संस्कृत समकालीन भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से इंडो-आर्यन परिवार से संबंधित भाषाओं से काफी प्रभावित है"(Vyas, M. S., 2023) ।[7] आधुनिक भारतीय भाषाओं में वाक्य संरचनाएँ, जो कि लाइट वर्ब कंस्ट्रक्शन (LVC) या कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट को प्राथमिकता देती हैं, अक्सर समकालीन संस्कृत ग्रंथों में दिखाई देती हैं, भले ही इसकी शास्त्रीय प्राथमिकता सरल क्रिया निर्माण (SVC) या मूल क्रिया निर्माण (BVC) हो। LVC हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में एक सामान्य प्रक्रिया है। LVC में, एक मुख्य क्रिया जैसे, भुञ्ज् (भुङ्क्ते) को एक सामान्य क्रिया (जैसे, कृ (करोति) के साथ मिलाकर एक जटिल विधेय बनाया जाता है। सामान्य क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को संशोधित या विस्तारित करती है।

बी.वी.सी. और एल.वी.सी. क्रिया का प्रयोग - भुञ्ज्(खाना)

BSV Usage of भुञ्ज्	LVC Usage of भुञ्ज्
1. ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते odanaṃ bhuñjānaḥ viṣaṃ bhuṅkte	2. ओदनं भुञ्जानः विषस्य भक्षणं करोति odanaṃ bhuñjānaḥ viṣasya bhakṣaṇaṃ karoti

1. ओदनं - चावल (वस्तु, एकवचन, कर्मवाचक) 2. भुञ्जानः - खाना (वर्तमान कृदंत, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताकारक) 3. विषं - ज़हर (वस्तु, एकवचन, कर्मवाचक) 4. भुङ्क्ते - खाता है (तृतीय पुरुष, एकवचन, वर्तमान काल)	1. ओदनं - चावल (वस्तु, एकवचन, कर्मवाचक) 2. भुञ्जानः - खाना (वर्तमान कृदंत, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताकारक) 3. विषस्य - ज़हर का (संबंधकारक, एकवचन) 4. भक्षणं - खाना/उपभोग करना (वस्तु, एकवचन, कर्मवाचक) 5. करोति - करता है (तीसरा व्यक्ति, एकवचन, वर्तमान काल)

दत्तांश सारणी-2

दोनों उदाहरणों में चावल खाने की क्रिया को इंगित करने के लिए वर्तमान कृदंत (भुञ्जानः) का उपयोग किया गया है। हालाँकि, वे मुख्य क्रिया को व्यक्त करने के तरीके में भिन्न है। पहले उदाहरण में, मुख्य क्रिया (ज़हर खाना) को सरल क्रिया निर्माण **Simple Verb Construction** (SVC) का उपयोग करके व्यक्त किया गया है: भुङ्क्ते (खाता है)। दूसरे उदाहरण में, मुख्य क्रिया (ज़हर खाना) को जटिल क्रिया निर्माण **Complex Verb Construction** (CVC) का उपयोग करके व्यक्त किया गया है: करोति (करता/बनाता है) + भक्षणम् (खाना eating/consuming)।

शाब्दिक ऋण और आधुनिक शब्दावली

आधुनिक डोमेन और संदर्भों के अनुकूल हेतु शब्दावली उधार लेना महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय संस्कृत में अनुपस्थित शब्दों को लिप्यंतरित या संस्कृत-कृत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संकर शब्द निर्माण होते हैं जो शास्त्रीय भाषा के पारंपरिक शब्दकोश से भिन्न होते हैं (Zimmermann, F.,1989)|[8] जबकि ये अनुकूलन संस्कृत को समकालीन विषय वस्तु से जुड़ने और इसे अधिक सुलभ बनाने में सक्षम बनाते हैं।

"हैन्दवाः गङ्गादेवीं माता इव पूजयन्ती। " इसमें हैन्दवाः (हिंदू) शामिल है, जो आधुनिक इंडिक भाषा के शब्द 'सिन्धु' रुपान्तरण से लिया गया है। यह शब्द शास्त्रीय संस्कृत शब्दावली का हिस्सा नहीं है लेकिन समकालीन धार्मिक या सांस्कृतिक संदर्भों को संबोधित करने के लिए एक आधुनिक युग्म का प्रतिनिधित्व करता है।

इसी प्रकार, वाक्य "चायबिन्दुः युतके स्थायी न भवेत् इति विचिन्तयन् सः ऊष्णेन जलेन घर्षयति", में चायबिन्दुः (चाय की बूंद) शब्द हिंदी के चाय (चाय) को बिन्दुः (बूंद) के साथ जोड़ता है, जिससे एक संकर शब्द बनता है। इस तरह की रचनाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे संस्कृत आधुनिक जीवन और भौतिक संस्कृति से संबंधित विचारों को व्यक्त करने के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं से शब्दों को उधार लेती है और एकीकृत करती है।

आधुनिक संस्कृत में युग्मवाचक क्रियाओं का अत्यधिक उपयोग

आधुनिक संस्कृत में युग्मक वाक्य निर्माण का एक स्वाभाविक तत्व है। यह संस्कृत को अधिक सुलभ बनाता है। "प्रकोष्ठात् बहिः तु मषकाः सन्ति" जैसे वाक्य (कमरे के बाहर, मच्छर हैं) को शास्त्रीय संस्कृत में सरलीकृत किया जा सकता है जैसे "प्रकोष्ठात् बहिः तु मषकाः" इसी प्रकार, "पुष्पाधान्यां पुष्पाणि सन्ति" (फूलदान में फूल हैं) और "विविधानि पुष्पाणि सन्ति" (विभिन्न फूल हैं) को "पुष्पाधान्यां पुष्पाणि" और "विविधानि पुष्पाणि" क्रमशः, स्पष्टता या अर्थ खोए बिना तक कम किया जा सकता है।

मुहावरों और कहावतों के अनुवाद की जटिलता

मुहावरे आलंकारिक अभिव्यक्तियाँ हैं जिनके अर्थ शब्दों की शाब्दिक व्याख्या से अलग होते हैं। इसी तरह, "कहावतें जो ज्ञान, मूल्यों या सार्वभौमिक सत्य को अक्सर रूपक या प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करती हैं। ये अभिव्यक्तियाँ स्रोत भाषा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिससे लक्ष्य भाषा में उनका सटीक अनुवाद एक जटिल कार्य बन जाता है" (Tangriyev, V. A., & Yangiboyeva, M. S. K., 2022)।[9]

उदाहरण के लिए, "सङ्घे शक्तिः कलौ युगे" का अनुवाद "एकता में शक्ति है, खासकर आधुनिक समय में" होता है। यह कहावत सामूहिक प्रयास और सहयोग के महत्व पर जोर देती है। एक भावना नेपाली मुहावरों में प्रतिबिम्बित होती है जैसे "एकतामा बल छ" ("एकतामा बल छ"), जिसका अर्थ है "एकता में शक्ति है।" ऐसे उदाहरणों जहाँ दोनों भाषाओं में समान अभिव्यक्तियाँ मौजूद हैं, सांस्कृतिक रूप से प्रतिध्वनित अनुवाद की अनुमति देती हैं और कुछ स्थलों पर नहीं देती हैं।

हालाँकि, "माछा माछा हुनु" इसका अर्थ है एक जैसा होना, समानता होना। तिम्रो "विचार मेरो विचारसँग माछा माछा छ"। परन्तु जब इसे संस्कृत में अनुदित करेंगे तो यह संदिग्धता उत्तपन्न करती है जैसे 'माछा' को मशीन के द्वारा 'मत्स्य' समझा जा सकता है। ऐसे स्थिति में, "अनुवादकों को या तो अभिव्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से परिचित समकक्ष में बदलना चाहिए या अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए इसे सीधे, नियमित वाक्यांश में अनुवाद करना चाहिए" (Sethi, N., Dev, A., & Bansal, P., 2023)।[10] इन जटिलताओं के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषाओं और उनके संबंधित सांस्कृतिक संदर्भों की सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होती है ताकि सटीक और सांस्कृतिक रूप से प्रतिध्वनित अनुवाद किया जा सके।

निष्कर्ष

डेटा संग्रहण के पश्चात नेपाली में अनुवाद कर 1,00,000 (एक लाख) वाक्यों का एक समानांतर संस्कृत-नेपाली संग्रह विकसित हुआ। डेटासेट डोमेन वाक्यों का विस्तृत विवरण:

डोमेन	वाक्यों की संख्या
बातचीत	22,000
शिक्षा	8,000
सुभाषित	5,000
लोक कथाएँ	10,000
कृषि	4,000
इतिहास	11,000
खेल	6,000
राजनीति	9,000
संस्कृति	6,000
स्वास्थ्य	4,000

दत्तांश सारणी-4

डेटासेट संवादात्मक और विशेषीकृत दोनों डोमेन को कवर करता है, जिससे संदर्भों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। यह इसे मशीन अनुवाद, भाषाई अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण में अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाता है।

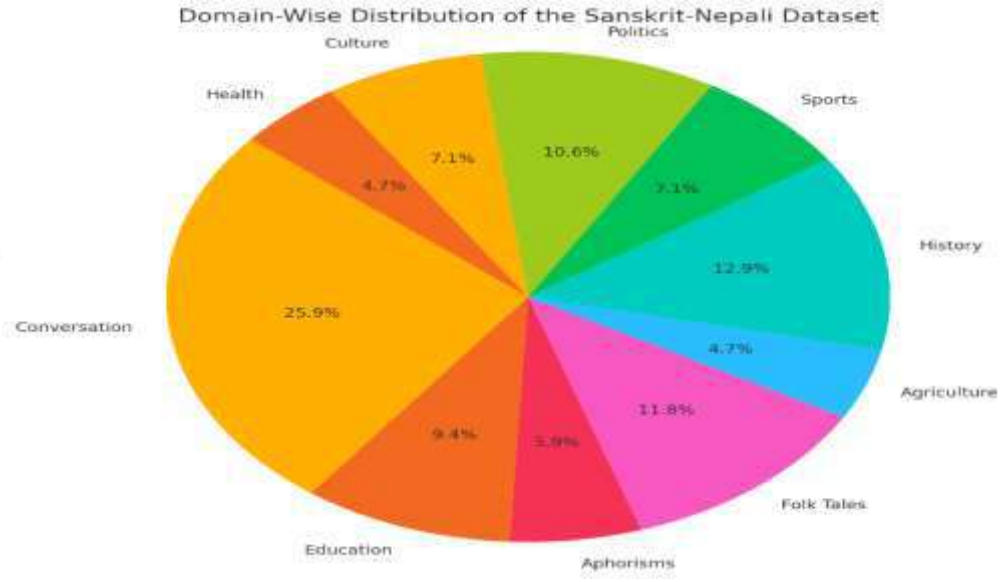

लेखा-चित्र-4

उपर्युक्त डेटासेट प्रत्येक डोमेन के अनुपात को दर्शा रहा है। यह संस्कृत और नेपाली, दो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए तकनीकी प्रगति और भाषाई सम्वर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह रूपात्मक रूप से समृद्ध भाषाओं में न्यूरल मशीन अनुवाद की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है और डोमेन-विशिष्ट कॉर्पस के माध्यम से बेहतर अनुवाद करता है।

सन्दर्भ

1. Aravind, L., & Koonin, E. V. (2000). Eukaryote-specific domains in translation initiation factors: implications for translation regulation and evolution of the translation system. Genome research, 10(8), 1172-1184.
2. Badodekar, S. (2003). Translation resources, services and tools for Indian languages. CSED, IIT, Mumbai.
3. Khatiwada, R. (2009). Nepali. Journal of the International Phonetic Association, 39(3), 373-380.
4. Choudhary, N., & Jha, G. N. (2014). Creating multilingual parallel corpora in indian languages. In Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics: LTC 2011, Poznań, Poland.
5. Deshpande, S., & Kulkarni, M. N. (2020). A review on various approaches in machine translation for Sanskrit. International Journal of Future Generation Communication and Networking.
6. Doval, I., & Nieto, M. T. S. (2019). Parallel corpora in focus. Parallel corpora for contrastive and translation studies: New resources and applications, 90,1.
7. Vyas, M. S. (2023). Sanskrit in Modern Context: Exploring the use and revival of Sanskrit in contemporary society, including its role in education, literature, and arts. Revista Review Index Journal of Multidisciplinary, 3(2), 01-10.
8. Zimmermann, F. (1989). Terminological problems in the process of editing and translating Sanskrit medical texts. In Approaches to Traditional Chinese Medical Literature: ISTMT, Netherlands.
9. Tangriyev, V. A., & Yangiboyeva, M. S. K. (2022). PROBLEMS IN CREATING PARALLEL CORPORA. Academic research in educational sciences, 3(3), 1003-1009.

10. Sethi, N., Dev, A., & Bansal, P. (2023). A novel neural machine translation approach for low-resource Sanskrit-Hindi language pair. ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing.

संत रैदास की भक्ति, दृष्टि और भाषा

डॉ दीनदयाल
सहायक आचार्य
हिंदी विभाग
जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज
संपर्क 9999496155
ईमेल आई डी deendayal@jdm.du.ac.in

मुगलकालीन युग में भारतीय संतों का अद्भुत योगदान रहा है, जिसमें रामानंद के शिष्य में रविदास (रैदास) का नाम सर्वविदित है| रैदास संत परंपरा में अपने भक्ति, चिंतन, दर्शन, दृष्टि आदि के लिए कबीर के समतुल्य कहे जा सकते हैं| कबीरदास और रैदास दोनों समकालीन थे| रैदास ने कबीरदास को प्रसिद्ध संत माना है और कबीरदास की मृत्यु पर उन्होंने कहा –

हरि के नाम कबीर उजागर
जन्म जन्म के काटे कागर।

कबीरदास ने भी रैदास को एक सच्चा संत माना| कबीरदास जी कहते हैं – संतन में रैदास संत हैं। गुरुनानक देव जी की भी रैदास से बनारस में भेंट हुई, जब वह देशाटन पर थे –

काशी नगर ना चौक मां मने गुरु मिला रैदास|

संत रैदास की प्रसिद्ध शिष्य मीरा मानी जाती हैं| मीरा ने रैदास को अपना गुरु स्वीकारते हुए कहा है –

मीरा ने गोविंद मिल्या जी गुरु मिलिया रैदास|

रैदास की वाणी में उनकी जाति, पेशे और जन्म-स्थान के संबंध में पर्याप्त संकेत मिलता है| उनकी वाणी से यह स्पष्ट पता चलता है कि उनका जन्म चमार जाति की 'कुटबांढला' नामक एक शाखा में हुआ था और उनकी जाति के लोग बनारस के आसपास मरे हुए मवेशियों को ढोने का काम करते थे, जिसे वे स्वयं स्वीकारते हैं –

नागर जना मेरी जाति विखियात चमार
मेरी जाति कुटबांढला ढोर ढोवंता नितहि बानारसी आसपासा।

नाभादास, प्रियादास, अनंतदास आदि भक्त कवियों की रचनाओं में जो रैदास जी के करीब एक सौ वर्ष बाद की है; यह कहा गया है कि रैदास अपने पिछले जन्म में रामानंद के एक ब्राह्मण शिष्य थे| नाभादास के भक्तमाल में इस ब्राह्मण शिष्य के चमार कुल में पैदा होने के संबंध में एक कथा कही गई है| इस शिष्य को रामानंद ने एक दिन काशी में घर-घर से एक एक चुटकी भिक्षा लेकर भोजन सामग्री जुटाने का काम दिया था| उस दिन भीषण वर्षा हो रही थी जिससे घर-घर भिक्षा के लिए जाना कठिन था| पुत्र-प्राप्ति की इच्छा वाले एक प्रौढ़ दंपत्ति ने आग्रह करके इस शिष्य को एक दुकान से उस दिन के लिए पूरी खाद्य सामग्री दिलवा दी| गुरु से यह बात छुपी ना रही तथा गुरु की आज्ञा के उल्लंघन के फलस्वरुप शिष्य को उस दंपत्ति के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा| यह दंपत्ति चर्मकार जाति का था| अनंतदास के अनुसार इस ब्राह्मण शिष्य को चमार कुल में इसलिए पैदा होना पड़ा क्योंकि इसने मांस खाना नहीं छोड़ा था पर इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है|

रैदास के पिता का नाम मानदास था लेकिन 'रैदास रामायण' के अनुसार इनके पिता का नाम रहु था। इनकी माता का नाम कर्मा देवी था पर कुछ लोग उनका नाम घुरबिनियाँ बताते हैं। 'रैदास पुराण' के ही अनुसार रैदास जी का विजयदास नामक एक पुत्र था|

रैदास का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर था| वे अक्सर अपनी मां के साथ महात्माओं का प्रवचन और सत्संग सुनने जाते थे| साधु महात्माओं के प्रति उन्हें विशेष आदर और भक्ति भाव था| भक्ति और अध्यात्म से हटाने के लिए इनके पिता ने इन्हें अपने पारिवारिक पेशे से जोड़ा| रैदास ने अपना पारिवारिक पेशा सीखा पर परमात्मा के प्रति उनकी प्रेम भक्ति ज्यों की त्यों बनी रही| अपनी निर्धनता के बाद भी रैदास ने संतों महात्माओं और गरीबों की सेवा लगातार की| कहा जाता है, एक बार तो एक साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पारस मणि दी लेकिन उन्होंने कोई भेंट स्वीकार नहीं की| कहा जाता है कि यह उनकी परीक्षा थी, जो भगवान ने ली थी|

रैदास की भगवत-भक्ति को बढ़ता देख काशी का ब्राह्मण वर्ग तिलमिला उठा| ब्राह्मणों ने राजा से फ़रियाद की कि इस शूद्र जाति के व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य और धर्म उपदेश देने की अधिकार चेष्टा से रोके| जब राजा ने रैदास से इस संबंध में सफाई मांगी तो रैदास ने विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया कि जाति और संप्रदाय की दीवार मनुष्य ने खड़ी की है| अतः परमात्मा की भक्ति में जाति और संप्रदाय के भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं| ब्राह्मणों ने रैदास जी को चुनौती दी कि वे अपने शालिग्राम को गंगा में तैराकर अपने द्वारा पूजित मूर्ति की सच्चाई सिद्ध करें| रैदास ने विनम्र भाव से कहा कि वे किसी शालिग्राम की पूजा नहीं करते| उन्होंने बताया कि जूता बनाने का उनका औजार ही उनके लिए शालिग्राम है, जिसके माध्यम से वह श्रम साधन करके सादगी और सदाचार का जीवन बिताते हुए भवसागर को पार करने की चाह रखते हैं| ब्राह्मणों के आग्रह पर शर्त लगाई गई पहले ब्राह्मणों ने अपने शालिग्राम को गंगा नदी में डाला, जो नदी में डालते ही पानी में डूब गया| तब रैदास ने अपने लोहे के एक औजार को नदी में फेंका जो नदी के पानी के ऊपर तैरने लगा| रैदास जी के औजार को पानी में तैरते देख ब्राह्मणों के आश्चर्य और विस्मय का ठिकाना ना रहा|

यह भी कहा जाता है कि यज्ञोपवीत पहनने का अभिमान करने वाले ब्राह्मणों को रैदास ने अपनी त्वचा के अंदर से स्वर्ण जैसा चमचमाता हुआ, एक दिव्य यज्ञोपवित दिखलाया जिसकी चकाचौंध में कुछ समय के लिए ब्राह्मणों की आंखें तिल-मिलाकर बंद हो गई| रैदास जी के पार्थिव शरीर का यह अंतिम दर्शन था| इसके बाद फिर किसी ने उन्हें नहीं देखा| वे केवल अपना चरण चिह्न छोड़कर सदा के लिए इस संसार से विलीन हो गए, जो चिह्न परंपरा के अनुसार स्मारक के रूप में आज भी चित्तौड़ में सुरक्षित है| अनंतदास के शब्दों में –

हरि सागर में बूंद समानी को न जाने कहां सिरानी

परंतु कुछ विद्वान इस कथा को महत्व नहीं देते| उनके अनुसार रैदास जी ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष बनारस में बिताया| उनका शरीरांत 126 वर्ष की अवस्था में बनारस में हुआ था|

कबीर आदि संतों की भांति रैदास ने आडम्बरों का विरोध किया| अनेक प्रकार की धार्मिक वेशभूषा धारण करना, माला तिलक लगाना आदि केवल बाहरी पाखंड है| वे कहते हैं कि सारे पूजा-पाठ निरर्थक हैं| पाखंडपूर्ण वेशभूषा द्वारा परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता और न बाहरी साधनों द्वारा उसे प्रसन्न किया जा सकता है| जो लोग इस प्रकार का ढकोसला करते और बाहरी क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, वे अपने और परमात्मा के बीच नाहक एक दीवार खड़ी कर लेते हैं| वे स्वयं तो भ्रम के शिकार होते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं| इन अज्ञानजनित, भ्रमपूर्ण क्रियाओं द्वारा सांसारिक बंधन और वितरण हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति में इनसे कभी भी सहायता नहीं मिल सकती –

माला तिलक मनोहर बानो लागो जम की पासी
जौ हरि सेती जोड़यां चाहो तो जग सो रहो उदासी

मन की सनक की चर्चा करते हुए वे बतलाते हैं कि यह मन सदा सुख की तलाश में रहता है और उसकी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती| माया के प्रभाव में पडकर यह भुलावे में रहता है –

मन मोरा माया महं लपटानो

विषयासक्त रहियो निसिबासर अजहूं नहीं अघानो

रैदास नाम भक्ति पर सर्वाधिक जोर देते हैं| नाम ही उनके आध्यात्मिक अभ्यास का सार तथा उनके जीवन का एकमात्र आधार है| बाहरी पूजा अर्चना के प्रचलित विधि-विधानों को वेद के अनुसार और व्यर्थ बताते हैं| वे केवल नाम भक्ति को ही वे एकमात्र साधना मानते हैं –

मोहि आधार नाम नाराइन जीवन प्रान धन मोरे

यह मानव जीवन थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ है और यह अत्यंत क्षणभंगुर है, पर परमात्मा से मिलने का कार्य अत्यंत आवश्यक और कठिन है| अतः मानव जीवन के थोड़े से समय और शक्ति को हमें व्यर्थ की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा अपने जीवन के मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति में तनिक भी शिथिलता या ढिलाई नहीं करनी चाहिए| दुनिया की मान-बड़ाई, धन-दौलत की चकाचौंध और विषय-वासना की तृष्णा; जिनमें परमात्मा की प्रेम भक्ति के लिए स्थान नहीं| मानव जीवन में एकमात्र परमात्मा की प्रेम भक्ति का ही महत्व है–

एक भरोसो राम को अरु भरोसो सत्कार
सफल होइहु जीवना कही रैदास विचार

रैदास कहते हैं उस मनुष्य का जीवन धन्य है, जिसने परमात्मा के प्रेम का अमृत पी लिया| परमात्मा आनंदरूप है इसलिए उसका भक्त इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी सदा आनंद में निमग्न रहता है| परमात्मा की दयालुता और उसके संरक्षण की कोई सीमा है और ना उसकी कोई उपमा ही दी जा सकती है| जिस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा या संभाल करता है, अन्य कोई नहीं कर सकता| वह अधम से अधम और अत्यंत दीन-हीन पर भी अपनी अपार दया की दृष्टि करता है| उसकी कृपा से पापी पुण्यात्मा बन जाता है| सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण लेने पर भक्तों को किसी से भय नहीं रहता और वह सदा संतुष्ट रहता है| उसके त्रिविध दुख सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं| रैदास कहते हैं-

कोटि कलप जीवन अलप विच हरि भक्ति विलास
हरि सिमरन सफल जन्म दुह फल लहि रैदास

प्रकृति का यह एक व्यापक नियम है कि जैसा जिसका साथ होता है वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है| अच्छी या बुरी संगति के अनुसार अच्छे या बुरे गुणों का आविर्भाव होता है| सभी वस्तुओं और जीवों पर यह नियम लागू होता है, पर मनुष्यों पर यह विशेष रूप से घटित होता है क्योंकि मनुष्य अन्य वस्तुओं की जीवों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और गुण ग्राही होता है; इसलिए मनुष्य पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है| संतों की संगति या संगत में आकर वह धीरे-धीरे आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करता है तथा परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाता है; परंतु बुरे मनुष्यों की संगति में पडकर वह बुरे व्यसनों का शिकार हो जाता है तथा अपना सर्वनाश कर डालता है| सत्संग के बिना आध्यात्मिक भाव की उत्पत्ति नहीं होती और आध्यात्मिक भाव के बिना परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं मरती, इसीलिए रैदास दुष्टों की संगति के त्याग और संतों की संगति के सेवन पर विशेष जोर देते हैं; क्योंकि संत परमात्मा के व्यक्ति या साकार रूप होते हैं| अतः परमात्मा की प्राप्ति संतों की कृपा द्वारा ही संभव होती है और उन्हें सत्संग ईश्वर से साक्षात्कार का एक अनिवार्य साधन माना जाता है| मन के विकारों को दूर करने और परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ाने के लिए सत्संग से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है| वे कहते हैं –

जो जन दुष्ट कुमारगी बइठहि नहीं तिस पास
जो जन संत सुमारगीतिन पाय लागो रैदास

भक्ति के मार्ग में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है| रैदास अपनी वाणी के माध्यम से यह कह देते हैं कि जो लोग जीवो की हत्या करते हैं, वह कभी यह नहीं सोचते कि यदि कोई उनकी हत्या करें तो उन्हें कैसा लगेगा; किंतु कर्मों का यह अटल नियम है कि जो जिसे मारता है उसके हाथों उसे मरना पड़ता है| वे कहते हैं कि जीव की

हत्या करके कोई परमात्मा को कैसे पा सकता है? क्या महात्मा पैगंबर या फकीर कोई भी यह बात समझा सकता है? वे कहते हैं –

रैदास मूँडहू काटी करि मूरख कहत हलाल
गला कटावहु आपना तउ का होइहि हाल

प्राणियों का सिर काटकर मूर्ख लोग उसे हलाल अर्थात धर्मानुकूल कहते हैं, जबकि रैदास जी कहते हैं कि जरा अपना सिर काटकर देखो किस तरह सिर काटने से तुम्हारा क्या हाल होता है| इसी प्रकार वे तिलक लगाने जैसे आडंबरों का भी विरोध करते हैं| वे कहते हैं कि माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में जप करने की माला लेकर कुछ लोग संसार को ठगने का नकली वेश बनाते हैं –

माथे तिलक हाथ जप माला जग ठगने को स्वांग बनाया
मारग छाड़ी कुमारग डहके साची प्रीत बिनु राम ना पाया

ऐसे कपटी लोग उचित मार्ग से विचलित हो कुमार्ग में जाकर धोखा खाते हैं| सच्चे प्रेम के बिना उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती| वे स्पष्ट कहते हैं कि कपट करने से परमात्मा प्रश्न नहीं होता|

मंदिर और मस्जिद में जाने का ढकोसला करनेवालों को भी चमार जातीय रैदास जी का कहना है कि मुझे न तो मस्जिद से कोई घृणा है न मंदिर से कोई प्यार, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी अल्लाह या राम नहीं है –

रैदास ना पूजइ देहरा अरुन मस्जिद जाय
जह जह ईस का बास है तह तह सीस नवाय

सबका सृजन करने वाला परमात्मा एक ही है और उसने समस्त मानव जाति को एक ही समान बनाया है तथा वह सबमें एक ही समान निवास करता है| अतः हमें सभी मनुष्यों को एक ही समान समझना चाहिए| प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन लोगों के जन्म पर निर्भर न होकर उनके व्यवसाय पर आधारित था| आगे चलकर इसका रूप विकृत हो गया और जन्म से इसका सम्बन्ध माना जाने लगा| इस प्रकार समाज जातिवाद के रोग से जकड़ा गया| मानव समाज का विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में विभाजन भी इसी प्रकार विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के पादरियों और पुजारियों की हठधर्मिता और अंधविश्वास का परिणाम है|

अतः रैदास का मानना था कि जाति-धर्म और संप्रदाय का भेदभाव खोखला और निरर्थक है| किसी जाति-धर्म या संप्रदाय में जन्म लेने के कारण कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता| अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही मनुष्य ऊंचा या नीचा होता है| अतः यदि ब्राह्मण जाति में जन्म लेनेवाला कुमारगी या दुराचारी हो तो उसके आगे हमें शीश नहीं झुकाना चाहिए, पर यदि चांडाल जाति में भी जन्म लेने वाला महात्मा या सदाचारी हो तो हमेशा उसके चरणों में शीश झुकाना चाहिए| वास्तव में ऊंचा और कुलीन व्यक्ति वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के पांच दोषों को त्यागकर किसी पहुंचे हुए संत या महात्मा के चरणों की सेवा में लगा हुआ हो| रैदास कहते है –

जन्म जात मत पूछिए का जात अरु पात
रैदास पूत सभ प्रभ के कोउ नहि जात कुजात

इस प्रकार रैदास की वाणी में अपने समय की विकृतियों के विरुद्ध आवाज साफ़-साफ़ सुनाई देती है और वहीं अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर जोड़कर, प्रेम और मानवता का संदेश देती हुई उनकी वाणी संतकाव्य परंपरा को बल देती है|

सन्दर्भ:-

1. रैदास जी की बानी, बेल्वीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद
2. संत गुरु रविदास वाणी, बेनीप्रसाद शर्मा, सूर्य प्रकाशन, दिल्ली

3. रविदास दर्शन, आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद, श्री गुरु रविदास संस्थान, चंडीगढ़
4. गुरु रविदास, काशीनाथ उपाध्याय,राधास्वामी सत्संग ब्यास, अमृतसर, पंजाब
5. गुरु रविदास, आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
6. रैदास, धर्मपाल मैनी, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
7. उत्तरी भारत की संत परम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, इलाहाबाद
8. संत रविदास एंड हिज टाइम्स, दर्शन सिंह, कल्याणी पब्लिशर्स, दिल्ली
9. संत रविदास : विचारक और कवि, डॉ. पद्म गुरचरन सिंह, नवचिंतन प्रकाशन जालंधर

महादेवी वर्मा के काव्य में विरह वेदना

अंजली

भूमिका :-

हिन्दी में छायावादी साहित्य में वेदना वियोग की अनुभूति प्रदान करने वाली महीषा वर्मा जी के गीतों में विरह के अनुभव की तेजस्विता को देखते ही उन्हें आधुनिक समय की मीरा कहा जाता है।

महादेवी जी छायावादी काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कविता में भावों की तीव्रता, वेदना, ममता, विरह, रहस्योन्मुखता प्रकृति का मानवीकरण और तन्मयता इतनी प्रखर है कि महादेवी जी के गीत छायावादी काव्य की प्रधान प्रवृत्ति वेदना और रहस्यवाद के गहन में ही अभिव्यंजक बन गये हैं। वस्तुतः महादेवी जी वेदना की कवयित्री हैं। उनकी सभी काव्य रचनायें नीहार, रश्मि, नीरजा, यामा, परिक्रमा आदि इसी भावधारा से ओत-प्रोत हैं और प्रेम और विरहोत्कण्ठा की विवृत्ति सर्वत्र हुई है। महादेवी वर्मा की वेदानानुभूति की तुलना भक्तियुगीन कवयित्री मीरा से की जाती है क्योंकि प्रिय से मिलन की निश्छल उत्कण्ठा मीरा में भी मिलती है। मीरा के प्रिय सगुण साकार श्रीकृष्ण थे जिन्हें वे गली-गली में कुंजों में खोजती है, तो महादेवी जी का प्रिय निर्गुण निराकार ऐसा ब्रह्म है, जो अणु-अणु में व्याप्त है, और उसे महादेवी जी नक्षत्र लोक से लेकर समष्टि में खोजती हैं। इस प्रकार महादेवी जी ने वैयक्तिक वेदना को समष्टिगत पीड़ा का रूप प्रदान कर दिया है तथा समग्र सृष्टि में व्याप्त अज्ञात के प्रति अपनी जिज्ञासा और मिलनोत्कण्ठा को व्यक्त कर इसे रहस्यात्मक बना दिया है।

महादेवी वर्मा कीगणना छायावाद के चार प्रमुख स्तम्भों में की जाती है। अनुभूतियां जब तीव्र होकर कवि हृदय से उच्छलित होती है तो उन्हे कविता के रूप में संजोया जाता है। महादेवी वर्मा ने मन की इन्ही अनुभूतियों को अपने काव्य में मर्मस्पर्शी,गंभीर तथा तीव्र संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। महादेवी जी ने अपना काव्य वेदना और करूणा की कलम से लिखा उन्होने अपने काव्य में विरह वेदना को इतनी सघन्नता से प्रस्तुत किया कि शेष अनुभूतियां भी उनकी पीड़ा के रंगों में रंगी हुई जान पड़ती है। महादेवी का विरह उनके समस्त काव्य में विधमान है। वे वेदना से प्रारंभ करके वेदना में ही अपनी परिणति खोज दिखाई देती है। महादेवी जी की वेदनानूभूति संकल्पात्मक अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। उनकी काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य पीड़ा से बढकर माना गया है। महादेवी के काव्य का प्राण तत्व उनकी वेदना और पीड़ा रहे। वे स्वंय लिखती है ,'दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है।'[1] महादेवी की विरह वेदना में परम तत्व की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य

प्रिय से बिछुडना और उसे खोजने की आतुरता है। महादेवी जी ने अपने काव्य में आत्मा और परमात्मा के वियोग को विरहानुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है।

विरह का अर्थ :-

विरह का अर्थ है ,वियोग और वेदना का अर्थ है ,मानसिक या मन की पीड़ा। इस प्रकार विरह वेदना का अर्थ हुआ वियोग से उत्पन्न मन की पीड़ा। हिन्दी काव्य में विरह भावना को अभिव्यक्त करने वाली कवयित्रियों में महादेवी जी का प्रमुख स्थान है। महादेवी के अपने काव्य में आत्मा और परमात्मा के बिछ्रोह को विरह वेदना के रूप में अभिव्यक्त किया है। विरह के ताप को सहकर भी वे उससे उबरना नही चाहती है। वे नही चाहती कि उनकी पीड़ा कभी समाप्त हो ,उनकी पीड़ा को कोई करूणा ,सहानूभूति या सुख से भर दे। सम्पूर्ण साहित्य में उनकी पीड़ा की समानता करने वाला कोई नही है। उन्हे पीड़ा की रानी कहा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने महादेवी की वेदना के बारे में लिखा कि " प्रसाद के आंसू ,निराला की स्मृति जैसी उद्वात और एक तान कल्पना तथा पल्लव का सा सौन्दर्योन्मेव महादेवी जी में नही है किन्तु वेदना का विन्यास ,उसकी वस्तुमता (आब्जेक्टिविटी) का बहुरूप और विवरणपूर्ण चित्रण जितना महादेवी जी ने दिया है , उतना वे तीनो कवि नही दे सके हैं।"[2]

वेदनानुभूति :-

महादेवी जी के काव्य का मुख्य भाव वेदना है। पीड़ा और हृदय का स्वर और आँसू की सेज ही उनका जीवन हो गया है। वे निरन्तर प्रियतम के वियोग से उपजी पीड़ा का अनुभव करती हुई उसी में लीन हैं-

मैं नीर भरी दुख की बदली!

****

स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा
क्रन्दन में आहत विश्व हँसा
नयनों में दीपक से जलते,
पलकों में निर्झारिणी मचली![3]

विरह की तीव्रता-

इस वेदना का कारण महादेवी जी ने विरह को माना है। प्रियतम के वियोग के कारण उनका जीवन निरन्तर उसी की प्राप्ति की कामना करता हुआ क्षीण हो रहा है। विरह उनके जीवन का अंग बन गया है और प्रिय के वियोग में विरहिणी आकुल है क्योंकि उसका प्रिय संसारी नहीं है। वह सर्वत्र रहकर वियोगिनी के पास नहीं है। अणुअणु में - उसका स्वरूप विद्यमान है परन्तु वह कहीं से भी वियोगिनी की कथा को शान्त नहीं कर पाता क्योंकि वह समष्टि बोध में है। महादेवी जी का जीवन विरहमय हो गया है। वे कहती हैं-

विरह का जलजात जीवन", विरह का जलजात!

****

वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास
अश्रु चुनता दिवस इसका; अश्रु गिनती रात;
जीवन विरह का जलजात!
आँसुओं का कोष उर, दृग अश्रु की टकसाल,
तरल जलसा क्षणिक मृदुगात-कण से बने घन-;
जीवन विरह का जलजात[4]!

कवयित्री को अपने प्रेम की सरस स्मृति बारम्बार आती है परन्तु वे उसको एक आवरण में रखकर व्यक्त करती है।

उस सूने पथ में अपने पैरों की छाप छिपाये।
नीरव मानस में वे धीरेधीरे आये ॥[5]-

इस चिर वियोग ने उनके जीवन को वेदनामय बना दिया है। वे उस वेदनाजन्य पक्ष को ही देखने का आग्रह करती है। यह वेदना ही उनका जीवन बन गया है। इस वेदना का वे आदान नहीं चाहती। आँसू का उपहार चढ़ाकर भी वे उसके बदले में प्रियतम से कोई वाँछा नहीं रखती-

प्रिय तुम क्या? चिर मेरे जीवन,
मेरे सब सब में प्रिय तुम,
किससे व्यापार करूँगी मैं?
आँसू का मोल न लूंगी मैं ॥[6]

भावातिरेक की नैसर्गिकता :-

महादेवी के काव्य में भावातिरेक की नैसर्गिकता के कारण वेदना भाव अकृत्रिम रूप में अभिव्यक्त किया हुआ है। उनका विरह बाहय आडम्बरों से मुक्त है। इसमें छल कपट, बड़बोलापन और हाहाकार नही है। महादेवी की विरह वेदना में निश्चलता और सात्विकता के दर्शन होते हैं। विरह रूपी संगीत महादेवी की आत्मा को झंकृत करता है तथा वेदना इनके जीवन के प्रकाशमान करती है। विरह की सात्विकता महादेवी की कविताओं में विश्व वेदना बन जाती है। उनके प्रथम काव्य संग्रह 'नीहार'के एक गीत में विरह जन्य व्याकुलता के साथ संयोग की इच्छा भी छिपी हुई है।

" जो तुम आ जाते एक बार
कितनी करूणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग,
गाता प्राणो का तार-तार अनुराग भरा उन्माद राग,

छा जाता जीवन में बसन्त लुट जाता चिर संचित विराग,
आंखे देती सर्वस्ववार ।" [7]

उनकी पीड़ा हृदय की शांत और गंभीर पीड़ा थी। चिर विरह की भावना के कारण महादेवी की कविताओं में उनके हृदय की करूणा दिखाई देती है। करूणा से भरी होने के कारण महादेवी की वेदना भी परिष्कृत रूप में अभिव्यक्त हुई है। महादेवी जी ने अपने काव्य में एक तरफ तो भारतीय नारी के असंतोष ,निराशा और अकांक्षा स्वर मुखरित हुई है। उनकी कविताओं "मैं नीर भरी दुख की बदली विरह वेदना का नाम ले, मैं विरह में चिरलीन हूं, मैं अपने सूनेपन की रानी हूं मतवाली, तुमको पीड़ा में ढूंढा आदि में उन्होने वेदना, करूणा, विरह तथा दुख को अभिव्यक्त किया है। कवयित्री ने सदैव परमार्थ व परहित को महत्व दिया। वे दूसरे के दुखों में स्वंय दुखी हो उठती है। वे सदैव मानव कल्याण की कामना करती हुई दिखाई देती है। महादेवी जी को करूणा की कवयित्री कहा जाता है। अपने करूणा और विरह वेदना सम्बन्धी दृष्टिकोण को लेकर उन्होने अपने काव्य संकलन में स्वंय से ही प्रष्न किया है, "सुख दुख के धूप छाही डोरे से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही क्यों इतना प्रिय है।"

महादेवी जी को विरहानूभूति में आध्यात्मिकता का भाव विधमान है। जीवन भर विवाद के गीत गाने वाली महादेवी कल्पना करती है कि इस जीवन के संध्याकाल के समय लम्बी यात्रा करने के बाद जब जीवन अपने ही भार से दब जाएगा और कातर क्रदंन करने लगेगा तब विश्व के सभी कोनो से एक अज्ञात सुख की वर्षा होगी। उनकी यही कल्पना और कामना उनकी वेदना को आध्यात्मिकता से जोडती है। वे अपनी आध्यात्मिकता को इस लोक जीवन से जोडे रखना चाहती है। मैं फूलों में रोती वे बालकण में मुस्काते,मैं पथ में बिछ जाती वे सौरभ में उठ जाते ,जैसी पंक्तियों में उनकी लौकिक तथा अलौकिक वेदना का चित्रण हुआ है।

महादेवी वर्मा ने अपने व्यक्तिगत सुख दुःख को समष्टि में लीन करने का प्रयास किया है। उनमें गीतों में व्यक्तिगत सुख -दुःख ,वेदना और आशा-निराशा, समष्टि के सुख-दुःख, वेदना और आशा-निराशा बन कर सामने आते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अपने दुःख का समाजीकरण कर रही हो।

"सब बुझे दीपक जला लूं।
घिर रहा तम आज, दीपक रागिनी अपनी जला लूं।"[8]

विरह की सात्विकता :-

महादेवी के गीतों में विरह की सात्विकता पाई जाती है। उनकी वेदना का आधार नारी का कोमल हृदय है। उनकी यही सात्विकता उनकी कविताओं में भावुकता ,स्निग्धता ,भावातिरेकयुक्त प्रतीक्षा और लोक मंगल की भावना के साथ दिखाई देती है।

"उन्होने हरिऔध की राधा की भांति अत्यन्त सहजता से वैयक्तिक पीड़ा को विश्व पीड़ा में लीन कर दिया। समाज के दलित,उपेक्षित वर्ग के प्रति उनकी करूणा और सेवा-भावना उनके वेदना का दूसरा पहलू प्रस्तुत करती है।"[9]

महादेवी के काव्य में जो विरह वेदना हमें देखने को मिलती है। वह उनकी अश्रुधारा बनकर सीधे पाठक के हृदय को प्रभावित करती है। वे एक जगह स्वंय को "मैं नीर भरी दुख की बदली "कहती है। महादेवी जी के काव्य में जो विरह दिखाई देता है, वह अपने प्रियतम से मिलने की आतुरता के कारण है। "नीहार" महादेवी के किशोर जीवन की वह रचना है,जिसमें उसका मन प्रणय और पीड़ा के वशीभूत हो रहा था। कवयित्री का मन एक ऐसा अनोखा संसार बसाना चाहता है जहां वेदना की मधुर धारा बह रही हो।

" चाहता है यह पागल प्यार।
अनोखा एक नया संसार।।
कलियों के उच्छवास शून्य में ताने एक वितान
तुहिन कणों पर मृदु कम्पन से सेज बिछादे गान।। "[10]

महादेवी की रचनाओं में विरह और वेदना की प्रबलता के कारण' एकान्त 'का भाव भी देखा जा सकता है। "अपने इस सूनेपन की मैं हूं रानी मतवाली, प्राणों का दीपक जलाकर,करती रहती दीवाली। "कवयित्री अपने प्रियतम को पाने के लिए बार-बार प्रयत्न करती और विफलता का अनुभव करती है। अपने प्रियतम को पाने के लिए उसके प्राणों में एक आकांक्षा मचल उठती है तथा उसकी व्याकुलता बढ जाती है।

" अली कैसे उनको पाऊं ?
वे आंसू बन कर मेरे
इस कारण ढुल - ढुल जाते
इन पलकों के बंधन में
मैं बांध -बांध पछताऊं। "[11]

<u>दुःखवाद को प्रमुखता</u> : -

महादेवी के काव्य में दुःखवाद को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। कुछ लोगों ने उनकी पीड़ा को" अरोपित "पीड़ा कहा है। लेकिन उनकी कविताओं को देखकर उनकी पीड़ा सहन प्रतीत होती है। वे अपने दुःख को प्रकट करते हुए कहती है –

"विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात।
वेदना में जन्म करूणा में किया आवास
अश्रु चूमता दिवस इसका अश्रुगिनती रात।
आंसूओ का कोष उर, दृग अश्रु की टकसाल,
तरल जब कण से बने घन सा क्षणिक मृदुगात। "[12]

महादेवी के काव्य में एक ओर विरह वेदना है तो दूसरी ओर आशामय जीवन है। वे दुःख में भी सुख को देखती है तथा अपने प्रिय का स्मरण करते हुए खिल उठती है।

" नैनों में आंसू है ,
और हृदय में सिहरन है ,
पुलक - पुलक उर सिहर - सिहर तन ,
आज नयन आते क्यों भर - भर। "[13]

इस आनन्द का कारण यह है कि कवयित्री अपने प्रिय के प्रेम से भरी हुई है। अपने प्रिय तक संदेश पंहुचाने के लिए कवयित्री छटपटाने लगती है।

" कैसे संदेश प्रिय पंहुचाती ?
दृग जल की सिल मसि है अक्षय ,
मसि प्याली झरते तारक दृय। "[14]

महादेवी के काव्य में मिलने वाले दुःखवाद को देखते हुए कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके काव्य में क्रन्दन और रूदन के दर्शनहोते हैं।

"महादेवी के गीतों में क्रन्दन और रूदन का रूप देखा जाता है ,उसके पीछे भी समाज का बंधन छिपा हुआ है।जीवन के सुख एंव स्वप्नों के टूट जाने के कारण दुख एंव रूदन के प्रति इतना लगाव देखा जाता है। "[15]

विरह की लम्बी साधना के बाद प्रिय का साक्षात्कार सृष्टि में व्याप्त करूणा में ही होता है। कवयित्री को विरह वेदना से मिलने का सुख प्राप्त हुआ है। वेदना के पश्चात अंत में उसकी परिणति आंनद में होती है।

महादेवी की सांध्यगीत रचना में चिंतन प्रधान अनुभूतियां विधमान है जो कवयित्री की मानसिक स्थिति को व्यक्त करने में सक्षम है। महादेवी ने स्वंय स्पष्ट किया है कि "नीरजा और सांध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेगें जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख - दुःख में सामंजस्य का अनुभव करने लगा।"[16]

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कवयित्री ने अपने काव्य में अपने निजी जीवन और जगत से उपलब्ध सुख-दुःख, हास्य-रूदन, हर्ष-शोक तथा आनंद और करूणा की अभिव्यक्ति की है। कवयित्री का हृदय सुख दुखात्मक अनुभूतियो से भरा है। जब ये अनुभूतियां विचलित और उद्वेलित करने लगती है तो हृदय से मनोभाव कविता के रूप में फूट पडते हैं। महादेवी जी ने भी अपने काव्य में विरह वेदना के रूप में अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की। उनके काव्य में विरह वेदना और प्रेम की मूक पीड़ा अत्यन्त मार्मिकता के साथ व्यक्त की गई है। अपनी विरहानुभूति में कल्पना, करूणा, सात्विकता, भावातिरेक, आशावादी दृष्टिकोण आदि समलित करते हुए महादेवी जी ने अपने काव्य को सुसज्जित किया है। उनकी विरह वेदना एक कवयित्री की वेदना है। उनका काव्य चिन्तन प्रधान है। उन्होने अपने काव्य द्वारा चिन्तन को नई दिशा प्रदान की। संपूर्ण भारतीय साहित्य में विरह वेदना को श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करने के लिए महादेवी का स्मरण किया जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि जो अभिव्यक्ति महादेवी जी ने अपने काव्य के द्वारा की है उसमें कोई अन्य कवि उनके आस पास तक नही फटकता। छायावादी युग में एक मात्र ऐसी भाव- यौवना कवयित्री है जिन्होने नवीन विचारों को अपनी प्रखर बुध्दि की कसौटी पर कसा, खरे उतरने पर उन्हे प्राचीन भारतीय साहित्य के सांचे में ढाल कर निर्भिकतापूर्वक अपनाया। वे वैयक्तिक सुख को विश्व वेदना में घोलकर अपने जीवन को सार्थक मानती है तथा वैयक्तिक दुःख को विश्व सुख में घोलकर जीवन को अमरत्व प्रदान करना चाहती है। उनकी विरहानुभूति को देखकर उन्हे आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है।

सन्दर्भ :-

1. यामा की भूमिका ,महादेवी वर्मा,पृ 3 -.
2. छायावादी कवियों की गीत सृष्टि ,डॉ०उपेन्दर,पृ213 – .
3. http://kavitakosh.org/k k/मैं_नीर_भरी_दुख_ की_बदली!_/_महादेवी_वर्मा
4. https://hi.wikibooks.org/wiki/आधुनिक_कालीन_हिंदी_कविता_(छायावाद_तकमहादेवी/(_वर्मा
5. https://hindi-kavita.com/HindiNeeharMahadeviVerma.php
6. https://hindi-kavita.com/HindiNirjaMahadeviVerma.php
7. यामा ,महादेवी वर्मा ,पृ63 - .
8. http://kavitakosh.org/k k/बुझे_दीपक_ जला_लूँ_/_महादेवी_वर्मा
9. दीपशिखा ,महादेवी वर्मा ,पृ 113 -.

10. यामा ,संध्यागीत ,पृ239 - .
11. यामा ,रश्मि ,पृ 75 -.
12. यामा ,महादेवी ,पृ 123 -.
13. वही पृ 123 -.
14. वही पृ 146 -.
15. महादेवी वर्मा की काव्य अनुभूति ,डॉ रेणू दीक्षित.,पृ 66 -.
16. यामा ,महादेवी ,पृष्ठ 6 –

अंजली पुत्री श्री अर्जुन
छात्रा .एड.बी -
निवासी पजाया रोड़ सतूले नगर, बहजोई,
तहसील चंदौसी
जिला संभल, पिन 244410
मो .8474935499

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और उनकी रोकथाम :एक विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ.राजेश कुमार मीणा भींवाराम
सह आचार्य-समाजशास्त्र सहायक आचार्य-समाजशास्त्र
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय,अजमेर (राजस्थान)
महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान) Mob-7597240092
Mob-9636508247
Email: rajeshkumarmeena99@gmail.com
Email: bheenwaram@gmail.com

शोध सार

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि एवं उनसे घटित जन-धन की अपूरणीय हानि एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है।यह भारतीय समाज में एक विकट सामाजिक-आर्थिक संकट के रूप में उभर रहा है। जीवन में अनुशासनहीनता व उच्छृंखलता एवं सड़क पर नियमहीनता व लापरवाही इसके मूलभूत कारण हैं।यह ज्ञात तथ्य है कि बिना नागरिक समझदारी के भौतिक साधनों यथा वाहनों एवं प्रौद्योगिकी का अविवेकपूर्ण उपयोग समाज एवं उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। अतः आमजन,समाज और प्रशासन के स्तर पर अविलंब चिंतन-मनन, पहला और ठोस कार्यवाही समय की मांग है। इसके लिए नागरिक समझदारी देने वाली शिक्षा, जन चेतना और कानून के माध्यम से आमजन और विशेषत: युवा पीढ़ी में स्वयं और दूसरों के अमूल्य जीवन की सुरक्षा व कानून के प्रति आदर की भावना विकसित करना परमावश्यक है। वस्तुत:सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण समाज एवं कानून दोनों के परस्पर सहयोग व आदर पर निर्भर है क्योंकि दोनों संपूरक हैं। इस शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से इस समस्या का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द: समाज, कानून, प्रशासन, नीति, सड़क दुर्घटना, नागरिक समझ, सांस्कृतिक पिछड़ापन, जनचेतना, नियमहीनता,अनुशासनहीनता।

पृष्ठभूमि

'सावधानी हटी दुर्घटना घटी' यह सचेतक कथन जीवन और सड़क दोनों के लिए शाश्वत सत्य और तथ्य है। आज दुनिया और भारत दोनों जगह जीवन में और सड़क पर घटती नियमहीनता (कानून उल्लंघन) और बढ़ती अनुशासनहीनता की कीमत मानवता को जन-धन की हानि के रूप चुकानी पड़ रही है। यह सम्पूर्ण मानवता के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। भारत में कानूनों का उल्लंघन बढ़ने के साथ-साथ कानून का डर और उसके प्रति सम्मान दिन-प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। भारत में कानूनों को कागजी बाघ (Paper Tigers) माना जाने लगा है। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन, परिपक्वता, जिम्मेदारी, धैर्य, संवेदनशीलता और समझदारी में अभूतपूर्व गिरावट आ रही है। यही कारण है कि आज भारत सड़क दुर्घटनाओं की राजधानी बन चुका है और उसमें अग्रणी स्थान पर

है। आज की शिक्षा डिग्री दे रही है किंतु समझदारी नहीं। शिक्षित व्यक्ति का समझदार होना कोई जरूरी नहीं है। आजकल घटित नए-नए अपराध और दुर्घटनाएं यही सिद्ध करती हैं।

यह आज के भारत का कटु सत्य है जो दैनिक मीडिया और हमारे स्थानीय परिवेश में दृष्टिगोचर हो रहा है।प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री डब्ल्यू. एफ. ऑगबर्न के शब्दों में यह सांस्कृतिक पिछड़ापन है जिसमें व्यक्ति भौतिक क्षेत्र (मशीन, मोटरवाहन) में तो बहुत प्रगति करता है किंतु तत्संगत अभौतिक क्षेत्र (नियम, आचार व कानून) में पिछड़ जाता है।**1** यह लोगों में नागरिक समझ (Civic Sense) की कमी का सूचक है। यही कारण है कि आजकल कानून व नियमों की अवहेलना और लापरवाही के कारण प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे, युवा, बड़े सडक दुर्घटना में अपना अमूल्य जीवन खो देते हैं या स्थायी रूप से विकलांगता से ग्रसित हो जाते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र को बढती सड़क दुर्घटनाओं से जनित जन-धन हानि से बडी आर्थिक कीमत और अमूल्य सामाजिक लागत चुकानी पड़ रही है। यह मानवीय त्रासदी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिजनों, बच्चों, परिवार और समाज को अपूरणीय क्षति पहुँचाती है। यह मानव शक्ति ह्रास परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास को अवरूद्ध करता है।

हमारा स्थानीय परिवेश, मीडिया और सरकारी रिपोर्ट्स इसका प्रमाण है। आज भारत में बड़े पैमाने पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन गई है।**10** इस पर नियंत्रण हेतु सरकारी व गैर-सरकारी प्रयास, नीतियां, नियम और कार्यक्रम अभी अपर्याप्त हैं। आज बढ़ती सडक दुर्घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण हेतु ठोस और प्रभावी नीति नियम, निष्ठा और नियोजन की जरूरत है। अतएव, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित टिकाऊ विकास लक्ष्य 2030 कार्यसूची के 17 मूल लक्ष्यों में लक्ष्य 3-अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली और लक्ष्य 11-टिकाऊ शहर और समुदाय में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सड़क सुरक्षा को महत्त्व देकर स्वस्थ एवं उत्पादक मानव जीवन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।**8** यह जनता, जनप्रतिनिधि और जनसेवक सभी का सामूहिक कर्त्तव्य है और तीनों घटक मिलकर ही इस ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर सकते हैं।

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं

पिछले एक दशक के आंकडे भारत में तीव्र गति से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को प्रमाणित करते हैं। यह भी तथ्य विचारणीय है कि अमेरिका के बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो लगभग 64 लाख किलोमीटर है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट आ रही है और भारत में सडक दुर्घटनाएं और उसमे होने वाली मृत्युदर निरंतर बढ़ रही है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े सडक नेटवर्क वाले देश में पूरी दुनिया के मात्र 1 प्रतिशत वाहन है और हादसे दुनिया के 6 प्रतिशत हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2022' के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और तत्जनित मृत्यु निरंतर बढ़ रही है। इस नवीनतम रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारत में कुल 461312 सड़क दुर्घटनाओं में 168491 लोगों की मृत्यु हुई है। यह अत्यंत विचलित करने वाला कटु तथ्य और सत्य है।

इसी तरह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली के द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं-2022' के अनुसार, भारत में आकस्मिक मौतों की संख्या भी 2020,2021 और 2022 में निरंतर बढ़ी है और इनमें ट्राफिक दुर्घटना का प्रतिशत निरंतर बढ़ते हुए 46 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में आकस्मिक मौतों की कुल 422444 घटनाओं में से 194347 मौतें ट्राफिक दुर्घटना से हुई है जो कुल मौतों का 46 प्रतिशत है।अतः भारत में

सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं भयानक हो चुकी है। इस पर अविलंब ध्यान देने और ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है। आज यह यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। हम सब को सामूहिक रूप से इसका उत्तर खोजना है।

सड़क दुर्घटना संबंधी अध्ययन

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) की रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घनाएं-2022' भारत में सड़क दुर्घटनाओं के व्यापक अध्ययन व विश्लेषण हेतु विशद और प्रामाणिक दस्तावेज है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ओवरस्पीडिंग (अत्यधिक तेजगति) पिछले कई वर्षों की तरह वर्ष 2022 में भी सडक दुर्घटनाओं का सबसे बडा कारण रहा है।**3**

कारण (सड़क दुर्घटना)	दुर्घटनाएं	मृत्यु	कुल दुर्घटनाओं का प्रतिशत
ओवरस्पीडिंग	333323	119904	72.3
गलत लेन में ड्राइविंग	22586	9094	4.9
नशे में ड्राइव	10080	4201	2.2
ड्राइविंग के समय मोबाईल प्रयोग	7558	3395	1.6
रेडलाइट क्रॉस	4021	1462	0.8
अन्य	83744	30435	18.2
कुल	461312	168491	100

स्रोतःसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH)रिपोर्टःभारत में सड़क दुर्घटनाएं-2022

इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं का 56 प्रतिशत राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर घटित हुआ है और मृत्यु की कुल घटनाओं का 60.5 प्रतिशत इन पर घटित हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और केरल शीर्ष स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण ओवरस्पीडिंग (72.4 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त नशे में ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय मोबाईल फोन का प्रयोग, गलत साइड, रेडलाइट उल्लंघन इत्यादि सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारण रहे हैं। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में कुल मृत्यु का 83.4 प्रतिशत भाग 18-60 आयुवर्ग का था अर्थात् कार्यशील आयु समूह की मृत्यु सर्वाधिक हुई है।यह परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आघातकारी कटु तथ्य है।

वर्ष	दुर्घटनाएं	मृत्यु	घायल
2020	372181	138383	346747
2021	412432	153972	384448

2022	461312	168491	443366

स्रोतः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH)रिपोर्ट: भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2022

इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 तक के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या,उनसे होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।ये आंकड़े भारत में सड़क दुर्घटना की भयावह स्थिति और नागरिक समझदारी के घोर अभाव का सूचक है।

2. सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें युवाओं और कार्यशील आयु वर्ग के लोगों की होती है। इन दुर्घटनाओं से न केवल परिवार पर सामाजिक और आर्थिक संकट आता है बल्कि देश का आर्थिक विकास अवरूद्ध होता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH)के अधीन आई.आई.टी. दिल्ली व डी.एफ.आई.टी.एस. के कंसोर्टियम ने 2018 में घटित सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक-आर्थिक लागत लगभग 1,47,114 करोड़ रूपए आंकी थी। TRIPP-IIT Delhi और DIMTS की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 153972 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसकी सामाजिक-आर्थिक लागत देश की GDP का लगभग 3.14 प्रतिशत है। यह लगभग 100 अरब डॉलर है।**5**

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB), नई दिल्ली द्वारा जारी 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं-2022 रिपोर्ट के अनुसार, कुल आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु में ट्राफिक दुर्घटना मृत्यु प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है।**4**

वर्ष	ट्रॉफिक दुर्घटना मृत्यु	कुल आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु	प्रतिशत
2020	146354	366992	39.9
2021	173860	390404	44.5
2022	194347	422444	46.0

स्रोतःराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट: भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं-2022

इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 तक के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में आकस्मिक दुर्घटनाओं की संख्या और उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में भी निरंतर वृद्धि नीतिगत चिंतन का विषय है।

3.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली के Transportation Research and Injury Prevention Centre (TRIPC) की रिपोर्ट Road Safety in India:Status Report 2023 भारत में सड़क सुरक्षा की वस्तुस्थिति और चुनौतियों का डेटा आधारित विशद् विवेचन है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 26 प्रतिशत सड़कें ही गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हैं। इसमें पैदल चलने वालों, साईकिल चालकों और दुपहिया चालकों को सड़क दुर्घटना का सर्वाधिक पीड़ित बताया गया हैं। यह रिपोर्ट अध्ययन, शोध एवं नीति निर्धारण हेतु उपयोगी दस्तावेज है। यह रिपोर्ट भारत में सडक दुर्घटना के आंकडों को त्रुटिपूर्ण और कम सूचित मानती है। यह

रिपोर्ट प्रामाणिक डाटा आधारित और भारत केंद्रित सड़क सुरक्षा नीति की मांग करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सडक सुरक्षा पर शोध एवं नवाचार की कमी चिंताजनक है।**2**

कारण

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बडा कारण यातायात नियमों का उल्लंघन और इनके बारे में जागरूकता की कमी है। भारत में बढ़ती सडक दुर्घटनाओं के पीछे निहित कारणों को सरल शब्दों में 5Os में व्यक्त किया जा सकता है। इनका तात्पर्य Overspeed (अत्यधिक तेज गति), Overrule (नियमों का उल्लंघन), Overtake (गाड़ी आगे निकालना), Overload (अत्यधिक भारयुक्त), Overconfidence (अति आत्मविश्वास) से है। प्रायः युवा पीढ़ी द्वारा घटित सड़क दुर्घटनाओं में यही कारण दृष्टिगोचर होते हैं। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स और व्यक्तिगत अनुभव से ये कारण प्रमाणित होते हैं।

इसके साथ ही कमजोर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर (डिजाइन व तकनीकी में कमी, सड़कों की घटिया गुणवत्ता, सड़को की नियमित जांच व रख-रखाव की कमी इत्यादि) कमजोर सड़क सुरक्षा कानून, यातायात प्रबंधन प्रवर्तन एजेंसी के पास संसाधनों का अभाव, सड़क व सड़क सुरक्षा नीति का अभाव, जन-जागरूकता और नागरिक समझ का अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक निष्ठा की कमी, शोध व नवाचार का अभाव, विश्व की सर्वोत्कृष्ट यातायात प्रबंधन क्रियाकलापों के अनुकरण की कमी इत्यादि कारण भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती सडक दुर्घटनाओं के मूल में हैं।9

सरकारी प्रयास

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मध्यनजर उच्चतम न्यायालय ने 2014 में सड़क सुरक्षा पर न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल गठित किया जिसने राजमार्ग पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करने, यातायात नियमों की सख्त पालना और लोगों में जागरूकता संवर्द्धन की सिफारिश की थी। वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को भी अनुमोदित किया गया था। यह नीति सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन, जनजागरूकता अभियानों और दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तंत्र पर बल देती है।**6**

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बहुआयामी रणनीति बनायी है जिसके चार मुख्य आयाम हैं-**5**

1.शिक्षा- सड़क सुरक्षा हेतु प्रभावी जनजागरूकता एवं जनभागीदारी, ड्राइविंग प्रशिक्षण इत्यादि पक्षों पर बल देने की जरूरत है।

2.इंजीनियरिंग (सड़क एवं वाहन)- रोड़ डिजाइन, रोड सेफ्टी ऑडिट, ब्लैकस्पॉट निर्धारण, अनिवार्य एयरबैग व क्रेश मानदंड पालना, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ओवरस्पीड वार्निंग, सीट बैल्ट रिमाइन्डर, सेंट्रल लॉक नियंत्रण, रिवर्स पार्किंग अलर्ट, पुराने वाहन स्क्रेपिंग नीति इत्यादि इंजीनियरिंग पहलुओं पर काम करने की जरूरत है।

3.प्रवर्तनः- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड में वृद्धि की गई है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नियम पालना पर बल दिया गया है।

4.आपातकालीन देखभाल- इसमें सहायता करने वाले व्यक्ति (गुड समेरिटन) के संरक्षण, पीड़ित को प्रतिकार, राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम्बुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था का प्रावधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

नियत्रंण हेतु सुझाव

भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार, आमजन, ऑटोमोबाईल क्षेत्र सभी को समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय सुझाव लागू करना समय की मांग है-

1.''इलाज से बचाव बेहतर है'' इस उक्ति के सन्दर्भ में वाहन चलाते समय सावधानी व सतर्कता बरतना ही सर्वोत्तम उपाय है। सडक सुरक्षा के सामान्य नियमों यथा- गति सीमा का पालन, शराब पीकर गाडी नहीं चलाना, मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करना, सिग्नल का पालन, सीट बैल्ट का प्रयोग, निर्धारित पार्किंग, गुणवतायुक्त हेलमेट, यथोचित आराम इत्यादि की पालना करवाना अति आवश्यक है।

2.आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित एवं विश्वस्तरीय तकनीक आधारित यातायात प्रबंधन व प्रवर्तन, सड़क व वाहन प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है। वाहनों की गति नियत्रंण हेतु पर्याप्त इंटरसेप्टर व उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। आमजन के वाहनों में गति नियंत्रक लगाने हेतु वाहन कपंनियों को पाबंद करने की जरूरत है।

3.यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित स्वचालित प्रणाली से अनिवार्य जुर्माने की व्यवस्था सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। एक्सप्रेस वे पर स्वचालित गति नियत्रंण व्यवस्था की जरूरत है। कानून का शून्य सहनशील (Zero Tolerance) व प्रभावी क्रियान्वयन और समर्पित व पर्याप्त प्रवर्तन कार्यबल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4.स्कूल व कॉलेज की शिक्षा में सड़क सुरक्षा को अभिन्न अंग बनाकर पढाने की जरूरत है। सड़क सुरक्षा शिक्षा व नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है।

5.जनजागरूकता व जनभागीदारी के साथ ही मीडिया, सिविल सोसाइटी संगठन (CSOs), गैर सरकारी संगठन (NGOs), निजी क्षेत्र का सहयोग लिए जाने की जरूरत है।

6.सही व अद्यतन डाटा व शोध, केन्द्र द्वारा राज्यों को बुनियादी ढाँचा विकास हेतु धनराशि, रोड़ सेफ्टी ऑडिट, विश्व स्तरीय सर्वोत्तम अनुप्रयोगों (Best Practices) का अनुसरण इत्यादि समय की मांग है।संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर, 2020 में घोषित संकल्प के अनुसार, 2030 तक कम से कम 50% सड़क दुर्घटना मौतों और चोटों को रोकने का लक्ष्य रखा गया है।इसे हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।**9**

7.ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया अत्यंत सख्त करने की आवश्यकता है। गुड समेरिटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटना में मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में अनिवार्य बीमा कवर आधारित सहायता का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है।जनवरी 2024 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार

को हिट एंड रन दुर्घटना मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार करने और सरकारी मुआवजा नीति के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने हेतु निर्देशित किया है।7

8.'वाहन विस्फोट' अर्थात् अंध वाहन वृद्धि पर भी नियत्रंण जरूरी है। सड़क नेटवर्क के अनुपात में ही वाहन संचालन की अनुमति होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन यथा सुगम एवं सुविधाजनक बस, मेट्रो व रेल नेटवर्क को बढावा देने की जरूरत है।

निष्कर्ष

अतः स्पष्ट है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे अमूल्य जन और कीमती धन की रक्षा के लिए इन पर अविलंब ठोस नियंत्रण की जरूरत है। यह परिवार, समाज और राष्ट्र की चहुँमुखी उन्नति के लिए परमावश्यक है। इसकी कुंजी जनता (जन-जागरूकता), जनसेवक (प्रशासकीय निष्ठा) और जन प्रतिनिधि (राजनीतिक इच्छाशक्ति) है। लोकतंत्र के ये तीन आधार ही लोकतंत्र की समस्याओं की रामबाण औषधि है।

आज हमें आमजन में नागरिक समझ (Civic Sense) विकसित करने की जरूरत है। यह शिक्षा और जनचेतना से ही संभव है। आमजन में अधिकारों के साथ-साथ अपने कत्तव्यों को लेकर भी पर्याप्त समझ एवं जागरूकता सुनिश्चित करना समय की मांग है। हम सब में कानून एवं नियमों के प्रति आदर एवं अन्तर्मन से उनकी सहज पालना की भावना होनी चाहिए।

भारत में विश्वस्तरीय गुणवत्ता युक्त सड़क बुनियादी ढाँचा और कठोर व प्रभावशाली मोटरवाहन व सड़क सुरक्षा कानून धरातल पर लागू करने की जरूरत है। इस समस्या के त्वरित व टिकाऊ समाधान हेतु दीर्घकालीन,व्यावहारिक ठोस एवं व्यापक सड़क एवं सड़क सुरक्षा नीति की जरूरत है। सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।यह समाज को पंगु होने से बचाकर समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त भारत आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जीवन में अनुशासन व सडक पर सावधानी ही सड़क दुर्घटनाओं का समाधान है।

सदंर्भ सूची

1. Ogburn, W.F. (2023). Social Change. New Delhi: Gyan Publishing House
2. Tiwari, G., Goel, R. and Bhall, K. (2023). Road Safety in India: Status Report 2023. New Delhi : Transportation Research & Injury Prevention Centre, Indian Institute of Technology Delhi https://tripc.iitd.ac.in

3. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH):भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2022

4.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो(NCRB) :भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं2022

5. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1941052

6. https://morth.nic.in/hi/node/10083

7. https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-asks-centre-to-consider-enhancing-compensation-in-hit-and-run-accidents/article67740360.ece

8. https://www.undp.org/sustainable-development-goals

9. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

10. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1973295

गाँधी का सत्याग्रह और हिटलर के नाजीवाद का वैश्विक प्रभाव

डॉ. सरोज नैय्यर

सहायक आचार्य शिक्षा संकाय ,

कलिंगा विश्वविद्यालय.छत्तीसगढ़ ,रायपुर ,

डॉ. संजय यादव

सहायक आचार्यसंस्कृति एवं लोक साहित्य विभाग ,कला ,जनजातीय अध्ययन ,,

इंदिरा गाँधीराष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयअमरकंटक ,, म.प्र .

शोधसार

व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की यात्रा में पारिवारिक, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विशेष योगदान होता है। व्यक्तित्व की सांस्कृतिक और घरेलू पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व निर्माण के मनोवैज्ञानिक पक्ष भी अतिशय विचारणीय होते हैं। मोहन दास करमचंद गाँधी और अडोल्फ़ हिटलर बीसवीं सदी के दो सर्वाधिक चर्चित बड़े व्यक्ति हैं। दोनों की दो अलग पारिवारिक, वैचारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। गाँधी और हिटलर दोनों ही अपने अलग-अलग भाषा, धर्म, नैतिकता, संस्कृति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के उपज थे। दोनों में दो अलग अलग संस्कृति और सभ्यता की सुगंध थी। वैचारिक और सैद्धांतिक अंतर के साथ गाँधी और हिटलर में मुख्य अंतर उनकी अपनी बात रखने और मांग करने की शैली है। गाँधी सनातन के संवाहक हैं और सनातन में सत्य ही शिव है। इसलिए गाँधी सत्य से कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से सत्य का आग्रह किया। उन्होंने गलत का विरोध करने के लिए, विनय के साथ अवज्ञा का मार्ग अपनाया और उसे 'सविनय अवज्ञा' का नाम दिया। गाँधी जी की लड़ाई अभाव, असमानता, अज्ञानता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, उपनिवेशवाद और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थी। हिटलर के तरीके में हिंसा का प्रमुख स्थान था, जबकि गाँधी अहिंसा के अनुगामी थे। महात्मा गाँधी और हिटलर के बीच विचारधारा का आधारभूत अंतर है। हिटलर नस्लीय श्रेष्टता को सर्वोपरि मानता था, जबकि, गाँधी आजीवन समानता के लिए संकल्पित रहे।

गाँधी और हिटलर में सबसे बड़ा अंतर मानवता और नस्लीय शुद्धता का है। गाँधी भारतीय परंपरा के संवाहक हैं। इसलिए वह सर्वधर्म समभाव की दृष्टि रखते हैं। उनके लिए धरती के सभी मानव एक समान हैं। गाँधी नस्लीय श्रेष्ठता का घोर विरोधी रहे। जबकि हिटलर जर्मन जाति की नस्लीय श्रेष्ठता के संपोषक थे। गाँधी अपने न्यासिता सिद्धांत में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचने कोशिश करते हैं, जबकि हिटलर की मान्यता में कमजोर व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। गांधीजी लोकतंत्र के समर्थक हैं, और सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जबकि हिटलर घोर तानाशाही और सत्ता के केंद्रीकरण का पुजारी है। गांधीजी का जीवन सार्वजानिक था और हिटलर को गोपनीयता का पागलपन है। गाँधीजी भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। वह महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं। उनमें 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' की भावना और साधना है। गाँधी और हिटलर के व्यक्तित्व, विचार और व्यवहार में व्यापक अंतर है। गाँधी 'मानव से महात्मा' की यात्रा करते हैं और हिटलर, 'एडोल्फ स्किकलग्रुबर से 'हिटलर' (तानाशाह)' और 'भय' की यात्रा करता है।

बीज शब्द: सत्य, आग्रह, नाजीवाद, अहिंसा, हिंसा लोकतंत्र, तानाशाही

परिचय

बीसवीं सदी का इतिहास दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का इतिहास है। इस सदी में दुनिया ने वैश्विक नरसंहार के रूप में दो महायुद्ध देखे। इस काल में पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद से मुक्ति के आंदोलन शुरू हो चुके थे। भारतीय सन्दर्भ में बीसवीं सदी साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्ति और संघर्ष का इतिहास है। 1915 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह महात्मा गाँधी के इर्द-गिर्द केन्द्रित हो गया। गाँधी स्नेह, सहिष्णुता, समन्वय, सत्याग्रह और वैश्विक शान्ति के समर्थक, संवाहक, और संपोषक हैं। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में नस्लभेद के विरुद्ध अपने सत्याग्रह का लिटमस परीक्षण किया और भारत में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी सत्ता के निर्मूलन में इसे चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया। सन् 1933 जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय हुआ और वह आजीवन नस्लीय श्रेष्ठता और हिंसा का पुजारी रहा। उसकी नस्लीय श्रेष्ठता की कुत्सित भावना ने विश्व मानवता को महायुद्ध की विभीषिका में झोंक दिया।

उद्देश्य: प्रस्तुत लेख द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस लेख में गाँधी के सत्याग्रह और हिटलर के नाजीवाद के वैश्विक प्रभाव को समझने के लिए तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का अवलंब लिया गया है।

सत्य-आग्रह और गाँधी

महात्मा गाँधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। गाँधी जी अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से अपने समकालीन विश्व के नेताओं में अग्रणी थे। राष्ट्र सेवा और मानव सेवा ने उन्हें सार्व-भौमिक मानवतावाद का अनुयायी बनाया। गाँधी जी एक महान धार्मिक उपदेशक, समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक भी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को भारत के पश्चिमी प्रान्त गुजरात, के काठियावाड के पोरबंदर में हुआ था। गाँधी 1893 में 24 वर्ष की आयु में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुला एंड कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में अपने 21 वर्ष के प्रवास में उन्होंने प्रवासी भारतीयों और ट्रेन यात्रा के समय स्वयं पर अस्पृश्यता का व्यावहारिक अनुभव किया। इस कटु अनुभव ने उनमें राजनीतिक चेतना का संचार किया।

महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एक अदम्य, अहिंसक प्रतिरोध के रूप में किया गया। दक्षिणी अफ्रीका में इसकी सफलता के बाद, गाँधी ने इस सिद्धांत को ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का सबसे प्रमुख साधन बना दिया। 'निष्क्रिय प्रतिरोध' शब्द में गाँधी को हिंसा और घृणा की भावना दिखती थी, इसलिए वह निष्क्रिय प्रतिरोध की जगह एक सही शब्द चुनना चाहते थे। मगनलाल गाँधीने इसके लिए 'सदाग्रह' शब्द दिया, जिसका अर्थ सत्य, आग्रह और दृढ़ता से है। बाद में गाँधी जी ने इस शब्द को सत्याग्रह का रूप दे दिया (गांधी, 1938: 82)।[1] सत्याग्रह, तीन मूल उद्देश्यों पर केन्द्रित है। पहला, यह पीड़ित के मन और हृदय को शुद्धता प्रदान करता है, दूसरा यह जनमत को अनुकूल और मजबूत करता है और तीसरा यह उत्पीड़क की आत्मा से सीधे अपील करता है (कपूर और सोनी, 2019: 117)।[2] गाँधी के अनुसार सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य कष्ट सहन कर, विरोधी का हृदय परिवर्तन कर सफलता प्राप्त करना है। सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए गाँधी जी लिखते हैं कि "अपने विरोधियों को दुखी बनाने की अपेक्षा स्वयं अपने पर दुःख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है" (मेहता, 2018: 177)।[3]

गाँधी जी सत्याग्रह के विभिन्न साधनों असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, उपवास, धरना, हड़ताल और सामाजिक बहिष्कार को परिस्थिति अनुसार अपनाने का सुझाव देते हैं। उन्होंने लिखा: "कोई अधीरता, कोई बर्बरता,

कोई अहंकार, कोई अनुचित दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना को विकसित करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता किसी के उद्देश्य में विश्वास की कमी को दर्शाती है" (प्रभु, 1967: 27)।[4]

गाँधीजी की मान्यता थी कि सत्याग्रह सविनय अवज्ञा और असहयोग के नियम पर आधारित है। उन्होंने लिखा कि "जब लोग राज्य के कई कानूनों का पालन करके अपनी सक्रिय वफादारी साबित कर देते हैं, तभी उन्हें सविनय अवज्ञा का अधिकार प्राप्त होता है" (गाँधी, 65)।[5] गाँधी ने सत्याग्रही में ग्यारह गुणों- अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी का समर्थन, अस्पृश्यता में अविश्वास का होना आवश्यक माना (मेहता, 2015: 259)।[6]

सत्याग्रह अभियान को उचित व्यवस्था के साथ चलाने के लिए गाँधीजी ने कुछ नियम बनाए थे। वे इस प्रकार हैं (गाँधी, 1931 : 162)[7]

1. क्रोध न करें।
2. विरोधी के क्रोध को सहें।
3. अपशब्द न कहें ।
4. विरोधी, उसके नेताओं या विरोधी के झंडे का अपमान न करें।
5. कैदी के रूप में विनम्रता से पेश आएं और जेल के नियमों का पालन करें।
6. सांप्रदायिक झगड़ों का कारण न बनें।
7. अपने जीवन की अहिंसक तरीके से रक्षा करें।

गाँधी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व ने दुनिया के कई नागरिक आंदोलनों को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग ने अपने विचारों पर गाँधी जी के प्रभाव के विषय में अपनी आत्मकथा में लिखा- "जैसा कि अधिकांश लोगों ने गाँधी जी के बारे में सुना था, लेकिन मैंने कभी उनका गंभीरता से अध्ययन नहीं किया था। मैंने पढ़ा। मैं उनके अहिंसक प्रतिरोध के अभियानों से बहुत प्रभावित हुआ। सत्याग्रह की पूरी अवधारणा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे-जैसे मैं गांधीजी के दर्शन में गहराई से उतरता गया, प्रेम की शक्ति के बारे में मेरा संदेह धीरे-धीरे कम होता गया और मुझे पहली बार सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इसकी शक्ति का पता चला। गाँधीजी द्वारा प्रेम और अहिंसा पर जोर दिया गया था, जिससे मुझे सामाजिक सुधार की वह विधि मिली जिसकी मुझे तलाश थी" (कार्सन, 1961, पृ. 23)।[8] यह गाँधी की दूरदृष्टि और उनके सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव था कि दक्षिणी अफ्रीका के सीमित संघर्ष ने व्यापक संघर्ष का रूप ले लिया। अपने सत्याग्रह के बल पर ही गाँधी जी ने भारत में भी अपने क्षेत्रीय आन्दोलनों को राष्ट्रीय रूप दे दिया था। उदाहरण के रूप में बिहार के चंपारण सत्याग्रह को देखा जा सकता है, जो भारत में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग था। गाँधी के चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय जनमानस को मनोवैज्ञानिक रूपसे सर्वाधिक प्रभावित किया। बेतिया के एस. डी. ओ. ने 29 अप्रैल 1917 की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि "गाँधी प्रतिदिन अज्ञानी जनसमुदाय की कल्पना को आसन्न स्वर्णयुग के स्वप्न दिखाकर रूपांतरित कर रहें हैं" (गौतम, 2004, पृ. 624)।[9]

सत्याग्रह का जन आंदोलन के रूप में प्रयोग- दांडी मार्च

गाँधी जी ने औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरुद्ध प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूपमें नमक सत्याग्रह किया था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन (1920-22) के बाद, दांडी यात्रा ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठित चुनौती थी।

390 मील की दूरी 24 दिन में तय करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच कर नमक कानून तोड़ा गया (ग्रोवर एंड ग्रोवर, 1998, पृ. 98)।[10] सन 1960 के दशक में जब अमेरिका में अश्वेतों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था तो, गाँधी के सत्याग्रह का अमेरिकी कार्यकर्ताओं- मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेम्स बेवेल आदि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू की भी गाँधीजी से प्रभावित रहीं।

हिटलर और नाजीवाद

एडॉल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को आस्ट्रिया के ब्रूनो एम इन में हुआ था। 1913 में वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। 1933 में हिटलर जर्मन संविधान द्वारा जर्मनी के चांसलर बने। अपने विचारों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उसने एक दुर्जेय प्रचार तंत्र का सहारा लिया। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था (फड़िया, 2022, पृ. 184)।[11] द्वितीय विश्वयुद्ध में मारे गए 50 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदार हिटलर को ही माना जाता है।

1933 से 1945 तक जर्मनी में तानाशाही संसाधनों का घोर प्रयोग हुआ। पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी का उद्देश्य जर्मन गौरव और यहूदी-विरोधी भावना को प्रोत्साहित करना और वर्साय की संधि की शर्तों के प्रति असंतोष व्यक्त करना था। 1919 के शांति समझौते ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त तो कर दिया था, किंतु इसकी कोख में द्वितीय विश्वयुद्ध भी पलने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद, नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके कई शीर्ष अधिकारियों को नाजी शासनकाल के दौरान लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की हत्या से संबंधित युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

हिटलर का उदय और नाज़ी-सत्ता का चरमोत्कर्ष

बीसवीं सदी के दूसरे दशक में उपनिवेशवाद के विरुद्ध लहर चल रही थी। 1919 के वर्साय की संधि ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था जिसने 1929 में, जर्मनी में भयंकर बेरोज़गारी को जन्म दिया। जुलाई 1932 के चुनाव में, हिटलर ने जर्मन संसद की 608 में से 230 सीटें जीतीं और एक साल बाद जनवरी 1933 में, उन्हें जर्मन चांसलर नियुक्त किया गया। 1933 में, नाज़ियों ने जर्मनी के डचाऊ में अपना पहला एकाग्रता शिविर (Concentration camp) खोला जहाँ, वे राजनैतिक कैदियों को रखते थे। लेकिन धीरे-धीरे डचाऊ को जर्मनी में शामिल कर लिया गया। एकाग्रता शिविर, मृत्यु शिविर में बदल गया, जहाँ अनगिनत यहूदी भुखमरी, बीमारी और अधिक काम के बोझ से मर गए या उन्हें मार दिया गया (कोब, 2005, पृ.224)।[12]

वर्साय की संधि स्पष्ट रूप से संधि में सम्मिलित प्रतिनिधियों की सहमति और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित थी लेकिन हिटलर इसे जर्मनी पर थोपी गयी संधि मानता था। इसलिए उसने जर्मनी की विदेश नीति को वर्साय की संधि को रद्द करने और दुनिया में जर्मनी की स्थिति को पुनर्प्रतिष्ठित करने की दिशा देना शुरू कर दिया। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की विदेश नीति ने युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उतरोत्तर कमज़ोर किया। उदाहरण के रूप में, उन्होंने 1933 में जर्मनी को राष्ट्र संघ से अलग किया, वर्साय की संधि द्वारा अनुमत सीमा से अधिक जर्मन सशस्त्र बलों का पुनर्निर्माण किया, 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्ज़ा किया, 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा किया और 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण, 1 सितंबर, 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नाजी पार्टी की छह साल की विदेश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को भड़का दिया था (विनबर्ग,1980, पृ. 197)।[13]

नस्लीय श्रेष्ठता हिटलर का एकमात्र सिद्धांत था और यही कारण था कि एडॉल्फ हिटलर ने पार्टी को केवल एक सिद्धांत नस्लीय श्रेष्ठता के साथ चलाने का फैसला किया था। हिटलर का मानना था कि किसी व्यक्ति की विशेषताएँ, दृष्टिकोण, योग्यताएँ और व्यवहार उसके नस्लीय आवरण द्वारा निर्धारित होते हैं (हिटलर, 1988)।[14] हिटलर के विचार में, सभी समूह, नस्ल के व्यक्तियों में कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपरिवर्तनीय रूप से हस्तांतरित होते हैं। इसी आधार पर हिटलर ने मानव इतिहास को व्याख्यायित करने के लिए नस्लीय संघर्ष के दर्पण का सहारा लिया। नस्लीय श्रेष्ठता की अपनी विचारधारा को तैयार करने में, हिटलर और नाज़ियों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के जर्मन सामाजिक डार्विनवादियों के विचारों को अपनाया (फित्तेर, 2018)।[15] सामाजिक डार्विनवादियों की तरह, नाज़ियों ने भी मनुष्यों को सामूहिक रूप से "नस्ल" के रूप में वर्गीकृत किया। उनका मानना था कि नस्लीय गुण व्यक्ति के जीवन, सोचने के तरीके, रचनात्मक और संगठनात्मक क्षमताओं, बुद्धिमत्ता, संस्कृति, प्रशंसा, शारीरिक शक्ति और सैन्य कौशल को भी आकार देती हैं। नाज़ियों ने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत 'योग्यत्तम की उत्तरजीविता' के दृष्टिकोण को अपनाया।

नाज़ियों का यह तर्क था कि श्रेष्ठ नस्लों के पास निम्न लोगों को अपने अधीन रखने और उन्हें मृत्यु दंड देने का सर्वाधिकार सुरक्षित था। हिटलर की मान्यता थी कि नस्ल की शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य नस्लों के साथ घुलने-मिलने से नस्ल का पतन हो जाता है जिससे वह अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो देती है और अंततः विलुप्त होने के लिए अभिशप्त हो जाती है (फित्तेर, 2018, वही)। नस्ल की नाज़ी वैचारिक अवधारणा ने उत्पीड़न, उत्पात, नरसंहार, वैश्विक हिंसा और विनाश को जन्म दिया।

यहूदी नरसंहार (होलोकॉस्ट)

'होलोकास्ट' प्राचीन ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ 'जला हुआ प्रसाद' होता है। 1945 में विशेषकर यहूदियों की हत्या के बाद यह शब्द यहूदी नरसंहार का पर्याय हो गया। यहूदी इसे 'शोह' कहते हैं, हिब्रू में इसका तात्पर्य तबाही होता है। पश्चिमी सभ्यता, राज्य, उसकी आधुनिक नौकरशाही और समाज के साथ-साथ मानव स्वभाव को समझने के लिए होलोकास्ट एक केंद्रीय घटना है। नस्लवादी विचारधारा से प्रेरित यह एक ऐसी हिंसक योजना थी, जिसमें निर्दोष नागरिकों का सामूहिक नरसंहार किया गया। उन्होंने यूरोप के बीमार हों या स्वस्थ, अमीर हों या गरीब, धार्मिक रूप से रूढ़िवादी हों या ईसाई धर्म में धर्मांतरित, वृद्ध हों या युवा अथवा शिशु सभी यहूदियों को इसका शिकार बनाया। इसकी भयावहता का वर्णन करते हुए येहूदा बउर ने लिखा है कि- "होलोकास्ट की भयावहता यह नहीं कि यह मानवीय मानदंडों से भटक गया; भयावहता यह है कि जो हुआ वह फिर से हो सकता है, दूसरों के साथ, जरूरी नहीं कि यहूदियों के साथ,...। हम सभी संभावित पीड़ित, संभावित अपराधी, संभावित दर्शक हैं।" हिटलर, नाज़ीवाद और होलोकॉस्ट यह नरसंहार और हिंसा का प्रतीक बन गया था। इतिहासकार सर रिचर्ड जे. इवांस ने लिखा है कि "यह युग सार्वभौमिक अपील रखता है क्योंकि इसका जानलेवा नस्लवाद पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ा है" (इवांस, 2009: 56)।[16]

गाँधी और हिटलर दोनों के आंदोलन समकालीन थे। हिटलर के व्यक्तित्व में हिंसा, नरसंहार, आक्रमण और यहूदी विरोधी जर्मन राष्ट्रवाद का चरमोत्कर्ष है। जबकि गाँधी सत्य-आग्रह और अहिंसा के चरित्र नायक हैं। हिटलर अत्याचार और भय का परिचायक बनाता है और गाँधी अहिंसा के साथ अत्याचार के विरोध का मूलमंत्र देते हैं। हिटलर,जो आजीवन लोगों को भयभीत करता रहा, उसने न्याय के भय से 1945 में स्वयं को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। हिटलर की हिंसा और गाँधी के अहिंसा और सत्याग्रह को पूरी दुनिया ने देखा। मानव से 'महात्मा' तक जाने की उनकी तपस्या अद्भुत थी। हिटलर और उसकी विचारधारा भय का प्रतीक बनी, जबकि

गाँधी विश्व मानवता के पाथेय बने। हिटलर ने 'मीन कैम्फ' के रूप में अपनी आत्म कथा लिखी। गाँधी ने मानसिक पराधीनता से मुक्ति तथा भारत को प्रकाशित करने के लिए हिन्द-स्वराज का अक्षर-दीप जलाया। सहमना, सहजीवन, शान्ति, समन्वय, सहयोगपूर्ण विश्व-व्यवस्था का मार्ग गाँधी, के मार्ग से होकर जाता है। गाँधी के सत्याग्रह ने मानवता को आत्म-बल और अहिंसा का मार्ग दिखाया जबकि हिटलर का नाजीवाद भय और हिंसा का मार्ग दिया। गाँधी का सत्याग्रह और गाँधी का मार्ग आज भी वैश्विक शान्ति स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण मार्ग है।

सन्दर्भ

1. गाँधी, एम. के. (1938), हिन्द स्वराज, अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिकेशन हाउस.
2. कपूर, पी. और सोनी, एम. (2019), गाँधी, दिल्ली: मंजुला पब्लिशिंग हाउस.
3. मेहता, जे. (2018), भारतीय राजनीतिक चिन्तक, आगरा: साहित्य भवन पब्लिशिंग हाउस.
4. प्रभु, आर. के. (1967), द माइंड ऑफ़ महात्मा गाँधी, अहमदाबाद: नवजीवन ट्रस्ट.
5. गाँधी, पूर्वोक्त, पृ. 67.
6. मेहता, जे. (2015), राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, आगरा: साहित्य भवन पब्लिशिंग हाउस.
7. गाँधी, यंग इण्डिया, 2 जुलाई, 1931, पृ. 162.
8. कार्सन, सी. (सम्पादित), द आटोबायोग्राफी ऑफ़ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वार्नर बुक्स, न्यूयार्क, 1961, पृ. 23- 24.
9. गौतम, पी. एल. (2004), आधुनिक भारत 1757-1964, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी.
10. ग्रोवर, वाई. एवं ग्रोवर, बी. एल. (1998), स्वाधीनता आन्दोलन और संवैधानिक विकास, दिल्ली: एस. चन्द एंड कंपनी
11. फड़िया, बी. एल और फड़िया, के. डी.(2022), अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशन.
12. कोब, एबरहार्ड. (2005), द विमर रिपब्लिक, लन्दन: रौटलेज प्रकाशन.
13. विनबर्ग, गेर्हार्ड.(1980), द फारेन पॉलिसी ऑफ़ हिटलर जर्मनी स्टार्टेड वर्ल्ड वार II, इलिनोइस: यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिकागो प्रेस.
14. हिटलर, ए. (1988), मीन कैम्फ, मुंबई जैको: पब्लिशिंग हाउस.
15. फित्तेर, ए. एम. सत्याग्रह एंड नाजिज्म टू मोस्ट कंट्राडिक्टरी मूवमेंट ऑफ़ द टवेंटीन्थ सेंचुरी, भारतीय मान्यप्रद, 2018, वॉल्यूम 6, पे. 45-64.
16. इवांस, आर. जे. (2009), कास्मोपोलिटन इजलैंडर: ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

सामाजिक क्षमता: स्कूल, उपलब्धि और विकास

डॉ. अंजू
अनुसंधान विद्वान
शिक्षा विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब, भारत-143005
डॉ. गगनदीप कौर
अनुसंधान मार्ग दर्शक
शिक्षा विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब, भारत-143005
इ-मेल: anjusachingodara@gmail.com

सारांश

यह समीक्षात्मक शोध पत्र शिक्षा के समकालीन परिप्रेक्ष्य में सामाजिक क्षमता के महत्व को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास न होकर, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, सामाजिक-भावनात्मक कौशल और मूल्यों का समावेश होना चाहिए। इस समीक्षात्मक शोध पत्र में सामाजिक क्षमता को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उपयुक्त माने जाते हैं और जो शैक्षणिक सफलता तथा जीवन कौशल के विकास में सहायक होते हैं। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण इन क्षमताओं को विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है। सामाजिक क्षमता की कमी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी, व्यवहारिक समस्याएं और शैक्षणिक असफलता का कारण बन सकती है। यह समीक्षात्मक शोध पत्र रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण, सीखने की शैलियों की विविधता और शिक्षक की भूमिका को केंद्र में रखते हुए प्रभावी शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंततः, शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करे और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने में समर्थ बनाए।

मुख्य शब्द: सामाजिक क्षमता, समग्र शिक्षा, छात्र-केंद्रित अधिगम, रचनात्मकता, व्यवहारिक समस्याएँ, शैक्षिक सफलता

परिचय

दरअसल, तेजी से बदलते रोजगार परिद्रश्य और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ यह महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि बच्चे न केवलअध्ययन करना सीखें बल्कि सीखने के लिए कौशल भी प्राप्त करें। इस प्रकार, शिक्षा में अध्ययन सामग्री के प्रति घटते रुझान को देखते हुए अब अधिक ध्यान तर्कसंगत रूप से समस्याओं को हल करने, रचनात्मकता को बढ़ाने, बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाने, तथा नए और बदलते क्षेत्रों की सामग्री को अनुकूल रूप से ग्रहण करने पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे शिक्षा को ओर अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला और आनंददायक बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति **[1]** प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं (तर्कसंगत रूप से समस्या को सुलझाने) बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं को भी विकसित करना चाहिए। वर्ल्ड बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया **(1988)** के अनुसार "शिक्षा प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल, दिमाग और चरित्र को विकसित करने की

एक प्रक्रिया है"। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण, जानबूझकर या अनजाने में, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और दार्शनिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के साथ-साथ समाज को भी अधिकतम विकास की ओर ले जाती है, फलतः जो दोनों को अधिकतम सुख और समृद्धि प्रदान करता है। शिक्षा एक व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है जो उस समाज की जरूरतों और मांगों के अनुसार होती है जिसमें वह रहता है। स्कूली शिक्षा औपचारिक तरीके का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यह एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और सजग शिक्षा प्रदान करने का तरीका है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों में विशेष आदतों, कौशलों, दृष्टिकोणों और मान्यताओं को विकसित करने का एक सचेत प्रयास करता है जो सीखने वालों के लिए सशक्त जीवन मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे में उपयुक्त दक्षताओं और कौशलों का विकास हो, तो हमें सीखने के माहौल को इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जिससे उनको संबोधित कर अभ्यास कराया जा सके **[3]**। छात्रों के समग्र विकास और उनके सहपाठियों के साथ उनके संबंधों के साथ-साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम के समग्र विकास पर ध्यान देने की जरुरत है जो न केवल गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे संज्ञानात्मक विषयों के लिए सही है बल्कि समान रूप से मूल्यों, कौशल और दृष्टिकोण **(NCF, 2005)** के विकास के लिए भी आवश्यक है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक नियोजित की जानी चाहिए ताकि उसे देश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सके। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया अन्य बातों के अतिरिक्त, अच्छे व्यवहार, मूल्यों, कौशल के हस्तांतरण और सूचना के प्रसारण को विकसित करने के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। पिछले दो दशकों में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान और कौशल का निर्माण करने की बजाय प्रशिक्षक से संचरण के आधार पर उसे एक सरल अधिग्रहण प्रक्रिया के रूप में अपना सके।

शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक और संरक्षक की भूमिका को अपना रहे हैं जो छात्रों में ज्ञान को जल्दी और प्रभावी ढंग से कहाँ और कैसे प्राप्त किया जाए, की समझ पैदा करने में सहायक है । सीखने-सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देशन से छात्र के नेतृत्व वाली शिक्षा की ओर उन्मुख होनी चाहिए जो छात्र को सबका सम्मान करना, सामाजिक मूल्य, संज्ञानात्मक समस्या को हल करना, रचनात्मकता, खोज और अवधारणाओं पर शोध करने में सक्षम बनाए। शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक विकास होगा बल्कि चरित्र निर्माण और **21**वीं सदी के प्रमुख कौशल से परिपूर्ण और सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का निर्माण करना भी होगा। अंतत: ज्ञान एक गहरा खजाना है और शिक्षा उसको साक्षात सामने लाने में मदद करती है जो पहले से ही एक व्यक्ति के भीतर है। प्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में एकीकरण और समावेश सुनिश्चित करने हेतु, सभी क्षेत्रों में कौशल और मूल्यों के विशिष्ट अभिमूल्य की पहचान की जानी चाहिए।

सामाजिक क्षमता और स्कूल

सामाजिक क्षमता विभिन्न परिस्थितियों में और पर्यावरण की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार सामाजिक रूप से उपयुक्त व्यवहारों के प्रदर्शन को संदर्भित करती है **(ग्रेशम, 1995)**। प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक संपर्क कई अलग-अलग तरीकों से विकसित होते हैं; इसलिए सभी को कुछ सामाजिक कौशल और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इन कौशलों और क्षमताओं का महत्व वैज्ञानिक साहित्य में परिलक्षित होता है, जहां व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में उनके बढ़ते महत्व की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। शिक्षण और सीखने की आकर्षक

प्रक्रियाओं **[1]** के माध्यम से इन कौशलों और मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा और क्रियान्वयन तंत्र विकसित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण स्कूली छात्रों को समाज को अपनाने के लिए तैयार करने वाले विषयों में से एक है जो छात्रों को अच्छे और प्रभावी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता, पूछताछ-आधारित दृष्टिकोण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, समस्या-समाधान और सामाजिक कौशल को भी विकसित करता है। सामाजिक क्षमता और संबंधित सामाजिक व्यवहार शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए अनुकूल हो सकते हैं क्योंकि कक्षा में सामाजिक संपर्क के कारण, सामाजिक दक्षताएं व्यक्ति और अन्य सामाजिक एजेंटों (शिक्षकों और साथियों) के बीच सकारात्मक संबंध प्रदान करती हैं **[3]**। बुनियादी सामाजिक क्षमता बच्चों को साथियों के साथ व्यापक गतिविधियों में सफलतापूर्वक भाग लेने तथा सकारात्मक सहकर्मी संबंधों के विकास में मदद करती है। ये दोनों तत्व स्कूल और उसके बाद भी सफलता के लिए आवश्यक हैं। अकादमिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षमता और स्कूल के बीच संबंध है उदाहरण के लिए, सामाजिक क्षमता सभी योग्यताओं और क्षमता स्तरों पर स्कूल की सफलता से जुड़ी है; सामाजिक क्षमता स्तर पदोन्नति, हाई स्कूल पूरा करने और उत्तर माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी को निश्चितता प्रदान करती है।

सामाजिक क्षमता की कमी और व्यवहार संबंधी समस्याएं

वास्तव में, कुछ प्रमुख शोधों में यह पाया गया कि सामाजिक दक्षता को दर्शाने वाले गुण और व्यवहार कुछ शैक्षणिक उपलब्धियों की भविष्यवाणी करने में संज्ञानात्मक क्षमता की परीक्षाओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे। सत्यता के विपरीत स्थिति में, सामाजिक क्षमता का अभाव स्कूली असफलता का पूर्वसूचक हो सकता है। स्तर प्रतिधारण, विकलांगता की स्थिति, आत्मविश्वास की कमी और स्कूल छोड़ने वाले, अविकसित सामाजिक क्षमता से जुड़े कई नकारात्मक परिणामों में से कुछ हैं। बसरथ **(2001)** द्वारा कई कारकों की पहचान की गई है जो भविष्य की आचरण समस्याओं से संबंधित हैं **[4]**। इनमें पूर्व-असामाजिक व्यवहार, असामाजिक साथियों के साथ भागीदारी, असंतुलित सामाजिक जुड़ाव, कम लोकप्रियता और सहकर्मी अस्वीकृति, हानिकारक पदार्थो का उपयोग, लिंग; और असामाजिक माता-पिता होना आदि शामिल हैं। सामाजिक क्षमता की कमी छात्रों को विभिन्न व्यवहार संबंधी समस्याओं की ओर ले जाती है।

सामाजिक क्षमता के विकास के मार्ग

ऐसे दो विशिष्ट मार्ग हैं जिनके माध्यम से सामाजिक क्षमता, अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करने में विशेष योगदान देती है। पहले मार्ग में उन निपुणताओं और कौशलों का प्रदर्शन शामिल होता है, जिन्हें 'अकादमिक सहायक व्यवहार' कहा जाता है। दूसरा मार्ग धारणा के माध्यम से है। छात्र की सामाजिक क्षमता की स्वधारणा के साथ-साथ साथियों की आत्म-धारणा और छात्र की सामाजिक क्षमता के प्रति शिक्षकों की धारणा, उसकी उपलब्धि में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय लेने हेतु इन मार्गों को समझना महत्वपूर्ण है। इन मार्गों का ज्ञान शिक्षकों को दैनिक आधार पर कक्षा में कार्यानुभवों और गतिविधियों को प्राथमिकता देने में सहायक होना चाहिए **[5]**। रचनावादी अधिगम उपागमों के प्रभाव से यह समकालीन शिक्षा का मूल सिद्धांत बन गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन में अलग-अलग ढंग से ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को सामाजिक जीवन में छात्रों की क्षमताओं को

बढ़ाने और उनके प्रतिबिंब को विकसित करने के लिए लक्षित किया गया है, जो निरंतर प्रगति करता रहता है। उसी समय, गवर्नेले **(1997)** ने पाया कि कई छात्रों को सामाजिक अध्ययन उबाऊ और समय बर्बाद करने वाला लगता है **[6]**। कैरोल और लिएंडर **(2001)** ने पाया कि सीखने की रणनीतियों की कमी और अक्सर सामाजिक अध्ययन से जुड़े अर्थहीन पठनकार्य के कारण कई छात्र निराश, विचलित और ऊबने लगते हैं **[7]**। सामाजिक विज्ञान के निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में हुई चूक की समीक्षा उन शिक्षकों के संदर्भ में की जा सकती है, जिन्हें सामग्री, विधियों और उपयुक्त तकनीकों में महारत हासिल नहीं है, अर्थात वे पारंपरिक उपागमों का उपयोग करते हैं। पुराने उपागमों को जैसे का तैसा फिर से निर्देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि विद्यार्थी में व्यावहारिक और सामाजिक-भावनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना वयस्कता में मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति है **[8]**।

अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूलों के सहयोग से इस प्रकार के रोकथाम कार्यक्रमों को शुरू करने से समस्याओं के विकास को शीघ्र रोका जा सकता है, जो जरूरतमंद कई बच्चों को लागत-प्रभावी सेवाएँ प्रदान करते है **[9]** और स्कूल से जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जो सकारात्मक रूप से स्कूल में अकादमिक, व्यावहारिक और सामाजिक सफलता से संबंधित है **[10]**। आजकल सीखने के लिए सही रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सक्रिय तत्व शामिल हों; वह अभिनव, रचनात्मक, प्रभावी, मज़ेदार और सीखने की शैली पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी रणनीति छात्र-अनुकूल होनी चाहिए, जहाँ छात्र निर्देशात्मक प्रक्रिया में भाग लेने में सहजता महसूस करें। परिणामस्वरूप, शिक्षण प्रक्रिया आयाम जहां सीखने के संदर्भ में शिक्षक उन्मुख हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता हैं; समय के साथ गायब हो गए हैं। इसलिए, निर्देशात्मक उपागम को चुनने और लागू करने में शिक्षकों की रचनात्मकता ही शिक्षण प्रक्रिया और सीखने के परिणामों को निर्धारित करती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि एक निर्देशात्मक उपागम को चुनने में शिक्षकों की सटीकता छात्रों के सीखने के परिणामों को प्रभावित करेगी **[11]**। शिक्षण के नए दृष्टिकोण स्कूल की अवधारणा और सीखने के तरीकों की गुणवत्ता में अंतर करते हैं। वर्तमान में पारंपरिक शिक्षण विधियों और तकनीकों को छोड़ दिया गया है और ऐसी गतिविधियाँ जिनमें छात्र सीखने की प्रक्रिया के हर चरण में सक्रिय हैं, को ज्यादा महत्व दिया गया है। समूह समस्या-समाधान और सहकारी शिक्षण विधियों से जुड़े शिक्षण अभ्यास; यहाँ छात्र अपने मस्तिष्क से ज्ञान अर्जन करते हैं, आधुनिक रचनावादी शिक्षा का आधार हैं। शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों से प्रभावित होती है **[12]**। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह धारणा सही है कि छात्रों के पिछले अनुभव, पर्यावरण की स्थिति और आनुवंशिक गुण उनके सीखने के तरीके और क्षमता को प्रभावित करते हैं **[13]**। क्योंकि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, छात्रों को खुद को महसूस करने और व्यक्तिगत अर्थ उत्पन्न करने के लिए इन कारकों पर विचार करना आवश्यक है। इस कारण से, छात्रों को ऐसी गतिविधियाँ करने की आवश्यकता है जो उनके व्यक्तिगत क्षेत्रों और रुचियों के अनुकूल हों ताकि वे सभी पहलुओं में अपने विकास को सक्षम कर सकें। टॉमलिंसन **(2007)** के अनुसार, एक शिक्षक जो इसके बारे में जानता है वह छात्रों के अलग-अलग अनुभव और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार सीखने की गतिविधियों को तैयार करेंगे **[2]**। कोल्ब **(1984)** ने सीखने की शैली को धारणा और प्रसंस्करण चरणों में व्यक्ति द्वारा पसंद की जाने वाली विधि के

रूप में पारिभाषित किया है **[14]**। डन एंड डन **(1993)** ने सीखने की शैली को प्रत्येक छात्र द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके के रूप में पारिभाषित किया है जो छात्र द्वारा नई और कठिन शैक्षणिक जानकारी या कौशल के अध्ययन की शुरुआत के साथ शुरू होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि अपनाई गई नयी जानकारी और कौशल मस्तिष्क में स्थानांतरित नहीं हो जाती **[15]**। छात्रों की सीखने की शैली का निर्धारण शिक्षकों को छात्रों के लिए लक्षित शिक्षण संदर्भों के विकास के लिए अपनाई जाने वाली विधि के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद कर सकती है **[16]**। एक शिक्षक जो छात्रों की सीखने की शैली के बारे में जानता है, उसे छात्रों की विशेषताओं के अनुसार सीखाने के संदर्भ को व्यवस्थित करने में कठिनाई नहीं होगी। नतीजन, वे छात्रों की सीखने की शैली के अनुसार अपनी शिक्षण शैली का आयोजन करेंगे। स्केल **(2000)** इस बात पर जोर देता है कि इस तरह से सीखने के माहौल का छात्र की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा **[17]**। 'सीखने के संदर्भ' जो विभिन्न सीखने की शैलियों के अनुसार इस धारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं कि प्रत्येक छात्र एक अनूठी शैली में सीखता है, सभी छात्रों की जरूरतों और रुचियों को पूरा करने में सक्षम होगा। परिणामस्वरूप, छात्र अधिक प्रेरित होंगे और कक्षा में भाग लेंगे **[18]**। एक शैक्षिक उपकरण जो सीखने की शैलियों की व्यवहारवादी धारणाओं को एकीकृत करके कक्षा में एक शैक्षिक लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है, वह डॉ. बर्निस मैकार्थी द्वारा विकसित **4MAT** पद्धति है। यह शिक्षण रणनीति सीखने की शैली के सिद्धांत से विचारों को निर्देशात्मक रणनीति में परिवर्तित करती है।

निष्कर्ष

इस समीक्षात्मक शोध पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल जानकारी के हस्तांतरण का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के समग्र विकास का एक सशक्त उपकरण है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक क्षमताओं का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक क्षमता बच्चों को उपयुक्त सामाजिक व्यवहार, प्रभावी सहयोग, सहानुभूति और संवाद कौशल विकसित करने में सहायक होती है, न केवल उनकी शैक्षणिक सफलता बल्कि उनके जीवन भर के विकास में सहायक होती है। यह भी देखा गया कि सामाजिक विज्ञान जैसे विषय इन क्षमताओं को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही, यह आवश्यक है कि शिक्षण विधियाँ छात्र-केंद्रित, रचनात्मक, और लचीली हों, जो विद्यार्थियों की सीखने की विविध शैलियों को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाएं। शिक्षकों को चाहिए कि वे केवल ज्ञान प्रदाता न रहकर, एक मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाएं। अंततः, शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए जो न केवल बौद्धिक रूप से सक्षम हों, बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार, भावनात्मक रूप से संतुलित और नैतिक रूप से सजग हों।

सन्दर्भ

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार **(2020)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf** से लिया गया **(20** मई, **2022** को देखा गया)।
2. टॉमलिंसन, सी.ए., छात्र की जरूरतों के आधार पर विभेदित शिक्षा, इस्तांबुल: रेडहाउस एजुकेशन बुक्स, **2007**

3. डेल प्रेट, ए., डेल प्रेट, व., जे.ड.एपी., बचपन में सामाजिक कौशल का मनोविज्ञान: सिद्धांत और व्यवहार, पेट्रोपोलिस: वोजेस, **2005**
4. बसरथ, एल., आचरण विकार: एक बायोप्सीकोसियल समीक्षा, मनश्चिकित्सा के कनाडाई जर्नल, **46, 609-616, 2001**
5. विल्करसन, के.एल., पेर्जिगियन, ए.बी.टी., शूर, जे.के., समावेशी कक्षा में सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, वाशिंगटन: गिलफोर्ड प्रकाशन, **2014**
6. गवर्नेले, जे., सामाजिक अध्ययन के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण में सुधार, (एरिक दस्तावेज़ उत्पादन सेवा संख्या **ED424173), 1997**
7. कैरोल, एल., व लिएंडर, एस., सक्रिय शिक्षण रणनीतियों के उपयोग के माध्यम से छात्र प्रेरणा में सुधार करना, एरिक दस्तावेज़ पुनरुत्पादन सेवा संख्या **ED455961, 2001**
8. ओ'कोनेल, एम.ई., बोट, टी., व वार्नर, के.ई., युवा लोगों में मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों को रोकना: प्रगति और संभावनाएं, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रेस, **2009**
9. हॉगवुड, के., व इरविन, एच., बच्चों के लिए स्कूल आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता: **10** साल की शोध समीक्षा, जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज, **6, 435-451, 1997**
10. ब्लम, आर. डब्ल्यू., व लिब्बी, एच.पी., स्कूल से जुड़ाव: किशोरों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों को मजबूत करना, जर्नल ऑफ स्कूल हेल्थ, **74, 231–232, 2004**
11. जारोलिमेक, जे., प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक अध्ययन, न्यूयॉर्क: मैकमिलन कंपनी इंक, **2002**
12. होय, डब्ल्यू. के., व वूलफोक, एई., शिक्षक'' प्रभावकारिता और संगठनात्मक की भावना स्कूलों का स्वास्थ्य, प्राथमिक स्कूल जर्नल, **93(4), 355-372, 1993**
13. अकटास, आई., व बिलगिन, आई., 7वीं कक्षा के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की सीखने की शैली में **4MAT** मॉडल को लागू करने के प्रभाव की जाँच, एरिज़िन यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट, **5(1), 3-63, 2012**
14. कोल्ब, डी., अनुभवजन्य शिक्षा: सीखने और विकास के स्रोत के रूप में अनुभव, एंगलवुड क्लिफ्स, न्यू जर्सी: प्रेंटिस-हॉल, **1984**
15. डन, आर.एस., व डन के.जे., माध्यमिक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों के माध्यम से पढ़ाना, बोस्टन, मास: एलिन बेकन, **1993**
16. अकोयुनलू, बी., स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और शिक्षकों की भूमिका, हैकेटपे यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जर्नल, **11, 105-109, 1995**
17. स्केल, एवाई इंट्रोडक्टरी इंजीनियरिंग/तकनीकी ग्राफिक्स कोर्स में कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सीखने पर सीखने की शैली, प्रमुख और लिंग का प्रभाव, अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए, **2000**
18. मैक्कार्थी, बी., कक्षा में **4**एमएटी पढ़ाने के बारे में इलिनोइस: लर्निंग, इंक के बारे में, **2000**

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा शब्दावली की महत्ता

Ms. Janki Srivastava[1], Dr. Vartika Srivastava[2] & Dr. Pratibha Rai[3]

परिचय:

आज के डिजिटल युग में जहां प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में गहराई से शामिल हो गई है साइबर वेलनेस की अवधारणा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर वेलनेस इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के सकारात्मक कल्याण और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी, सुरक्षा और नैतिकता के साथ नेविगेट करने की उनकी क्षमता को संदर्भित करती है। साइबर खतरों में वृद्धि के साथ, साइबर वेलनेस को समझना और उसका अभ्यास करना अब वैकल्पिक नहीं है—यह एक आवश्यकता है। यह लेख साइबर वेलनेस के महत्व, हाल के साइबर खतरों की शब्दावली और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली की व्याख्या करता है।

2023 में हुए MOVEit रैंसमवेयर हमले ने लाखों उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा को प्रभावित किया, जिससे डिजिटल सुरक्षा की अनिवार्यता स्पष्ट हुई (साइबर सुरक्षा रिपोर्ट, 2023)। इसी तरह, हाल ही में एक फिशिंग घोटाले में Gmail उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी लॉगिन जानकारी चुरा ली गई (साइबर थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट, 2024)। 2024 में एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के डेटा उल्लंघन ने 10 मिलियन से अधिक रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया (हेल्थकेयर डेटा ब्रीच रिपोर्ट, 2024)। वहीं, 2024 में फिर सक्रिय हुए Emotet मैलवेयर ने बैंकिंग प्रणालियों को निशाना बनाते हुए वित्तीय डेटा की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया (मैलवेयर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, 2024)। डीपफेक तकनीक का उपयोग कर साइबर अपराधियों ने सीईओ की आवाज़ और चेहरे की नकल करते हुए धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन को मंजूरी दिलवाई (एआई और साइबर क्राइम स्टडी, 2024)।

भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित हुए हैं, जो देश के साइबर खतरों, कानूनी ढांचे, और सुरक्षा उपायों पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, Nayak & Panda(2015) के चैलेंजेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी शोधपत्र भारत में साइबर सुरक्षा के मुद्दों और चुनौतियों का गहन विश्लेषण किया है, जिसमें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, Gumbi,(2018). ने एक तुलनात्मक अध्ययन में भारत और यूनाइटेड किंगडम के साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण कानूनों की तुलना की है, जिसमें दोनों देशों के कानूनी ढांचे में मौजूद अंतराल और चुनौतियों की पहचान की गई है। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भारत में साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचे, उन्नत तकनीकी उपायों, और साइबर जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है ताकि बढ़ते साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है कि हम उन खतरों को पहचानेंI यह बहुत आIवशयक है कि हम साइबर क्राइम की शब्दावलियाँ से परिचित हों। कुछ साइबर खतरों से संबंधित शब्दावलियाँ इस प्रकार से हैं:

1. **मैलवेयर (Malicious Software)**: मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **उदाहरण** के लिए वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर।

2. **फिशिंग (Phishing):** फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि प्राप्त करना ईमेल या संदेश के माध्यम से नकली लिंक भेजना।

3. **रैंसमवेयर (Ransomware):** रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो पीड़ित के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे रिलीज़ करने के लिए फिरौती (रैंसम) की मांग करता है। उदाहरण के लिए WannaCry, Locky, NotPetya, CryptoLocker, Maze, Bad Rabbit आदि।

4. **डेटा उल्लंघन (Data Breach):** डेटा उल्लंघन तब होता है जब अनधिकृत व्यक्ति किसी संगठन के संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। **उदाहरण** के लिए हैकर्स द्वारा क्रेडिट कार्ड नंबर या व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना।

5. **सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering):** सोशल इंजीनियरिंग एक तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए प्रेरित करते हैं। **उदाहरण** के लिए फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से व्यक्ति को विश्वास दिलाना कि वे एक विश्वसनीय संस्था हैं।

6. **जीरो-डे एक्सप्लॉइट (Zero-Day Exploit):**जीरो-डे एक्सप्लॉइट एक साइबर हमला है जो सॉफ़्टवेयर में कमजोरी की खोज के उसी दिन होता है, जब तक कि एक सुधार (पैच) उपलब्ध नहीं हो जाता। **उदाहरण** के लिए हैकर्स द्वारा नए सॉफ़्टवेयर कमजोरियों का तुरंत दुरुपयोग करना।

7. **बॉटनेट (Botnet):** बॉटनेट एक नेटवर्क है जिसमें कई कंप्यूटर शामिल होते हैं जो मैलवेयर से संक्रमित होते हैं और हैकर्स द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए DDoS हमलों (Distributed Denial of Service) के लिए बॉटनेट का उपयोग करना।

8. **डीडीओएस हमला (DDoS Attack):** डीडीओएस (Distributed Denial of Service) हमला एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें किसी वेबसाइट या नेटवर्क को ट्रैफ़िक की अत्यधिक मात्रा से अभिभूत कर दिया जाता है, जिससे वह उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए हैकर्स द्वारा किसी ऑनलाइन सेवा को बंद करने के लिए DDoS हमला करना।

9. **ट्रोजन हॉर्स (Trojan Horse):** ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर है जो खुद को एक वैध सॉफ़्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में यह सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए एक नकली सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने के बाद सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाना।

10. स्पाईवेयर (Spyware): स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है और उस जानकारी को हैकर्स को भेजता है। उदाहरण के लिए कीस्ट्रोक्स लॉगर्स (Keystroke Loggers) जो पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी चोरी करते हैं।

11. मैन-इन-द-मिडल अटैक (Man-in-the-Middle Attack): इस हमले में, एक हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करता है और उनके बीच के डेटा को चोरी या हेरफेर करता है। उदाहरण के लिए पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क पर डेटा चोरी करना।

12. एडवेयर (Adware): एडवेयर एक प्रकार का सॉफ़्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को विज्ञापन दिखाता है, अक्सर अनचाहे और अत्यधिक मात्रा में। उदाहरण के लिए ब्राउज़र में पॉप-अप विज्ञापन दिखाना।

13. डीपफेक (Deepfake): डीपफेक एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग करके बनाए गए सिंथेटिक मीडिया हैं, जो वास्तविक व्यक्तियों की छवियों, वीडियो या ऑडियो को हेरफेर करते हैं। यह तकनीक न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए नकली वीडियो जिसमें किसी व्यक्ति को ऐसा बोलते हुए दिखाया जाता है जो उन्होंने कभी नहीं कहा।

महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा **शब्दावली**

1. **फ़ायरवॉल:** फ़ायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली जो पूर्वनिर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी और नियंत्रण करती है।
2. **एन्क्रिप्शन:** अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
3. **दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA):** एक खाते तक पहुंचने से पहले उपयोगकर्ताओं को दो प्रकार की पहचान प्रदान करने की आवश्यकता वाली सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत।
4. **जीरो-डे एक्सप्लॉइट:** एक साइबर हमला जो सॉफ़्टवेयर में कमजोरी की खोज के उसी दिन होता है, जब तक कि एक सुधार उपलब्ध नहीं हो जाता।
5. **सोशल इंजीनियरिंग:** मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए प्रेरित करना।
6. **एन्क्रिप्शन (Encryption):** एन्क्रिप्शन डेटा को कोड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है ताकि अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके।

साइबर वेलनेस में साइबर सुरक्षा शब्दावलियों का महत्व

साइबर वेलनेस व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक विवरण, सोशल मीडिया खाते और निजी संचार, को अनधिकृत पहुंच से बचाने में सक्षम बनाती है। साइबर वेलनेस स्वस्थ ऑनलाइन आदतों को बढ़ावा देती है, जिससे साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल उपकरणों की लत के जोखिम कम होते हैं। जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देकर, साइबर वेलनेस सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी डिजिटल

वातावरण बनाने में मदद करती है। साइबर हमले अक्सर व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय नुकसान का कारण बनते हैं। साइबर वेलनेस उपयोगकर्ताओं को घोटालों को पहचानने और उनसे बचने के लिए शिक्षित करती है। हाल के साइबर खतरे जो साइबर वेलनेस की आवश्यकता को उजागर करते हैं

साइबर सुरक्षा शब्दावलियों के माध्यम से साइबर वेलनेस को कैसे बढ़ावा दें?

इन सभी खतरों को देखते हुए यह समझ में आता है की साइबर वैलनेस की जागरूकता से ही इन खतरों से बचा जा सकता है। नवीनतम साइबर खतरों और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में नियमित रूप से खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। विभिन्न खातों के लिए जटिल, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करें। कंप्यूटर कमजोरियों से बचने के लिए अपने उपकरणों और सॉफ़्टवेयर को अपडेट रखें। अनसोलिसिटेड ईमेल, संदेश या लिंक से सावधान रहें और क्लिक करने से पहले उनकी प्रामाणिकता सत्यापित करें। अपनी डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर, फ़ायरवॉल और वीपीएन स्थापित करें।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे साइबर खतरे विकसित हो रहे हैं, साइबर वेलनेस के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। साइबर खतरे लगातार विकसित हो रहे हैं, और इनसे निपटने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को साइबर सुरक्षा शब्दावली की समझ, नवीनतम सुरक्षा उपायों और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को अपनाना होगा। शिक्षा, मजबूत पासवर्ड प्रथाएं, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट और आलोचनात्मक सोच जैसे उपायों के माध्यम से साइबर जोखिमों को कम किया जा सकता है। साइबर वेलनेस को प्राथमिकता देकर, हम न केवल अपनी डिजिटल संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित और समावेशी साइबरस्पेस का निर्माण भी कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा शब्दावली की समझ और इसके प्रति जागरूकता ही भविष्य में साइबर अपराधों से लड़ने की कुंजी है। इसके अलावा, सरकारों, निजी संगठनों और शिक्षण संस्थानों को मिलकर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ साइबर कानूनों को मजबूत करना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पर हर उपयोगकर्ता को अपनी डिजिटल गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक, ईमेल या संदेशों से सावधान रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। साइबर वेलनेस को अपनाकर हम न केवल अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि डिजिटल दुनिया में विश्वास और सुरक्षा का माहौल भी बना सकते हैं। जोखिमों को समझकर और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को अपनाकर, व्यक्ति और संगठन साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से खुद को बचा सकते हैं। एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बनाने के लिए साइबर वेलनेस को प्राथमिकता देना आवशयक है I

सहायक सामग्री:

- BBC News (2024). *Deepfake Used to Impersonate CEO in Fraudulent Transaction*.
- CISA (2023). MOVEit Ransomware Attack: What You Need to Know. U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.
- Gumbi, D. (2018). Understanding the threat of cybercrime: A comparative study of cybercrime and the ICT legislative frameworks of South Africa, Kenya, India, the United States and the United Kingdom'.
- HIPAA Journal (2024). Major Healthcare Data Breach Exposes Millions of Records.
- Krebs on Security (2024). Emotet Malware Resurfaces, Targets Banking Systems.
- Luknar, I., & Jovanović, F. (2024). Various types of cyber threats. *Srpska politička misao*, *83* (1), 161-177.
- MIT Technology Review (2024). *The Rise of Deepfake Scams and Their Impact on Society*.
- Nayak, S. K., & Panda, C. S. (2015). A Study of Cyber Security Issues and Challenges on Latest Technologies in India. *International Journal of Management, IT and Engineering*, *5*(11), 136-146.
- NIST (2023). Cybersecurity Framework: Improving Critical Infrastructure Cybersecurity. National Institute of Standards and Technology.
- Spirito, C. M. (2023). *M3ct-23in1104033-implementation of an ics ransomware testbed (final)* (No. INL/RPT-23-75111-Rev000). Idaho National Laboratory (INL), Idaho Falls, ID (United States).
- UNICEF (2023). Cyber Wellness: Protecting Children in the Digital Age.

Authors' detail:

1.Ms. Janki Srivastava, Research Scholar, Amity Institute of Education, Amity University Uttar Pradesh, jsrivastava1@lko.amity.edu

2.Dr. Vartika Srivastava, Assistant Professor & Research Guide, Amity University Uttar Pradesh, vsrivastava@lko.amity.edu

3.Dr. Pratibha Rai, Associate Professor & Head, K.S. Saket PG College, Ayodhya, Pratibharaii1963@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का समाज-वैज्ञानिक अध्ययन

डा0 धनंजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड़)
मो0न0-9451301712
Email-dsbhu2008gmail.com

शोध सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन सुधार के रूप में सामने आई है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशित विकास को बढ़ावा देना, और समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता लाना है। यह नीति विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी सशक्त बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, तकनीकी नवाचार, और समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है।

इस अध्ययन में समाज-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों का विश्लेषण करना है। जिसमें विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा को सभी वर्गों, जातियों, धर्म और लिंगों के लिए समान अवसर प्रदान करना शामिल है। इस नीति के माध्यम से भारत में शिक्षा में लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, क्षेत्रवाद और अन्य सामाजिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जा सके। इस अध्ययन में यह सिद्ध किया जा सके कि NEP 2020 माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से समाज में सामाजिक न्याय, समानता, और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली और दूरदर्शी कदम सिद्ध हो सके।

मुख्य शब्द- राष्ट्रीय, शिक्षा, नीति, आयोग, विश्वविद्यालय, समिति, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, संवैधानिक शिक्षा।

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है और यह समाज के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। भारतीय समाज में शिक्षा न केवल व्यक्तित्व का विकास का माध्यम है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, समावेशिता और समृद्धि की दिशा में भी एक प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार है। जिसका उद्देश्य न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी है। यह नीति सभी स्तरों पर शिक्षा को समग्र, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बनाई गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रभाव का समाज-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की संरचना और उसमें सुधार लाने के लिए समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और

सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम करती है। इस अध्ययन में यह भी देखने का प्रयास किया जायेगा कि यह नीति भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में समावेशित विकास और समानता को किस तरह बढ़ावा देती है।

माध्यमिक शब्द का अर्थ है-मध्य की। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा है। अंग्रेजी में इसके लिए Secondry शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है-दूसरे स्तर की, पहले स्तर की प्राथमिक और उसके बाद दूसरे स्तर की यह सेकेण्डरी शिक्षा आज किसी भी देश में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी होती है।

हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा केवल दो स्तरो में विभाजित रही-प्राथमिक और उच्च शिक्षा। 1510 में पुर्तगाली व्यापारी और पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। उन्होंने गोवा, कोचीन और बांन्द्रा में प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ कुछ माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी की, परन्तु इन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप आज की माध्यमिक शिक्षा से भिन्न था। इनके बाद हमारे देश में 1613 में ब्रिटेनी व्यापारी एवं ब्रिटेनी व्यापारी एवं ब्रिटेनी ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, 1667 में फ्रांसीसी व्यापारी एवं फ्रंसीसी ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ और 1680 में डेन व्यापारी एवं डेन ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। इनमें से ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों का योगदान सबसे अधिक रहा। 1617 में प्रिंगल ने मद्रास में अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक स्कूल की स्थापना की। 1715 से 1731 के बीच बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में इस प्रकार के कई अन्य माध्यमिक स्कूल खोले गए।[1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य और दृष्टिकोण (Objective and Approach of NEP 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तैयार की गई है। यह नीति भारत को एक वैश्विक शिक्षा में महाशक्ति बनाने की दिशा में काम करती है। तथा साथ ही समाज में समावेशित विकास, समानता, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। जिनमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से सभी शैक्षिक योजनाओं का सामाजिक समावेशित विकास और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना शामिल किया गया है।[2]

इस माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि इस स्तर पर शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण हो। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली में लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक भेदभाव और अन्य सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सके।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए NEP 2020 की प्रमुख सिफारिशें (Key Recommendations of NEP 2020 for Secondry Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा की संरचना को पुनः व्यवस्थित करने की सिफारिश की गई है ताकि यह अधिक समावेशीत और विकासोन्मुख हो सके। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं।

- समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और देशभर के सभी राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों मे लगभग सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है।
- स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करने की आवश्यकता होगी, जो स्कूलों में होने वाले नवाचारों को सीमित दायरे ने नहीं रखेगा।
- यह शिक्षकों, प्रधानाचार्यो और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नही पहुंचाएगा। विनियमन को स्कूलों और शिक्षको को विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखने कि आवश्यकता होगी। जिससें वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और सभी वित्त, प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किये जाने के माध्यम से प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करेंगें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नियामक व्यवस्था जहां एक तरफ लाभ के लिए खोले गए अधिकतर फार-प्रोफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यावसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है। वहीं, दूसरी तरफ ये अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी/परोपकारी स्कूलों को हतोस्ताहित करता है।
- सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक विषमता रही है जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गुणवत्तापुर्ण शिक्षा प्रदान करना।[3]

नई संरचना (New Structure)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, 10+2 की परंपरागत शिक्षा प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 के मॉडल में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढ़ांचे शामिल नहीं है क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नये 5+3+3+4 ढ़ांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें। यह संरचना विद्यार्थियों को उनके विकास के अनुसार उपयुक्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है।

स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढ़ांचे को पुनर्गठित किया जायेगा ताकि 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के अनुसार उनकी रूचियों और विकास की जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढ़ांचे और पाठयक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज (दो भागो में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल+प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष बच्चों सहित), प्रिपेरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित) मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित), और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12, दो फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।[4]

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSC)

स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-2021, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धान्तों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंन्द्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जायेगा, और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं मं अपलब्ध कराया जायेगा। उसके बाद एपसीएफएसई दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा।[5]

अंतरविषयक शिक्षा (Interdisciplinary Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, वाणिज्य और मानविकी जैसे विभिन्न विषयों में पारस्परिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने की सिफारिश की गई है। जिससे विद्यार्थी उन विषयों का चुनाव कर पाएंगे, जिनमें वे परीक्षा देने में रूचि रखतें है और प्रत्येक स्कूल प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियो को देख पायेगा और विद्यार्थियों की रूचि और प्रतिभाओं के मुताबिक उन्हें अपने कार्यक्रमों में प्रवेश दे पायेंगे। इस तरह की शिक्षा से छात्रों में व्यापक सोच और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करेगा।[6]

तकनीकी शिक्षा और डिजिटल शिक्षण (Technological Education and Digital Learning)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्लेटफार्मों का व्यापक रूप से उपयोग करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा तथा तकनीकि शिक्षा के क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म और क्रियान्वित आईसीटी-आधारित पहलों को को अनुकूल और विस्तारित करना होगा।[7]

समतामूलक और समावेशी शिक्षा (Equitable and Inclusive Education)

शिक्षा, समाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है किन्तु आज भी असमानता देखी जा सकती है-विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) इन समूहों को लिंग (विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक सांस्कृतिक पहचान (जैसे-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे-गांव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता-सीखने से संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (जैसे-प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल-

तस्करी के शिकार बच्चे या बाल-तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनात बच्चे जिनमें में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।[8]

यू-डीआईएसई 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के है, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह कम होकर 17.3 प्रतिशत हो गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 10.6 से घटकर 6.8 प्रतिशत हो गया है। उसी तरह दिव्यांग बच्चों के नामांकन 1.1 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत हो गया है। यदि देखा जाय तो उच्चतर शिक्षा के नामांकन में बहुत अधिक गिरावट देखने को मिला है।[9]

मूल्य आधारित शिक्षा (Value based Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य समाज में अच्छे सुसंस्कारिक नागरिकों का निर्माण करना है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा। नवीन पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगें। मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल है, मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य और सत्य, नेक आचरण (धर्म), शांति, प्रेम अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन- कौशल, सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमो में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अग होगा।[10]

माध्यमिक शिक्षा के समाज-वैज्ञानिक प्रभाव (Sociological Impect of Secondary Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह छात्रों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में अहम भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाज-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा को देखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को समान अवसर मिलें। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं।

(अ)सामाजिक समानता (Social Equality)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के समान वितरण पर जोर दिया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें। यह नीति विशेष रूप से, उन बच्चों को प्राथमिकता देती है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित हैं, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। सामाजिक-आर्थिक रूप से पृष्टभूमि के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुॅचाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विद्यालयों और स्कूलो को उच्च गुणवत्ता वाले सहायता केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढ़ंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिये जाने की आवश्यकता होगी।

(ब) लैंगिक समानता (Gender Equality)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष योजनाओं की रणनीति बनायी गई है। जिसमें लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने पर जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम में लैगिंक समानता, महिला सशक्तिकरण और

भेदभाव के खिलाफ विचारों को शामिल किया जायेगा। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही लैगिंक समानता के महत्व और महिला अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे बड़े होकर समाज में लैगिक समानता की दिशा में काम कर सकें। सरकार द्वारा अपनाया गयी योजना ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' में विशेष रूप से छात्राओं को सुविधा प्रदान कर लैगिंक असमानता को दूर किया जा सकें।

(स) जातिवाद और असमानता का उन्मूलन (Elimination of Casteism and Inequality)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जातिवाद को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव है। इसमें सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ, और विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े और अन्य सामाजिक रूप से सामानता लाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, शैक्षिक संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कड़े नियमों को लागू किया गया है। यह नीति भारतीय समाज में जातिवाद और असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

(द) समाज में सामाजिक बदलाव (Social Change in Society)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माध्यमिक शिक्षा से समाज में बडा बदलाव संभव है। छात्रों को केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। इसमें समाज में रहने और समाजिक मूल्य तथा नैतिकता को विशेष रूप से छात्रों को सिखाने और उनको व्यवहारिक रूप लागू करने का प्रयास किया जायेगा। जिससे भारत में सामाजिक परिर्वतन लाने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा में सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।[11]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और उच्च शिक्षा की दिशा (NEP-2020 and the Direction of Higher Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का एक प्रमुख लक्ष्य उच्च शिक्षा में सुधार करना भी है। हालांकि यह शोध पत्र मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित है, लेकिन इसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक सुधारात्मक नीति है, जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को एके नयी दिशा देने का प्रयास करती है। इस नीति का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं, अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हों।[12]

निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बढाना है। माध्यमिक शिक्षा में इन सुधारों के प्रभाव से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढावा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत, शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशिता और समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जिससे भारतीय समाज में सामाजिक

और आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा, नीति में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, और मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ छात्रों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का सामाजिक-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यह नीति भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ (Refrence)

1. गुप्ता.एस. एवं अग्रवाल,जे.सी.(2009),''*भारत में प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात''*, क्षिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0सं0-09
2. गुप्ता, एस.पी एवं गुप्ता, अलका, (2012),''*भारतीय शिक्षा का इतिहास*'', शारदा पुस्तक भवन, पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 11 यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद, पृ0सं0-35
3. गर्ग, मनीष, (2022),''*सभी के लिए उत्तम शिक्षा*'', योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, लोधी रोड, नयी दिल्ली, पृ0सं0 23-28
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0सं0-25
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0सं0-75
6. पचैरी, गिरीश,(2006*), ''शिक्षा के सामाजिक आधार* '', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ0सं0-47
7. बख्शी, एन.एस. (2014*)''भारतीय शिक्षा का ज्ञानकोश*'', लक्ष्य पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0सं0-167
8. राव, डी.बी. (1998)''*नेशनल पालिसी आन ऐजुकेशन*'', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ0सं0- 523
9. वैश्य, एल.पी (1998)''*उच्च शिक्षाः दशा एवं दिशा*'', रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0सं0-32
10. सिंह, अविनाश कुमार (2022*), ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020''*, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, लोधी रोड, नयी दिल्ली, 2022, पृ0सं0 7-10
11. लाल, प्रो0 रमन बिहारी, कान्त, डा0 कृष्ण (2024),''*भारतीय शिक्षा का इतिहास*'', विकास एवं समस्याएं, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ0सं0 385-390
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0सं0-62

वैदिक जीवन पद्धति की वर्तमान प्रासंगिकता

डॉ. मोहिनी आर्या
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय
अणुसंकेत – mohiniarya12@gmail.com
दूरभाष – 8826357891

संसार विचित्र वस्तुओं की एक सुन्दर निर्मिति है। इसमें एक को प्राप्त कर लेने पर उत्तरोत्तर अन्य की प्राप्ति की प्रबल इच्छा बनी रहती है। मनुष्य में पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकैषणा की ऐसी पिपासा है, जिसे कभी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है परन्तु मनुष्य संसरणशील जगत् में निरन्तर एकोद्दिष्ट होकर धावमान है। वह कभी पीछे मुड़कर अपने कर्मों का विचार ही नहीं करता है कि कितने अकार्यों को कर्तव्य मानकर, अधर्म को धर्म मानकर, अज्ञान को ज्ञान मानकर अपने उद्देश्यों को पूरा करता है , इसलिए समस्त ऐश्वर्य और भौतिक सुख-साधनों को प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य अनेक प्रकार की विभीषिकाओं एवं व्याधियों से ग्रस्त है। समाज में सर्वत्र अव्यवस्था, अधर्म और अपराध आदि की अधिकता भयंकररूप में बढ़ती जा रही है । इन समस्याओं को सुलझाने के अनेक सरकारी गैरसरकारी तथा अधिक या कम साध्य उपाय तो कर लिए जाते हैं, जो कुछ समय तक समस्या का समाधान करते हैं किन्तु शाश्वत निराकरण संभव नहीं हो पा रहा है। इन समस्याओं का मूल कारण क्या है? नीतिकारों ने सुस्पष्ट किया है- **सुखस्य मूलं धर्म**:[1]

अर्थात् सुख का मूल तो धर्म है और धर्म का मूल वेदार्थ है। पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म-अर्थ-काम – मोक्ष) में धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है, जिससे यह विदित है कि धर्मपूर्वक ही अर्थ और काम का संचय और भोग करना चाहिए। इस आशय को मनुस्मृतिकार ने भी स्पष्ट किया है-**वेदोऽखिलो धर्ममूलम्**[2]

अर्थात् समस्त धर्मकार्यों का मूल वेद है, वेद ही मनुष्य जीवन को प्रकाशित करने वाली सर्वप्राचीन ज्ञानराशि है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं-**बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे**[3] अर्थात् वेद में जो भी वाक्यनिष्ठ मंत्र हैं, वे बुद्धिपूर्वक प्रतिपादित किये गये हैं। वेद में कोई भी अविचार नहीं है । परमपिता परमेश्वर ने मानवमात्र के सर्वांगीण विकास तथा उसके कल्याण हेतु ही सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में इस वेदज्ञान को अवतीर्ण किया । यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के 8 वें मंत्र[4] में प्रतिपादित किया गया है, कि परमात्मा अपनी शाश्वत तथा सनातन प्रजा के लिए ही इस संसार को बनाता है और वेदों का ज्ञान भी प्रदान करता है, अतः वैदिक ज्ञान के साथ ही इस संसार का भोग करना चाहिए, यही मानव जीवन का सौन्दर्य है । वैदिक ऋषि या शास्त्र कभी भी नितान्त भोग करने की प्रेरणा नहीं देते हैं , जैसा कि महर्षि पतंजलि

---

[1] अर्थशास्त्र, सम्पादक: वाचस्पति गैरोला, वाराणसी: चौखम्भा विद्याभवन, २०१५

[2] मनुस्मृति, सम्पादक: सुरेन्द्र कुमार, पटना: बिहार राष्ट्रभाषा प्रकाशन, २००१

[3] वैशेषिकसूत्रम्, कणादमुनिप्रणीतम्, सम्पादकः-महादेवशर्मा बाक्रे, राष्ट्रियसंस्कृतसाहित्यकेन्द्रम्, जयपुरम्, २००४ (प्रथमसंस्करणम्, १९०४)

[4] यजुर्वेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

योगदर्शन में प्रकाशित करते हैं – **भोगापवर्गार्थं दृश्यम्** अर्थात् इस दृश्य जगत् का प्रयोजन भोग तथा अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्ति के लिए है ,इसलिए (विद्या) अर्थात् ज्ञान और (अविद्या) अर्थात् कर्म और उपासना के समन्वय की बात वेद में प्रतिपादित की गई है। एक में उपेक्षा-भाव और दूसरे में महत्त्व-भाव से मानव का कल्याण नहीं है। महर्षि दयानन्द जी यजुर्वेदभाष्य के 40 वें अध्याय में लिखते हैं-**ज्ञानादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है वह अज्ञानयुक्त जड़ से कदापि नहीं हो सकता और जो जड़ से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वह चेतन से नहीं। सब मनुष्यों को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना चाहिये ॥१३॥**

आज समग्र विश्व में जो भी समस्याएं हैं इन सबका मूलभूत कारण वेदज्ञान का अभाव और तदनुसार आचरण का परित्याग ही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऋषिवर दयानन्द जैसे गुरुओं ने वेदों के सत्यार्थ का पुनः प्रकाशित किया। वेदार्थ तो पहले भी थे, किंतु मंत्रों के अर्थ असत्य कल्पित किए गए। कहाँ, किस प्रकरण में मंत्र का क्या अर्थ है, इस पर योग और साधना के द्वारा महर्षि दयानन्द जी ने वेदांगों आदि को, विशिष्टतया निरुक्त को आधार बनाकर प्रसंगानुकूल यथार्थ को प्रकाशित कर विश्व को धन्य किया। महर्षि दयानन्द जी ने अपनी सूक्ष्मेक्षिका से वेदमंत्रों के आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक अर्थ किए और साथ ही यौगिक अर्थ भी किए। इसप्रकार के अर्थ करने से वेदों की महत्ता और गरिमा और बढ़ गई तथा महर्षि दयानन्द जी ने उद्घोष किया-**वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है।**

आज विश्व की सर्वविध समस्याओं का निर्मूलन वेदार्थ से दूर किया जा सकता है। व्यक्ति से लेकर समाज तक की सभी समस्यायें जिनमें भ्रष्टाचार, अधर्म, अन्याय, असामंजस्य, महिला उत्पीड़न आदि को लेकर जो भी हिंसा तथा भय का वातावरण बना हुआ है, उन सबका समाधान वेदों में सप्रमाण पदे पदे लक्षित होता है। वेद हमारे जीवन के आधार हैं। कहा भी गया है-**सर्वज्ञानमयो हि सः।**[5] वेद के अनध्याय के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में महर्षि मनु कहते हैं-

"योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः" ॥[6]

वेद का अर्थ और वेद की भावनाओं के साथ यदि हम किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रयास करेंगे तो निश्चितरूप से सफल होंगे। एस वैदिक दृष्टि से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना अत्यावश्यक है-

मानव जीवन की उत्कृष्टता

सभी ऋषि-मुनि एक स्वर में कहते हैं कि यह मानव शरीर पुण्य कर्मों का परिणाम है और इस संसार में प्रेय और श्रेय दो ही मार्ग हैं। इनमें से एक का वरण स्वभावत: हर कोई करता है। मूर्ख लोग इस मानव शरीर को पाकर प्रेय का ही अनुसरण करते हैं, किन्तु बुद्धिमान् जन इसे प्राप्त करके श्रेयस् प्राप्ति का यत्न करते हैं। मन्दमति व्यक्ति प्रेय के आकर्षण से आकृष्ट हुआ, उसको ही सर्वस्व समझता है। आत्मकल्याण को विस्मृत कर वह भौतिक सुख-साधनों को ही प्रधान समझ लेता है, जो कि स्वभावतः विनाशधर्मा हैं। इसके विपरीत श्रेय मार्ग पर जाने वाला पथिक निश्चित ही कल्याण को प्राप्त करता है। इस विषय को कठोपनिषद में बहुत सुन्दर शब्दों में प्रतिपादित किया गया है-

---

5 मनुस्मृति, सम्पादक: सुरेन्द्र कुमार, पटना: बिहार राष्ट्रभाषा प्रकाशन, २००१

6 मनुस्मृति, सम्पादक: सुरेन्द्र कुमार, पटना: बिहार राष्ट्रभाषा प्रकाशन, २००१

"अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः।
तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते" ॥ [7]

श्रेय मार्ग का वर्णन सभी वेदों और उपनिषदों में प्रतिपादित है । यह केवल कल्पनाओं और स्वप्नों का महल नहीं है, अपितु यह तप, संयम, त्याग, विद्या, दीक्षा, श्रद्धा, अहिंसा और सत्य पर ही अधिष्ठित है। ऐसे ही मानव जीवन की व्याख्या वेद करते हैं। मानव के हृदय में कुसंस्कारवश आसुरी एवं पाशविक प्रवृत्तियाँ प्रस्फुटित होकर उसको बलात् पतन की ओर उन्मुख करती हैं, अतः एक वेदमंत्र में उन दुष्प्रवृत्तियों का नाम लेकर उनसे न केवल सावधान रहने का आदेश वेद में है, अपितु उन्हें समूल नष्ट करने का उपदेश दिया है-

"उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र" ॥[8]

जिसप्रकार उल्लू अंधेरे को सर्वस्व ज्ञान का केंद्र मानता है, तथा अंधेरा ही उसे सत्य प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अविद्या ही ज्ञान ज्योतिः स्वरूपा प्रतीत होती है, अतः अज्ञान का आवरण आत्मज्ञान के प्रकाश को सदैव आच्छादित करता रहता है। ऐसे आत्महन्ता अज्ञानावृत मनुष्यों को यजुर्वेद में असुर्यलोकों का प्राप्तकर्ता कहा गया है-

"असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः।
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः" ॥[9]

घोर अज्ञान से आवृत ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में असुर तथा दैत्य आदि हैं, वे मरने के बाद गहन अंधकार से आच्छादित असुर्य लोकों को प्राप्त होते हैं, अतः मनुष्य के द्वारा अविद्या की उपासना तद्लोकगामी बनाती है। जिस प्रकार भेड़िया क्रूर और द्वेषी होता है, तद्वत् मनुष्य का आचरण होना मनुजता के लिए खतरा है, कुत्ता स्वजाति द्रोह करते हुए तदितर के पादपतन से चाटुकारिता को प्रकट करता है, मनुष्यों में ऐसे दोष देखे जाते हैं अतः उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। मनुष्य को कोक पक्षी के समान अधिक कामातुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम और क्रोध अनर्थों का मूल है। गरुड़ पक्षी को अपने सुंदर पक्ष का व्यामोह होता है, इसी प्रकार मनुष्य में नश्वर होते हुए भी धन, पद, प्रतिष्ठा आदि के कारण अत्यधिक अहंकार आ जाता है, अतः अहंकार का नाश करना चाहिए। इस प्रसंग में कठौपनिषदिक यम और नचिकेता का संवाद विशेषत: ध्यातव्य है। सभी पापों के मूल गिद्ध के समान अत्यधिक लोभ का परित्याग करना चाहिए-"**मा गृधः कस्यस्विद्धनम्"** । [10]

---

[7] कठोपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहिता, सम्पादकः वैजनाथः राजवाडे, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९३५

[8] अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

[9] ईशावस्योपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहिता, सम्पादकः राजारामः शास्त्री बोडासः, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९०५

[10] ईशावस्योपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहिता, सम्पादकः राजारामः शास्त्री बोडासः, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९०५

स्वावलंबन एवं कर्म की प्रेरणा

जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, वेद की ऋचाएं ऐसे पुरुष से मित्रता की कामना करती हैं, उसको वेद के गानरूप मंत्र प्राप्त होते हैं, तथा इस संसार का समग्र सुख उसके वरण हेतु सम्मुख हो जाता है-

"यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति ।

यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः" ॥१४॥[11]

मनुष्य को सदैव कर्मयोगी होना चाहिए, निष्काम कर्म करते हुए शत वसन्त जीने की इच्छा करनी चाहिए, इसप्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म जनित दोष से निर्मुक्त रहता है, इसलिए वेद मंत्र कर्म करने को सतत प्रेरित करते हैं-

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे"॥ २ ॥[12]

जब तक जीवन है, तब तक कर्म युक्त जीवन जीने का निर्देश श्रुति ने किया है। क्रियाशून्य होकर **अकर्मा दस्युः** की श्रेणी में मानव का आना वेद को अभीष्ट नहीं है। वेद की उद्घोषणा है-

"स्वयं वाजिँस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व ।

महिमा तेऽन्येन न सन्नशे"॥ [13]

स्वावलम्बन मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। स्वावलम्बन के बिना सुख की प्राप्ति स्वप्नमात्र है तथा पराधीन होकर परिभासमान सुख भी परिणामतः दुःखद होता है। स्वावलंबन से प्राप्त यत्किंचित् ऐश्वर्य श्री और लक्ष्मी से युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन यज्ञमय होता है-**"स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ।**[14]

वेद में मनुष्य की जिस उन्नति की सीमा को निर्धारित किया गया है, वह मानव योनि में ही संभव है, वेद उसको निरन्तर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है –

उत्क्रामतः पुरुषमाव पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः

इसीप्रकार

"उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि"। [15]

सौमनस्य एवं सौहार्द –

वेद में सौहार्दभावना अप्रतिम है, बिना किसी भेदभाव के श्रुति सभी को प्रेमपूर्वक रहने का आदेश देती है। कोई भी व्यक्ति घृणा को कभी भी अपने हृदय में स्थान न दे, सभी को इस भूमि माता का पुत्र कहकर वेद में संबोधित किया गया है-**"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"।**[16] इस सहृदयता के लिए वेदज्ञान आवश्यक है-

---

11 ऋग्वेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

12 ईशावस्योपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहिता, सम्पादकः राजारामः शास्त्री बोडासः, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९०५

13 यजुर्वेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

14 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

15 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

16 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

"सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या" ॥[17]

मनुष्य अपने परिवार के संस्कारों का ही प्रसार समाज में करता है ,जिसका परिवार में जैसा व्यवहार होगा, वैसा ही समाज में भी यश और अपयश प्राप्त होगा। वेद में पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार के प्रति अतिरमणीय आदेश प्राप्त होता है-

"अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥२॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया" ॥३॥[18]

मनुर्भव-

देखा जाता है कि प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की कोई न कोई विशेष अभिलाषा होती है कि मैं अभियंता, चिकित्सक, प्रोफेसर, वकील, वैज्ञानिक आदि बनूं और तदनुसार वह प्रयत्न भी करता है। वेद इसमें मार्गदर्शन करता है कि ये सभी महत्वाकांक्षायें मानव में होनी चाहियें क्योंकि ये सभी उसके अभ्युदय के स्त्रोत के रूप ही हैं किन्तु वेद का सार तो यही है कि मनुष्य कुछ भी बने उससे पूर्व उसे मनुष्य तो होना ही चाहिए क्योंकि मनुष्यता समग्र उपलब्धियों का प्राणरूप है, जो व्यक्ति मनुष्यता के द्वार तक स्वयं को पहुंचा देता है तत्क्षण उसके लिए देवत्व का द्वार भी उद्घाटित होता है ,इसलिए वेद में अत्यन्त उदारता से मनुष्य को मानव बनने का निर्देश **मनुर्भव** द्वारा किया गया है-

"तन्तुं तन्वन्रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् ।

अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्" ॥[19]

आज संसार में भ्रष्टाचार उन लोगों से नहीं फैल रहा है जो कि भोजन वस्त्र आदि से दरिद्र हैं अपितु भ्रष्टाचार उन लोगों से फैल रहा है, जिनके पास सब कुछ है। बड़ी बड़ी उपाधियाँ , धन तथा पद आदि हैं, अतः यह समझना कि मूल समस्या गरीबी है, गलत है। आज समाज की दृष्टि से मूल समस्या मानव को मानव बनाने की है। आज हम समाज में जिन पाशविक वृत्तियों और स्वार्थपरायणता को सर्वत्र देख रहे हैं उसका कारण मानवीय मूल्यों और संस्कारों का ह्रास है। यदि इसका कोई समाधान दिखाई देता है, तो वह है "वैदिक जीवनशैली का परिपालन एवं अनुकरण"। इसके लिए तपोनिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं और आचार्यों के सान्निध्य तथा संरक्षण में गुरुकल पद्धति तथा आश्रम व्यवस्था ही अनुकरणीय है। अतः मनुष्य को स्वभावप्राप्त आचरण या व्यवहार का परित्याग करके सांस्कृतिक (संस्कारों से युक्त) जीवन का व्यवहार में परिपालन करना आना चाहिए।

संस्कार का अर्थ है किसी वस्तु के रूप को बदलकर उसे नया रूप दे देना। वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है, जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में डालकर उसका संस्कार कर शुद्ध करता है, वैसे ही बालक को भी उत्पन्न होते

---

17 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

18 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

19 ऋग्वेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

ही संस्काररूपी भट्ठी में तपाया जाता है और यह 16 बार किया जाता है। चरक ऋषि कहते हैं-**"संस्कारो हि नाम गुणान्तराधानमुच्यते"।**[20]

अतः संस्कार मानव निर्माण की योजना है ,इन सबके साथ-साथ ऋषिप्रणीत आश्रम व्यवस्था इस मानव को सच्चे अर्थों में परिपूर्ण बना देती है। जिसमें त्याग और संयम से तप्त जीवन मनुष्य को कुन्दन बनने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। संस्कारों से सुवासित ब्रह्मचारी के लिए ही तो कहा गया है –

"तं जातं द्रष्टुमभि संयन्ति देवाः"।[21]

ऐसा मनुष्य ही वास्तव में देवताओं से ऊपर है। आरोहण और अवरोहण तो इस धरती का नियम है। संस्कारित मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बना रहता है , जैसा कि इस मंत्र में निर्देश मिलता है –

"अश्मन्वती रीयते सं रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः ।
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्"।।[22]

अर्थात् विघ्न और बाधारूपी पाषाणों से भरी हुई यह संसाररूपी नदी बह रही है, इसलिए मिलकर पुरुषार्थ करो और इस नदी को अच्छी तरह से तैर जाओ, जो क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दुर्गुण हैं। उनको यहीं छोड़ कल्याणकारक ज्ञान, बल, ऐश्वर्य तथा अन्न आदि की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील होना है। इसप्रकार यह मंत्र संसार की विघ्न बाधाओं को पार करने की सुंदर प्रेरणा देता है और उत्साह से भर देता है। इन बाधाओं को पार करने के लिए ही यम-नियम और आश्रम-व्यवस्था में रहकर परिपक्व बनने की आज आवश्यकता है। ऐसे विचारों से परिपक्व मानव पहाड़ जैसे दुख को भी पार कर लेता है और प्रलोभन में दिए गए इन्द्र के राज्य को भी क्षणभर में ठुकरा देता है। यही तो संसार का ताना-बाना है और यह परिपक्वता और दृढ़ता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ-साथ कर्म का सामञ्जस्य स्थापित करना आवश्यक है , इसकी प्राप्ति व्रत दीक्षा आदि की धारणा से ही सम्भव है, इसीलिए अथर्ववेद में श्रुति कहती है-

"व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते" ॥[23]

सत्यज्ञान के प्राप्त होते ही मनुष्य निवृत्तिमार्ग को अपनाकर सांसारिक भोगों से निर्लिप्त होकर सुखमय जीवन का निर्माण करता है। वास्तव में सांसारिक सुख-भोग से क्षणिक तुष्टि अवश्य होती है, किन्तु उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम पाने की अभिलाषा शेष बनी रहती है, इसलिए इस सत्य वाक्य का स्मरण होने लगता है-**"न हि वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः"**[24] अर्थात् धनरूपी तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हो सकती है, अतः धन में संलिप्त व्यक्ति को कभी शाश्वत शान्ति नहीं मिल सकती है। इस प्रसंग में बृहदारण्यकोपनिषद् का याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद मार्गनिदर्शक है-जब मैत्रेयी के सम्मुख याज्ञवल्क्य ने भौतिक सुख-सामग्री देने का प्रस्ताव रखा तो मैत्रेयी ने पूछा-**यन्नु म इयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनाहममृता**

---

20 चरकसंहिता, सम्पादकः विद्याधर शुक्ल, वाराणसीः चौखम्भा विद्याभवन, १९८७

21 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

22 ऋग्वेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

23 यजुर्वेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

24 कठोपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहिता, सम्पादकः वैजनाथः राजवाडे, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९३५

स्यामिति[25] अर्थात् यदि यह सम्पूर्ण पृथिवी धन-धान्य से परिपूर्ण होकर मुझे प्राप्त हो जाये , तो क्या मेरी आनंद की प्यास मिट जायेगी। याज्ञवल्क्य शाश्वत समाधान करते हैं – "**यथैवोपकारणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन**" [26]

अर्थात् जैसा साधन-सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, वैसे तुम्हारा भी होगा किन्तु शाश्वत आनंद इससे कभी प्राप्त नहीं होगा। यह सुनकर मैत्रेयी के मन में जो सांसारिक वितृष्णा उत्पन्न होती है, वह आज के भौतिकवादी युग को चुनौती है- "**येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम्**"[27] जिस मार्ग पर चलने से मुझे अमरत्व की प्राप्ति अर्थात् आत्यन्तिक और ऐकान्तिक सुख की प्राप्ति न हो, उस पर चलकर मैं क्या करूँ? यह है सांसारिक भोगों में आकंठ डूबे लोगों के लिए वैदिक संस्कृति का संदेश। तालाब में उत्पन्न परन्तु जल से सर्वथा असंपृक्त कमल के पत्ते के समान संसार में रहकर त्यागवृत्ति से यदि नहीं जिए तो मानव होना व्यर्थ है-

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्" ॥[28]

जो भी व्यक्ति इस वैदिक पथ का अनुसरण कर लेता है, निश्चय से उसका जीवन मधुरता से भर जाता है –

"मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंदृशः"।।[29]

---

25 बृहदारण्यकोपनिषद्, सम्पादकः काशीनाथः शास्त्री आगासे, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १८९१

26 बृहदारण्यकोपनिषद्, सम्पादकः काशीनाथः शास्त्री आगासे, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १८९१

27 बृहदारण्यकोपनिषद्, सम्पादकः काशीनाथः शास्त्री आगासे, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १८९१

28 ईशावस्योपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहिता, सम्पादकः राजारामः शास्त्री बोडासः, पूना : आनन्दाश्र-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९०५

29 अथर्ववेदः, भाष्यकारः श्रीदामोदरसातवलेकरः, पारडी : स्वाध्याय-मण्डलम्, १९८५

डॉ. भीमराव आंबेडकर की भारत निष्ठा एवं विभाजन का क्रूर सच

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

विघटन की अवधारणा किसी भी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए स्वीकार्य नहीं है किंतु इसका अस्तित्त्व तो है। इतिहास की पड़ताल यदि की जाए तो टूटने, विछुड़ने और नए आकार में रूपांतरित होने की अविरल कहानियां दुनिया की सभ्यता व संस्कृति में उपस्थित हैं। भारत अपने प्राचीन समय का अवलोकन करे तो उसके साथ ऐसी स्थितियाँ बार-बार उत्पन्न हुईं और इसके भयानक व त्रासदपूर्ण परिणाम हमेशा रहे हैं। भारत विभाजन की 1947 की भी घटना विघटन की एक त्रासदपूर्ण घटना थी जिसमें भारत दो खण्डों में विभक्त हो गया- एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 14 अगस्त, 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना और भारत की भौगोलिक समृद्धि क्षीण हो गयी। भारत की सीमाएं सिकुड़ गईं। यह विभाजन यूं ही नहीं हुआ बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक कारण रहे। इस पूरे विभाजन की प्रक्रिया में बहुत सी बहसें, परिचर्चा और बैठकें हुईं। इस दौरान मत-मतांतर भी हुए और इसके पक्ष और विपक्ष में सबकी अपनी-अपनी राय भी थी। द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के पैरोकार अपने अनुसार भारत को देख रहे थे और भारत की संपूर्ण भौगोलिक एकीकरण को विखंडित न होते देखने वाले भी थे जो अपने अनुसार भारत को देख रहे थे। बावजूद इसके यह कहा जा सकता है कि भारत की अपनी नियति में शायद यही था कि विभाजन की त्रासदी को कोई रोक नहीं सका। फिर भी, आज भारत विभाजन से पूर्व जो भारत के बारे में और भारत की खंडित स्थितियों के बारे में जो सोच थी उसमें शामिल लोगों का इतिहास बहुत मायने रखता है क्योंकि विभाजन के बाद जो कुछ दोनों देशों के नागरिकों को झेलना पड़ा वह बहुत ही दुखद, पीड़ादायी और अकल्पनीय था। यदि विभाजन न होता तो संभवतः वे स्थितियां अस्तित्त्व न पातीं जो भारत की शांति और अमन को निगल गईं। बड़ी संख्या में लोग लहूलुहान हुए, अपने जीवन से हाथ धो बैठे, अपने जीवन में जुड़े अपने लोगों से विछुड़ गए और वर्षों तक उनके साथ उनकी नई जेनरेशन तक उस कल्पना से परे घटने वाली घटनाओं को अपनी स्मृतियों से मिटा न सकी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार कहा था, 'देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफ़रत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन-भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका 'स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।[1]

अब यदि भारत विभाजन की त्रासदी को डॉ. आंबेडकर के चश्में से देखने की कोशिश आज हम करें तो यह हमें पता होना चाहिए कि डॉ. आंबेडकर कई मामले में बहुत स्पष्ट थे कि क्या सही है और क्या गलत है। विभाजन से पूर्व यहाँ यह समझना आवश्यक है कि डॉ. आंबेडकर के भीतर राष्ट्रीयता को लेकर क्या भावनाएं थीं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीयता एक सामाजिक सोच है। यह एकत्व की एक समन्वित भावना की अनुभूति है, जो उन लोगों में जो इससे अभिभूत हैं परस्परता की भावना और उनमें यह अनुभूति जगाती है कि वे एक ही तरुवर के फूल हैं। यह राष्ट्रीय अनुभूति एक दुधारी अनुभूति है। यह जहां अपने प्रियजनों के प्रति अपनत्व की अनुभूति है, वहीं जो एक व्यक्ति के अपने प्रियजन नहीं हैं, उनके प्रति अपनत्व-विरोधी अनुभूति भी है। यह एक प्रकार के बोध की अनुभूति है, जो एक ओर जिनमें यह है, उन्हें एकता के इतने मजबूत सूत्र में बांधती है कि आर्थिक विभिन्नताओं अथवा सामाजिक वर्गीकरण से उद्भूत सभी मतभेदों पर विजय पा जाती है। दूसरी ओर, उन्हें यह उन लोगों से अलग भी करती है जो उनके जैसे नहीं हैं। यह किसी अन्य समूह से संबंध नहीं होने का भावबोध भी जगाती है। यही राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना का सार-तत्व है।[2]

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के वैचारिक हस्तक्षेप राष्ट्रीयता को ही लेकर खड़े होते हैं। वह एक तरह से समझ लेने के पक्ष में हैं कि वास्तव में जिस दोधारी तलवार को हम समझ नहीं रहे हैं, उसके परिणाम हमें कहाँ ले जाएंगे? दूसरी, महत्त्वपूर्ण बात विभाजन के संबंध में जो बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने की वह और ज्यादा अहम् लगती है। उन्होंने कहा, 'हमें इस मौलिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति ने भारत को एक एकल भौगोलिक इकाई के रूप में निर्मित किया है। भारतीय निश्चय ही लड़ रहे हैं और कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वे कब लड़ना बंद करेंगे। परंतु इस तथ्य को स्वीकारने पर, यह भी प्रश्न उठता है कि यह किस बात का सूचक है?[3]

डॉ. आंबेडकर ने भारत और भारतीयता को समग्रता में देखा। वह यदि ऐसा नहीं करते तो इस प्रकार के सवाल नहीं उठाते। उनके लिए हिंसा भी ठीक नहीं थी और जिसके लिए हिंसा हो रही थी यानी 'विभाजन', तो विभाजन भी उन्हें नहीं पसंद था। डॉ. आंबेडकर की यह मनोदशा निश्चय ही उन्हें सबसे अलग करती है क्योंकि वह 'भारतीय प्रकृति' को समझने का आग्रह कर रहे थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि डॉ. आंबेडकर की निष्ठा तो भारत की सम्पूर्णता में थी। इसके साथ-साथ जब हम बाबासाहेब के भीतर महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सवाल थे उस पर नज़र डालते हैं तो उनके भीतर भारत विभाजन को लेकर अनेक द्वंद्व भी हमें देखने को मिलते हैं। उनका पहला सवाल था-क्या पाकिस्तान बनना चाहिए? उनके अन्य सवाल थे-क्या पाकिस्तान का बनना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुछ निश्चित क्षेत्रों में केंद्रित है, जिन्हें सरलता से भारत से अलग किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनातनी है? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके बीच तनातनी है। प्रश्न केवल यह है कि क्या यह तनातनी इतनी प्रबल है कि वे एक देश में एक संविधान के अंतर्गत नहीं रह सकते? क्या पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए कि कांग्रेसी बहुमत में अब मुसलमानों का विश्वास नहीं रहा? क्या पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए कि मुसलमान एक राष्ट्र हैं? क्या पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए कि इसके अभाव में स्वराज एक हिंदू राज होगा?

डॉ. आंबेडकर के अंतस में इतने सवाल इसलिए थे क्योंकि वह हिंदुस्तान के अभाग्य को पहचान रहे थे और वह इस प्रकार के विभिन्न अंतर्द्वंद्व से गुजर रहे थे। अरुण कुमार त्रिपाठी ने गाँधी-आंबेडकर-विवाद, संवाद और समन्वय की छठी क़िस्त में लिखा है, 'थाट्स ऑन पाकिस्तान' में आंबेडकर ने लिखा, 'मुसलमान एक राष्ट्र हैं। इस देश पर जिसकी निष्ठाएँ संशय से भरी हुई हैं उन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की अपेक्षा हिंदुस्तान के बाहर चले जाना अधिक योग्य है। ....भारत विभाजन हमें मान्य करना चाहिए। केवल मान्य ही नहीं अपितु आगे के दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुसलमानों की जनसंख्या की अदला-बदली करनी चाहिए।' आंबेडकर के एक और जीवनीकार डा। सूर्यनारायण रणसुभे ने लिखा है, 'पूरी निर्भीकता के साथ उन्होंने इस्लाम की प्रतिगामिता को स्पष्ट किया है। मुसलमानों की मानसिकता जनतंत्र के अनुकूल नहीं है। उनकी राजनीति मुख्यतः धर्म आधारित होती है। मुसलमान समाज सुधार के विरोध में होते हैं। उन्हें अपना धर्म वैश्विक लगता है। अपने धर्म के प्रति उनमें अहंकार है। इस्लाम के जिस बंधु-भाव की प्रशंसा की जाती है वह वास्तव में सर्वव्यापक और शाश्वत नहीं है। उनका बंधुत्व उनके धर्मावलंबियों तक सीमित है। अन्य धर्मियों के प्रति उनमें तिरस्कार होता है। उनकी राजनिष्ठा भी धर्म से जुड़ी होती है।' इसके अलावा आंबेडकर कहते हैं, "मुसलमानों में अब (1940) एक नई चेतना विकसित हो रही है। उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र दे देना चाहिए। अखंड हिंदुस्तान कभी भी सेंद्रिय और एकजीव (समरस) नहीं हो सकता।"[4] प्रियंवद ने अपनी पुस्तक 'विभाजन की अंतःकथा' में भी इस बात का ज़िक्र किया है कि आंबेडकर विभाजन के समर्थक थे। काँग्रेस को हिन्दू पार्टी मानने में जिन्ना और आंबेडकर का स्वर बिलकुल एक है। आंबेडकर की भूमिका विभाजन के प्रकरण में अस्पष्ट है। आंबेडकर विभाजन क्यों चाहते थे और क्यों हिन्दू-मुस्लिम मतभेद की स्थापनाओं पर उनका विश्वास था व क्यों उनका समर्थन करते थे, यह स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं है।'[5] उन्होंने लिखा है कि, 'अनुसूचित जाति के हित किस तरह विभाजन होने से सुरक्षित हो रहे थे इसकी भी सन्तोषजनक व्याख्या नहीं मिलती...। वस्तुतः

मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की माँग, हिन्दू भारत को कमजोर भी करती थी और आंबेडकर के अपने हिन्दू विरोधी दलित तर्क, पक्ष और संघर्ष को भी वैधता देती थी। मुसलमान और हिन्दुओं के आधारभूत मतभेदों, जीवन पद्धतियों के अलगाव, धर्म विरोधी इतिहास, नायकों आदि पर अत्यधिक जोर देते हुए आंबेडकर ने पाकिस्तान बनने का लगभग वैसा ही तर्कपूर्ण समर्थन किया है जैसे कि तर्क मुस्लिम लीग देती थी।'[6] प्रियंवद और अरुण त्रिपाठी की इसप्रकार की गई व्याख्या एक ही नतीजे पर पहुँचती है और यह तर्क देती है कि डॉ. आंबेडकर सब मिलाकर पाकिस्तान और भारत के विघटन के पक्ष में थे, लेकिन इस पर से सवाल यह भी उठता है कि फिर भारत विभाजन से पूर्व आंबेडकर इतने सारे सवाल क्यों कर रहे थे? वह तो सीधे एक ही बात बोलते कि भारत दो टुकड़ों में बाँट दिया जाना चाहिए जो ब्रिटिश चाहते थे।

यह तर्क निरर्थक और बेबुनियाद हैं कि डॉ. आंबेडकर एकतरफा भारत-पाक विभाजन के पक्ष में थे। उन पर जो निष्पक्ष होकर अध्ययन करेगा तो यही कहेगा कि डॉ. आंबेडकर ने इस प्रकार भारत का विखंडन करने से कतई परहेज किया है। उन्होंने इस संदर्भ में हर पहलू पर गंभीर विचार ज़रूर किया। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत ही निरपेक्ष होकर आंकलन किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों की सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझा। हिन्दू के परिप्रेक्ष्य में सोचा, मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य को समझा, देश की विभिन्न रियासतों और यहाँ की धार्मिक अंतर्विरोधों को समझने का प्रयास किया। वह यह देख रहे थे कि कौन सा क्रांतिकारी-नेतृत्वकर्ता क्या कर रहा है। वह सब पर बारीक नजर रख रहे थे। वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन कर रहे थे। वह गाँधी से न संतुष्ट थे, पण्डित जवाहरलाल नेहरू से संतुष्ट थे। वह जिन्ना से भी नहीं संतुष्ट थे और न ही हिन्दू महासभा से ही सहमत थे। बाबासाहेब आंबेडकर को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के भीतर जो द्वैध थे, जीवन-पद्धतियाँ जो थीं, जो उनके हेतु थे, उन सबके बारे में सवाल चल रहे थे। इस विभाजन की विभीषिका के भी आंकलन का वह प्रयास कर रहे थे। वह बार-बार कहते रहे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कोई खतरा नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे उदहारण हैं जहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में एकसाथ रहकर कोई भी क्लैस नहीं है।'[7] प्रायः किसी की छवि धूमिल करने के लिए अपनी अंतिम राय स्थापित की जाती है लेकिन वह सत्य नहीं होती है। बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के इस मंथन पर आखिर लोग क्यों ध्यान नहीं देते, सवाल यह है। उनके मन में जो विचार थे उसे उन्होंने बहुत ही प्राथमिकता से रखा और सबसे पहले उन्होंने जिस विषय पर बल दिया वह थी स्वतंत्रता।'[8] डॉ. आंबेडकर के मन में यदि भारत के विभाजन की शुरू से ऐसी धारणा होती तो कदाचित वह स्वतंत्रता पर जोर न देते अपितु वह विभाजन पर जोर देते।

डॉ. आंबेडकर की छोटी-छोटी किन्तु विचार के विवश करने वाली बातें भी उनके गूढ़ चिंतन में शामिल थीं। उन्होंने कहा था, 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शक्ति राजनीतिक शरीर की औषधि है और शरीर के रोगी होने पर प्रयुक्त होनी चाहिए। किंतु राजनीतिक शरीर की औषधि होने से ही शक्ति को उसकी नित्य की खुराक नहीं बनाया जा सकता। एक राजनीतिक शरीर को प्राकृतिक रूप से काम करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि राजनीतिक शरीर के विभिन्न घटक तत्व साथ-साथ काम करने की इच्छा रखें और यथावत गठित प्राधिकार द्वारा बनाए गये नियमों और आदेशों का पालन करने को तैयार हों।'[9] भारत को भारत-पाकिस्तान दो देश के रूप में बंटवारे की राजनीति अंग्रेज की अपनी मंशा थी। रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक 'भारत-गाँधी के बाद' में लिखा है, 'कम से कम 1945 के आखिर तक या शायद उससे पहले थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान बनना अनिवार्य हो चला है। इसे अब कांग्रेस के द्वारा लाख सहृदयता या जिन्ना द्वारा अचानक उदारता भर से रोका नहीं जा सकता था।'[10] भारत विभाजन के सन्दर्भ में डॉ. आंबेडकर ने यद्यपि उसी दौरान एक बात और लिखी थी कि, 'मेरा ख्याल है कि यदि पाकिस्तान के मसले पर मुसलमान झुकते नहीं हैं, तो पाकिस्तान बन कर रहेगा। जहां तक मेरा संबंध है, केवल यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मुसलमान पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं? या पाकिस्तान केवल एक पुकार

है? क्या यह केवल एक क्षणिक विचार है या यह उनके स्थायी उत्साह का प्रतीक है? इस बात पर मतभेद हो सकता है। एक बार यह निश्चित हो जाने पर कि मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि इस सिद्धांत को मान लेना ही बुद्धिमानी की बात होगी।'[11] रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक 'भारत-गाँधी के बाद' में भारत के अंतिम दुखद पहलू को कुछ इस प्रकार उजागर किया कि, 'गाँधी ने मुल्क की अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक आखिरी कोशिश के तहत जिन्ना से आज़ाद भारत की सरकार का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन हासिल नहीं था, और जिन्ना इसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते थे।'[12] कॉलिन्स और लापियर ने अपनी पुस्तक 'फ्रीडम ऐट मिडनाईट' में लिखा है, 'अपने पीले बे-जान होठों को भींचकर क्रूर मुसकराहट के साथ और अपनी पैनी आँखों में दबे हुए आक्रोश की चमक लिये हुए जिन्ना ने उस दिन काँग्रेस को और अँग्रेज़ों को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने क़सम खायी थी- 'हम हिन्दुस्तान को बँटवा देंगे या फिर हिन्दुस्तान को तबाह कर देंगे।'[13] भारत के लिए गाँधी के इस प्रयास को इस प्रकार अपमानित किया गया और जिन्ना ने भी इसे कठोर हृदय बनाकर एकांगी होने का निश्चय किया तो भारत को विखंडन से कोई कैसे बचा सकता था।

डॉ. राममनोहर लोहिया ने एक आलेख लिखा था 'भारत विभाजन के अपराधी'। उसमें वह लिखते हैं, 'सच्चे राष्ट्रवाद के दो कांटे हो गए थे। उसके एक कांटे ने तो विभाजन के विचार को अपना समर्थन दिया, जबकि दूसरे ने उसका विरोध किया। जब ये घटनाएं घटीं तब नारा करने या खुश करने की उनकी क्षमता कोई कम नहीं थी। लेकिन ये घटनाएं बांझ थीं, इनमें कोई शक्ति नहीं थी। सच्चा राष्ट्रवाद सिर्फ जबान से या खामोशी से ही विरोध कर सका; उसमें सक्रिय ढंग से विरोध करने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए राष्ट्रवाद की मुख्य संस्था के आत्मसमर्पण और द्रोह में उसका विरोध आसानी से समा गया। इसी तरह विभाजन का समर्थन करने वाली सच्ची राष्ट्रीयता ने, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी भाषणबाजी असली राष्ट्रवाद के लिए चिढ़ का बायस बनी, एक गौण पर विचित्र रोल अदा किया।'[14] डॉ. राममनोहर लोहिया की समालोचनात्मक दृष्टि कई ऐसे अनकहे चीजों की ओर संकेत करती है जो विभाजन की विभीषिका के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।

अंततः भारत विभाजन हुआ। और इस सन्दर्भ में प्रियंवद ने बहुत साफगोई और चिंतनपरक दृष्टि से लिखा है कि, 'यह इतिहास की ही विडम्बना है कि हर पात्र कहे कि नहीं, मैं यह नहीं चाहता था, पर घटना हो जाए। धार्मिक सोफोक्लीज और बौद्धिक यूरीपिडीज ने यहीं से त्रासदियों को जन्म दिया है। विभाजन भी एक ऐसी ही लिखी हुई दुखांत नाटिका थी शायद, जहाँ दुःख मनुष्य की इच्छाओं के विरुद्ध, देवताओं की सहमति से, पूर्वजन्म के शाप से, जन्म लेते हैं। मनुष्य सिर्फ दर्शक होता है, भोक्ता होता है। नियन्ता नहीं। इसका हर पात्र कहता है, मैं नहीं...वह।'[15] इसीलिए नियति भी हमारे देश के विभाजन के विमर्श में सदैव रही। ऐसी चीजें पहले भी भारतीय वांग्मय में हमें देखने को मिलती है महाभारत के युद्ध की। उसके अनेक दृष्टांतों का पाठ करते हुए यह पता चलता है कि बहुतेरे महाभारत युद्ध नहीं चाहते थे लेकिन युद्ध हुआ। भारत का विभाजन भी हुआ और वह भारतीय इतिहास का एक अप्रिय अध्याय है जिसके लिए जो भी जिम्मेदार हों, लेकिन सब अपने आपको बचाते हुए मिलते हैं, सबने स्वीकार भी कर लिया। प्रियंवद लिखते हैं, 'विभाजन राष्ट्रीय आन्दोलन की अवांछित व विकृत परिणति थी। उस संघर्ष का न तो वह लक्ष्य था, न ही दिशा थी। देश स्वतः धीरे-धीरे उस तरफ चला गया जिधर उसे जाना ही नहीं था। वे लोग, वे शक्तियाँ, वे स्थितियाँ ही अन्तिम रूप से निर्णायक हो गयीं जो अविभाजित भारत में अलक्षित, अस्तित्वहीन पड़ी थीं ऐसी स्वतन्त्रता किसी के स्वप्न में भी नहीं थी। स्वतन्त्र होने के नाम पर करोड़ों मनुष्य उन अधिकारों, सुविधाओं और स्वप्नों से भी वंचित हो गये जो स्वतन्त्रता से पहले उन्हें गरिमापूर्ण और विश्वसनीय तरीके से सहज उपलब्ध थीं।'[16] इन सभी सन्दर्भों को पढ़ते हुए बहुत अहम् प्रश्न यह मन में आता है, जो कि बहुत दिलचस्प भी है कि क्या यह सब अनहोनी थी?

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की भारत निष्ठा पर यदि बात की जाए तो वह भारत को प्रथम मानते थे, उसके बाद अन्य बातें। उन्होंने सदैव यह कोशिश की भारत की अपनी तासीर बनी रहे। वह यह चाहते थे कि भारत विखंडित न हो। यदा-कदा वह अपनी चिंता धार्मिक आंच पर सिक रहे भारत पर करते थे। जब ज्यादा कुछ घटित होने लगा तो वह साफगोई से अपने पक्ष को भी रखने से पीछे नहीं रहे। उनकी चिंताओं को 'एशियन एज' के अपने आलेख 'रीविजिटिंग डॉ. आंबेडकर इन कंटम्प्रेरी इण्डिया' में इरशाद अहमद भट और ज़ाहिद सुल्तान मैगरे ने बाबासाहेब की अन्य चिंताओं को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि बाबासाहेब कहते थे कि, 'आज भारतीय दो विचारधाराओं से शासित हैं। संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उनका राजनीतिक आदर्श स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे के जीवन की पुष्टि करता है जबकि उनके धर्म में अंतर्निहित उनका सामाजिक आदर्श उन्हें इससे वंचित करता है।'[17] इसके आलोक में यदि बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर को समझने की कोशिश की जाए तो यह लगता है कि वह विभाजन के दौर में जिस भारत के बारे में चिंतित थे, उसके विषय में संविधान निर्माण और उसके लागू होने के बाद भी चिंतित होते हैं। यह किसी महान व्यक्तित्व के व्यक्तित्व और विचार का पक्ष है जो उनकी एकमेव भारत निष्ठा के बारे में हमें बताती है।

अब दोनों देशों के आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं। भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है। भारत दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार भी भारत का अपना कद बढ़ गया है। भारत के लिए यह संतोषपूर्ण बात नहीं है कि उसके साथ आज़ाद हुआ देश पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है। वह दुनिया की विकास-यात्रा में शामिल भी नहीं हो सका। उसके पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि अपनी गरीबी और भुखमरी से लड़ सके या फिर प्रायः सैन्य-शासन से बच सके। इसके पीछे दो वजहें हैं एक, भारत अपनी सनातन सभ्यता व संस्कृति के साथ गतिशील है, दूसरी बात कि भारत के नेतृत्व और नीतियों में ऐसी धार है जो उसे गतिमान बनाए हुए है। विभाजन की अंतर्यात्रा से निकलकर भारत ने अपनी प्रगति को जिस तरह स्थापित किया उसके पीछे उसकी अपनी संकल्प से सिद्धि की ओर जाने और सह-अस्तित्व व सार्वभौमिक मूल्यों के साथ सबके हित में समर्पित राष्ट्र के रूप में अग्रसर होने का दृढ-संकल्प है। उसके अपने नायकों के दर्शन व विचार हैं और उसकी अपनी विरासत से जुड़े रहने का संकल्प है।

सन्दर्भ:

1. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1745768
2. बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड-15, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली-1, संस्करण: अगस्त 2020, पृष्ठ-13
3. वही, पृष्ठ-354
4. https://samtamarg.in/2023/04/19/gandhi-and-ambedkar-controversy-dialogue-and-coordination-sixth-installment/
5. प्रियंवद, विभाजन की अंतःकथा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-03, 2014, पृष्ठ 38
6. वही
7. जिस पर हिंदू राज के प्रति मुसलमानों की आपति आधारित है, यह है कि हिंदू एक बहुसंख्यक जाति है और मुसलमान अल्पसंख्यक जाति है. यह सत्य है. परंतु क्या भारत वर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ इस प्रकार की स्थिति है? भारतवर्ष में इस स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन हमें कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और स्विटजरलैंड की स्थिति से करना चाहिए. सर्वप्रथम, जनसंख्या वितरण को लिया जाए. कनाडा की कुल जनसंख्या 10,376,786 में से मात्र 2,927,990 फ्रेंच है. दक्षिण अफ्रीका में उचों की जनसंख्या

1,120,770 है और अंग्रेजी की केवल 783,071 है. स्विटजरलैंड की कुल जनसंख्या 4,066,400 में 2,924,313 जर्मन, 831,097 फ्रेंच और 242,034 इटालियंस है. (बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड-15, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली-1, संस्करण: अगस्त 2020, पृष्ठ-363)

8. पहले तो मैं भारत की एकता से अधिक भारत की स्वतंत्राता को पसंद करता हूं. (द्रष्टव्य: बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड-15, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली-1, संस्करण: अगस्त 2020, पृष्ठ-373)
9. बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड-15, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली-1, संस्करण: अगस्त 2020, पृष्ठ-372
10. गुहा, रामचंद्र, भारत गाँधी के बाद दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास (अनुवाद सुशांत झा), पेंग्विन, नई दिल्ली, पृष्ठ 52
11. बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड-15, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली-1, संस्करण: अगस्त 2020, पृष्ठ-374
12. गुहा, रामचंद्र, भारत गाँधी के बाद दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास (अनुवाद सुशांत झा), पेंग्विन, नई दिल्ली, पृष्ठ 52
13. लैरी कॉलिन्स और डोमीनीक लापियर, बारह बजे रात के (मूल: फ्रीडम एट मिडनाइट), अनुवाद: मुनीश सक्सेना, संक्षिप्तीकरण एवं पुनरीक्षण गिरीश माथुर, राधाकृष्ण, नई दिल्ली-02, 2014, पृष्ठ-35
14. लोहिया संचयिता, संपादन के. विक्रम राव व प्रदीप कुमार सिंह, अनामिका पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली-02, 2018, पृष्ठ-402
15. प्रियंवद, विभाजन की अंतःकथा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-03, 2014, पृष्ठ: 31-32
16. वही, पृष्ठ-41
17. Irshad Ahmed Bhat & Zahid Sultan Magray, Revisiting Dr. Ambedkar in Contemporary India, The Asian age, April 16th, 2020

संपर्क:

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफ़ेसर
डॉ. आंबेडकर मानवाधिकार एवं पर्यावरणीय मूल्य पीठ, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, घुद्दा, बठिंडा-151401 (पंजाब)
मो. 9818759757, Email: hindswaraj2009@gmail.com or kanhaiya.tripathi@cup.edu.in

चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित बांध; एक भू सामरिक विश्लेषण

*प्रो0 कल्पना अग्रहरि

इस शोधपत्र का उद्देश्य चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित मेगा बांध का इस नदी के अनुप्रवाही (लोअर रिपेयरियन) देशों भारत और बांग्लादेश पर पड़ने वाले प्रभावों का भू सामरिक नजरिए से विश्लेषण करना है, जैसा कि विदित है कि ब्रह्मपुत्र नदी केवल एक अंतर्राष्ट्रीय नदी ही नहीं है बल्कि अपनी विस्तृत जल राशि के साथ यह अपने समूचे प्रवाह क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक, भूराजनीतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवनदायिनी जीवन रेखा भी है। मुख्यतः ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित इस शोध पत्र का उद्देश्य अनुप्रवाही देशों के अधिकारों, क्षेत्रीय सहयोग, जल सुरक्षा के संभावित खतरों तथा जल संसाधन के शस्त्रीकरण (वीपनाइजेशन) का विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसके अलावा यह शोध पत्र यह विश्लेषण भी करता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संधियों के अनुपालन द्वारा इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखी जा सकती है।

प्रस्तावना;

चीन अधिकृत तिब्बत के पठार से निकलने वाली यारलुंग सांगपो नदी जो भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती हैं, लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक तो है ही, इन तीनों ही देश में कृषि, मात्स्यिकी, और जल संसाधन की दृष्टि से न सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण है बल्कि बेहद नाजुक पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद संवेदनशील भी है। ब्रह्मपुत्र नदी की औसत चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और औसत निकासी के मामले में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी नदी है। **यह लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के कैलाश श्रृंखला से निकलती है भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रविष्ट होती है और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है[1]।**

हाल ही में, चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिंहुआ, से प्राप्त सूचना के अनुसार **चीन द्वारा इस नदी पर लगभग 147 बिलियन डॉलर की लागत से पृथ्वी का सबसे बड़ा बांध बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा** ने इस क्षेत्र में हलचल मचा दी है[2]। दरअसल चिंता का सबब यह तथ्य है कि ये बांध बेहद संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र के एक वृहद महाखड्ड (जॉर्ज) पर बनाया जाना है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रविष्ट होने के पहले एक बड़ा मोड़ (यूटर्न)लेती है। इसीलिए इसे 'द ग्रेट बेन्ड' डैम भी कहा जा रहा है। **चीन के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार नामचा बारवा पहाड़ी के निकट 4 से 6 सुरंगों (लगभग 20 किलोमीटर लंबे) के माध्यम से, नदी का लगभग आधा प्रवाह 2000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड लाया जाएगा[3]।** इस बांध के विशालता और लागत का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आकार में यह खुद चीन के ही 'थ्री गॉर्ज' डैम की तीन गुना है, जो अभी तक धरती का सबसे बड़ा बांध है।

*राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

बांध के समर्थन में चीनी तर्क;

चीन ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जल ऊर्जा उत्पादक देश भी है। चीन की इस स्थिति ने इसे लोअर रिपेरियन देशों को प्रभावित करने की अलग ही शक्ति दे दी है। चीन के विकास की पंचवर्षीय योजना में चीन में ऊर्जा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दृष्टि से 2021 से 2025 के काल को निर्धारित किया गया है, जिससे चीन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ब्रह्मपुत्र डैम जिसे ग्रेट बेन्ड डैम भी कहा जाता रहा है, भारतीय सीमा में अरुणाचल प्रदेश में प्रविष्ट होने के पूर्व एक यू टर्न बनाती है जो जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से काफी आदर्श स्थिति है क्योंकि यहां एक गॉर्ज बनाते हुए नदी की ऊंचाई लगभग 300 मीटर कम हो जाती है। 2020 में गलवान संघर्ष के बीच चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने और 50 गीगावॉट हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित करने का संकेत दिया गया। चीन द्वारा इस परियोजना के पक्ष में जोरदार तर्क दिए गए हैं जैसे कि चीन द्वारा घोषित कार्बन तटस्थता लक्ष्य (न्यूट्रॅलिटी गोल) को अर्जित करने की दृष्टि से यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा मुहैया करवाने में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे **प्रत्येक वर्ष 300 बिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा, तथा जिससे 300 मिलियन लोगों की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की जा सकेंगी[4]।** इसके अलावा **तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 3 बिलियन डॉलर की आय होगी** और इस तरह पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, जीवन स्तर, ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, हर पहलू से यह परियोजना चीन के अनुसार उसके लिए बेहद फायदेमंद है।[5]

भारत की चिंताएं;

यह नदी तीनों देशों में लाखों लोगों के जीवन यापन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में तथा बांग्लादेश में कृषि, उद्योग, मात्स्यिकी, व पेयजल सुरक्षा की दृष्टि से यह नदी जीवन रेखा का काम करती है। नदी की मौसमी बाढ़ धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा इस नदी पर बांध बनाने का एकतरफा निर्णय न सिर्फ इस जल संसाधन पर आधिपत्य (हेजेमनी) स्थापित करने, बल्कि भूसामरिक दृष्टि से जल संसाधन का शस्त्रीकरण (वीपनाइजेशन) करने की रणनीति है, जिसके द्वारा संघर्ष या संकट की स्थिति में वह भारत के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। चीन की रणनीति इस क्षेत्र में पहले से ही नाजुक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की है। इसमें कोई शक नहीं कि नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के बल पर चीन एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बनाना चाहता है, जिसका सीधा फायदा वह भारत से सीमा विवाद में उठाना चाहता है। भारत की चीन के साथ पहले से ही जारी तनातनी वाली स्थिति में यह परियोजना, संबंधों को और भी तनावग्रस्त कर सकती है।

बांग्लादेश पर प्रभाव;

बांग्लादेश, जो पदमा(गंगा), जमुना(ब्रह्मपुत्र) और मेघना नदियों के संगम (कनफ्लुएंस) पर खड़ा है, के प्रस्तावित बांध से प्रभावित होने के काफी गंभीर आसार हैं। यह नदी बांग्लादेश के वार्षिक जल प्रवाह का 30% हिस्सा प्रदान करती है, जिसमें कोई भी कटौती या छेड़छाड़ इस देश के कृषि, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर काफी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा भूमि की उर्वरता, खाद्य सुरक्षा , मात्स्यिकी और पर्यावरण चक्र पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इन खतरों के मद्देनजर दोनों देशों द्वारा चीन से अधिराष्ट्रीय नदियों के प्रबंधन में

क्षेत्रीय सहयोग और डाटा शेयरिंग में पारदर्शिता की मांग की गई है जिसको चीन द्वारा कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है।

चीन का जल आधिपत्यवाद

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विश्लेषक 'नीली हैबी' का आकलन है "कि *'द ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र' डैम चीन को भारत के विरुद्ध एक दबावकारी फायदा पहुंचाने की क्षमता से युक्त हैं जिसके चीन को चार रणनीतिक फायदे हो सकते हैं"*[6] ; पहला, यह सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत बनाएगा दूसरा, चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए इसे एक हथियार के तौर पर प्रयुक्त कर सकता है तथा युद्ध के समय में भारतीय सेना के लिए यहां तक पहुँच बनाना खासा दुष्कर हो सकता है। तीसरे, यह परियोजना समूचे सीमावर्ती क्षेत्र में आर्थिक बसावट और आर्थिक प्रतिमानों को प्रभावित कर सकती है, और चौथे, इस बांध के निर्माण से बीजिंग का इस क्षेत्र के नाजुक जल संसाधनों और उससे संबंधित आंकड़ों पर एकाधिकार हो जाएगा, जिसका उपयोग वह भारत से दूसरे मामलों खासकर सीमा वार्ताओं में सौदेबाजी के लिए कर सकता है।

एक अपर रिपेरियन कंट्री के तौर पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे ज्यादा और सबसे पहले जल संसाधन प्राप्त करने वाला देश है, इस मामले में भारत लोअर रिपेरियन है और बांग्लादेश उससे भी लोअर रिपेरियन देश। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बांध के पर्यावरणीय और भूराजनीतिक प्रभाव इन दोनों ही डाउनस्ट्रीम देशों के लिए विनाशकारी साबित होंगे। चीन अपनी अधिनायकवादी व्यवस्था का फायदा उठाते हुए अधिराष्ट्रीय नदियों पर बड़े गोपनीय तरीके से बांध बनाता रहा है, और यह उसकी स्वीकारोक्ति तभी करता है जब यह निर्माण सेटेलाइट की नजरों में आ जाते हैं। चीन इस परियोजना को 2021 में ही बड़े व्यवस्थित तरीके से शुरू कर चुका है और इस सुदूर बियावान क्षेत्र में पहले ही हाईवे, और रेल लाइन नेटवर्क बिछा चुका है तथा चीन के रबर स्टैंप संसद से इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है।

तिब्बत के बफर राज्य के चीन में विलय के साथ ही चीन एशिया का सबसे दबंग (हेजेमन) देश बन चुका है। तिब्बत लगभग एक दर्जन अधिराष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्थल है परंतु चीन किसी भी देश के साथ जल बंटवारे जैसी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है जबकि भारत की अपने दोनों ही पड़ोसी डाउनस्ट्रीम देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जल संधि है जिसके द्वारा सिंधु नदी और गंगाजल दोनों का बंटवारा किया गया है। इसके अलावा भारत अपने डाउनस्ट्रीम देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश को नदी जल संग्रहण संबंधी हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी प्रदान करता है, और वह भी निःशुल्क। जबकि भारत द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद चीन बड़ी मुश्किल से **वर्ष 2002 में नदी के बाढ़ की अवधि(मानसून) के दौरान(15 मई से 15 अक्टूबर तक प्रति वर्ष) हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करने के समझौते के लिए राजी हुआ**[7]**,** ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार *"यह डाटा भी भारत को निःशुल्क नहीं मिलता बल्कि भारत को इसके लिए प्रति वर्ष 125000 डॉलर की भारी भरकम राशि का भुगतान करना होता है"*[8]। चीन द्वारा जब तब मनमाने तरीके से यह डाटा शेयरिंग भी रोक दी जाती है जैसे 2017 और 2020 में, पारस्परिक संबंधों में तनातनी की पृष्ठभूमि में, चीन द्वारा यह डाटा शेयरिंग भी रोक दी गयी। कुल मिलाकर, चीन द्वारा नदी जल के डाटा शेयरिंग में आनाकानी तथा पारदर्शिता का अभाव, भारत और चीन के पारस्परिक संबंधों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारक साबित हुए हैं।

मेकांग नदी जलपरियोजना

जल संसाधनों के शस्त्रीकरण का चीन का पुराना इतिहास रहा है और इस मामले में चीन अपने मित्र देशों को भी नहीं बख्शता। बड़ी नदियों पर चीन के बांध बनाए जाने के विनाशकारी परिणाम की साक्षी मेकांग नदी परियोजना है जिसने मेकांग डेल्टा में कृषि और बसावट पर गंभीर प्रभाव डाले हैं। भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में तिब्बत ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है तथा 1.35 बिलियन लोगों का जीवन इस पर निर्भर है। इनमें से मेकान्ग नदी पर, जो दक्षिणी पूर्वी देशों में प्रविष्ट होती है, चीन द्वारा एक पूरी बांध व्यवस्था बनाई गई है। 1995 में चीन द्वारा मुख्य धारा मेंकांग नदी पर पहले बांध का निर्माण किया गया जो चीनी क्षेत्र के हिमालय से निकलती है, जिसे चीन में लांसंग नाम से जाना जाता है, तथा जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, और वियतनाम होते हुए दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। चीन द्वारा इस नदी पर 10 और बांध बनाए जा चुके हैं, जिसके विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव इन देशों में महसूस किए जा रहे हैं। पिछले दो दशकों में इस पूरे बेसिन में मौसमी बाढ़, अति वर्षण, सूखा, बेहद निम्न जलस्तर, नदी द्वारा ढोए जाने वाले अपशिष्टों में कमी, (जो जमीन की उर्वरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है) आदि के कारण बंजर भूमि के विस्तार जैसी समस्याएं बेहद सामान्य हो गई हैं, **जिसका फसल उत्पादकता, जैव विविधता, मात्स्यिकी, मैंग्रोव आदि पर विनाशकारी असर महसूस किया गया है[9]।**

स्टिम्सन सेंटर के मेंकांग डैम मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार *"साल 2024 में, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, और वियतनाम के लोअर मेकांग बेसिन, जिसे गोल्डन त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, में अतिशय तापमान वृद्धि और सूखा दर्ज किया गया"[10]।* मेकांग नदी पर चीनी बांध निर्माण के बाद से तटवर्ती इलाकों में ताजे पानी की उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और पानी का खारापन बेहद बढ़ गया है। इस बांध निर्माण के बाद से वियतनाम गंभीर सूखे की स्थिति से जूझता रहा है तथा इस पूरे क्षेत्र में ताजे जल की उपलब्धता गंभीर संकट में है, जिसका 60 मिलियन लोगों और उनके जीविकोपार्जन पर सीधा असर पड़ रहा है, तथा **केवल मछली पालन पर इसके प्रभाव की दृष्टि से 2040 तक लगभग 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने की आशंका है[11]।** यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि चीन का इसमें से भी किसी भी देश के साथ जल बंटवारे की संधि नहीं है।

ब्रह्मपुत्र बांध और जलयुद्ध सिध्दांत

जलयुद्ध सिध्दांत (वाटर वॉर थ्योरी) का एक सीधा-साधा तर्क यह है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी आती है क्योंकि, जलगत स्रोतों में कोई वृद्धि नहीं होती जबकि आर्थिक और औद्योगिक विकास पानी की मांग और बढ़ा देते हैं तथा जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के मामले में बृहद संसाधनों पर कब्जे को लेकर एक हद के बाद सशस्त्र संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता खासकर जब दूसरे मामलों जैसे कि सीमा विवाद आदि को लेकर संघर्ष की संभावनाएं पहले ही प्रबल हो और जल बंटवारे को लेकर कोई प्रभावकारी समझौता या संतोषजनक मेकैनिज्म भी ना हो। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध इस क्षेत्र में सबसे असुरक्षित (वलनरेबल) स्थिति प्रस्तुत करता है। यह नदी चार देशों से गुजरती है जिनमें से दो दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, दोनों तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और दुनिया के सबसे जल की तंगी वाले क्षेत्र भी है। पिघलते ग्लेशियर और मानसून के बदलते पैटर्न ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इसके अलावा **दोनों देशों के बीच औपचारिक जल बंटवारे की संधि का ना होना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डाटा शेयरिंग का सीमित रिकॉर्ड होना और चीन की इस मामले में कोई रुचि न होने के कारण भी स्थिति गंभीर प्रतीत होती है[12]।** इसके अलावा

एक अपस्ट्रीम देश के तौर पर बांध बनाने का चीन का एक तरफा निर्णय, किसी भी डाउनस्ट्रीम देश को विश्वास में लेना तो दूर पारस्परिक रूप से सूचित तक न करना, नदी के आधे से अधिक बेसिन का स्वयं ही उपयोग करना आदि कारक स्थिति को और भी भयावह बनाते हैं।

हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि इस परियोजना का ऐसा गंभीर प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र में सीमित योगदान ही करती है तथा इसके वृहद विस्तार के बावजूद भारत की जल सुरक्षा संरक्षित करने के लिहाज से यह नदी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। **यूएनएफएओ डाटा के अनुसार इस नदी का ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में 30% योगदान है जबकि भारत सरकार के कई अज्ञात स्रोत इसे केवल 7% मानते हैं**[13]। उनका यह तर्क भी है कि भारत भूटान और बांग्लादेश के हिस्से वाली बेसिन लाइन विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आती है जहां 98 इंच प्रतिवर्ष वर्षण होता है, जबकि अधिकांश तिब्बत क्षेत्र वृष्टि छाया जोन में पड़ता है। चूंकि भारतीय नदी बेसिन दुनिया के सबसे वर्षा वाले क्षेत्रों में है इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि इसका कोई गंभीर प्रभाव भारत में जल उपलब्धता पर पड़ेगा यहां तक की भारत की प्रस्तावित नदी जोड़ो जल परियोजना के बाद भी ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे में जल युद्ध की संभावनाएं क्षीण हैं, परंतु, दूसरी तरफ इससे संबंधित अन्य पहलू गंभीर चिंता का सबब है जैसे कि इस परियोजना के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव जो मानसून चक्र को प्रभावित कर सकते हैं जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण काफी गंभीर स्थिति में है। इस संदर्भ में नासा की हालिया प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के 3 गॉर्ज डैम की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर एक ओर ज्यादा झुक रही है जिससे *"पृथ्वी का घूर्णन 0.06 प्रति सेकंड कम हो रहा है और इससे चरम मौसमी स्थितियां (एक्सट्रीम वेदर) जैसे अतिवर्षण और सूखा और भी घनीभूत हुई है"*[14]। दूसरे, भले से जल संसाधन का मामला भारत के लिए उतना गंभीर न हो परंतु जलढांचागत संरचना के माध्यम से चली जाने वाली कूटनीतिक चाल की भारत द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती।

उपसंहार

इसमें कोई शक नहीं कि भारत चीन संबंधों में यह बांध एक महत्वपूर्ण अवरोधक इस दृष्टि से भी है कि जल अवसंरचना निवेश को सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय सीमांकन और नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रस्तावित डैम का आकार और अवस्थिति भारत से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में चीन का प्रभाव और स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। विवादित और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना दावा ठोकने के लिए चीन पहले से ही नो मैंस लैंड में गांव बसाता रहा है, अब जल विद्युत अवसंरचना की आड़ में चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने पैर और भी मजबूती से जमाना चाहता है। पेंटागन द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है कि किस तरह *"चीन ने 2020 में लगभग 100 घरों वाला एक बड़ा गांव तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच के विवादित सीमा क्षेत्र में निर्मित कर दिया है"*[15]। विवादित क्षेत्र में नागरिक बसावट की रणनीति चीन को सीमा वार्ताओं में मजबूत स्थिति देती है जिसमें वह स्थानीय आबादी को विवादित क्षेत्र से हटाने से साफ मना कर देता है। दरअसल यह चीन की सलामी स्लाइसिंग(क्रमशः छोटा करना) तकनीक का एक खास हिस्सा है जिसके माध्यम से वो प्रत्यक्ष रूप से बिना कोई युद्ध लड़े अपने भूभाग में चुपचाप इजाफा करता रहता है। इसकी बानगी न सिर्फ हिमालयी बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी देखी जा सकती है।

युद्ध के समय में रणनीतिक बाढ़ जल के शस्त्रीकरण (वीपनाइजेशन ऑफ़ वाटर) का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसका उपयोग प्रतिद्वंदी देश के महत्वपूर्ण अवसंरचना को ध्वस्त करने, सेनाओं की गतिविधियां रोकने और स्थानीय जनसंख्या को विस्थापित करने के लिए किया जा सकता है जो भयंकर तबाही द्वारा गंभीर मानवीय संकट खड़ा कर सकते हैं। इस तरह जल के मात्रात्मक दोहन के साथ-साथ चीन के पास ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह का इतना नियंत्रण तो जरूर होगा कि वह भारत के प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक जल निकासी द्वारा फ्लैश फ्लड या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में अपना औपचारिक विरोध चीन को दर्ज करवाया है तथा भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि **भारत अपने क्षेत्र में 2010 के उस बांध परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है**[16] जिसे यूपीए सरकार द्वारा पर्यावरणवादियो के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि इस भारतीय परियोजना का उद्देश्य चीनी बांध परियोजना के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को कम (मिटिगेट) करना है जिसके लिए यह तर्क महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित भारतीय बांध एक दर्पण (मिरर) बांध की तरह जल संग्रहक (रिजर्वायर) का काम करेगा ताकि चीन के बांध संचालित गतिविधियों का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। ब्रह्मपुत्र नदी जल अवसंरचना का दूसरा कूटनीतिक निष्कर्ष एक विवादित सीमा क्षेत्र में चीनी क्षेत्रीय दावों को और मजबूत बनाना है; द ग्रेट बेन्ड डैम के माध्यम से चीन अपनी अवसंरचना तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत करना चाहता है जिसे पहले से ही साउथ तिब्बत का नाम देकर वह हड़पना चाहता है, इसीलिए भारत द्वारा प्रतिउत्तर में बनाए जाने वाले मिरर डैम की जगह भी सीमा के निकट एक सामरिक जलजमाव क्षेत्र के रूप में चुनी गई है तथा जिस पर लगभग 150 छोटे बड़े डैम बनाए जाने हैं।

एक बेहद विरोधाभासी कारक यह भी है कि भारत जो अपने पश्चिमी सीमा पर अपर रिपेरियन देश है उस पर अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ उदारता से किए गए जल समझौतों के बावजूद क्षेत्रीय दबंग और जल एकाधिकारवादी देश होने का आरोप लगता रहा है जबकि **तटस्थ अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा**[17] **भी भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति सहयोगपूर्ण रवैये की सराहना की गई है।** चीन इस मामले में भी भारत को घेरने की अपनी रणनीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों के, भारत के प्रति असंतोष को भुनाने में पीछे नहीं रहा है, उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के मामले में चीन द्वारा तीस्ता नदी के संरक्षण, जल अधिग्रहण व संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए के लिए, जो ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी है, एक बिलियन डॉलर की मदद की पेशकश की गई है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण भारत बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल समझौता कर पाने में अब तक असफल रहा है जिससे खुद भारत की एक जिम्मेदार रिपेयरियन देश की छवि प्रभावित हुई है और उसके ज्यादातर पड़ोसी देशों द्वारा उसे 'वाटर हेजेमॉन' ही समझा जाता रहा है। ऐसे में, चीनी हस्तक्षेप इस क्षेत्र में भारत के घेरेबंदी और चीन के एक और प्रभाव विस्तार के तौर पर ही देखा जा सकती है। चीन द्वारा भारत से प्रतिवर्ष 125000 डालर ब्रह्मपुत्र नदी पर डाटा शेयरिंग का वसूला जाता है जबकि बांग्लादेश को अपने पाले में लेने की कोशिश के अंतर्गत यही डाटा चीन द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। 2023 में, ब्रह्मपुत्र नदी पर डाटा शेयरिंग का यह समझौता (एम ओ यू) भी समाप्त हो गया हालांकि भारत द्वारा इसके नवीनीकरण की मांग की जाती रही है परंतु फिर भी ये प्रावधान किसी संधि का हिस्सा नहीं है ना ही यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी हैं। इसी तरह नेपाल भी भारत से नाखुश है क्योंकि भारत द्वारा नेपाल के चमेलिया हाइड्रो पावर प्लांट से जनित बिजली को इस आधार पर खरीदने से मना कर दिया गया कि यह योजना चीनी निवेश से निर्मित है।

इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में भारत चीन संबंधों की दिशा तय करने में ग्रेट बेन्ड डैम और ब्रह्मपुत्र नदी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। ग्रेट बेन्ड डैम के प्रति भारत की चिंता गैर वाजिब नहीं है। अपर रिपेयरियन बांध लोअर रिपेयरियन देशों के लिए हमेशा ही खतरनाक होते हैं, खास तौर पर यदि उनसे गलत समय पर पानी छोड़ा जाए। ब्रह्मपुत्र बांध सिस्टम पर चीन इतनी क्षमता अर्जित कर चुका है कि भारत में कभी भी मानवीय बाढ़ की स्थिति बना सकता है। मानवीय दृष्टि से जहां इससे जान-माल की भारी क्षति होगी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से बाढ़ की स्थिति भारत की नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल)तक पहुंच को काफी मुश्किल बना सकती हैं। हाल के वर्षों में भारत द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती ढांचागत संरचना पर खास ध्यान देते हुए सड़के, पुल और रेल लाइन बनने पर खास ध्यान केंद्रित किया गया है। 2018 में मोदी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी पर **सबसे लंबे रेल और रोड पुल 'बोगीबिल' पुल का उद्घाटन किया जाना**[18] इसका एक उदाहरण है जिसने डिब्रूगढ़ (असम) से दिल्ली की दूरी 3 घंटे तक घटा दी है, यह पुल भारत की रक्षा जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है परंतु बाढ़ की दशा में इस पुल के बह जाने से बह जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता जिससे भारत की सुरक्षा में बड़ा छेद हो सकता है। इसी तरह बाढ़ की वजह से संचार लाइन, फोन टावर, पावर लाइन आदि का नुकसान अन्य दूसरे गंभीर स्थितियों और क्षति के कारक बन सकते हैं। 2022 के विनाशकारी बाढ़ के बाद से , नियंत्रण रेखा और नदी बेसिन के इर्द-गिर्द रहने वाली स्थानीय आबादी बाढ़ से पहले से ही काफी असुरक्षित स्थिति में है ऐसे में, यह परियोजना भारत की सुरक्षा चिंताएं काफी गंभीर बना सकती है।

अप्रत्याशित सूखे और ब्लैकआउट की समस्या से निपटने के लिए चीन बड़े पैमाने पर जल संग्रहक क्षेत्र (वाटर रिजर्वायर) तैयार करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह वॉटर रिजर्वॉयर लोअर रिपेयरिंग देशों के जल अधिकारों की कीमत पर तैयार किए जाते हैं। लगभग 42 मिलियन लोग ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में रहते हैं जिसमें से स्थानीय जनता अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह नदी पर निर्भर है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह में लगभग 30% योगदान चीन की तरफ से आने वाली जलराशि का होता है, ऐसे में नदी के पानी रोके जाने की कोई भी घटना नदी के प्रवाह और बहाव पैटर्न को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसी तरह सूखे के दौरान नदी को चार्ज करने वाले जल स्रोत सूखने से वाटर चैनल सूख सकते हैं, इसका मात्स्यिकी, धान की फसल और पोषण पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। इसी तरह जलप्रवाह में बढ़ोतरी मानवीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकती है। भारत की जलसुरक्षा चिंताओं के प्रति बीजिंग का नजरिया न सिर्फ उदासीन बल्कि शत्रुवत रहा है। भारत के तमाम अनुरोधों के बावजूद ना तो चीन कभी संयुक्त नदी बेसिन कमीशन के लिए तैयार हुआ और ना ही किसी नदी जलसंधि के लिए। अधिकांश द्वीपक्षीय मामलों की तरह इस मामले में भी बीजिंग की तरफ से संचार और सहयोग में आनाकानी साफ दिखती है।

इसमें दो राय नहीं है कि एक लोअर रिपेयरियन देश होने के नाते भारत भू-राजनीतिक और मानवीय संकट के मुहाने पर खड़ा है परंतु इसके बावजूद तकनीकी और समान सोच वाले देशों के सहयोग से भारत इस स्थिति को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकता है। नीली हैबी इस परियोजना की संवेदनशीलता देखते हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए तीन सुझाव देते हैं; पहला, तीनों ही देशों को एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध (ओपन सोर्स) डाटा रिपोजिटरी कोर्स, जो सैटेलाइट सेंसिंग पर आधारित हो तथा जो इस बांध के भौतिक प्रभावों का सही आकलन कर सके, शुरू करना चाहिए। दूसरा, समान सोच वाले (लाइक माइंडेड) देशों को अंतर्राष्ट्रीय विधिक मंचों और अंतरराष्ट्रीय जनमत को इस बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि चीन पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने के

लिए दबाव बनाया जा सके। तीसरे, **भारत को क्वॉड के 'ह्यूमन असिस्टेंट एण्ड डिजास्टर रिलीफ गाइडलाइंस' का उपयोग करना चाहिए ताकि संभावित नुकसान के मद्देनजर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सके[19]।**

चीन का सबसे बड़ा हथियार इसकी गोपनीयता है और एक अधिनायक वादी देश होने के कारण कई बार वह अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि उसकी चालें सार्वजनिक नहीं हो पाती, ऐसे में चीन के अपस्ट्रीम देश के तौर पर गैर जिम्मेदार और ब्लैकमेलिंग हथकंडों को दुनिया के सामने उजागर करना भी एक महत्वपूर्ण प्रतिकार हो सकता है। इस संदर्भ में, बांध से प्रभावित स्थानीय निवासियों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणवादियों, मानवाधिकारवादियो की मुखरता तथा नीति निर्माताओ का वस्तुस्थिति से वाकिफ होना और निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। 1968 के हेलसिंकी नियम और 1997 के 'यू एन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द नॉन नेवीगेशनल यूजेज ऑफ़ द इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज' के अनुसार अपर रिपेयरियन देशों को नदी जल संसाधन के संभावित उपयोग के किसी भी योजना की पूर्ण तकनीकी जानकारी लोअर रिपेयरियन देशों को देना आवश्यक है तथा **उस योजना से लोअर रिपेयरियन देशों को किसी भी प्रकार की क्षति होने से रोकना भी अत्यंत आवश्यक है[20]।** भारत अपने मित्र देशों के माध्यम से चीन पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन करने का दबाव बना सकता है।

References

1. Government of Assam, Brahmaputra River System, retrieved on 21/2/25 from https://waterresources.assam.gov.in/portlet-innerpage/brahmaputra-river-system.
2. The Times of India, December 26, 2024,New Delhi, p.10.
3. The Hindu, China approves world's largest dam worth 137 billion over the Brahmaputra river close to Indian border, retrieved on 21/2/25 fromhttps://www.thehindu.com/news/international/china-approves-worlds-largest-dam-worth-137-billion-over-brahmaputra-river-close-to-indian-border/article69029477.ece
4. Op. Cit. No. 2.
5. Op. Cit. No. 3
6. Haby Neely, 2024, The geopolitics of water: How the Brahmaputra River could shape India–China security competition, Australian Strategic Policy Institute, Washington DC.

7. GOI, MOU, https://jalshakti-dowr.gov.in/india-china-cooperation/#:~:text=The%20main%20purpose%20of%20the,Season%20by%20China%20to%20India.
8. ORF, (2017), The Brahmaputra Conundrum retrieved on 11/1/25 from https://www.orfonline.org/research/the-brahmaputra-conundrum.
9. Roney Tyler,)2021(, What are the impacts of dams on the Mekong river? retrieved on 11/1/25 from https://dialogue.earth/en/energy/what-are-the-impacts-of-dams-on-the-mekong-river/
10. Quang Nguyen Minh ,Nguyen, Phuong Nguyen, Hieu Le Minh, and Borton James, July 27, 2024, The Intensifying Impacts of Upstream Dams on the Mekong,? retrieved on 11/1/25 from https://thediplomat.com/2024/07/the-intensifying-impacts-of-upstream-dams-on-the-mekong/
11. Op. Cit. no. 9.
12. Giordano Mark, Wahal Anya,(2022), The Water Wars Myth: India, China and the Brahmaputra, retrieved on 21/2/25 from https://www.usip.org/publications/2022/12/water-wars-myth-india-china-and-brahmaputra
13. Ibid.
14. Times of India, (2025, January,13) Nasa-warns-chinas-three-gorges-dam-could-slow-earths-rotation-by-0-06-seconds, ? retrieved on 14/1/25 from https://timesofindia.indiatimes.com/science/nasa-warns-chinas-three-gorges-dam-could-slow-earths-rotation-by-0-06-seconds-heres-how/articleshow/117012416.cms
15. New Indian Express,(2021, November 9), Village-on-line-of-actual-control-mentioned-in-pentagon-report-in-area-controlled-by-China, ? retrieved on 15/1/25 from https://www.newindianexpress.com/nation/2021/Nov/09/village-on-line-of-actual-control-mentioned-in-pentagon-report-in-area-controlled-by-china-sources-2381389.html
16. Op. Cit. no. 8.
17. Jackob Koshy, The Hindu, (January 21, 2025), world-bank-neutral-expert-says-competent-to-judge-indus-water-treaty-dispute, retrieved on 15/1/25 from outcomehttps://www.thehindu.com/news/national/world-bank-neutral-expert-says-competent-to-judge-indus-water-treaty-dispute/article69123775.ece

18. Encardio.com ,Bogibeel-bridge-Asia's-second-longest-rail-road-bridge, https://www.encardio.com/blog/bogibeel-bridge-asias-second-longest-rail-road-bridge.
19. Op. Cit. No. 6.
20. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses Adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

नई शिक्षा नीति 2020 का समीक्षात्मक विश्लेषण

प्रो. पवन कुमार

नई शिक्षा नीति, 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को घोषित एवं 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। सन 1986 में जारी एवं 1992 में संशोधित हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। 1968 तथा 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 36 साल बाद नई शिक्षा नीति, 1986 का स्थान ली है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद(GDP) का 6% शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। सबके लिए आसान पहुंच, सहभागिता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Based Economy) और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों?

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Based Economy) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये तथा भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित कर शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान :

नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) जिसमें 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और दो साल का कक्षा 1 से 2 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। तीन वर्ष का प्रीपेट्री स्टेज (Prepatratory Stage) जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। तीन वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण (Middle or High Primary Stage) जिसमें कक्षा 6, 7, 8 और चार वर्ष का उच्च माध्यमिक चरण (High School Stage) जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी।

NEP 2020 के तहत 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training, NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तथा समय-समय पर उनके द्वारा किये गए कार्य-प्रदर्शन एवं आकलन के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers - NPST) का तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE) का विकास किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान :

इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commission of India-HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

HECI **के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-**

प्रथम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council, NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।

द्वितीय, सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council, GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामक ढांचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

तृतीय, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council, NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंड, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणाम पर आधारित होगा।

चतुर्थ, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council, HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

हालांकि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे निकाय के माध्यम से किया जाता है।

नई शिक्षा नीति, 2020 में बहुविषयक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है। देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) में बहुविषयक दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए इसे बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय (MERU) कहा जाता है। इन संस्थानों का लक्ष्य उच्चतर वैश्विक मानकों को प्राप्त करना होगा। इसके लिए ये संस्थान मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान सहित अन्तर विषयक शोध, नवोन्मेष तथा नवाचार को

बढ़ावा दे रहा है। इसके समकक्ष कुछ और वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Reserach Universities, MERU) की स्थापना की जाएगी।

डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रावधान :

एक स्वायत्त निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच" (National Educational Techno Foruem) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

मूल्यांकन :

प्रथम, शिक्षा का समवर्ती सूची के विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस नीति के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों में असमंजस की स्थिति है। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का दक्षिण के कुछ राज्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

द्वितीय, नई शिक्षा नीति के द्वारा भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का कैम्पस खुलने से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

तृतीय, दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

चतुर्थ, कोष के उपयोगिता की जांच से संबंधित कोई स्वतंत्र नियामक नहीं है। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।

पंचम, वर्तमान में राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी शशक्त है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा।

षष्ठ, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।

सप्तम्, ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा छात्र अपनी नजरें नीली रोशनी पर गढाए रहता है जिससे आँख में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा छात्र इन्टरनेट का इस्तेमाल अश्लील साइट तथा हिंसात्मक फ़िल्म देखने में भी कर रहा है जिससे छात्रों में क्रोध, दुःश्चिन्ता, हिंसात्मक प्रवृति आदि नकारात्मक क्रियाकलापों की वृद्धि हो रही है।

अष्टम, विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। विश्व में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, और जापान की तुलना में भारत में विज्ञान में पीएच. डी. की संख्या बहुत कम है, जबकि आबादी में विश्व में दूसरा

है। भारत में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर मात्र 160 वैज्ञानिक है। नीति निर्माताओं द्वारा विश्वविद्यालय का आदर नहीं किया जाता है। नौकरशाह का आदेश मानने के लिए कुलपति बाध्य होते हैं। सरकार का दखल बढ़ते जा रहा है। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता नहीं है।

नवम, हमारे शिक्षा व्यवस्था में सफलता को तो सिखाया जाता है परंतु असफलता को स्वीकार करने के लिए नहीं सिखाया जाता बल्कि असफल व्यक्ति को व्यवस्था के द्वारा ही नकार दिया जाता है जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन पाता अर्थात शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। नई शिक्षा नीति, 2020 इसमें कितना सफल हो पाता है वो तो आने वाला समय ही बतायेगा।

दशम, गांधी जी के अनुसार, पूर्ण शिक्षा वही है जो हाथ को कौशल, हृदय को भावनात्मक रूप से विकसित तथा मस्तिष्क को मानसिक मजबूती प्रदान करें, इन तीनों में से किसी एक का अभाव भी अपूर्ण शिक्षा है। इन सभी का समावेश शिक्षा नीति में होना चाहिए। नई शिक्षा नीति, 2020 में कई चीजें अभी सूत्र वाक्य में है जिसे कार्यरूप में लाया जाना शेष है।

एकादश, वर्तमान परीक्षा प्रणाली साल में एक बार मूल्यांकन पर जोर देती है। इससे हमारे व्यक्तित्व के विकास का आंकलन नहीं हो पाता है। बाहरी वातावरण के साथ हम समायोजन नहीं कर पाते हैं तो कैसी शिक्षा और कैसी आत्मनिर्भरता, शिक्षा वैसी हो जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। सिर्फ नौकरी करने के लिए शिक्षा परावलंबन की ओर ले जाती है। शिक्षा तो उद्यम करने के लिए और उद्यमी बनाने के लिए होनी चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि – "शिक्षा तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के लिए बनी हो"

निष्कर्ष :

भारत सरकार ने 21वीं सदी के भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिये 1 अप्रैल, 2022 को नई शिक्षा नीति, 2020 को लागू कर दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है, तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 36 वर्षों के पश्चात् लागू इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्रीडी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा तथा नवाचारों की क्षमता में वृद्धि होगी।

गांधी जी कहते हैं शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षरज्ञान नहीं है अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का होना जरूरी है। जब तक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक वह आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आत्मनिर्भरता के लिए उद्योगों एवं शिक्षाविदों का संबंध तथा तारतम्य अच्छा होना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय और उद्योग को साथ मिलकर एक ही सुर और ताल में काम करना होगा। आत्मनिर्भर होने से निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है इससे ज्ञान का सृजन होता है जो आपके कौशल को बढ़ाता है। कौशल से न्यूनतम आय की प्राप्ति होती है और जीवन आनंदमय हो जाता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. नई शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,2020
2. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यथा संशोधित 2012
3. भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,2021
4. यूलिच राबर्ट : शिक्षा विचार का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2010
5. गौहरी बी. पी. एवं पाठक पी. डी. : भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा,2012
6. त्यागी गुरसरनदास : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा,2012

प्रो. पवन कुमार
सहायक प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
मुन्शी सिंह महाविद्यालय, मोतिहारी
9471228641, 7782936926
pawanggis2@gmail.com

वैदिक सभा, समिति और राजा : एक समीक्षा

प्रो0 अजय कुमार झा ,सत्यवती महाविद्यालय(दि0वि0वि0)
अशोक विहार, दिल्ली

शोधसार- वैदिक साहित्य में समकालीन राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जैसी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय अवधारणाओं के समतुल्य दो प्रमुख संस्थाओं का वर्णन मिलता है। वे दो संस्थाएँ हैं- सभा और समिति। वेदों में अनेक ऐसे मंत्र मिलते हैं, जिनमें सभा और समिति के माध्यम से राष्ट्रोदय और प्रजाहित की बात की गई है। ये सभा और समिति राजा को राज्य संचालन में सहयोग, सुझाव एवं नियंत्रण का काम करती थी। सभा, समिति और राजा वैदिक काल की प्रमुख राजनैतिक संस्थाएँ थी। इस शोध-निबन्ध में वेदकालीन इन तीन संस्थाओं का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। वस्तुतः सभा और समिति लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति थी। वर्तमान में विविध देशों में स्वीकृत लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली का मूल इन संस्थाओं में देखा जा सकता है।

मुख्य शब्द- सभा, समिति, राजा, विराट्, विराज्, जनशासन, उत्क्रान्त, नक्षत्र, शकधूम, दुहिता, सभासद, ग्रामसभा, विश, जनसभा, सभापति, सवाचस, गृहपति, आमंत्रण, आहवानीय अग्नि।

शोधपद्धति - इस शोध-निबन्ध में मुख्यरूप से सर्वेक्षण, संकलन, विश्लेषण, तुलनात्मक और विवरणात्मक शोधविधि का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में उपलब्ध सभा, समिति और राजा विषयक प्रसंगों का सर्वेक्षण कर विषय से संबन्धित सामग्री को संकलित किया गया है। तदनन्तर संकलित सामग्री का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इसी क्रम में विविध तथ्यों की तुलना की गई है तथा उनका विवरण प्रस्तुत किया गया है।

आमुख- वैदिक सभा, समिति और राजा से संबन्धित सामग्री संपूर्ण वैदिक साहित्य में विखरा हुआ है। परन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सामग्री अथर्ववेद में मिलती है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस शोध-निबन्ध को मुख्य रूप से 1.सभा और समिति के उद्भव और विकास, **2.**वैदिक सभा, समिति और राजा- एक अन्तर्संबन्ध, 3.सभासद एवं उनकी योग्यता, 4.राज्य और राजा की उत्पत्ति, 5. राजा की योग्यता, 6.राजा के कर्तव्य, और 7.राजा पर नियंत्रण उपशीर्षकों में विभाजित कर अध्ययन किया गया है।

सभा और समिति: उद्भव और विकास- सभा और समिति के उद्भव और विकास के विषय में अथर्ववेद का यह मंत्र द्रष्टव्य है- **विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वं अबिभेद्। इयमेवेदं भविष्यति इति**[30]। इस मंत्र में उस काल की कल्पना की गई है जब प्रजा का कोई शासक नहीं था। प्रजा का जीवन बिना किसी शासन व्यवस्था के ही सुचारु रूप से चल रहा था। ऐसी व्यवस्था का नाम था- विराट् अर्थात् विराज्, जिसका अर्थ है राजा के बिना अर्थात् इस व्यवस्था में कोई राजा नहीं था। राजा अथवा राजनैतिक व्यवस्था के बिना ही सामाजिक ताना-बाना अत्यन्त व्यवस्थित था। पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय ऐसी व्यवस्था को जनशासित व्यवस्था कहते हैं[31]। उनके अनुसार प्रारंभ में राजा नहीं था। ग्राम की जनता मिलकर अपने ग्राम की सब व्यवस्था करती थी। सब ग्राम ऐसे ही जनशासित थे[32]। इस जनशासित व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं थी तथापि प्रबुद्ध जनों को भविष्य की चिन्ता

[30] अथर्ववेद मंत्र 8.10.1

[31] अथर्ववेदमातृभूमि और स्वराज्यशासन पृ.4-

[32] वहीपृ.4,

हुई। क्या भविष्य में भी यह व्यवस्था त्रुटिहीन रहेगी ? उनकी यह चिन्ता स्वभाविक थी और उसी चिन्ता ने उस काल में इन दो शक्तिशाली संस्थाओं को जन्म दिया। प्रबुद्ध जनों के निर्देशन में जनशक्ति उत्क्रान्त हुई और सभा में परिणत हुई। सभा भी उत्क्रान्त हुई और समिति में परिणत हुई। समिति भी उत्क्रान्त हुई और मन्त्रीमण्डल में परिणत हुई- **सा उदक्रामत्। सा सभायां न्यक्रामत्। सा उद्क्रामत्। सा समितौ न्यक्रामत्। सा उदक्रामत्। सा आमन्त्रणे न्यक्रामत्**[33]। अथर्ववेद के इस मंत्र में सभा और समिति के उद्भव का स्पष्ट उल्लेख है। अथर्ववेद के एक अन्य मंत्र में सभा और समिति के उद्भव का वर्णन अन्य प्रकार से मिलता है-**शकधूमं नक्षत्राणि यद्राजानमकुर्वत। इदं राष्ट्रमसादिति**[34]। इस मंत्र में नक्षत्र पद का अर्थ है- न क्षत्राणि यस्य सः अर्थात् क्षात्रधर्म से रहित अर्थात् क्षत्र अर्थात् त्राण(अपनी रक्षा) स्वयं न कर सके ऐसी प्रजा। इस प्रकार स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ प्रजा ने मिल करके शक्तिशाली शकधूम को अपना राजा बनाया। श्रीपाद सातवलेकर महोदय शकधूम की व्याख्या करते हैं- स्वयं(शक) समर्थ होकर जो शत्रुओं को (धू) कंपायमान करता है, उसका नाम शकधूम है[35]। श्री सातवलेकर महोदय इस मंत्र की व्याख्या करते हैं कि इस प्रकार प्रजा ने तेजस्वी शकधूम को अपना राजा बनाया। उन्हें विश्वास था कि इसके सामर्थ्य के कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे और शत्रुओं के परास्त होने से हमें सुख लाभ होगा और हमारा राष्ट्र तेजस्वी होगा[36]। इस प्रकार प्रजा ने अपने कल्याण के लिए राजा का चयन किया।

इन दोनों मंत्रों को एक साथ संश्लेषित कर विश्लेषण करने पर वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था के विषय में दो निम्न तथ्य उपस्थित होते हैं- 1. प्रजाहित में राजाविहीन शासन राजतन्त्र के रूप में विकसित हुआ तथा 2. राजतंत्र के साथ ही दो प्रमुख राजनैतिक संस्थाओं का आविर्भाव हुआ- सभा और समिति।

वैदिक सभा, समिति और राजा- एक अन्तर्संबन्ध- वैदिक सभा, समिति और राजा के मध्य अन्योन्याश्रय संबन्ध था। अथर्ववेद में कहा गया है- **सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने**[37]। अर्थात् सभा और समिति राजा की दुहिताएं हैं। यहाँ दुहिता से तात्पर्य पुत्री है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री का पालन करता है परन्तु उस पर उसका अधिकार नहीं होता है ठीक उसी प्रकार राजा के लिए सभा और समिति पालनीय है। परन्तु उस पर राजा का लेशमात्र भी अधिकार नहीं होता है। इस संदर्भ में महाकवि कालिदास की शकुन्तला विषयक पंक्ति उल्लेखनीय है- **अर्थो हि कन्या परकीय एव**[38]। सभा और समिति राजा की संरक्षिका भी होती थी। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है- **मा अवताम्**। राजा जब तक सभा और समिति के आदेशों का पालन करता है तब तक ये दोनों राजा की रक्षा करती हैं। इसका अभिप्राय है कि सभा और समिति में एकमत से लिए गए निर्णयों का पालन करना राजा के लिए बाध्यकारी था तथा इसके पालन करने में असमर्थ होने पर राजा को अपदस्थ कर दिया जाता था। अथर्ववेद के एक अन्य मंत्र में सभा और समिति को राजा का पिता और शिक्षा देनेवाली कहा गया है- **येना संगच्छा उप मा स शिक्षात् चारु वदानि पितरः संगतेषु**[39]। यहाँ राजा सभा और समिति से प्रार्थना करता है - हे

---

[33] वही12-8.10.8 मंत्र,

[34] वही6.128.1 मंत्र ,

[35] अथर्ववेद ,2 भाग ,मातृभूमि और स्वराज्यशासन-पृ77.

[36] वही77 .पृ ,

[37] वही7.12.1 मंत्र ,

[38] अभिज्ञानशाकुन्तल-श्लोक ,चतुर्थ अंक ,22

[39] अथर्ववेद मंत्र 7.12.1

पिता जिससे मैं मिलू वह मुझे शिक्षा दे और मैं सभा में उत्तम रीति से बोल सकूं। यहाँ ऊपर के मंत्र से विरोधाभाष है। वहाँ सभा और समिति को राजा की पुत्रियाँ कही गई हैं। वस्तुतः यह विरोधाभाष शाब्दिक दृष्टि से है तात्त्विक दृष्टि से नहीं। संरक्षण की दृष्टि से सभा और समिति राजा की पुत्रियाँ हैं। राजा का परम कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्री की तरह हर हाल में इन दोनों संस्थाओं का संरक्षण करे। वही आदेश पालन की दृष्टि से सभा और समिति राजा के जनक हैं क्योंकि इन दोनों संस्थाओं में लिए गए निर्णयों का पालन करना राजा के लिए पिता के आदेश की तरह बाध्यकारी है। श्रीपाद सातवलेकर महोदय के अनुसार इस मंत्र में पितर पद का प्रयोग सभासदों के लिए किया गया है[40]। इस मंत्र में राजा के द्वारा सभा और समिति में सभ्य आचरण और मधुर संभाषण की अपेक्षा की गई है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि राजा को तेज और ज्ञानशक्ति सभा और समिति से मिलती है- **एषां समासीनानां वर्चः विज्ञानं अहं आददे**[41]। सभा और समिति एक शाश्वत् संस्था थी। ये कभी भंग होनेवाली नहीं थी[42]। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ विचार करो - **संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्**[43]। इस मंत्र की संगति सभा और समिति से लगाई जा सकती है। अर्थात् सभा और समिति एक साथ एक लक्ष्य को लेकर एक साथ विचार- विमर्श करती थी और एक निर्णय लेती थी। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सभा का उल्लेख किया है- **सभायाम्**[44] जिसका तात्पर्य है वह स्थान जहाँ पर विचार-विमर्श होता था। अथर्ववेद के एक अन्य मंत्र में समिति को राजा के लिए कल्याणकारिणी कहा गया है- **समितिर्वः सुषामणिः**[45]।

इन विवेचनों से स्पष्ट है कि सभा, समिति और राजा के मध्य घनिष्ट सम्बन्ध था। वैदिक राजा पूर्णरूप से अपने कार्यों के लिए इन दोनों संस्थाओं पर आश्रित था। अथर्ववेद के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है कि सभा और समिति राजा को स्थिरता प्रदान करें- **ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्। ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम्**[46]। अर्थात् जिस प्रकार द्युलोक स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, यह सब जगत् स्थिर है, पर्वत स्थिर है, उसी प्रकार यह प्रजा का रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो। इसी प्रकार राजा की स्थिरता के लिए अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में कामना की गई है। स्पष्ट है कि प्रजाप्रिय राजा को सभा और समिति स्थिरता प्रदान करती थी। परन्तु प्रजा की उपेक्षा करने पर उसको पदच्युत करने का अधिकार सभा और समिति को था।

सभा और समिति की संरचना को लेकर विद्वानों की अपनी- अपनी राय है। ऐसा माना जाता है कि सभा एक सीमित सदस्यों वाली संस्था थी जिसमें कुलीन, वृद्ध और विद्वान् व्यक्ति सम्मिलित होते थे। सभा का नेतृत्व 'सभापति' के द्वारा किया जाता था, जिसकी भूमिका अध्यक्ष अथवा संचालक के समान थी। सभा और सभापति की महत्ता को बताते हुए अथर्ववेद में कहा गया है- **नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः**[47]। यहाँ सभा और सभापति के प्रति विशेष आदर सभा को समिति की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण सिद्ध करता है।

---

[40] अथर्ववेद ,मातृभूमि और स्वराज्यशासन-भाग ,2पृ62.

[41] अथर्ववेद मंत्र 7.12.3

[42] वही मंत्र 7.12.3

[43] ऋग्वेद मंत्र 10.191.2

[44] पाणिनि3.3.14 अष्टाध्यायी सूत्र ,

[45] अथर्ववेद मंत्र 6.64.1

[46] अथर्ववेद मंत्र 6.88.1

[47] यजुर्वेद मंत्र 16.24

समिति अधिक व्यापक संस्था थी, जिसमें जनसाधारण की सक्रिय भागीदारी थी। समिति को प्राचीन भारत की 'जनसभा' कहा जा सकता है। अथर्ववेद में समिति को कल्याणकारिणी कहा गया है-**समितिर्वः सुषामणिः**[48]। ऋग्वेद के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है कि समिति समान हो, समिति में मंत्रणा समान हो, मन समान हो और चिन्तन भी समान हो- **समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्**[49] । स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक ऋषि समिति में सदस्यों के मध्य समान लक्ष्य को लेकर समान मंत्रणा के पक्षधर थे। यह समिति में बहुमत से निर्णय लेने का संकेत है। सभा और समिति के अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रो. वी. एम. आप्टे लिखते हैं - The Samiti was an august assembly of a larger part of the people for the discharge of tribal(i.e., Political) business and was presided over by the king. The Sabha , a more select body was less popular and political in character than the Samiti. ….. Both the assemblies exercised considerable authority and must have acted as healthy checks on the power of King[50].श्रीपाद सातवलेकर महोदय समिति को ग्रामसमिति और सभा को राष्ट्रसभा कहते हैं। ग्रामसभा के सदस्य गाँव के लोगों के द्वारा चुने जाते थे। ग्रामसभा मुख्यरप से आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मरक्षा, उद्योग आदि से संबन्धित कार्य करती थी। ग्रामसभा के समान ही राष्ट्र के लिए राष्ट्रसभा होती थी। वेद में राष्ट्रसभा को ही समिति कहा गया है[51]।

सभासद एवं उनकी योग्यता- सभा और समिति के सदस्यों को सभासद कहा जाता था। वैदिक मंत्रों में सभासदों की योग्यता का भी निर्धारण किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में सभासदों की योग्यता में सवाचस को प्रमुख बतलाया गया है- **ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः**[52]। सवाचस का तात्पर्य है- समान भाषण करनेवाला अर्थात् सभासद के लिए आवश्यक है कि वह समाज में जैसा देखे, जैसा जाने और जैसा अनुभव करे वैसा ही सभा में बोले अर्थात् सभासद को सत्यभाषक(सत्य बोलने वाला) होना चाहिए। दृढनिश्चय एवं कर्मठता सभासद की दूसरी विशेषता थी- **यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा। तद् आवर्तयामि**[53]। सभासद के लिए आवश्यक था कि वे शास्त्रज्ञ, अनुभवी और कुशल वक्ता हो- **येन संगच्छै सः मा उपशिक्षत्**[54]। इस मंत्र में वैदिक राजा स्वयं प्रार्थना करता है कि जब मैं सभा में आऊं तब आप सभी मुझे शासन से संबन्धित शिक्षा दें । यह तभी संभव है जब सभासद शास्त्रज्ञ, अनुभवी और वाक्पटु हों।

राज्य और राजा की उत्पत्ति - राज्य और राजा की उत्पत्ति के संबन्ध में अथर्ववेद के काण्ड 8 का सूक्त 10 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस सूक्त में बताया गया है कि प्रारम्भ में जगत् विराट् अर्थात् राज्य और राजा से रहित था। कहीं पर कोई शासन नहीं था। सर्वत्र जनशासन अर्थात् लोग स्वयं शासित थे। ऐसे में समाज के सभ्य जनों को भय एवं चिन्ता हुई कि यदि ऐसा ही हमेशा रहा तो जगत् का कल्याण कैसे होगा? इसी चिन्ता और भय ने जनशासन को उत्क्रमित किया और गृहपति संस्था का जन्म हुआ। गृहपति के उत्क्रमण से आहवनीय अग्नि संस्था बनी। अग्नि संस्था से सभा, सभा से समिति, समिति से आमंत्रण की उत्पत्ति हुई। आमंत्रण ही राज्य की उत्पत्ति है। आमंत्रण की अवस्था

---

[48] अथर्ववेद मंत्र 6.64.1

[49] ऋग्वेद मंत्र 10.191.3

[50] The Vedic Age PP 356-57

[51] अथर्ववेदमातृभूमि और- स्वराज्यपृ.61 ,

[52] अथर्ववेद मंत्र 7.12.2

[53] अथर्ववेद मंत्र 7.12.4

[54] अथर्ववेद मंत्र 7.12.1

में विविध क्षेत्रों में अपने-अपने राज्य बने और राज्य की उत्पत्ति के साथ ही राजा नामक संस्था का आविर्भाव हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार देवों और असुरों के संग्राम में देवों के पराजय का मुख्य कारण उनका राजा न होना था[55]। इस प्रकार राज्य और राजा की उत्पत्ति के साथ ही राजा कैसे बनाया गया, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर है- राजा का वरण अर्थात् चुनाव। अथर्ववेद के काण्ड 3 के सूक्त 4 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्रजा राज्य संचालन के लिए योग्य व्यक्ति को अपना राजा चुनती थी- **विशः त्वां राज्याय वृणुताम्**[56] अर्थात् प्रजा ने तुझे राज्य संचालन के लिए वरण किया है- **इमा देवीः पञ्च प्रदिशः त्वां वृणुताम्**[57]। अर्थात् ये पाँच दिव्य दिशाएँ तुझे राज्य के लिए स्वीकार करती हैं। श्रीपाद सातवलेकर महोदय **देवीः पञ्च प्रदिशः** का अर्थ दिव्य पाँच प्रकार की प्रजा करते हैं[58] अर्थात् दिव्य पाँच प्रकार की प्रजा ने तुम्हारा चयन किया है। वैदिक काल में राजा का पद जन्मना नहीं मिलता था। प्रजा राजा को पदच्युत कर सकती थी। राजा बने रहने के लिए प्रजा का अनुमोदन मिलना आवश्यक था। अथर्ववेद के एक मंत्र में धीवान, रथकार, कर्मार, सूत और ग्रामणी को राजा बनाने वाला कहा गया है - **ये धीवानो रथकाराः कर्माराः से मनीषिणः। ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये**[59]**।** इस प्रकार अनेक वैदिक मंत्रों से प्रमाणित होता है कि राजा के चुनाव में सभी प्रकार की प्रजा भाग लेती थी और सभी के द्वारा चयनित और अनुमोदित व्यक्ति ही राजा बनता था।

राजा की योग्यता- राजा की योग्यता के विषय में अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त का एक मंत्र दृष्टव्य है-**सत्यं बृहद् ऋतमुग्रं दीक्षा तपो यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति**[60]। यहाँ राजा की सात विशेषताओं का वर्णन किया गया है- 1.**बृहत् सत्य**– सत्य का प्रतिपालक अर्थात् राजा को सदा सत्याचरण करना चाहिए। 2.**ऋत**- सरलता की प्रतिमूर्ति अर्थात् राजा अपनी प्रजा के समक्ष सदा सहज और सरल बना रहे जिससे प्रजा अपनी समस्या को राजा के पास लाने में संकोच न करे। 3.**उग्र**- शक्तिशाली-राजा शक्तिशाली और पराक्रमी होना चाहिए, जिससे वह शत्रु को परास्त कर सके। अथर्ववेद के एक मंत्र में राजा को व्याघ्र कहा गया है-**व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे विक्रमस्य दिशो मही**[61] अर्थात् हे राजा तुम व्याघ्र हो, तुम इस व्याघ्रचर्म पर बैठकर सब ओर अपना पराक्रम दिखा। 4.**दीक्षा**-लिए गए संकल्पों का पालनकर्ता अर्थात् राजा दृढव्रती और प्रजाहित में लिए गए संकल्पों का पालन करने वाला हो। 5.**तप**- राजा में राष्ट्र रक्षा में होनेवाले कष्टों को सहने का सामर्थ्य हो। 6.**ब्रह्म**- ज्ञानवान्- राजा विविध शास्त्रों का ज्ञाता हो। तप और ब्रह्मचर्य के बारे में कहा गया है कि इन दोनों से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है- **ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति**[62] 7.**यज्ञ**- राजा स्वयं यज्ञकर्ता और प्रजा के द्वारा संपादनीय यज्ञ का संरक्षक हो। ये सात गुण अवश्य ही राजा में होने चाहिए। इन गुणों से युक्त राजा ही अपने राज्य की सम्यक् समृद्धि कर सकता है।

---

[55] ऐतरेय ब्राह्मण1.14 मंत्र ,

[56] अथर्ववेद मंत्र 3.4.2

[57] वही

[58] अथर्ववेद83 .पृ ,मातृभूमि और स्वराज्यशासन-

[59] अथर्ववेद मंत्र 7-3.5.6

[60] वही12.1.1 मंत्र ,

[61] वही4.8.4 मंत्र ,

[62] वही5.1.7 मंत्र ,

राजा का कर्तव्य- वैदिक साहित्य में राजा के अनगिनत कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का काण्ड सात[63] राजा के कर्तव्यों के निर्धारण में ही समर्पित है। उन्हीं संदर्भों के आधार पर यहाँ राजा के कुछ प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है- 1.**जातवेदा**-ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान का प्रसार करे। 2.**अनाधृष्य**-साहस से शत्रु के भयंकर हमले का मुकाबला करे। 3.**क्षत्रभृत्**- क्षात्रगुणों को संचित करे। 4.**अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि**- अमर अग्नि के समान अपने यश के लिए सदा क्रियाशील रहे। 5.**विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्**- अपने राष्ट्र से सब रोगों को दूर करे। 6.**गयं परिपाहि**- राष्ट्र के हर घर की रक्षा करे। 7.**देवेभ्य उरुं लोकं अकृणोः**- सज्जनों के लिए विस्तृत स्थान बनाएं। 8.**मृधः विनुदस्व**- हिंसक जनों को अपने राष्ट्र से दूर करे। 9.**शत्रून् वितादि**- शत्रुओं को नष्ट करे। 10.**स्वस्तिः कृणोतु**- प्रजा का कल्याण करे। स्पष्ट है कि राजा को सदा प्रजाहित में संलग्न रहना होता था। वह प्रजा का अनुचलन करनेवाला होता था- **स विशो अनुव्यचलत्**[64]। यजुर्वेद के एक मंत्र में प्रजा को राजा का आश्रय माना गया है- **धर्मो असि विशि, विशि राजा प्रतिष्ठितः**[65]अर्थात् राजा का धर्म प्रजापालन में है तथा प्रजा के आश्रय से राजा सुप्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार के अनेक मंत्र वैदिक साहित्य में मिलते हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि वैदिक राजा सदा प्रजा के कल्याण में तत्पर रहता था और कल्याणकारी राजा को प्रजा अत्यन्त आदर से देखती थी।

राजा पर नियंत्रण- वेदकालीन राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण था। राजा की स्थिरता समिति पर निर्भर करती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि सभी प्रकार से प्रजाहित में रत राजा की स्थिरता समिति सुनिश्चित करती है- **सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह**[66]। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि प्रजारंजक राजा को सभा और समिति वैसे ही स्थिर करती है जैसे द्युलोक स्थिर है, जैसे पृथिवी स्थिर है, जैसे यह संसार स्थिर है और जैसे यह जगत् स्थिर है- **ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्।ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम्**[67]। श्रीपाद सातवलेकर महोदय के अनुसार द्यौ,पृथिवी, पर्वत्, जगत् आदि किस रीति से स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणों को धारण करके स्थिर होवे। द्यौ अर्थात् सूर्य के समान ताजस्वी होकर राजा स्थिर हो सकता है। पृथिवी के समान उत्तम प्रकार से सबका धारण और पोषण करके राजा स्थिर हो सकता है। पर्वत के समान युद्ध में स्थिर रहकर राजा स्थिर हो सकता है। पृथिवी के समान अपनी मर्यादा में रहकर प्रगति करनेवाला राजा स्थिर रह सकता है। प्रजा का रंजन करनेवाला राजा स्थिर रह सकता है[68]। इस प्रकार राजा पर सभा और समिति का पूर्ण नियंत्रण था। अधर्मी राजा को पद पर बनाए रखनेवाले सभासद को मनु मृतप्राय कहते हैं[69]।

उपसंहार- ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक सभा और समिति विविध लोकतांत्रिक संस्थाओं की जननी है। विविध शासन प्रणालियों के सूत्र सभा और समिति सें समाहित हैं। वैदिक सभा और समिति एक आदर्श शासन व्यवस्था के प्रतिमान हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रारम्भिक स्वरूप वैदिक काल में देखने को मिलता है। यदि अथर्ववेद के मंत्रो को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लें तो वैदिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से अधिक प्रभावशाली और सभ्य थी। अथवा यह कहा जा सकता है कि यदि हम

---

[63] वही,86,91,92,93 ,84,85 सूक्त 7 काण्ड ,

[64] अथर्ववेद मंत्र 15.9.1

[65] यजुर्वेद20.9 मंत्र ,

[66] अथर्ववेद6.88.3 मंत्र ,

[67] अथर्ववेद6.88. मंत्र ,1

[68] अथर्ववेद69-68 .पृ ,मातृभूमि और स्वराज्यशासन -

[69] यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च।
ह्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः॥ मनुस्मृति 8.12

वैदिक मंत्रों में समाहित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सूत्रों को गम्भीरता से लें और उसको निष्ठा से शासन व्यवस्था का आधार स्तम्भ बनाएं तो बेहतर शासन सम्भव है।

सहायक ग्रन्थसूची

- अथर्ववेदमथुरा ,गायत्री तपोभूमि ,राम शर्मा श्री -संपादक - 1960
- अथर्ववेद,परोपकारिणी सभा ,श्रीमद्दयानन्द सरस्वती - अजमेर1966,
- अथर्ववेदगुजरात ,बलसाड ,स्वाध्याय मण्डल ,श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ,मातृभूमि और स्वराज्यशासन -
- ऋग्वेद1960 ,गुजरात ,बलसाड ,स्वाध्याय मण्डल ,श्रीपाद दामोदर सातवलेकर -संपादक -
- प्राचीन भारतीय इतिहास1986 ,दिल्ली ,सरस्वती सदन ,सत्यकेतु विद्यालंकार -
- वैदिक निबन्धावली1963 ,वाराणसी ,चौखम्भा विद्या भवन ,मुंशीराम शर्मा -
- वैदिक साहित्य और संस्कृति1967 ,वाराणसी ,शारदा मन्दिर ,बलदेव उपाध्याय -
- संस्कृत आलोचना1991 ,लखनऊ ,उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ,बलदेव उपाध्याय -
- संस्कृत साहित्य का इतिहासशारदा ,बलदेव उपाध्याय - निकेतन वाराणसी1994 ,
- संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना1984 ,दिल्ली ,देववाणी परिषद् ,हरिनारायण दीक्षित -
- History of Ancient India, R.C. Majumdar, University of Calcutta, 1952
- States and Government in Ancient India, A.S.Altekar, Mitilal Banarasi Das, Delhi, 2001

मातृभाषा में शिक्षा की उपादेयता: महात्मा गांधी की दृष्टि और आज का परिदृश्य

सुधीर कुमार[i]
डा. सत्यपाल यादव[ii]

सारांश : किसी भी देश की सांस्कृतिक उन्नति में मातृभाषा का प्रयोग एक आवश्यक अवयव होता है। मातृभाषा के साथ बच्चे की व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी जुड़ी होती है। अतः मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में बच्चे को गर्व की अनुभूति होती है। बढ़ती उम्र के साथ मातृभाषा के प्रति यह जुड़ाव और भी गहरा होता जाता है, जिसका लाभ बच्चों को शैक्षणिक सफलता के रूप में प्राप्त होता है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास करती है। पिछड़े क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेज़ी अथवा अन्य बाहरी भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा अनेक बच्चों के शैक्षणिक विकास में बाधा बन जाती है। परिणामस्वरूप वे एक कुशल मानव संसाधन के रूप में स्वयं को विकसित नहीं कर पाते। मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा शैक्षणिक सफलता की आधारशिला रखती है। शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा का उपयोग सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है, जहां शिक्षार्थी बेहतर सीख सकते हैं और शिक्षक अधिक प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकते हैं। नई शिक्षा नीति–2020 की पहल इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देश की उन्नति और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए मातृभाषा में शिक्षा आवश्यक है।

मुख्य शब्द : भाषा, मातृभाषा, नई तालीम, शिक्षा, यूनिसेफ, महात्मा गांधी, नई शिक्षा नीति, सफलता, मानव संसाधन, संस्कृति, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास ।

मूल आलेख : भाषा मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। भाषाएं संस्कृति की नींव होती हैं। भाषा के माध्यम से न केवल संवाद स्थापित किया जाता है, बल्कि यह व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की राह भी दिखाती है। जन्म के बाद एक शिशु सर्वप्रथम जिस भाषा के संपर्क में आता है, वह मातृभाषा होती है। एक बच्चा बोलचाल की भाषा में प्रायः मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। मातृभाषा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को सहजता और कुशलता से अभिव्यक्त करता है। बालक मातृभाषा के माध्यम से अपने समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से परिचित होता है और उनमें आस्था रखने लगता है। यहीं से उसके सांस्कृतिक जीवन का विकास आरंभ हो जाता है (Rastogi et al. 4) ।

मातृभाषा के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मातृभाषा का विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं, अन्य विषयों को सीखने का माध्यम भी है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने-सीखने में भी सहायता करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है वह उतनी सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन कर लेता है। (Rastogi et al. 5) । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा देने के पक्षधर थे। उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से देने की जोरदार पैरवी की थी। गांधीजी का कहना था -

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिस राष्ट्र के बालक अपनी मातृभाषा को त्याग कर किसी विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे न केवल एक अनुचित मानसिक भार के शिकार होते हैं, बल्कि इससे उनकी मौलिकता भी नष्ट हो जाती है। विदेशी माध्यम उन्हें उनके प्राकृतिक विकास से वंचित करता है, उनकी सृजनात्मकता को कुंठित करता है और अंततः उन्हें उनके राष्ट्र, संस्कृति और समाज से पृथक कर देता है (Pandey 55)।

वर्ष 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन के मंच से भी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने की वकालत की थी (Sykes 14)। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देश की नींव को मजबूत कर सकती है। लगभग नौ दशक पहले किए गए 'नई तालीम' के प्रयोग को इसका सटीक उदाहरण माना जा सकता है। दरअसल, इस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत बुनियादी विद्यालयों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि यह प्रयोग दीर्घकालिक न हो सका, परंतु नई शिक्षा नीति-2020 में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की जो बात कही गई है, वह भी गांधीजी की उसी संकल्पना से प्रेरित है, जो 'नई तालीम' की एक प्रमुख विशेषता थी। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 ने शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को मान्यता दी है और पांचवीं कक्षा तक या अधिमानतः आठवीं कक्षा तक और वैकल्पिक रूप से हाई स्कूल तक इसकी दृढ़ता से अनुशंसा की है (Azher Para 1) । गांधीजी के विचारों को जानना और समझना इस संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है, जिन्होंने विभिन्न मंचों से मातृभाषा में शिक्षा की पुरज़ोर वकालत की थी। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम बनाए जाने के विषय में वे किसी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं थे।

मातृभाषा के संबंध में गांधीजी के विचार

● **शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण** - गांधीजी ने शिक्षा को व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार माना और इसे शारीरिक विकास के समान आवश्यक बताया। उनके अनुसार, शिक्षा व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। (Tripathi and Tripathi 15)

● **मातृभाषा, शिक्षा की नींव** : गांधीजी के अनुसार, मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा समुचित शिक्षा की नींव है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सही और स्पष्ट बोलने व लिखने में सक्षम नहीं होता, तब तक उसके विचारों में स्पष्टता और तर्कशीलता नहीं आ पाती। मातृभाषा वह माध्यम है,जिससे बच्चे अपने देश की विचारधारा, भावनाएं और आकांक्षाएं समझ पाते हैं और एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत प्राप्त करते हैं। (Dubey 208)

● **अंग्रेजी शिक्षा पर गांधीजी का दृष्टिकोण** – गांधीजी ने अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा की तीव्र आलोचना की। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय शिक्षित वर्ग को मानसिक रूप से अपंग बना दिया है (Fagg 11-12)। उन्होंने इसे एक ऐसी प्रणाली बताया जो व्यक्ति को अपने देश में ही अजनबी बना देती है। उनका मानना था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना करोड़ों लोगों को गुलामी के बंधन में डालने जैसा है। गांधीजी ने मातृभाषा के प्रति अत्यंत भावनात्मक और दृढ़ पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपका रहूंगा, जिस तरह अपनी मां की छाती से। वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। (Shrivastava 131-132)

● **मातृभाषा और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उदाहरण** – गांधीजी मातृभाषा के पक्ष में ऐतिहासिक उदाहरणों का भी सहारा लेते थे। गांधीजी ने राजा राममोहन राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तित्वों का

उदाहरण देते हुए कहा कि वे अंग्रेजी शिक्षा से प्रशिक्षित होने के बावजूद, यदि अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त करते, तो उनका प्रभाव और व्यापक होता। इसके विपरीत, चैतन्य, कबीर, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों के संदेश मातृभाषा में होने के कारण अधिक स्थायी और प्रभावशाली बने। (Malik 55)

● **मातृभाषा में शिक्षा का सामाजिक महत्व** - भागलपुर के 'बिहार छात्र सम्मेलन' में गांधीजी ने कहा था कि भारत ने अपनी मातृभाषा का अपमान किया है, जिसका हमें दुष्परिणाम भुगतना होगा। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलने से वे न केवल बेहतर समझ विकसित करते हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी मजबूती से जुड़ते हैं। (Dubey 200)

● **अंग्रेजी शिक्षा और सामाजिक असमानता** - गांधीजी ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती है। यह शिक्षा ज्ञान को कर्म से अलग कर देती है और सामाजिक समरसता के खिलाफ काम करती है। इससे समाज में श्रमिक-ज्ञानी, शिक्षित-अशिक्षित, धनी-गरीब जैसे वर्गों में दूरी बढ़ती है (Mukerji 43)। उन्होंने लिखा – मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा देना विद्यार्थी की हत्या करने के बराबर है (Pathak 186)।

● **शिक्षा का यथार्थ उद्देश्य और मातृभाषा** - गांधीजी ने 'यंग इंडिया' में प्रकाशित अपने लेख में स्पष्ट किया कि यथार्थ शिक्षा तभी संभव है, जब बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखें और सोचें। विदेशी भाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक और सांस्कृतिक विकास में बाधा बनती है। (Mallik and Pandey 55)

● **मातृभाषा में शिक्षा के अभाव के परिणाम** - गांधीजी के अनुसार, विदेशी भाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चे अपनी जड़ों से कट जाते हैं और यह एक प्रकार की आत्महत्या है। इससे उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है और वे अपने परिवार और समाज से अलग हो जाते हैं। (Gandhi 70)

● **गांधीजी की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की आलोचना** - गांधीजी ने औपनिवेशिक शिक्षा में कई ऐसे विषय होने की आलोचना की, जिनका छात्रों के घरेलू जीवन से कोई संबंध नहीं होता। उच्च शिक्षा के दौरान छात्र अपने पारंपरिक और ग्रामीण जीवन से कट जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय भावना कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए कि वे बच्चों को उनके परिवेश से जुड़ने में मदद करें। (Singh 565)

मातृभाषा में शिक्षा की महत्ता

● **सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाने वाला माध्यम** - जो छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, उनकी सीखने की प्रक्रिया अधिक सहज और प्रभावी होती है। किसी भी विषयवस्तु या पाठ्यसामग्री को समझना तब आसान हो जाता है जब वह भाषा बालक की अपनी होती है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छे ढंग से समझ पाता है, तो उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के परिणाम भी अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। इसके विपरीत यदि बच्चा विद्यालय आकर किसी दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसे पहले उस भाषा को समझने में समय और प्रयास लगाना पड़ता है। भाषा को समझे बिना वह पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसे उसकी मातृभाषा में ही पढ़ने का अवसर मिले, तो यह अतिरिक्त परिश्रम बचता है और वह शीघ्रता से विषय सामग्री को आत्मसात कर पाता है। मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चों की समझने की गति बढ़ती है और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं। कई शिक्षाविदों ने यह विचार व्यक्त किया है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की

बौद्धिक समझ, विश्लेषण क्षमता और आत्मबल को विकसित करने में अत्यंत सहायक होती है। जैसा कि गौरी सुन्दरराजन स्पष्ट करते हैं, "जब कोई बालक अपनी परिचित भाषा में सीखता है, तो उसके लिए ज्ञान की दुनिया अधिक सुलभ और अर्थपूर्ण बन जाती है।" वे आगे कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जटिल और अमूर्त अवधारणाएँ भी बालक के अनुभवों से जुड़कर जीवन्त हो उठती हैं, जिससे न केवल उसकी समझ विकसित होती है, बल्कि उसमें 'मैं यह कर सकता हूँ' जैसी आत्मविश्वासपूर्ण भावना भी प्रज्वलित होती है (Sundararajan, para 2)। इस प्रकार स्पष्ट है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा प्रणाली न केवल बालकों के सीखने को सहज बनाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

● **आत्म-सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा का मूल आधार -** मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष भावनात्मक स्थान रखती है। यही वह भाषा होती है जिसके सहारे व्यक्ति जीवनभर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को सहजता से अभिव्यक्त करता है। जब छात्र को उसी भाषा में शिक्षा प्राप्त होती है जो वह घर में बोलता है, तो उसके मन में उस भाषा के प्रति गौरव का भाव विकसित होता है। यह अनुभव उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसकी भाषा भी सम्माननीय है और विद्यालय में उसे पूरा मान-सम्मान मिल रहा है। गौरी सुंदरराजन भी इस विचार को बल देते हैं कि शैक्षणिक लाभों से कहीं अधिक मातृभाषा में शिक्षा बच्चे के आत्म-सम्मान और सांस्कृतिक पहचान को गहराई प्रदान करती है। जब कोई बालक अपनी मूल भाषा में आत्मविश्वासपूर्वक स्वयं को व्यक्त करता है, तो वह न केवल संप्रेषण में दक्ष बनता है, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी गहरे जुड़ाव का अनुभव करता है। यही जुड़ाव उसकी अस्मिता को स्पष्ट और दृढ़ करता है (Sundararajan, para 6)। इसी दिशा में यूनिसेफ इंडिया के एक लेख में इदरीस अहमद लिखते हैं कि "अपनी भाषा में सीखना और सिखाना समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करता है" (Ahmad, para 6)। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था भाषाई विविधता के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मातृभाषा का उपयोग करने से बच्चे को अपनी आलोचनात्मक सोच और साक्षरता कौशल विकसित करने में मदद मिलती है (Carolyn para 12) । इस प्रकार मातृभाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति, आत्मगौरव और अस्मिता का मूल स्तंभ भी है।

● **सोच, संप्रेषण और आत्मविश्वास का आधार -** मातृभाषा बच्चों को सोच और भावनाओं को विकसित करने में समर्थ बनाती है। जब कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, तो सामान्यतः उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए उसे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे, जो घर पर किसी भिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें जब स्कूलों में किसी अन्य भाषा में पढ़ाया जाता है, तो वे उस भाषा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों के संचार कौशल में सुधार होता है। अपनी मूल भाषा में बच्चे सहजता से सोचते और व्यक्त करते हैं। जब भाषा का बंधन नहीं होता, तो बालक अपने विचारों को तुरंत और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। इसके विपरीत, दूसरी भाषा में सोच को अनुवाद करना पड़ता है, जिससे संप्रेषण की गति धीमी होती है और आत्मविश्वास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मातृभाषा में विचारों की स्पष्टता आती है और बच्चे आत्मविश्वास से भरकर संवाद करना सीखते हैं।

● **पारिवारिक संवाद, अभिव्यक्ति और सशक्तिकरण की कुंजी -** जीवन के हर क्षेत्र में संचार कौशल की आवश्यकता होती है और इसकी नींव मातृभाषा से ही पड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और तर्कशक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। यह उनके सर्वांगीण विकास को पोषित करती

है और भविष्य में सफलता की संभावनाएं भी बढ़ाती है। जब बच्चा मातृभाषा में पढ़ता है, तो वह अपने माता-पिता से सहजता से संवाद कर पाता है। अशिक्षित माता-पिता और घर के वे सदस्य जो केवल मातृभाषा ही समझते हैं, उनसे बच्चों को विचार-विमर्श करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार मातृभाषा के प्रयोग से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को सशक्त बनाती है, उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर करती है और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की दिशा में अग्रसर करती है। चूंकि मातृभाषा बच्चों की अभिव्यक्ति की सहज भाषा होती है, अतः इसके माध्यम से वे स्वयं को बेहतर रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को ने वर्ष 2022 से 2032 तक की अवधि को "स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक" (International Decade of Indigenous Languages 2022–2032) घोषित किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी समुदायों को उनकी भाषाओं को संरक्षित, पुनर्जीवित और बढ़ावा देने का अधिकार प्रदान करना है। यह मातृभाषाओं के संरक्षण और उपयोग को वैश्विक प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष : मातृभाषा में शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक समृद्धि, सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और समग्र विकास का मूल आधार होती है। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि विचार, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के विकास का माध्यम है। गांधीजी द्वारा प्रस्तावित 'नई तालीम' शिक्षण पद्धति इसी मूलभूत विचार पर आधारित थी, जिसमें मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाकर बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई थी। सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को नवाचार के साथ अंगीकार करते हुए पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की है। यह पहल केवल शैक्षणिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक वैचारिक पुनर्जागरण है, जो देश के बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ते हुए, उन्हें वैश्विक क्षितिज पर आत्मविश्वास से भरने की दिशा में अग्रसर करेगी। मातृभाषा में शिक्षा न केवल ज्ञान की संप्रेषणीयता को आसान बनाती है, बल्कि बच्चे के सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास में भी सशक्त भूमिका निभाती है। अतः आज के परिप्रेक्ष्य में गांधीजी की शिक्षात्मक दृष्टि अधिक प्रासंगिक, समकालीन और क्रांतिकारी प्रतीत होती है।

संदर्भ सूची

1. Dubey, Narendra. "Gandhiji ka Nai Talim ka Vichar." Nai Talim: Naya Pariprekshya, Edited by S.V. Prabhat, Serials Publication, New Delhi, pp. 200-208
2. Fagg, Henry. "Gandhi Ji ki Buniyadi Shiksha ka Adhyayan". Translated by Kumar Pankaj, National Book Trust, 2021.
3. Gandhi, Mahatma. "Vidyarthiyon ke Prati". Sarv Seva Sangh Prakashan, 2013.
4. Malik, Deepak. "Ek Sarvik Shikshan ki Aur." Buniyadi Shiksha, edited by A. Arvindakshan and Mithilesh, Rajkamal Prakashan, 2019, pp 55.
5. Mukerji, S. N. , "Education in India: Today and Tomorrow". Baroda: Acharya Book Depot, 1969.

6. Pandey, Ram Niranjan. “Aadhunik Samaaj aur Gandhiji ki Buniyadi Shiksha.” Mahatma Gandhi ki Buniyadi Shiksha, edited by Sangeeta Mallik and Omprakash Pandey, Bharti Prakashan, 2016, pp. 55.
7. Pathak, Supriya. “Gandhiji ka Shiksha Drishtikon: Ek Stri-vaadi Note.” Buniyadi Shiksha, edited by A. Arvindakshan and Mithilesh, Rajkamal Prakashan, 2019, pp. 186.
8. Rastogi, Krishna Gopal, et al., “Matribhasha Hindi Shikshan”. Edited by Ravi Kanta Chopra and Anand Prakash Vyas, National Council of Educational Research and Training (NCERT),pp 2-4.
9. Shrivastava, Rashmi. “Mahatma Gandhi ka Shiksha Chintan”. National Book Trust, 2019.
10. Singh, Dashrath. “Gandhivad ko Vinoba ki Den”. Bihar Hindi Granth Academy, Patna, 1975.
11. Sykes, Matjorie., “Nai Talim Ki Kahani”, edited by Shreeprakash, Regional Resource Centre for Elementary Education, Delhi, 14.
12. Tripathi, Madhusudan, and Adarsh Kumar Tripathi. , “Mahatma Gandhi ka Shiksha Darshan’’. Omega Publications, 2013.

Website References :

13. Ahmad, Idhries. “Learning in the Mother Tongue Is the Best Start to Education.” UNICEF India, 21 Feb. 2024, https://www.unicef.org/india/stories/learning-mother-tongue-best-start-education. Accessed 22 May 2025.
14. Azher, Qazi Siraj. "Merits of Mother Tongue-Based Education." Rising Kashmir, 20 Feb. 2024, https://risingkashmir.com/merits-of-mother-tongue-based-education/ . Accessed 22 May, 2025.
15. International Decade of Indigenous Languages 2022–2032. UNESCO, 2022, https://idil2022-2032.org/. Accessed 22 May 2025.
16. Sundarrajan, Gowri., “Why Mother Tongue Education holds the key to unlocking every child’s potential.”Unicef, 20 February 2024, https://www.unicef.org/india/stories/why-mother-tongue-education-holds-key-unlocking-every-childs-

potential#:~:text=Studies%20have%20consistently%20shown%20that,problem%2Dsolving%2C%20and%20creativity. , Accessed 22 May, 2025.

17. Savage, Carolyn. "The Importance of Mother Tongue in Education." Independent Education Today, 30 Aug. 2019, www.ie-today.co.uk/comment/the-importance-of-mother-tongue-in-education/. Accessed 24 May 2025.

शाङ्करभाष्यों में जीव एवं जगत्: एक विवेचन

[1]अवधेश प्रताप सिंह एवं [2]सुभाष चन्द्र

[1]सहायक-आचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

[2]सह-आचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

ई-मेल: [1]*apsingh@sanskrit.du.ac.in* [2]*schandra@sanskrit.du.ac.in*

शोधसार- "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या"[1] अद्वैत वेदान्त का सारभूत सिद्धान्त है जिसके अनुसार परम 'ब्रह्म' ही एकमात्र सत्य है तथा शेष समस्त प्रपञ्च मिथ्याभूत है। अद्वैतवादी आचार्य शङ्कर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रह्म निर्गुण, निर्विकार, निर्धर्मक, सच्चिदानन्द सत्ता है तथा वही इस जगत् का विवर्तत्वेन आधार भी है। अद्वैत वेदान्त में सृष्टि की उत्पत्ति के सन्दर्भ में गौडपादाचार्य 'अजातवाद' के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं जिसके अनुसार पारमार्थिक रूप से यह सृष्टि उत्पन्न ही नहीं होती है। ऐसी मान्यता के सन्दर्भ में शाङ्करभाष्यों में वर्णित जीव-जगत् के सम्बन्ध में विचार करना यद्यपि असङ्गत ही प्रतीत होता है तथापि प्रातिभासिक, व्यावहारिक एवं पारमार्थिक इस सत्तात्रय की स्वीकृति से व्यावहारिक सत्य होने से जीव-जगत् विषयक विचार युक्तिसङ्गत है।

बीजशब्द: जीव, जगत्, ब्रह्म, माया, अजातवाद, वेदान्त, पञ्चकोश

आचार्य शङ्कर के अनुसार जीव शरीराध्यक्ष तथा कर्मफलों का भोक्ता है।[2] वस्तुतः चेतन ब्रह्म ही जब शुद्ध सत्त्वप्रधान माया से युक्त होता है तो वह 'ईश्वर' एवं जब मलिन सत्त्वगुणयुक्त अविद्या से युक्त होता है, तब 'जीव'[3] कहलाता है। शाङ्कर वेदान्त में जीव के पर्यायरूप में सम्प्रसाद, पुरुष[4], क्षेत्र, भूत, संसारी[5] तथा त्रिदशाध्यक्ष[6] का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मसूत्रभाष्य तथा कठोपनिषद् भाष्य में आचार्य शङ्कर ने जीव को कर्त्ता एवं भोक्ता बताया है।[7]

जीव में कर्तृत्व के साथ द्रष्टृत्व, श्रोतृत्व एवं मन्तृत्व भी है।[8] परन्तु जीव में ये कर्तृत्वभोक्तृत्वादि अविद्याकृत हैं।[9] इसी अविद्याकल्पित रूप के कारण जीव सुख-दुःख की अनुभूति करता है।[10] सुख-दुःख की यह अनुभूति जीव को उसके स्वकर्मानुसार ही होती है क्योंकि जीव कर्मफलों का भोक्ता है।[11] सांसारिक अवस्था में कृत-कर्म ही जीवों के जन्मान्तर के आरम्भक होते हैं।[12] वस्तुतः तो जीव के ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण जीव की उत्पत्ति ही सम्भव नहीं है।[13] गौडपादकारिकाभाष्य में आचार्य ने जीव की उत्पत्ति को महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति के समान बतलाया है।[14] जीव की घटाकाशवद् अविद्याकृत उत्पत्ति तभी तक अनुभव का विषय है, जब तक जीव की अविद्या का नाश नहीं हो जाता है।

अविद्या के नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार भ्रमवश हुई रज्जु में सर्प प्रतीति विवेक से नष्ट हो जाती है तथा पुनः प्रयत्न करने पर भी रज्जु में सर्पग्रहण कथमपि सम्भव नहीं होता, उसी प्रकार जीवोत्पत्ति भी सम्भव नहीं है। मुण्डकोपनिषद् भाष्य में आचार्य ने ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति सुदीप्त अग्नि में विस्फुलिङ्गों की भाँति बतलाई है।[15]

वास्तव में यह उत्पत्ति अविवेककृत ही है क्योंकि अज एवं अक्षर ब्रह्म से किसी प्रकार की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है।[16] परमार्थ रूप में जीव ब्रह्म ही है, देव एवं मनुष्य अथवा पशु-पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सभी ब्रह्मरूप ही हैं। आचार्य शङ्कर के अनुसार जीव ब्रह्म का विकार नहीं है, अपितु ब्रह्म का आभास मात्र है। इसलिए ब्रह्म जीव के शुभाशुभ कर्मों से ठीक उसी प्रकार संलिप्त नहीं होता जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य के हिलने से सूर्य नहीं हिलता है।[17] जीव एवं ब्रह्म को अभिन्न मानते हुए आचार्य ने ब्रह्मसूत्रभाष्य में जीव की विभुता एवं व्यापकता का प्रतिपादन किया है।[18] जीव के व्यापक होने से ही सकल शरीरगत अनुभवों की प्राप्ति भी सम्भव है। जीव अविद्या, काम एवं कर्म से युक्त होकर सांसारिक अवस्था में पुत्र, पौत्र, स्थूल, कृशादि अनेक उपरूपों को प्राप्त करता है।[19] जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय इन पंचकोशों से युक्त होता है। इन पंचकोशों में पूर्व-पूर्वकोशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर कोश सूक्ष्म है तथा जीव के वास्तविक स्वरूप के अपेक्षाकृत निकट है।[20]

आचार्य शङ्कर ने समस्त जीवों के जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज रूप से चार भेद स्वीकार किए हैं।[21] जीवों के भेद-चतुष्टय की स्वीकृति से स्पष्ट है कि आचार्य जीव बहुत्व स्वीकार करते हैं। किन्तु आचार्य द्वारा स्वीकृत यह अनेक जीववाद अविद्योपाधिकृत देहभेद की अपेक्षा से ही है, आत्मा का अनेकत्व नहीं है।[22] ब्रह्मसूत्रभाष्य में आचार्य ने जीव की जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ स्वीकृत की हैं।[23] जीव की इन तीनों अवस्थाओं का आधार सत्त्व, रजस् एवं तमस् गुण है, इसलिए जीव त्रिदशाध्यक्ष भी कहलाता है।[24] लोकव्यवहार में श्रूयमाण जीव का जन्म-मरण केवल शरीर का विनिपातमात्र है, चेतन जीव का नहीं।[25] जिस प्रकार घट के टूट जाने से उसके भीतर का घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार देहोपाधि के हट जाने से चेतन जीव महाचैतन्य से सायुज्य का अनुभव करता है अविद्यायुक्त जीव का ब्रह्मभावाभावित हो जाना ही मृत्यु है।[26] शरीरत्यागकाल में जीव यद्यपि ब्रह्म के साथ संयुक्त हो जाता है तथापि कारणशरीर के साथ कर्म एवं अविद्या का संयोग बना रहता है, इसी हेतु से पुनः तत्-तत् सूक्ष्मशरीर से ही पुनर्जन्मरूप स्थूल शरीरोत्पत्ति होती है।[27] जीव जन्मान्तर के शुभ कर्म संचय के कारण जब किसी सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक रूप को समझने में समर्थ होता है। उस अवस्था में जीवों का लय ब्रह्म में ही हो जाता है तथा जीव एवं ब्रह्म एकरूपता को प्राप्त हो जाते हैं।[28]

आचार्य शङ्कर जगत् को व्यावहारिक रूप से सत्य स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार परमार्थ तत्त्वावबोध यावत् ही जगत् सत्य है। दृष्टादृष्टविषय-समुदायस्वरूप[29] यह जगत् जन्म-मरण एवं संसृति के कारण 'संसार', दृष्ट विषय होने से 'लोक' तथा भूतों की उत्पत्ति का आधार होने से 'भुवन'[30] कहलाता है। दुःखरूप होने से अशुभ, अनित्य होने से 'अश्वत्थ' तथा संसरण से 'सृष्टि' आदि नामों से भी जगत् विख्यात है। जनन-मरण रूप लक्षण वाले इस व्यावहारिक जगत् की उत्पत्ति सर्वज्ञ एवं सर्व शक्तिमान् ब्रह्म से स्वीकृत एवं सङ्गत है [31] जगत् एवं ब्रह्म का परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। आचार्य के अनुसार ब्रह्म जगत् का निमित्तोपादान कारण है। ब्रह्म जगत् का कारण है और जगत् ब्रह्म का कार्य है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि ब्रह्म का वास्तव में किसी काल-विशेष में कार्य-विशेष के रूप में परिणाम होता है; किन्तु इसका आशय यही है कि जिस प्रकार कारण के बिना कार्य की सत्ता सम्भव नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म के बिना जगत् की सत्ता सम्भव नहीं है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में सृष्टि रचना पूर्णरूप से कर्म सिद्धान्त पर आधारित स्वीकृत की गई है।[32] आचार्य के अनुसार सृष्टि रचना के आरम्भ में जब प्राणियों के कर्मभूत निमित्त उपस्थित नहीं थे अपितु लीला हेतु से ही ब्रह्म ने सृष्टिरचना की थी, उस समय भी सृष्टि रचना नियमित व्यवस्था के अनुसार ही हुई थी। उस व्यवस्था का क्रम इस प्रकार है "तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्

वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अदभ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । औषधीभ्योऽनम् । अन्नात्पुरुषः ।"[33] इस प्रकार सर्वप्रथम पंचमहाभूतों की सृष्टि हुई तदनन्तर इनके त्रिवृत्करण द्वारा अन्य भूतप्रधान सृष्टि की रचना हुई।

आपेक्षिक सत्य यह जगत् नामरूप-क्रियात्मक तथा अनित्य है। अनित्य स्वरूप यह जगत् सुख-दुःख का सम्मिश्रण है। सुख-दुःख की प्राप्ति में प्राणियों कर्मफल ही नियामक है क्योंकि जगत् की प्रवृत्ति ही कर्मानुसारिणी है।[34] "न हि कश्चित् क्षणमपि तिष्ठत्यकर्मकृत्" गीता के इस सिद्धान्त के अनुसार प्राणी क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। परिणामस्वरूप संसार का प्रवाह भी बीजाङ्कुरवत् निरन्तर प्रवाहित होता रहता है।[35] कठोपनिषद् भाष्य में आचार्य का कथन है कि नदी एवं स्रोत जैसे अटूट सम्बन्ध वाले इस जगत् में प्राणी जन्म-मरण के अटूट चक्र में फँसे रहते हैं तथा फसलों की भाँति उगते एवं कटते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य में आचार्य ने कामना को संसार का मूल बताया है।[36]

आचार्य शङ्कर के अनुसार जगत्-प्रतीति का एकमात्र कारण अविद्या है।[37] शारीरक भाष्य में उन्होंने स्पष्टतः कहा है - समस्तस्य प्रपंचस्य माया मात्रात्वम्।[38] जगत् ब्रह्मरूप होते हुए भी अविद्या के कारण तद्भिन्न प्रतीत होता है। यह प्रतीति रज्जु में सर्पप्रतीति की भाँति अवास्तविक है। जगत् ब्रह्म में अविद्या भेद से ही आभासित होता है।[39] ब्रह्म एवं जगत् में मात्र उतना ही भेद है जितना की जल एवं तरङ्ग का परस्पर भेद होता है। निद्रा भङ्ग होने से पूर्व जिस प्रकार स्वप्न सृष्टि सत्य ही होती है, उसी प्रकार ब्रह्मबोध से पूर्व दृश्यमान जगत् भी सत्य प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि एकमात्र ब्रह्म के ही परमार्थ सत्य होने पर भी अविद्या द्वारा जगत् नाना रूपों में आभासित हो रहा है। ब्रह्म से उत्पन्न यह जगत् ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है।

कठोपनिषद् भाष्य के अनुसार जगत् की यह प्रतीति आत्मतत्त्व का अज्ञान मात्र है।[40] पारमार्थिक दृष्टि से जगत् नाम की कोई सत्ता नहीं है। यह जगत् मायाजाल सदृश है तथा दृश्यमान पदार्थ स्वप्नतुल्य है।[41] समस्त जगत् व्यवहार ब्रह्म में मिथ्यारूप से कल्पित है।[42] अतः जगत् मात्र व्यावहारिक सत्ता है, परमार्थ तत्त्व ब्रह्म ही है। आचार्य शङ्कर के अनुसार जगत् अनेकानेक अनर्थों, कष्टों एवं दुःखों से परिपूर्ण है। अतः जगत् रुप दुःख से मुक्ति पाना आवश्यक है, क्योंकि तभी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति सम्भव है।[43] आचार्य ने तैत्तिरीयोपनिषद् भाष्य में आत्मज्ञान को दुःखनिवृत्ति का उपाय बतलाया है।[44] आत्मज्ञान से संसार के कारणभूत समस्त सुकृत-दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर जगत् ठीक उसी प्रकार विलुप्त हो जाता है, जैसे निद्रा भङ्ग हो जाने पर स्वप्नदृष्ट पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं। आचार्य के अनुसार जगत् से मुक्ति का अभिप्राय है - ब्रह्मभाव की प्राप्ति, क्योंकि जगत् अविद्याकृतोपाधि द्वारा ब्रह्म में अध्यस्त है। आत्मबोध से इस अविद्या का नाश होता है तथा जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में विज्ञान ने देश-काल के भेद को प्रायः समाप्त कर विश्व को एक बाह्य एकता का रूप दे दिया है। परस्पर संश्लिष्ट अङ्गों का यह समूह एक ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्था बन गया है जिसमें प्रत्येक समूह तथा देश एक-दूसरे से प्रभावित हैं। इस बाह्य एकता के होते हुए भी लोग वर्ग, सम्प्रदाय, जाति, धर्म आदि अनेक भेदों से विभाजित हैं। आधुनिक जगत् निरन्तर भय तथा हिंसा, युद्ध और अशान्ति का जगत् है। विश्व की इस अशान्ति और अराजकता का समाधान तथा विश्व अभ्युदय आध्यात्मिक एकत्व की भावना से ही सम्भव है। एकत्व की भावना में ही समस्त भेदों का समन्वय सम्भव है। बाह्य और भौतिक एकता तथा आर्थिक एवं राजनीतिक परस्पराश्रयत्व स्वतः सामान्य नागरिकता उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक-जातीयता की मानवीय चेतना और मनुष्य में व्यक्तिगत सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध की भावना का जागरण आवश्यक है।

शाङ्कर वेदान्त में विश्व अभ्युदय हेतु सर्वात्मभाव का दर्शन प्रतिपादित किया गया है। इस सर्वात्मभाव से पृथकत्व एव अहंकार का भाव दूर होता है तथा एक विश्वात्मा के रूप में व्यक्तित्व एवं जीवन दोनों का विकास होता है। वेदान्त मनुष्य को उच्चतम आध्यात्मिक गौरव प्रदान करता है और समस्त जीवों के आध्यात्मिक एकत्व की भावना में विश्व-अभ्युदय एवं विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आचार्य शङ्कर के अनुसार समस्त अनर्थों का मूल भेद की भावना है जो घृणा एवं भय उत्पन्न करती है।[45] घृणा और भय ही जीवन और जगत् में समस्त दुःख और अशान्ति का मूल कारण है। तैत्तिरीयोपनिषद् भाष्य में आचार्य का कथन है कि घृणा और भय का मूल अन्यत्व की भावना में है।[46] सबका वास्तविक स्वरूप एक ही आत्मा है, इसलिए आध्यात्मिक एकत्व ही परम सत्य एवं परमार्थ है। सर्वात्मत्व का दर्शन कर लेने पर भय के कारण का विनाश हो जाता है।[47]

ईशोपनिषद् भाष्य में आचार्य का कथन है कि जो सदा सर्वत्र शुद्ध आत्मा का दर्शन करता है, उसके लिए घृणा का कारण नहीं रह जाता।[48] जो आत्मज्ञानी अव्यक्त से लेकर स्थावर तक समस्त जीवों को अपने से पृथक् नहीं देखता और आत्मस्वरूप से ही सबको देखता है, वह किसी से घृणा नहीं कर सकता है।[49] छान्दोग्य उपनिषद भाष्य में आचार्य का स्पष्ट उद्घोष है कि आत्मदर्शन अथवा सर्वात्मभाव ही निःश्रेयस तथा परमकल्याण का साधन है।[50] इसी साधन द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक अभ्युदय सम्भव है[51] तथा जीवन एवं जगत् में स्थाई शान्ति का एकमात्र मार्ग भी यही है।

आध्यात्मिक सत्ता के साक्षात्कार में जीवन और जगत् की समस्त समस्याओं का समाधान है। आत्मा के एकत्व तथा परिणामभूत स्वार्थों के समन्वय में ही स्वार्थों के विरोध का समाधान और आचरण का चरम आदर्श है। मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों का अध्यात्मीकरण ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की शारीरिक तथा भौतिक आवश्यकताओं का जीवन के उच्चतम आदर्श से सामंजस्य हो सकता है। स्वयं तथा समस्त प्राणिजाति के व्यक्तित्व के तत्त्वरूप में आत्मा का दर्शन तथा इसके फलस्वरूप समस्त प्राणिजाति के एकत्व का अनुभव ही ऐसा सिद्धान्त है जिसके आधार पर एक स्थाई एवं सन्तोषकर सामाजिक व्यवस्था का विधान एवं स्थापन हो सकता है। सर्वात्मभाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी साधना तथा मानव जाति के अभ्युदय का उपाय है। जब हम सर्वात्मभाव का साक्षात्कार कर लेते हैं तो सत्य हमारा स्वभाव, पूर्णता हमारा अधिकार तथा श्रेय हमारा स्वाभाविक व्यवहार बन जाता है। समस्त प्राणिजाति के साथ अपृथक् तादात्म्यभाव का ज्ञान हो जाने पर, विरोध और परत्व का समस्त भाव, जो जगत् के अखिल अनर्थ तथा संताप का मूल है, नष्ट हो जाता है तथा जगत् में पूर्ण शान्ति, शुद्ध प्रेम तथा आनन्द की व्याप्ति होती है।

आचार्य शङ्कर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को नैतिक कर्म तथा आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकार है।[52] मनुष्य में शुभाशुभ विवेक की शक्ति है और वह दोनों में से किसी को भी ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य को वह संकल्प शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा वह कर्तव्य एवं अकर्तव्य में विवेक कर सकता है।[53] आचार्य शङ्कर ने मनुष्य के स्वातन्त्र्य एवं कर्म के प्रति उसके उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। मानवीय कर्मों में ईश्वरीय निर्देश का निराकरण न करते हुए भी उन्होंने व्यक्ति के कर्तृत्व का समर्थन किया है। सत्त्वशुद्धि कर्मों का साक्षात् फल है। गीताभाष्य में आचार्य का मत है कि निष्काम भावना से कृत कर्म सत्त्वशुद्धि के कारण होते हैं तथा सत्त्वशुद्धि द्वारा ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करके आत्मानुभव एवं निःश्रेयस में उपकारक होते हैं।[54]

मनुष्य की शारीरिक प्रवृत्ति उसे प्रेय की ओर आकर्षित करती है तथा उसकी आध्यात्मिक प्रकृति श्रेय का सङ्केत करती है। गीता भाष्य में आचार्य का कथन है कि श्रेय मनुष्य के जीवन और आचार का परम पुरुषार्थ है। जब तक मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य में विवेक कर सकता है तभी तक वह मनुष्य है। जब वह विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य रूप से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह न पुरुषार्थ के योग्य रहता है, न उसका अधिकारी।[55] श्रेय प्रेय से भिन्न है और मनुष्य का गुण उनके का विवेक में है। जो अभ्युदय की कामना करते हैं वे प्रेय की ओर प्रवृत्त होते हैं, जो के अमृतत्व के अभिलाषी हैं वे श्रेय का वरण करते हैं। कठोपनिषद् भाष्य में आचार्य ने का श्रेय के प्रति प्रवृत्ति को कल्याणकर बतलाया है।[56]

निष्कर्ष: शाङ्कर भाष्यों में प्रतिपादित सर्वात्मत्व के आदर्श तथा निष्काम कर्म नथा एवं नैतिक आचरण से ही मानवता की समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति सम्भव है। आध्यात्मिक एकत्व की भावना और साध्यैकत्व से एक पूर्ण समन्वय तथा अनन्त प्रेम का भाव उदित होता है, जो विश्व-शान्ति एवं विश्व-अभ्युदय की स्थापना में समर्थ है। मनुष्य की प्रवृत्तियों के अध्यात्मीकरण द्वारा मनुष्य-जाति के एकत्व में ही शान्ति, सुख एवं अभ्युदय की आशा निहित है।

सन्दर्भ

1. विवेकचूडामणि:, 20
2.)i)। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्'अस्त्यात्मा जीवाख्य शरीरेन्द्रियपंजराध्यक्षः कर्मफलसम्बन्धी', 2.3.17
)ii)। गीताशाङ्करभाष्यम् 'देहादिसंघातस्वामी जीवः', 15.8
3. अविद्या'कामकर्मविशिष्ट -कार्यकरणोपाधिरात्मा संसारी जीव उच्यते। नित्यनिरतिशयज्ञानशक्त्यु- ।'पाधिरात्मान्तर्यामीश्वर उच्यते । स एव निरुपाधिः केवलः शुद्धः स्वेन स्वभावेनाक्षरं पर उच्यते बृहदारण्यकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 3.8.12
4. 'पुरुषो जीवः', विष्णुसहस्रनामशाङ्करभाष्यम्, 1.6
5. मुण्डकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 1.1.1
6. विष्णुसहस्रनामशाङ्करभाष्यम्, 70
7. । ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् 'कर्ता चायं जीवः स्यात्', 2.3.33
8. दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्। ब्र०सू०शा०भा०, 1.3.19, प्रश्नोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 5.9
9. अविद्याप्रत्युस'्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः । न स्वाभाविकं कर्तृत्वमात्मनः संभवति अनिर्मोक्षप्रसङ्गात्। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्', 2.3.40
10. । वही'दुःखप्राप्तिरविद्या निमित्तैवेत्युक्तम्', तथा छान्दोग्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम् 2.3.46, 6.3.2
11. । कठोपनिषद 'कर्मफलभुजं जीवम्'्शाङ्करभाष्यम्, 2.1.5
12.)i)। तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्'कर्मनिमित्तशरीरराम्भोत्पत्तिः', 1.1.1

)ii) । ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् 'धर्माधर्मवशात् संसारिणोऽन्ये जायन्ते', 1.3.1

13. स्वभावतोऽतोऽजस्यास्यैकस्यात्मनः सम्भवकारणं न विद्यते नास्ति', यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न कश्चिज्जायते जीवः इत्येतत्। माण्डूक्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम् ', 3.48
14. । वही 'जीवात्मनो परस्मादात्मनः उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदान्तेषु सा महाकाशघटाकाशोत्पत्ति समा न परमार्थतः', 3.3
15. 'यथा सुदीप्तात्सुष्ठु दीप्ताद इद्धात्पावकादग्नेर्विस्फुलिङ्गाग्न्यवयाः सहस्रोऽनेकशः प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा अग्निसलक्षणा एव तथोक्तलक्षणाद् अक्षरद्विविधा नानादेहोपाधिभेदमनुविधीयमानत्वाद्विविधा हे सोम्य भावा जीव ...'मुण्डकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 2.1.1
16. माण्डूक्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 4.71
17.)i) 2.3.50 ,। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् 'सूर्यकादिवत् प्रतिपत्तत्यः-आभास एवं चैष जीवः परस्यात्मनो जल'
)ii) छान्दोग्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 6.3.2
)iii) तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 2.1.1
18. नैतदस्त्यणुरात्मेति । उत्पत्त्यश्रवणाद्धि परस्यैव तु ब्रह्मणः प्'रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम् । परमेव चेद् ब्रह्म जीवस्तस्माद् यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवो भवितुमर्हति। परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वमाम्नातम् तस्माद् विभुर्जीवः। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् ', 2.3.29
19. मुण्डकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 3.1.2
20. तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 2.3.1
21. । ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् 'चतुर्विधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जलक्षणे',3.1.20
22. । गीताशाङ्करभाष्यम्'देहभेदानुवृत्त्या बहुवचनं न आत्मभेदाभिप्रायेण', 2.12
23. तिस्रस्तावदवस्थाः शरीरस्थजीवस्य प्रसिद्धाः जागरितं', स्वप्नः सुषुप्तिः । चतुर्थी शरीरादपसृति । न तु पंचमी काचिदवस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धास्ति। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् ', 3.2.10
24. । 'गुणावेशेन संजातास्तिस्रो दशा अवस्था जाग्रदादयः तासामध्यक्ष इति त्रिदशाध्यक्षः' विष्णुसहस्रनामभाष्यम्, 70
25. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, 2.3.16, माण्डूक्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 4.71, कठोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 1.1.16
26. छान्दोग्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 5.10.1
27. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, 3.2.9
28. । 'विद्ययाऽविद्यां विधूय च जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेनाऽत्मनैकतां गच्छति'ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, 3.2.26
29. । तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम् 'ह्यं लोकः दृष्टादृष्टेष्टविषयसमुदायो', 2.8.5
30. । कठोपनिषद्शाङ्करभाष्यम् 'भवन्त्यस्मिन्भूतानीति भुवनमयं लोकः', 2.2.9
31. अस्य जगतो नामारूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशक'ाल निमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्ग यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्तेः कारणाद्भवति, तद् ब्रह्मेति। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्', 1.1.2

32. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, 2.1.34
33. तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 2.1.1
34. लोकान् अम्भः प्रभृतीन् प्राणिक'र्मफलोपभोगस्थानभूतान्नु सृजेऽहमिति। ऐतरेयोपनिषद्भाष्यम् ', 1.1.1
35. यत्र सस्यमिव मर्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो म्रियते। मृत्वा च सस्यमिव आजायत आविर्भवति पुनरेवमनित्ये ' । कठोपनिषद्शाङ्करभाष्यम् 'जीवलोके, 1.1.6
36. । 'कामोमूलं संसारस्येति'बृहदारण्यकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 6.2.16
37.)i) 'संसारोऽविद्या', विष्णुसहस्रनामशाङ्करभाष्यम्,) 3ii) 'अविद्यादेः संसारबीजस्य', कठोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 1.1.1
38. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, 3.2.4
39. । ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् 'आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्यविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति', 2350
40. । कठोपनिषद्शाङ्करभाष्यम् 'अनात्मज्ञविषय एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न ब्रह्मज्ञस्य', 1.2.19
41. । 'जगद् असत् यथा स्वप्नदृश्यः कायोऽसंस्तथा सर्ववित्त दृश्यमवस्तुकं जागरितऽपि चित्तदृश्यत्वादित्यर्थः' माण्डूक्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 4.36
42. । 'सर्वं हि नानात्वं ब्रह्मणि कल्पितमेव सर्वो हि लोकव्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न परमार्थः सन्' बृहदारण्यकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 1.4.10
43. । वही 'कर्मबीजोऽविद्याक्षेत्रोह्यसौ संसारवृक्षः समूलमुद्धर्तव्य इति। तदुद्धरणे हि पुरुषार्थपरिसमाप्तिः', 1.4.6
44. । 'प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया अविद्यानिवृत्तिस्ततः आत्यन्तिकः संसाराभावः' तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 1.1 .2
45. नानाभूतं' पृथक्त्वमन्यान्यस्माद्यत्र दृष्टं तत्राशिवं भवेत्। माण्डूक्यकारिकाशाङ्करभाष्यम् ', 2.34
46. । 'यतः भेददर्शनमेव भयकरणम्'तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 2.9.1
47. । तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्'नहि तस्माद्विदुषोऽन्यद्वस्त्वन्तरमस्ति यतो विभेति', 2.9.1
48. । ईशोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्'आत्मानमेवात्यन्तविशुद्धं निरन्तरं पश्यतो न घृणानिमित्तम्', 6
49. यः परिव्राड मुमुक्षुः सर्वाणि भूतान्यव्यक'्तादीनि स्थावरान्तानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति स तस्मादेव दर्शनान्न जुगुप्सुते घृणा न करोति। वही', 7
50. छान्दोग्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्। छा०उ०शा०भा०'नान्यदात्मविज्ञानान्निरतिशयश्रेयः साधनम्', 1.1.1
51. । माण्डूक्य 'अद्वयता अभयता अतः सैव शिवा'कारिकाशाङ्करभाष्यम्, 2.33
52. । तैत्तिरीयोपनिषद्शाङ्करभाष्यम् 'पुरुष एव शक्त्वादर्थितत्वादपर्युदस्तत्वाच्च कर्मज्ञानयोरधिक्रियते',2.1.1
53. 'संकल्पं कर्तव्याकर्तव्यविषयविभागेन समर्थनम्', छान्दोग्योपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 6.4.1
54. अभ्युदयार्थः अपि यः प्रवृत्ति लक्षण'ो धर्मो वर्णाश्रमांश्चोद्दिश्य विहितः स देवादिस्थानप्राप्तिहेतुरपिसन् ईश्वरार्पण बुद्धयानुष्ठीतमानः सत्त्वशुद्धर्थं भवति फलाभिसन्धि वर्जितः शुद्ध सत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठा योग्यताप्राप्तिद्वारेणज्ञानो। गीत'त्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते -ाभाष्यभूमिका
55. भवति तावदेव पुरुषो यावदन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो', पुरुषार्थाऽयोग्यो भवति। गीताशाङ्करभाष्यम् ', 12.63

56. । 'तयोर्हित्वाऽविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एवं केवलमाददानस्योपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति' कठोपनिषद्शाङ्करभाष्यम्, 1.2.1

सन्दर्भ:

1. शंकरनारायणनन .भारतीय विद्या भवन :दिल्ली .विवेकचूडामणि .(2008) .पी ,
2. शास्त्रीनिर्णय सागर :बॉम्बे .ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् .(1917) .लक्ष्मण शास्त्री ,अनन्तकृष्ण एवं पनिश्कर , .प्रेस
3. गोयन्दका .(2025 सं) .जयदयाल ,बृहदारण्यकोपनिषद्शाङ्करभाष्यम् .गीता प्रेस :गोरखपुर .
4. गोयन्दका .(2038 सं) .जयदयाल ,विष्णुसहस्रनामशाङ्करभाष्यम्. गोरखपुर .गीता प्रेस :
5. गोयन्दका .(2075 सं) .जयदयाल ,ईशादि नौ उपनिषद्.गीता प्रेस :गोरखपुर .

न्यू मीडिया और तकनीकी शब्दावली

डॉ. अजित सिंह तोमर

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

गुरुकुल काँगड़ी (समविश्वविदयालय) हरिद्वार

21 वीं सदी में तकनीकी नवाचार के कारण मीडिया माध्यमों की प्रकृति, विषय-वस्तु और पहुँच में उल्लेखनीय और सार्थक स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय में पारंपरिक मीडिया माध्यमों के सापेक्ष न्यू मीडिया माध्यमों ने अपना अलग आकाश विकसित किया है। न्यू मीडिया की पहुँच और प्रयोग करने की सुगमता को देखते हुए पारंपरिक मीडिया माध्यमों ने भी न्यू मीडिया की उपस्थिति और रचनात्मक भूमिका को न मात्र स्वीकार किया है वरन स्वयं को न्यू मीडिया की मांग और प्रकृति के अनुरूप ढालने का कार्य भी बड़ी तीव्रता से किया है।

न्यू मीडिया से आशय है कि एक ऐसा डिजिटल संचार माध्यम जिसमें इंटरनेट के माध्यम से द्रुत गति से सूचना संप्रेषित की जा सकती है। न्यू मीडिया में सोशल मीडिया,वेब मीडिया आदि प्रमुख मीडिया माध्यम सम्मलित हैं। न्यू मीडिया को अंतर-संवादी मीडिया माध्यम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा उपलब्ध होती है। वर्तमान में गैर-डिजिटल मीडिया यथा- प्रिंट, विज्ञापन, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो/टेलीविजन प्रसारण और सिनेमा भी न्यू मीडिया के मंचों पर समान रूप से उपलब्ध है। एक प्रकार से वर्तमान में हाइब्रिड मीडिया का समय है। अतः मीडिया माध्यमों के औपचारिक वर्गीकरण अब उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं।

भारत में संचार क्रान्ति की धमक आज देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंच गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट की उपलब्धता ने मीडिया के प्रसार के लिए एक बड़ा वैश्विक क्षेत्र खोल दिया है। भाषा और संचार के अंतर्संबंधों की पड़ताल करने पर ज्ञात होता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को न्यू मीडिया के माध्यम से एक सूत्र में पिरोकर इसे वैश्विक आकार देने का कार्य सफलतापूर्वक हुआ है। आज ई-मीडिया की पहुँच गाँव देहात से लेकर आदिवासी क्षेत्रों तक बन गई है। स्मार्टफोन आधारित न्यू मीडिया ने देश में एक नया उपभोक्तावर्ग तैयार किया है।

न्यू मीडिया पर आधारित संसाधनों में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, स्मार्टवॉच, टैबलेट, इंटरनेट आदि प्रमुख हैं जिनके माध्यम से विभिन्न विषयों पर विषयवस्तु (कंटेंट) का निर्माण और प्रसार किया जाता है।

न्यू मीडिया के उन्नयन के साथ भाषा की विकास यात्रा भी बहुफलकीय हुई है। वर्तमान में बहुभाषिकता को समझने के लिए सोशल मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम है जहां पाठकों अथवा दर्शकों को अनेक कंटेन्ट में आंचलिकता का पुट देखने को मिलता है। न्यू मीडिया पर विमर्श के इतर मनोरंजन, शैक्षणिक मुद्दें और क्षेत्रीय बोली में प्रचुर मात्रा में कंटेन्ट देखने हेतु उपलब्ध है। भारत के सांस्कृतिक वैविध्य को न्यू मीडिया ने एक नया मंच प्रदान किया है जिसने सांस्कृतिक दूरियों को कम करने का भी कार्य किया है।

न्यू मीडिया के विभिन्न क्षेत्र

न्यू मीडिया के अंतर्गत प्रमुख माध्यम हैं- सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, , ई-बुक्स/मैगज़ीन, डिजिटल पब्लिशिंग और इनफ्लुएंसर मार्केटिंग आदि प्रमुख है।

1. **सोशल मीडिया (Social Media):** यह एक ऐसा ऑनलाइन मंच हैं जहां प्रयोक्ता आपस में बातचीत कर सकते हैं, विषयवस्तु साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित, दृश्य-श्रव्य सामग्री अर्थात टेक्स्ट, फोटो, वीडियो-ऑडियो आदि साझा किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया लाइव के वीडियो-ऑडियो फार्मेट में जुड़े हुए लोगों से एक साथ समूह-संवाद स्थापित किया जा सकता है। न्यू मीडिया माध्यम के अंतर्गत सोशल मीडिया के प्रमुख ऑनलाइन मंच हैं –फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, यूट्यूब, पिनटेरेस्ट और रेडिट आदि।

A. फेसबुक (Facebook): फेसबुक सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो प्रयोक्ताओं को अपनी फोटोज़, पोस्ट्स, और विचार साझा करने के साथ-साथ ग्रुप्स और पेजेज़ के माध्यम से ऑनलाइन समूह बनाने की सुविधा भी देता है।

B. इंस्टाग्राम (Instagram): यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से फोटोज़ और वीडियो साझा करने पर केंद्रित है और युवाओं में यह बहुत लोकप्रिय है। इसमें स्टोरीज़ और रील्स जैसे फीचर्स भी हैं। वर्तमान दौर में रील्स बेहद लोकप्रिय वीडियो कंटेन्ट है।

C. एक्स (X): एक्स को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। इस पर प्रयोक्ता छोटे संदेश (ट्वीट्स) के रूप में अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और ट्रेंडिंग- टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। एक्स स्पेस के माध्यम से ऑडियो चैट के रूप में समूह-चर्चा (ग्रुप डिस्कशंस) किए जाते हैं।

D. लिंक्डइन (LinkedIn): यह मुख्य रूप से पेशेवरों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपने करियर, अनुभव और नौकरी से संबंधित जानकारियों को साझा कर सकते हैं।

E. स्नैपचैट (Snapchat): यह विशेषतौर पर तस्वीरें और छोटी-छोटी वीडियो साझा करने के लिए लोकप्रिय है, जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप गायब हो जाती हैं।

F. यूट्यूब (YouTube): यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां उपयोगकर्ता अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं और अन्य लोगों के वीडियो देख सकते हैं।

G. पिनटेरेस्ट (Pinterest): यह एक दृश्य-बोर्ड आधारित प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने रुचि के विषयों पर प्रेरणादायक तस्वीरें और विचार साझा कर सकते हैं।

H. रेडिट (Reddit): रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार के फोरम्स और कम्युनिटीज़ के रूप में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध है। रेडिट को गॉसिप्स के लिए भी जाना जाता है।

I. व्हाट्सएप्प (Whattsapp): व्हाट्सएप्प एक IM बेस्ड एप्प है जिसको स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। व्हाट्सएप्प के माध्यम से इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं तथा फोटो, विडियो, डाक्यूमेंट्, लोकेशन आदि भी इस एप्प के माध्यम से शेयर की जा सकती है। व्हाट्स ग्रुप के माध्यम से समूह-संचार भी स्थापित किया जाता है।

2. वेबसाइट्स (Websites): यह व्यक्तियों और संगठनों को डिजिटल स्पेस पर अपनी बात कहने का एक मंच प्रदान करते हैं। ब्लॉग्स किसी विशेष विषय पर गहरी जानकारी या व्यक्तिगत विचार साझा करने का माध्यम होते हैं। यह इंटरनेट आधारित पेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था की व्यक्तिगत और सार्वजनिक सूचनाओं को कंप्यूटर के माध्यम से प्रदर्शित करने और डाउनलोड–अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। इस पर किसी भी प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करना एवं आम जनमानस तक पहुंचाना बहुत आसान है, जोकि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म को अत्यधिक आसान कर देता है इसके उदाहरण निम्न प्रकार से हैं- rajbhasha.com, sansandtv.com wikipedia.com एवं सभी मंत्रालय और गैर-सरकारी संगठन या व्यक्तिगत वेबसाइट आदि।

3.ब्लॉग्स (Blogs): ब्लॉग के लिए हिन्दी में **'चिट्ठा'** शब्द प्रयुक्त होता है। यह संपादक रहित लेखन को बढ़ावा देता है तथा इसके माध्यम से स्व-सम्पादन करते हुए लेखन किया जाता है। हिन्दी में विभिन्न विषयों पर दस हज़ार से अधिक हिन्दी ब्लॉग उपलब्ध है। ब्लॉग पर लेखन ऑनलाइन जगत में सबके लिए उपलब्ध होता है। ब्लॉगर, वर्डप्रेस प्रमुख ब्लॉग सेवा प्रदाता वेबसाइट हैं।

4.पॉडकास्ट (Podcast): दुनिया में पॉडकास्ट एक नया एवं जनता के सभी वर्गों तक पहुंचने वाला साधन है, विशेषकर जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और जो लोग देख नहीं सकते हैं। उन लोगों के लिए पॉडकास्ट एक वरदान बनकर आया है, क्योंकि यह एक ऑडियो आधारित शो या कार्यक्रम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें डाउनलोड करके या ऑनलाइन सुना जा सकता है। ऑडियो माध्यम में उपलब्ध सामग्री, जिसमें इंटरव्यू, स्टोरीटेलिंग, या विभिन्न विषयों पर चर्चा शामिल होती है। इसे लोग कहीं भी, किसी भी समय सुन सकते हैं। कुछ पॉडकास्ट के उदाहरण हैं जैसे कुकू एफएम, अमेजॉन ऑडियो, यूट्यूब पॉडकास्ट, फेसबुक पॉडकास्ट आदि l

5. ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स (Online News Portals): ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल वे हैं, जिनके माध्यम से हम समाचारों को इंटरनेट के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं l इस पोर्टल पर लेखन, वीडियो, फोटो एवं विज्ञापनों का प्रदर्शन किया जा सकता है l इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं l जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, और BBC News के ऑनलाइन संस्करण, जो पारंपरिक न्यूज़पेपर के डिजिटल स्वरूप हैं और तत्काल समाचार वितरण में मददगार होते हैं।

6. वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म्स (Video Sharing Platforms): जहां यूजर्स वीडियो अपलोड और शेयर कर सकते हैं। ये वह प्लेटफार्म है जिन पर हम किसी भी प्रकार की वीडियो को जो समाज के हित में या अहित में कार्य करती हैं, को आसानी से प्रसारित कर सकते हैं। इन वीडियोज़ को सीधे इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है l यहां विभिन्न प्रकार की वीडियो सामग्री उपलब्ध होती हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लेटफार्म से इनकी संख्या अब बहुत अधिक हो गई है उनमें से यूट्यूब, डेलीमोशन, और Vimeo आदि प्रमुख हैं l

7. माइक्रोब्लॉगिंग (Microblogging): माइक्रो ब्लॉगिंग एक ऐसा विषय है जो कुछ ही समय से दुनिया में आया है ये ऐसे प्लेटफार्म्स, जहां छोटे और संक्षिप्त संदेश या पोस्ट साझा किए जा सकते हैं। यह न्यूज़ और विचारों के त्वरित आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त माध्यम है। जैसे एक्स और Tumblr

8. वर्चुअल रियलिटी (Virtual Reality): आभासी यथार्थ को ऑडियो-विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से अनुभूत करने के लिए वर्चुअल रियलिटी एक महत्वपूर्ण डिजिटल मीडिया टूल है। 3D 7D के माध्यम से आभासी यथार्थ निर्मित किया जाता है तथा प्रयोक्ता स्वयं को वातावरण का एक अंग अनुभूत करने लगता है। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

9. ई-बुक्स (E-Books): इ-बुक्स के माध्यम से हम सभी किताब या मैगज़ीन को किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी में रखकर उसे कहीं भी पढ़ सकते हैं और उसका आदान-प्रदान कर सकते हैं यह सॉफ्ट कॉपी आजकल कुछ ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध होने लगी हैं। जैसे kindle और NCERT की ई-पाठशाला, और विभिन्न डिजिटल पब्लिशिंग किताबें और मैगज़ीन आदि।

10. इंफ्लुएंसर मार्केटिंग (Influencer Marketing): इनफ्लुएंसर मार्केट से मतलब उस मार्केटिंग से है जिसके द्वारा सोशल मीडिया या डिजिटल और पारंपरिक मीडिया का सहारा लेकर प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त चेहरों का इस्तेमाल कर एक विशेष जनसमूह को आकर्षित करने के लिए किन्हीं ब्रांड्स या उत्पादों का प्रचार करना और उन्हें सर्वोच्च साबित करना होता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पर इसका चलन अधिक है।

न्यू मीडिया में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख तकनीकी शब्दावली

1. **# (हैशटेग):** इसका इस्तेमाल किसी भी पोस्ट को विषय विशेष पर वर्गीकृत करने के लिये किया जाता है।
2. **ट्रेंडिंग Trending):** इस शब्द का प्रयोग चर्चा में आने वाली पोस्ट के लिये किया जाता है।
3. **वायरल कंटेंट (Viral Content):** किसी पोस्ट के तेजी से फैलने पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसा कंटेंट है, जो सोशल मीडिया या इंटरनेट पर तेजी से साझा किया जाता है और वायरल हो जाता है। वायरल कंटेंट प्राय: श्रव्य-दृश्य माध्यम का होता है। कुछ प्रकरणों में प्रिंट माध्यम का कंटेंट भी वायरल होता है मगर उसका मीडिया भी डिजिटल मीडिया ही होता है।
4. **वेब 2.0:** इंटरनेट का वह विकास चरण जिसमें उपयोगकर्ता-जनित कंटेंट और सोशल मीडिया का विकास हुआ, जिससे इंटरेक्टिव और भागीदारी वाली वेबसाइट्स का चलन बढ़ा।
5. **पोक (Poke):** सोशल मीडिया पर इसका प्रयोग ध्यानाकर्षण के लिए किया जाता है। फेसबुक ने यह फीचर सर्वप्रथम आरंभ किया था।
6. **टैग (Tag) :** सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी एक व्यक्ति अथवा समूह के ध्यानाकर्षण के लिए ऑनलाइन नत्थी करना टैग कहलाता है।

7. **पिंग (Ping):** ऑनलाइन होने की दशा में किसी को सूचित करते हुए पहला संदेश भेजा जाना पिंग करना कहलाता है।
8. **शेयर (Share):** इसका प्रयोग किसी पोस्ट को साझा करने के लिये किया जाता है।
9. **लाइक (Like):** इसका प्रयोग किसी की पोस्ट को पसन्द करने के लिये किया जाता है।
10. **हाईलाइट @ followers :** फेसबुक पोस्ट को अधिकांश पाठकों/दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कमेन्टबॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वह पोस्ट सभी फॉलोवर्स तक पहुँच सके।
11. **रीच (Reach) :** सोशल मीडिया पोस्ट की पहुँच को रीच कहा जाता है यह कम्प्यूटरीकृत प्रोग्राम के निर्देशों पर कार्य करती है। सरकार पर विपक्ष की पोस्ट की रीच कम करने के आरोप भी लगते हैं।
12. **सबस्क्राइब/फॉलो (Subscribe / Follow):** इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी खाते की लगातार अपडेट या पोस्ट पाने के लिये किया जाता है।
13. **चैट (Chat):** इसका प्रयोग इन्टरनेट के माध्यम से बातचीत करने के लिये किया जाता है।
14. **मैसेन्जर (Messenger)-** त्वरित संदेश भेजने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट्स मैसेन्जर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से Instant Message (IM) भेज सकते हैं।
15. **इमोजी (Emoji):** इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को बिना कुछ लिखे केवल एक प्रतिक्रिया चित्र के माध्यम से करने के लिये किया जाता है।
16. **मीम्स (Memes):** इसका प्रयोग किसी वायरल पोस्ट या खबर का मजाकिया फोटो / विडियो बनाकर मजाक बनाने के लिये किया जाता है।
17. **ट्रोल (Troll):** किसी प्रिंट अथवा ऑडियो -विजुअल कंटेंट को समग्र संदर्भ से काटकर किसी व्यक्ति विशेष की छवि खराब करने के लिये वायरल करना। भाषा के स्तर पर हिंसक होना तथा बड़े समूह को किसी के विरुद्ध उकसाना ट्रोलिंग कहलाता है।
18. **मीडिया ट्रायल (Media Trial):** किसी भी विषय पर न्यायिक प्रक्रिया से इतर मीडिया के विभिन्न मंचों के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नियोजित और संगठित ढंग से अभियान चलाना ताकि उसकी छवि को खंडित किया जा सके।
19. **एल्गोरिद्म (Algorithm):** निर्देशों का एक सेट जो किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है।
20. **इन्फ्लुएंसर (Influencer):** सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्ति जो अपनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के माध्यम से ब्रांड्स या उत्पादों का प्रचार करते हैं।
21. **क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing):** इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लिकेशनों की स्टोरेज और एक्सेस की प्रक्रिया।
22. **बिग डेटा (Big Data):** विशाल डेटा सेट्स का संग्रह, जिसे डेटा एनालिसिस द्वारा उपयोगकर्ता व्यवहार, ट्रेंड्स और पैटर्न समझने में मदद मिलती है।

23. **एआई (Artificial Intelligence - AI):** ऐसी तकनीक जो मशीनों को मानव जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती हैं, जैसे कि समस्या का समाधान, सीखना, और निर्णय लेना। एआई चैट बॉट के माध्यम से समूह-संवाद किया जाता है।
24. **डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing):** इंटरनेट का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करना, जिसमें SEO, PPC, कंटेंट मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग शामिल हैं।
25. **मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile Application - App):** स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स।
26. **स्ट्रीमिंग:** वीडियो या ऑडियो कंटेंट को ऑनलाइन लाइव या ऑन-डिमांड उपलब्ध कराना, जैसे कि Netflix, YouTube, या Spotify।

न्यू मीडिया जगत में तकनीकी शब्दावली अत्यंत गतिशील प्रकृति की है। अँग्रेजी भाषा के शब्दों को यथारूप अर्थ-निरूपण के साथ सोशल मीडिया में सहजता से अनुशीलन कर लिया जाता है। उपरोक्त तकनीकी शब्दों के हिन्दी अनुवाद अभी न्यून हुए हैं तथा वे प्रचलन में नहीं हैं। प्रिंट मीडिया में नवभारत टाइम्स ने सर्वप्रथम हिंग्लिश के प्रयोग को लागू किया था अब अनेक पारंपरिक मीडिया माध्यम हिंग्लिश (हिन्दी-अँग्रेजी का मिला जुला रूप) को प्रयोग करते हैं। न्यू मीडिया चूंकि अपने स्वरूप और प्रयोग में वैश्विक है इसलिए न्यू मीडिया के तकनीकी शब्दों के चलन और चुनाव को लेकर भाषायी आग्रह न्यून दिखायी देते हैं। न्यू मीडिया की तकनीकी शब्दावली का शाब्दिक अनुवाद भले ही अभी प्रचलन में नहीं है मगर इनके अर्थ ग्राह्यता में कोई निषेध दृष्टिगोचर नहीं होता। आधुनिक पीढ़ी इनके प्रयोग को लेकर सहज है । तकनीकी शब्दों के हिन्दी अनुवाद को लेकर गंभीर प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए ताकि जो लोग तकनीकी साक्षरता में एक पीढ़ी पीछे हैं वे भी समय के साथ कदम मिलाकर चल सके।

Suggestive Readings :–

1. https://en.wikipedia.org/wiki/New_media
2. https://www.drishtiias.com/
3. https://www.sanskritiias.com/
4. https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/lekh3rd_hin2019-20.pdf
5. https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52643.pdf
6. https://www.raijmr.com/ijrsml/wpcontent/uploads/2020/12/IJRSML_2020_vol08_issue_9_Eng_08.pdf
7. https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe/pluginfile.php/5793/mod_resource/content/1/22%20-%205.2%20%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2%20%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE.pdf
8. दुनिया ने जैसे सामाजिक मीडिया को बदल दिया – अनुवाद कुमारी प्रियदर्शिनी
9. सामाजिक मीडिया और हम – रविन्द्र प्रभात
10. सोशल मीडिया के विभिन्न आयाम- डॉ. सेवा सिंह बाजवा

[i] **सुधीर कुमार**

शोधार्थी (सीनियर रिसर्च फेलो), इतिहास विभाग,
सामाजिक विज्ञान संकाय,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी -221005
ई-मेल - sudhirphd@bhu.ac.in

[ii] **डॉ. सत्यपाल यादव**

असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005
ई-मेल – satyapaly2@gmail.com

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 (फाउंडेशनल स्टेज) के संदर्भ में गिजुभाई बधेका के विचारों की प्रासंगिकता'

डॉ. मोनू सिंह गुर्जर
(सहायक आचार्य, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली)
डॉ. नीतू यादव
(प्राचार्य, आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली)
संजय कुमार यादव,
शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

शोधसार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्रियान्वित करने में स्कूली शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसमें सीखने के बुनियादी स्तर (फाउंडेशनल स्टेज) पर सबसे अधिक ज़ोर दिया गया है, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता उसकी बुनियाद पर ही टिकी होती है। उसी प्रकार शिक्षा नीति की सफलता भी इसके बुनियादी स्तर अर्थात फाउंडेशनल स्टेज पर आधारित है। परिवर्तित शैक्षिक परिदृश्य में प्रारंभिक बाल शिक्षा को सीखने की नींव माना गया है। गिजुभाई बधेका ने इसी नींव की मज़बूती के लिए शैक्षिक विचार दिये थे। इनके शैक्षिक विचार आज भी भारतीय परिस्थिति के लिए बहुत ही उपयोगी या प्रासंगिक हैं। नीति के द्वारा गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचारों को सम्मिलित किया गया है। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली को भारत में लाने का श्रेय गिजुभाई बधेका को ही दिया जाता है। उन्होंने बच्चों की सीखने की आज़ादी के लिए बाल केन्द्रित शिक्षण प्रणाली पर ज़ोर दिया। गिजुभाई बधेका ने पूर्व–विद्यालयी शिक्षा और बच्चों के विकास के लक्ष्यों के प्रति अपने समर्पण और कार्यान्वयन को भी जारी रखा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिलक्षित होता है। प्रस्तुत लेख में हम गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचार, उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षण पद्धतियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की चर्चा करेंगे। साथ ही इनके विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों, अभिभावकों व हितधारकों के लिए कुछ सुझाव प्रस्तावित करेंगे, ताकि लेख उनके लिए उपयोगी साबित हो सके।

कुंजी शब्द: बाल केन्द्रित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फाउंडेशनल स्टेज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, सर्वांगीण विकास।

प्रस्तावना

"शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है, जिसका प्रयोग करके हम दुनिया को बदल सकते हैं।" – (नेल्सन मंडेला) प्रायः किसी भी राष्ट्र का भविष्य वहाँ के नन्हें-मुन्ने बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन या संसाधन न सिर्फ़ हीरे-मोती, सोना-चाँदी होते हैं, बल्कि उस राष्ट्र की अपनी प्राकृतिक संसाधन भी होती हैं। इन संसाधनों से कहीं ज्यादा मूल्यवान उस राष्ट्र के नन्हें-चुन्हें बच्चे होते हैं। ये बच्चे उस राष्ट्र के भविष्य होते हैं, जो बड़े

होकर प्राकृतिक संसाधनों का न सिर्फ़ संरक्षण और संवर्धन करते हैं, बल्कि अपने देश और राष्ट्र का वैश्विक स्तर पर नेतृत्व भी करते हैं। इसलिए किसी भी राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधनों से भी ज्यादा मूल्यवान 'मानव संसाधन' होता है। मानव को संसाधन बनाने में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार राष्ट्र के भविष्य रूपी नन्हें-मुन्ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिससे बच्चे वास्तविक दुनिया के संदर्भ को समझते हुए अन्वेषण, खोज और रचनात्मक चिंतन के माध्यम से सीखते हुए अपना समग्र विकास कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की परिकल्पना करती है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा एवं लोकाचार में निहित उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतापूर्ण, जीवंत और ज्ञानवान समाज में बदला जा सके और भारत अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित कर सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के पाँच स्तंभों पर आधारित है। साथ ही इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित पंचकोशीय विकास की अवधारणा के आधार पर बच्चे के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरुआती बचपन को संवारने के लिए शैक्षिक ढाँचे में परिवर्तन करते हुए फाउंडेशनल स्टेज को विशेष महत्व दिया गया है। खासकर प्रारंभिक अवस्था और देखभाल, जो इन नन्हें-मुन्ने बच्चों के सीखने-सिखाने की बुनियाद होती है, जिसमें बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022' में बच्चे के सतत विकास और वृद्धि के लिए उनकी उपयुक्त देखभाल और उपयुक्त प्रोत्साहन के विशिष्ट महत्व को इंगित किया गया है।

"खेल वास्तविक शिक्षा है। महान शक्तियाँ खेल के मैदान पर जन्म लेती हैं।
खेलों का मतलब चरित्र निर्माण है।" – गिजुभाई बधेका

बुनियादी स्तर पर खेल आधारित शिक्षा खास तौर पर महत्वपूर्ण है। ये खेल समूह में और व्यक्तिगत हो सकते हैं। खेल आधारित शिक्षा, बच्चों की जन्मजात क्षमताओं और जिज्ञासा, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सामूहिक कार्य, सामाजिक अन्तःक्रिया, सहानुभूति, करूणा, समावेशिता, सम्प्रेषण, संस्कृति की सराहना, हंसी-खेल की भावना, आस-पास के वातावरण के प्रति जागरूकता, साथ ही साथ शिक्षकों, अपने साथियों व अन्य के साथ सफलतापूर्वक एवं सम्मानपूर्वक बातचीत करने की योग्यता को पोषित करती है। (NCF–FS, पृष्ठ संख्या – 16) गिजुभाई बधेका ने भी बालक के अधिगम में खेलों के महत्व को स्वीकारा है और खेलों के माध्यम से चरित्र निर्माण पर बल दिया है, जिसका वर्णन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है।

फाउंडेशनल स्तर पर बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित है तथा भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई बधेका के क्रियाकलापों एवं विचारों पर आधारित है। गिजुभाई बधेका ने बाल

केंद्रित शिक्षण विधि को अपनाते हुए बच्चों को प्यार, अनुराग और करुणा को विशेष महत्व दिया, जिसके चलते बच्चे उन्हें प्यार से 'मूछों वाली माँ' कहते थे। प्री-स्कूल या प्रारंभिक वर्षों में एक छोटे बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, इसके पीछे उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं।

यह संयोग की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और गिजुभाई बधेका समकालीन थे। एक तरफ जहाँ महात्मा गाँधी जी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वहीं दूसरी ओर गिजुभाई बधेका ने बच्चों के लिए आजीवन बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग और उनकी स्वतंत्रता के लिए वकालत की, जो कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 में परिलक्षित होते हैं। आज बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़कर सिखाने के लिए अनुभव आधारित अधिगम (Experiential Learning), परिणाम आधारित अधिगम, खेल आधारित अधिगम या जादुई पिटारा के माध्यम से स्वेच्छानुरूप बाल विकास की धारणा जो हम आज देखते हैं, वह गिजुभाई बधेका के विचारों में न केवल मिलती है, बल्कि भावनगर के 'दक्षिणामूर्ति बालमंदिर' में इनका प्रयोग भी हुआ था। यद्यपि गिजुभाई पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर शिक्षण को अपने दायित्व के रूप में चुना, क्योंकि गिजुभाई का मानना था कि समाज में लोग डॉक्टर (चिकित्सक) और वकील के पास मजबूरी में जाते हैं, समाज में कोई भी यह नहीं चाहता कि उसके जीवन में ऐसा दिन आए जब उसे डॉक्टर या वकील के पास जाना पड़े। दूसरी तरफ, यह सभी चाहते हैं कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षक मिलें। इसी सोच को अपनाते हुए गिजुभाई बधेका ने आजीवन शिक्षक धर्म का पालन किया। *'दिवास्वप्न', 'माँ-बाप बनना कठिन है', 'ऐसे हो शिक्षक'* आदि गिजुभाई की कालजयी रचनाएँ हैं, जिनके विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फाउंडेशनल स्तर की शिक्षा में और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 में परिलक्षित होते हैं। गिजुभाई ने शिक्षा में अपने जीवन के स्वर्णिम 54 वर्षों के कालखंड में जो कालजयी कार्य किए, वे आज हमारी समकालीन शिक्षा व्यवस्था व विद्यालयी शिक्षा के लिए आधारशिला हैं, जो बच्चों, शिक्षकों और शिक्षाजगत से जुड़े हितधारकों का मार्गदर्शन करते हैं।

गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचार:

बच्चों के स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण के हिमायती गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात के चित्तल गाँव में हुआ था। प्रारंभ में गिजुभाई ने अपनी आजीविका के लिए वकालत का पेशा अपनाया था। लेकिन तत्कालीन देशकाल और परिस्थितियों में बच्चों को डराने-धमकाने और दकियानूसी परिवेश में रखा जाता था, जहाँ वे दबावयुक्त वातावरण में बोझिल होकर शिक्षा ग्रहण करते थे, ना कि सीखते थे। गिजुभाई ने महसूस किया कि विद्यालय बच्चों के लिए पिंजरे के समान है, जहाँ बच्चों को किताबीय ज्ञान दिया जाता है। वे उसे एक उद्यान बनाना चाहते थे, जहाँ बच्चा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ, स्वतंत्रतापूर्वक खेलते-कूदते हुए सीखता रहे, और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए गिजुभाई बधेका ने 'बालदेवो भवः' का विचार दिया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि "शिक्षक को शाला में माता-पिता की भूमिका निभानी चाहिए।" गिजुभाई का मानना था कि शिक्षक को बालक के प्रति तदनुभूति रखनी चाहिए। अर्थात उन्होंने शिक्षा के केंद्र में बालक को स्थान दिया है, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 में की गई है। आज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा बच्चों के सीखने के लिए 'जादुई पिटारा'

तैयार किया गया है, जहाँ बच्चे बिना पुस्तक के, खेल-खिलौने, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी और पज़ल्स (पहेलियाँ) द्वारा अपने बचपन को आनंदायी बनाते हुए सीख सकें। यह विधि गिजुभाई के विचारों में मिलती है। साथ ही उन्होंने अपनी दक्षिणामूर्ति बालमंदिर में अनुभवात्मक अधिगम (जिसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है) के रूप में प्रयोग भी किया था। 'बालदेवो भवः' के विचार से स्पष्ट होता है कि गिजुभाई ने पूर्णतः बालकेंद्रित शिक्षा प्रणाली को महत्व दिया, साथ ही शिक्षक की भूमिका सुविधाकर्ता के रूप में स्पष्ट की है। अपनी पुस्तक "ऐसे हो शिक्षक" में उन्होंने शिक्षक की भूमिका बालक के अभिभावक से बढ़कर बताई है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'माँ-बाप बनना – कठिन है' में लिखा है कि माता-पिता को बच्चे के जन्म देने से पूर्व उसकी परवरिश और शिक्षा-दीक्षा के बारे में सोच लेना चाहिए, जो बुनियादी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और मूल विचार है, और जो आज के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 की आधारशिला है।

हमारे समाज में आजकल यह धारणा बन गई है कि बच्चा जितना ज्यादा किताब पढ़ेगा, वह उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। जिसके चलते रटंत प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ ही हम बच्चे को उसकी वास्तविक दुनिया से अलग कर दे रहे हैं। जहाँ हम सब बच्चे की शिक्षा के नाम पर उसका 'बचपन' छीन ले रहे हैं। बच्चे के भविष्य निर्माण की प्रतियोगी अंधी दौड़ के चलते हम सब उसे वर्तमान में अमन-चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि बच्चे जब अपनी वास्तविक दुनिया के संदर्भ में जुड़ते हैं, तो उनके अंदर बहुत सी रुचियाँ, प्रश्न और जिज्ञासा होती है तथा वे वास्तविक दुनिया में अन्वेषण, खोज और जिज्ञासा की तृप्ति करते हैं, जिससे बच्चे का स्वेच्छानुरूप समग्र विकास सुनिश्चित होता है।

जिस प्रकार किसी पौधे में फूल की कली को खींचकर या खोलकर फूल के रूप में नहीं खिलाया जा सकता, बल्कि माली के रूप में फूल के पौधे की देखभाल और पोषण देकर, समय आने पर स्वेच्छानुरूप मनमोहक और मनोहर पुष्प का रूप प्रदान किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक फाउंडेशनल स्तर पर बच्चे की देखभाल और पोषण करके उसका समग्र विकास किया जा सकता है। जिसकी परिकल्पना गिजुभाई बधेका ने की थी, जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अर्थात गिजुभाई बधेका के विचारों और क्रियात्मक प्रयोग को धरातल पर साकार किया जा रहा है।

गिजुभाई बधेका शिक्षा को जीवन भर चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया मानते थे, जो बालक की जन्मजात क्षमता को उजागर कर उसके सर्वांगीण विकास में सहायक है। शिक्षा के कारण ही बालक में धनात्मक अधिगम संभव हो पाता है। गिजुभाई बधेका ने शिक्षण को बालक के व्यवहार में उतारकर उसे क्रियान्वित किया, जहाँ बच्चे आत्मनिर्भर होकर निडरता से खेल, नाटक, गायन के माध्यम से शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में रम जाते थे और विद्यालय को घर का आँगन समझते थे। दक्षिणामूर्ति बालमंदिर में उबाऊ पाठ्यक्रम और तोता-रटंत प्रणाली पूर्णतः वर्जित थी। बच्चों में सीखने की ललक पैदा करने के लिए उन्हें कहानियाँ, लोक-कथाएँ, नाटक के माध्यम से उनके अंदर स्फूर्ति और सीखने की लालसा का विकास किया जाता था, जो आज 'जादुई पिटारा' में परिलक्षित होता है।

यह देखा गया है कि बच्चों में कहानियाँ सुनने की जिज्ञासा होती है। बच्चे कागज की नाव, कागज के फूल आदि में भी रुचि रखते हैं। इसी बाल मनोविज्ञान को समझते हुए गिजुभाई ने बालकेंद्रित शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक प्रयोग किया, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – फाउंडेशनल स्तर 2022 में परिलक्षित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे जब मातृभाषा में सीखते हैं, तब उनके अंदर रचनात्मकता का विकास होता है। इसलिए गिजुभाई प्रारंभिक बाल्यावस्था में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के हिमायती थे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 में परिलक्षित होते हैं। उनकी लिखी पुस्तक 'दिवास्वप्न' बाल-शिक्षण पर आधारित है। 'दिवास्वप्न' में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार 'जादुई पिटारा', NCF-FS 2022 और NEP 2020 की अनुभव-आधारित अधिगम की अवधारणा दृष्टिगोचर होती है। जिनके शैक्षिक विजन और मिशन को एनईपी और एनसीएफ–एफएस के माध्यम से धरातल पर साकार किया जा रहा है।

बालकों में विचारों, कल्पनाओं और संस्कारों को आत्मसात कराने के लिए विद्यालय में जिन नाटकों का मंचन किया जाता था, उनमें अन्य कलाकारों के साथ गिजुभाई स्वयं अभिनय करते थे। साथ ही साथ बाल कलाकारों को उनके संवाद रटाए नहीं, बल्कि समझाए जाते थे, जहाँ बालक अपनी रचनात्मक प्रस्तुति के लिए स्वतंत्र थे। गिजुभाई भाषा व व्याकरण को पृथक–पृथक नहीं, बल्कि एक साथ समावेश करके शिक्षण के हिमायती थे। उनकी लिखी पुस्तक 'दिवास्वप्न' को बाल साहित्य का सिरमौर माना जाता है। 'दिवास्वप्न' में मांटेसरी पद्धति की झलक दिखाई पड़ती है। गिजुभाई बधेका के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव मांटेसरी पद्धति का दिखाई देता है। गिजुभाई ने मांटेसरी पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा दर्शन के रूप में उतारने का प्रयास किया। गिजुभाई के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को आत्मनिर्भर और सृजनशील बना सके। गिजुभाई का सम्पूर्ण शिक्षा-दर्शन बालकेंद्रित शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचार:

- बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का व्यावहारिक प्रयोग।
- बालक की रचनात्मक क्षमता के विकास का अवसर।
- बच्चों के स्वेच्छानुरूप विकास (Spontaneous Development) को प्रोत्साहन।
- अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) पर विशेष जोर।
- रटंत प्रणाली और बोझिल पाठ्यक्रम का विरोध।
- सामाजिकता तथा व्यवहारिकता के विकास पर बल।
- शिक्षक की भूमिका एक मित्र, सहायक तथा पथ-प्रदर्शक के रूप में।
- शिक्षा में स्वावलंबन और स्वतंत्रता को प्रमुखता।
- बालक को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना।
- बाल-शिक्षा में समुदाय की भागीदारी और विद्यालय से अपनत्व की अवधारणा को सम्मिलित करना।

फाउंडेशनल स्तर पर शिक्षण विधियाँ

भारत में स्वतंत्रता से लेकर आज तक, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में पहली बार शैक्षिक ढाँचे में परिवर्तन करते हुए फाउंडेशनल स्तर पर शिक्षा में अनेक विकास हुए हैं। जिसमें गिजुभाई बधेका के शिक्षा-दर्शन के अनुरूप जादुई पिटारा, खेल गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रतिमान को शामिल किया गया है, जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यह अभी प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में या आँगनवाड़ी और बालवाटिका के रूप में विकसित की गई है। इस स्तर पर सरकार द्वारा अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस कारण समुचित शैक्षिक परिवेश में बदलाव आ रहे हैं और बालकेंद्रित शिक्षण विधि का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। बालकों की अनेक नवाचारी प्रशिक्षण विधियों को समाहित किया गया है, जिससे बालक खेल, कहानी, नाटक, गीत के माध्यम से सीख सकें और उन्मुक्त होकर वास्तविक दुनिया में अपनी रुचियों, अभिलाषाओं और जिज्ञासाओं के साथ खोज और अन्वेषण कर सकें। जिस विधि का प्रयोग आधुनिक भारतीय बाल शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका 'दक्षिणामूर्ति बालमंदिर' में किया करते थे। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों को शिक्षण के नवीन शिक्षण की ओर उन्मुख करके नवीन विधि और रोचक विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिलक्षित हो रही है। इस प्रकार बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 में भी बच्चे के समग्र विकास के लिए खेल विधि, कहानी विधि, गतिविधि, कलाशिल्प और खिलौने के माध्यम को शिक्षण और शिक्षण विधि के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार किया गया 'जादुई पिटारा' इस स्तर के बच्चों के सीखने में वरदान साबित होगा। जिससे बच्चे किताबों और कक्षा कार्य के भार से मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक खेल-खेल में, वास्तविक दुनिया, व्यवहारिक ज्ञान एवं स्थानीय परिवेश के अनुभव से जुड़कर सीखेंगे। जिसमें करके सीखना (Learning by Doing), खेल से सीखना (Learning by Play) के माध्यम से बच्चे सीख सकेंगे और शिक्षक उन्हें सिखा सकेगा। इस विधि द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित पंचकोषीय पद्धति के अन्तर्गत (अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश) के अनुरूप उनका समग्र विकास सम्भव हो सकेगा। जिसमें उन्मुक्त परिवेश, उसकी मातृभाषा और बच्चे की संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

यह उन्मुक्त वातावरण, खुली दुनिया, खुला हुआ आकाश प्रदान करने में गिजुभाई बधेका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–फाउंडेशनल स्टेज–2022 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इन समावेशी विचारों को अपनाकर बालकेंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन देकर बच्चे का स्वेच्छानुरूप विकास किया जा सकता है।

गिजुभाई बधेका द्वारा प्रयोग में लाई गई विधियाँ

प्रश्नोत्तरी पद्धति, जोड़ीदार पद्धति, नाट्य प्रयोग विधि, कहानी विधि, चलचित्र पद्धति, अनुकरण विधि, खेल विधि, दृष्टांत मूलक पद्धति इत्यादि। गिजुभाई बधेका विषय की प्रकृति और विद्यार्थी के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन व शिक्षण विधि का अनुसरण करने हेतु समर्थन करते थे। उनके अनुसार, बुनियादी स्तर पर खेल-खेल में नाटक के माध्यम से कला, चित्र, पेपेट्री और कठपुतली के माध्यम से बच्चों को उन्मुक्त वातावरण में आनंदमयी ढंग से सिखाया जा सकता है तथा

श्रवण पद्धति और अनुकरण विधि के माध्यम से बच्चों को मातृभाषा में आसानी से सिखाया जा सकता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ाकर कल्पनाशक्ति का विकास किया जा सकता है। उनका मानना था कि शिक्षक बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि उनका प्रबोधक होता है जहाँ वे बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जहाँ बालक स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करता है और उसकी छिपी हुई शक्तियों का प्रस्फुटन होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवम् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज 2022 में निहित गिजुभाई बधेका के विचार

गिजुभाई बधेका बाल केंद्रित उन्मुक्त वातावरण के हिमायती थे, जिनके विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 और एन.सी.एफ.–एफ.एस.-2022 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। कक्षा-कक्ष वातावरण शब्द का तात्पर्य कक्षा में भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों से है। भौतिक वातावरण एक संसाधन प्रदान करता है, जो सुरक्षित अन्वेषण, संज्ञानात्मक विकास और चुनौती की अनुमति देता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण कक्षा में होने वाले सभी संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं से बना होता है। एक सुरक्षित, आरामदायक व खुशहाल वातावरण बच्चे को बेहतर सीखने और अधिक हासिल करने में मदद कर सकता है। कक्षा का वातावरण समावेशी और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण वाला होना चाहिए जो हर बच्चे को स्वतंत्रता, खुलापन, स्वीकृति, अपनापन और चुनौती प्रदान करे। (NCF-FS-4.6.1) कक्षा-कक्ष वातावरण के संबंध में कही गई उपरोक्त बातें गिजुभाई के विचारों से मेल रखती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा: फाउंडेशनल स्टेज-2022 के बिंदु 5.2.1 में विषयवस्तु चयन के सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि विषयवस्तु संवेदनात्मक रूप से आकर्षक होनी चाहिए और बच्चे के अनुभवों के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। विषयवस्तु को बच्चों के जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया जाना चाहिए और इसे उन सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिनमें बच्चा विकसित हो रहा है। ये बातें गिजुभाई बधेका के विचारों के प्रतिबिंब हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज-2022 के बिंदु 5.2.3 में 'कला के लिए विषयवस्तु' गिजुभाई के प्रायोगिक शिक्षण संबंधी बातों में परिलक्षित होती हैं, जो इस प्रकार है – "कला सीखने के अनुभवों को विशिष्ट सीखने के प्रतिफलों पर केंद्रित गतिविधियों के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए और विषयवस्तु स्थानीय सन्दर्भ से ली जानी चाहिए। शिक्षक को अपने स्कूल में बच्चों के जीवन के आस-पास के रंगों और पौधों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें कला में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह गायन, धुन, नृत्य और कहानियों (लोक- और समकालीन दोनों) के स्थानीय रूपों का उपयोग संगीत, गतिविधि और रंगमंच की प्रदर्शन कला के संदर्भ में किया जा सकता है।" (NCF-FS 5.2.3)

गिजुभाई बधेका बच्चों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए कहानी विधि का शिक्षण में बहुत प्रयोग करते थे, क्योंकि बच्चे कहानी सुनने में बहुत रुचि रखते हैं। उनके कहानी संबंधी विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा : फाउंडेशनल स्टेज के बिंदु - 5.3.2 के कहानी आधारित पद्धति (Story Based Approach) में लिखा गया है कि - कहानियाँ बच्चों को सीधे सीखने की प्रक्रियों में शामिल करती हैं। उन्हें अपनी शब्दावली बनाने में मदद करती हैं। भाषा सीखने और

सिखाने में एक समृद्ध संसाधन होने के अलावा, कहानियाँ बच्चों को उनकी तात्कालिक दुनिया से बाहर की चीजों से परिचित कराती हैं। इससे बच्चों को शब्दों से कहीं अधिक सीखने में मदद मिलती है। कहानियाँ बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम करती हैं। वे भाषा सीखने के साथ-साथ भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

शिक्षक बाल साहित्य के समृद्ध भण्डार में से कहानियाँ चुन सकते हैं। बेहतर होगा कि उन कहानियों का चुनाव किया जाए, जिनसे बच्चे अपनी घर की भाषा में पहले से ही परिचित हों।

उदाहरण के लिए पारंपरिक कहानियाँ, मिथक, किंवदंतियाँ, लोक कथाएँ, दंतकथाएँ, कविताएँ, गीत, तुकबंदी, वर्णमाला और गिनती की कविताएँ और जानवरों की कहानियाँ आदि भी चुनी जा सकती हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (1.1) में स्पष्ट किया गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। इसीलिए एन.ई.पी.-2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल–शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है जैसे - अक्षर, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इनडोर और आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, दृश्य कला, नाटक, कठपुतली आदि गतिविधियों को शामिल करते हुए सामाजिक स्वच्छता, सामूहिक कार्य, आपसी सहयोग पर ध्यान दिया गया है, जो कि गिजुभाई बधेका के भावनगर स्थिति 'दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर' में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह जिसे वर्तमान समय में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज - 2022 में भी समाहित किया गया है।

गिजुभाई ने भावनगर के दक्षिणामूर्ति में जिस बाल वाटिका की स्थापना की थी उसकी परिकल्पना फाउंडेशनल स्तर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में की गई है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (1.5))।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के बिंदु - 2.0 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में रुचिकर और प्रेरणादायी बाल साहित्य उपलब्ध कराए जाएँगे, जिससे बालकों में पठन-पाठन संस्कृति का विकास हो। जिसका प्रयोग 'बाल पोथी' के रूप में गिजुभाई अपने दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर में करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में स्कूलों के पाठ्यक्रम को समग्र, एकीकृत, आनंदमयी और रुचिकर बनाने की बात हुई है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, बिंदु - 4) जो गिजुभाई के विद्यालयी परिवेश का जीवंत उदाहरण है। कक्षा कक्ष में प्रायोगिक अधिगम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, बिंदु 4.6) को अपनाकर एवं करिकुलम के साथ कला के समन्वय (राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, बिंदु - 4.7) से बाल केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करने की बात हुई है जो गिजुभाई बधेका के विचारों पर आधारित है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज - 2022 बाल केंद्रित शिक्षण और फाउंडेशनल स्टेज संबंधी विचार गिजुभाई के व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित हैं, जो आजकल 'जादुई पिटारा' और फाउंडेशनल स्टेज में सीखने में बच्चों के लिए काफी सहायक है।

शिक्षकों, अभिभावकों और हितधारकों के लिए सुझाव

शिक्षकों के लिए सुझाव: शिक्षक वह धुरी हैं, जिसके इर्द-गिर्द बालकों का भविष्य घूमता हुआ आकार लेता है, अतः शिक्षण बालकों का मित्र, पथ-प्रदर्शक बनकर नवाचार करने के लिए सदैव तत्पर रहे। शाला में बालकों को स्वतंत्र और

भयमुक्त वातावरण प्रदान करें, जिससे बालक स्वयं सीखने के लिए उत्साहित हो सके। जिसके लिए फाउंडेशनल स्तर पर शिक्षकों को बाल केंद्रित विधि का अनुसरण करना चाहिए। पुस्तकों की दुनिया से इतर बालकों को नवीन बाल केन्द्रित विधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे – खेल विधि, कहानी विधि, जादुई पिटारे का प्रयोग कर सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

अभिभावकों के लिए सुझाव: अभिभावक बालकों के सर्वप्रथम शिक्षक होने के दायित्व को निभाते हैं। इसीलिए अभिभावकों को बालकों में शिक्षा के प्रति जिज्ञासा, उत्साह, निडरता और मित्रता जैसे गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बालकों को खेल और कहानियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को खेलने से रोकना नहीं चाहिए। बालकों की अद्वितीय क्षमता को पहचाने और उसे बढ़ाने में उनकी मदद करें।

हितधारकों के लिए सुझाव: हितधारकों को चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करें एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज के मिशन और विजन के क्रियान्वयन के लिए धरातल स्तर पर विद्यालयों और संस्थान से समन्वय स्थापित करके बाल केंद्रित शिक्षण को जमीनी स्तर पर साकार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

यह कहा जा सकता है कि गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचार एवं उनके शिक्षण-अधिगम से जुड़े व्यावहारिक प्रयोग आज भी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को एक सशक्त एवं नवाचारयुक्त दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुभव-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण एवं बालकेंद्रित शिक्षा की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्रमुखता से समाहित है, विशेषतः प्रारंभिक शिक्षा (फाउंडेशनल स्टेज) के संदर्भ में। समकालीन परिप्रेक्ष्य में जब शिक्षा को बच्चों के समग्र विकास और सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है, तब गिजुभाई बधेका के विचार और दर्शन और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी बालक-समर्थक शिक्षण शैली, मातृभाषा आधारित अधिगम, अनुभवात्मक विधियाँ, और शिक्षक की संवेदनशील भूमिका, सभी पहलू *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020* तथा *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – फाउंडेशनल स्टेज – 2022* में साकार रूप में परिलक्षित होते हैं।गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य *सतत विकास लक्ष्य (SDG–4)* की प्राप्ति भी तभी संभव है जब शिक्षा नीतियाँ जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हों और उनमें गिजुभाई बधेका जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों के विचारों का समावेशन हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम गिजुभाई बधेका की शिक्षादृष्टि से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर हों, जहाँ हर बच्चा अपने बचपन को जीते हुए सहज, स्वाभाविक और आनंदमयी रूप से सीख सके – क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ बालक, एक समृद्ध और सशक्त भारत की सबसे सच्ची उम्मीद है।

संदर्भ ग्रन्थ -

भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* [PDF]. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. पृष्ठ संख्या – 9, 11,18,

.https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

NCERT. (2022). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - 2022 (फाउन्डेशनल स्टेज)*. पृष्ठ संख्या – 16,128, 143,147,149. https://ncert.nic.in/flipbook/NCF/National_Curriculum_Framework_for_Foundational_Stage_2022/

भारत सरकार. (n.d.). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (स्कूल शिक्षा) – प्रारूप* [Pre-draft]. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NCF-School-Education-Pre-Draft.pdf

बधेका, ग. (वि.व.).*दिवास्वप्न* (का. त्रिवेदी, अनुवादक). दक्षिणामूर्ति बालमंदिर.

बधेका, ग. (वि.व.).*माँ-बाप बनना कठिन है* (का. त्रिवेदी, अनुवादक). दक्षिणामूर्ति बालमंदिर.

बधेका, ग. (वि.व.).*ऐसे हो शिक्षक* (रा. सोनी, अनुवादक). मांटेसरी बाल शिक्षण समिति.

बधेका, ग. (वि.व.).*माता-पिता से*. जितांजलि प्रकाशन.

बधेका, ग. (वि.व.).*कथा-कहानी का शास्त्र*. अंकित प्रकाशन.

बधेका, ग. (वि.व.).*मांटेसरी शिक्षण पद्धति*. अंकित प्रकाशन.

बधेका, ग. (वि.व.).*माता-पिता की माथापच्ची*. अंकित प्रकाशन.

बधेका, ग. (वि.व.).*प्राथमिक विद्यालय की शिक्षण-विधियाँ*. जितांजलि प्रकाशन.

देव, र. (1919). *गिजुभाई के शैक्षिक विचार और प्रयोग*. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद.

पाण्डेय, र. (1990). *विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री*. विनोद पुस्तक मंदिर.

Froebel, F. (1802). *The pedagogics of the kindergarten*.

JETIR. (2021). *GijubhaiBadheka's Educational Philosophy and Its Relevance in Today's Context* [Research paper]. https://www.jetir.org/papers/JETIR2103125.pdf

The Wire Hindi. (n.d.). *शिक्षाविद गिजुभाई बधेका को याद करते हुए*. The Wire Hindi. https://thewirehindi.com/47964/remembering-educationist-gijubhai-badheka/

© भारत सरकार
Government of India

ISSN : 2321-0443

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-VII, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: +91-11- 20867172
वेबसाइट :https://cstt.education.gov.in
https://shabd.education.gov.in

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
West Block-VII, Ramakrishnapuram, Sector-1
New Delhi-110066
Telephone : +91-11- 20867172
Website : https://cstt.education.gov.in
https://shabd.education.gov.in